सत्यमेव जयते

वित्त आयोग - कोविड के दौर में

2021-26 के लिए रिपोर्ट

संघ राज्य

पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-II अनुलग्नक

अक्तूबर 2020

सत्यमेव जयते

वित्त आयोग - कोविड के दौर में

2021-26 के लिए रिपोर्ट

संघ राज्य

पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-II अनुलग्नक

अक्तूबर 2020

अनुलग्नक

पृष्ठ

अध्याय 1: परिचय

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	अनुलग्नक 1.1:	आयोग के गठन से संबंधित अधिसूचना	1
	अनुलग्नक 1.2:	विचारार्थ विषयों में शुद्धि संबंधी अधिसूचना	5
	अनुलग्नक 1.3:	अंशकालिक सदस्य के स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना	6
	अनुलग्नक 1.4:	आयोग से सदस्य के त्यागपत्र से संबंधित अधिसूचना	8
	अनुलग्नक 1.5:	आयोग में सदस्य की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना	10
	अनुलग्नक 1.6:	विचारार्थ विषयों में परिवर्धन/संशोधन से संबंधित अधिसूचना	12
	अनुलग्नक 1.7:	विचारार्थ विषयों में परिवर्धन/संशोधन से संबंधित अधिसूचना	14
	अनुलग्नक 1.8:	पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यायों की विचारार्थ विषयवार मैपिंग	16
	अनुलग्नक 1.9:	स्वीकृत पदों की सूची	20
	अनुलग्नक 1.10:	पदाधिकारियों की सूची	21
	अनुलग्नक 1.11:	पंद्रहवें वित्त आयोग के विशेष कार्याधिकारी श्री अरविन्द मेहता को 'विभागाध्यक्ष' की शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में वित्त मंत्रालय का पत्र	24
	अनुलग्नक 1.12:	प्रक्रिया-नियम	26
	अनुलग्नक 1.13:	विचारार्थ विषयों पर सुझाव मांगने के संबंध में सार्वजनिक सूचना	29
	अनुलग्नक 1.14:	अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर सुझाव मांगने के संबंध में सार्वजनिक सूचना	33
	अनुलग्नक 1.15:	आयोग की सलाहकार परिषद् का गठन	34

पृष्ठ

अनुलग्नक 1.16:	स्वास्थ्य सेक्टर पर उच्च स्तरीय समूह का गठन	41
अनुलग्नक 1.17:	पंजाब के सीसीएल अंतर की समीक्षा हेतु नकद क्रेडिट सीमा समिति का गठन	43
अनुलग्नक 1.18:	रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के मामलों की जांच हेतु समूह का संघटन	45
अनुलग्नक 1.19:	कृषि निर्यातों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन	47
अनुलग्नक 1.20:	सामान्य सरकार (केंद्र एवं राज्य सरकारों) की राजकोषीय समेकन रूपरेखा की समीक्षा हेतु समिति का गठन	49
अनुलग्नक 1.21:	''राज्य-वित्त के मूल्यांकन'' पर किए गए अध्ययन	51
अनुलग्नक 1.22:	किए गए अन्य अध्ययनों की सूची	52
अनुलग्नक 1.22कः	बहुपक्षीय और अन्य संगठनों द्वारा पीपीटी प्रस्तुतियों और अध्ययनों की सूची	54
अनुलग्नक 1.23:	15वें वित्त आयोग की बैठकें	58
अनुलग्नक 1.24:	प्रतिष्ठित व्यक्तियों/ संगठनों के साथ आयोग के अध्यक्ष की बैठकों की सूची	62
अनुलग्नक 1.25कः	माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ आयोग की बैठकों की सूची	65
अनुलग्नक 1.25खः	व्यक्तियों/ संगठनों के साथ आयोग की बैठकों की सूची	66
अनुलग्नक 1.26:	संघ सरकार के मंत्रालयों /विभागों के साथ आयोजित बैठकें	68
अनुलग्नक 1.27:	अर्थशास्त्रियों, विषय-विशेषज्ञों, अंतरराष्ट्रीय एवं अन्य संगठनों के साथ बैठकें	75
अनुलग्नक 1.28:	राज्यों के महालेखाकारों के साथ आयोजित बैठकें	77
अनुलग्नक 1.29:	राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों की सूची	80

		पृष्ठ
अनुलग्नक 1.30:	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए राज्यों के दौरों का ब्यौरा	81
अनुलग्नक 1.31:	उन संस्थाओं / संगठनों के साथ बैठकों की सूची जिन्हें पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अध्ययन कार्य सौंपे गए	82
अनुलग्नक 1.32:	आयोग की सलाहकार परिषद् की बैठकों की सूची	85
अनुलग्नक 1.33:	स्वास्थ्य सेक्टर पर गठित उच्च स्तरीय समूह के साथ बैठकों की सूची	85
अनुलग्नक 1.34:	पंजाब के सीसीएल अंतर की समीक्षा हेतु गठित नकद क्रेडिट सीमा समिति की बैठकों की सूची	86
अनुलग्नक 1.35:	रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के मामलों की जांच हेतु गठित समूह की बैठकों की सूची	86
अनुलग्नक 1.36:	कृषि निर्यातों पर गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की बैठकों की सूची	86
अनुलग्नक 1.37:	राजकोषीय समेकन रूपरेखा समिति की बैठकों की सूची	87
अनुलग्नक 1.38:	राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों के प्रतिभागियों की सूची (क से घ)	88
अनुलग्नक 1.39:	राज्य सरकारों के साथ बैठकों के प्रतिभागियों की सूची	96
अनुलग्नक 1.40:	व्याख्यात्मक ज्ञापन, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट	258

अध्याय 3: संदर्भ अवधारणा :विगत का विश्लेषण

अनुलग्नक 3.1:	राज्यों का राजस्व घाटा	263
अनुलग्नक 3.2:	राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा	264

पृष्ठ

अनुलग्नक 3.3:	राज्यों की बकाया देनदारी एवं देयताएं	265
अनुलग्नक 3.4:	राज्यों के स्वयं के कर राजस्व	266
अनुलग्नक 3.5:	राज्यों के स्वयं के गैर-कर राजस्व	267
अनुलग्नक 3.6:	संघ से राज्यों को कुल हस्तांतरण (कर अंतरण एवं अनुदान)	268
अनुलग्नक 3.7:	राज्यों का राजस्व व्यय	269
अनुलग्नक 3.8:	राज्यों का पूंजी व्यय	270
अनुलग्नक 3.9:	प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय	271
अनुलग्नक 3.10:	ब्याज भुगतान	272
अनुलग्नक 3.11:	प्रति व्यक्ति पूंजी व्यय	273
अनुलग्नक 3.12:	प्रति व्यक्ति कुल व्यय	274

अध्याय 4: महामारी का दौर: भावी विश्लेषण 2021-26

अनुलग्नक 4.1:	पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के लिए संघ सरकार के वित्तों का आकलन	275
अनुलग्नक 4.2:	पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के लिए संघ सरकार के वित्तों का आकलन (जीडीपी के % के रूप में)	277
अनुलग्नक 4.3:	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण	279
अनुलग्नक 4.4:	सकल कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में समग्र हस्तांतरण	280
अनुलग्नक 4.5:	तुलनीय जीएसडीपी की मानकीय रूप से आकलित वार्षिक वृद्धि दर	281
अनुलग्नक 4.6:	पूर्वानुमानित कर और जीएसडीपी अनुपात	282

		पृष्ठ
अनुलग्नक 4.7:	पूर्वानुमानित गैर-कर राजस्व और जीएसडीपी अनुपात	283
अनुलग्नक 4.8:	जीएसटी क्षतिपूर्ति के निर्देशात्मक अनुमान	284
अनुलग्नक 4.9:	आकलित स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय	285

अध्याय 5: संसाधन जुटाना

अनुलग्नक 5.1:	डेटाबेसों के मध्य संगतता स्थापित करने की आवश्यकता	295
अनुलग्नक 5.2:	आईटी रिटर्न डेटा और राष्ट्रीय लेखा- कुछ संकेत	296
अनुलग्नक 5.3:	संभावित हाउस टैक्स के निर्देशात्मक अनुमान-2019	299

अध्याय 6 : सहकारी संघवाद : इक्विटी एवं दक्षता के बीच संतुलन

अनुलग्नक 6.1:	आबादी और जनसांख्यिकीय निष्पादन	300
अनुलग्नक 6.2:	क्षेत्रफल	301
अनुलग्नक 6.3:	वन और पारिस्थितिकी	302
अनुलग्नक 6.4:	आय में अंतर	303
अनुलग्नक 6.5:	कर प्रयास	304

अध्याय 7 : स्थानीय शासनों का सशक्तीकरण

अनुलग्नक 7.1:	राज्य अधिनियमों के आधार पर संपत्ति कर उपबंधों का सारांश	305
अनुलग्नक 7.2:	राज्यवार अनुदानों को निर्धारित करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली	312

पृष्ठ

अनुलग्नक 7.3ः	आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों की हिस्सेदारी	314
अनुलग्नक 7.4ः	ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्षवार अनुदान	315
अनुलग्नक 7.5ः	शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्षवार अनुदान	316
अनुलग्नक 7.6ः	मिलियन प्लस शहरी एग्लोमरेशन के लिए अनुदान	317
अनुलग्नक 7.7ः	राज्यवार छावनी बोर्ड	320
अनुलग्नक 7.8ः	वायु गुणवत्ता पैरामीटर की निगरानी और वित्तपोषण के लिए फ्रेमवर्क	322
अनुलग्नक 7.8कः	वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संघटक	323
अनुलग्नक 7.8ःखः	'घ' के लिए मिश्रित निष्पादन कारक का निर्धारण करने के लिए पैरामीटर्स	324
अनुलग्नक 7.9ः	सेवा स्तरीय बैंचमार्क	326
अनुलग्नक 7.10ः	कुल स्वास्थ्य अनुदान	330
अनुलग्नक 7.10क-Iः	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा –उप-केंद्रों के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे हेतु सहायता	331
अनुलग्नक 7.10क-IIः	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं – पीएचसी के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे हेतु सहायता	332
अनुलग्नक 7.10क-IIIः	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं – यूपीएचसी के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता	333
अनुलग्नक 7.10खः	ब्लॉक स्तर पर जन स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय आवश्यकता	334
अनुलग्नक 7.10गः	शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (यूएचडबल्यूसी) के लिए अनुदान	335
अनुलग्नक 7.10घः	भवन रहित उप-केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी के लिए अनुदान	336

		पृष्ठ
अनुलग्नक 7.10ङः	ग्रामीण पीएचसी एवं उप-केंद्रों (एससी) को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में परिवर्तित करना	337

अध्याय 8: आपदा जोखिम प्रबंधन

अनुलग्नक 8.1ः	द्वितीय वित्त आयोग एवं उसके बाद से आपदा प्रबंधन पर विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसाओं का सार	339
अनुलग्नक 8.2ः	एनडीएमएफ/एसडीएमएफ के अंतर्गत प्रशमन कार्यकलापों की निर्देशात्मक सूची	341
अनुलग्नक 8.3ः	आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय आबंटनों के निर्धारण की पद्धति	346
अनुलग्नक 8.3 कः	राज्यों के लिए आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई)	348
अनुलग्नक 8.3 खः	आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तरीय आबंटनों के निर्धारण के लिए पद्धति	355
अनुलग्नक 8.4ः	क्षेत्रफल (15 प्रतिशत), जनसंख्या (15 प्रतिशत), औसत व्यय (70 प्रतिशत) और आपदा जोखिम सूचकांक विधि के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए वार्षिक राज्य-वार आबंटन	356
अनुलग्नक 8.5ः	एसडीआरएमएफ में संघ और राज्यों की हिस्सेदारी (2021-26)	357

अध्याय 9: वैश्विक महामारी और उसके बाद : स्वास्थ्य क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण

अनुलग्नक 9.1ः	स्वास्थ्य और पोषण संकेतक	358
अनुलग्नक 9.2ः	प्रमुख राज्यों में जीवन प्रत्याशा	359

पृष्ठ

अनुलग्नक 9.3:	ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यावधि की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी (1 जुलाई 2019 को यथास्थिति)	360
अनुलग्नक 9.4:	भारत में चिकित्सकों की संख्या	361
अनुलग्नक 9.5:	भारत में नर्सों और भेषजज्ञों की कुल संख्या	362
अनुलग्नक 9.6:	सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की कमी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार)	363
अनुलग्नक 9.7:	विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुशंसाएं	364
अनुलग्नक 9.8:	क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए अनुदान	370
अनुलग्नक 9.9:	जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए भौतिक लक्ष्य और अनुदान	371
अनुलग्नक 9.10:	संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान	372
अनुलग्नक 9.11:	डीएनबी पाठ्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता	373

अध्याय 10: निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान

अनुलग्नक 10.1:	निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) का एक सब-सेट : शिक्षा के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए संकेतक	374
अनुलग्नक 10.2:	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	375
अनुलग्नक 10.3:	निष्पादन-आधारित पुरस्कार के आकलन की पद्धति	376
अनुलग्नक 10.4:	राज्यों के लिए कृषि निष्पादन प्रोत्साहन अनुदानों का वितरण	379
अनुलग्नक 10.5:	पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए अनुदान	380

पृष्ठ

अनुलग्नक 10.6:	न्यायपालिका के लिए अनुदान	381
अनुलग्नक 10.7:	सांख्यिकी के लिए प्रस्तावित अनुदान – परिवर्तनशील एवं स्थायी घटकों का विवरण	382
अनुलग्नक 10.8:	सांख्यिकी के लिए अनुदान	383
अनुलग्नक 10.9:	राज्य-विशिष्ट अनुदानों का सारांश	384
अनुलग्नक 10.10:	राज्य-विशिष्ट अनुदानों का विवरण	395

अध्याय 12: राजकोषीय समेकन की रूपरेखा

अनुलग्नक 12.1:	राज्य सरकारों के निर्देशात्मक ऋण पथ (जीएसडीपी का प्रतिशत)	431

अध्याय 13: इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए राजकोषीय संरचना: राजकोषीय नियम, वित्तीय प्रबंधन और संस्थाएं

अनुलग्नक 13.1:	भारत में लोक वित्त प्रबंधन व्यवहारों का शासन	432
अनुलग्नक 13.2:	वर्तमान लोक वित्त प्रबंधन संरचना में कुछ महत्वपूर्ण कमियां	433
अनुलग्नक 13.3:	राजकोषीय संरचना पर पिछले वित्त आयोगों की अनुशंसाएं	435

अनुलग्नक 1.1

(पैरा 1.11 और 1.12)

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं.3292] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 2017 /अग्रहायण 6, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

का.आ. 3755 (अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैः-

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जो श्री एन.के. सिंह, संसद सदस्य एवं भारत सरकार के पूर्व सचिव, अध्यक्ष के रूप में और निम्नलिखित चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थातः-

1.	श्री शक्तिकांत दास भारत सरकार के पूर्व सचिव	सदस्य
2.	डॉ. अनूप सिंह सहायक प्रोफेसर, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय	सदस्य
3.	डॉ. अशोक लाहिड़ी अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंश कालिक) बंधन बैंक	सदस्य (अंश कालिक)
4.	डॉ. रमेश चंद सदस्य, नीति आयोग	सदस्य (अंश कालिक)

2. श्री अरविन्द मेहता आयोग के सचिव होंगे।

3. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना पद धारण करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक या 30 अक्तूबर, 2019 तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थातः-

i. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;

ii. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और

iii. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय।

5. आयोग संघ और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकद अनिशेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय समेकन की रुपरेखा की सिफारिश करेगा, जहां समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होकर देश में अधिक समावेशी विकास करते हुए सामान्य और सरकारी ऋण और घाटे के स्तर को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाए। आयोग यह जांच भी कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं।

6. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथः-

i. 2024-25 तक संभवतः प्राप्त होने वाले कर और कर-भिन्न राजस्व के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संसाधानों को ध्यान में रखेगा। कर और कर-भिन्न दोनों प्रकार के राजस्व के संबंध में आयोग उनका पूरी तरह दोहन करने की संभावना और राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखेगा;

ii. केन्द्रीय सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों को ध्यान में रखेगा;

iii. राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसरंचना के वितपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा उनकी लोक उपयोगिताओं के ऋण और देनदारियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा;

iv. आयोग, 14वें वित आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्यों को कर-न्यागमन में सारवान रूप से वृद्धि के साथ-साथ न्यू इंडिया-2022 सहित राष्ट्रीय विकास एजेन्डा की अनिवार्यता जारी रखने से संघ की सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करेगा;

v. केन्द्र और राज्यों के वित्त साधनों पर माल और सेवा कर के प्रभाव पर विचार करेगा, जिसमें 5 वर्षों के लिए संभावित राजस्व हानि के लिए प्रतिकर का भुगतान और प्रतिकर के लिए कतिपय उपकरों की समाप्ति जिन्हें प्रतिकर हेतु निर्धारित किया जाएगा और अन्य संरचनागत सुधार भी सम्मिलित हैं; और

vi. उन शर्तों पर विचार करेगा जो भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अधीन सहमति देते हुए राज्यों पर अधिरोपित कर सकेगी।

7. आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकेगाः

i. माल और सेवा कर के अधीन कर-जाल के विस्तार और गहन बनाने में राज्यों द्वारा किए गए प्रयास;

ii. जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर की दिशा में किए गए प्रयास और प्रगति;

iii. भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सह्य अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता;

iv. पूंजी व्यय बढ़ाने, विद्युत सेक्टर की हानियों को खत्म करने और आमदनी के भावी मार्ग सृजित करने में ऐसे व्यय की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में की गई प्रगति;

v. कर/कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने में की गई प्रगति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अंगीकार करते हुए बचत का संवर्धन करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सरकार तथा हिताधिकारियों के बीच अड़चनों को हटाना;

vi. संबंधित नीतिगत और विनियामक परिवर्तनों को प्रभावी करके और श्रमोन्मुखी विकास को बढ़ावा देकर कारबार करने को सरल बनाने में की गई प्रगति;

vii. आधारभूत सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों को स्तरीय मानव संसाधन सहित, अनुदान सहायता का उपबंध और सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने में निष्पादन अनुदान प्रणाली का कार्यान्वयन।

viii. लोक लुभावन उपायों पर उपगत व्यय पर नियंत्रण या उसकी कमी; और

ix. स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में की गई प्रगति।

8. आयोग अपनी सिफारिश करते समय 2011 की जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करेगा।

9. आयोग, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वित्तपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।

10. आयोग, उन आधारों को बताएगा जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्यवार प्राक्कलन उपलब्ध कराएगा।

11. आयोग 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए 30 अक्तूबर, 2019 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

नई दिल्ली | ह/-

तारीख 27 नवम्बर, 2017 | राम नाथ कोविंद

भारत के राष्ट्रपति

[फा. सं. 10(1)-बी(एस)/2016]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव (बजट)

अनुलग्नक 1.2

(पैरा 1.11)

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं.3333] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2017 /अग्रहायण 13, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3802(अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, 27 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित हुई थी, के पैरा 1 की पंक्ति 2 में ''संसद् सदस्य'' के स्थान पर ''पूर्व संसद् सदस्य'' पढ़ें।

[फा.सं.10(1)-बी(एस)/2016]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक 1.3

(पैरा 1.11)

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं.1772] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 17, 2018 /वैशाख 27, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

का. आ. 1964(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाएगाः-

आदेश

राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया था और डॉ. अशोक लाहिड़ी को उक्त आयोग में सदस्य (अंशकालिक) के रुप में नियुक्त किया गया था;

और, डॉ. अशोक लाहिड़ी ने अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंशकालिक) बंधन बैंक के पद से त्यागपत्र दे दिया है; और राष्ट्रपति डॉ. अशोक लाहिड़ी को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं और उस प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त आदेश में निम्न संशोधन किया जाता है, अर्थातः-

उक्त आदेश के पैरा 1 में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"3. डॉ. अशोक लाहिड़ी -सदस्य"

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार,

वित्त मंत्रालय

और

पूर्व अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंशकालिक)

बंधन बैंक

ह/--

राम नाथ कोविंद

भारत के राष्ट्रपति

[एफ सं. 10(3)-बी(एस)/2016]

अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पणः वित आयोग के गठन के लिए मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii). में का. आ. सं. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अनुलग्नक 1.4
(पैरा 1.11)

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 4912] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2018 /अग्रहायण 21, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

का. आ. 6142(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा हैः-

आदेश

राष्ट्रपति द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग का गठन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में का. आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना द्वारा किया गया है और श्री शक्तिकांत दास को उक्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

और, श्री शक्तिकांत दास ने उक्त आयोग के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया है और राष्ट्रपति ने 11 दिसम्बर, 2018 से उक्त त्यागपत्र को स्वीकृत कर लिया है।

ह/-

(राम नाथ कोविंद)

भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली,

तारीख 12 दिसम्बर, 2018

[फा.सं. 10(1)-बी(एस)/2016]

अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पणः वित्त आयोग के गठन के लिए मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का. आ. सं. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अनुलग्नक 1.5

(पैरा 1.11)

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 906] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019 /फाल्गुन 8, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

का. आ. 1040(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगाः-

आदेश

राष्ट्रपति, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का. आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग का गठन में किया गया था और श्री शक्तिकांत दास को उक्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

और, श्री शक्तिकांत दास ने उक्त आयोग के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया था और राष्ट्रपति ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 6142(अ) तारीख 12 दिसम्बर, 2018 द्वारा एक आदेश को, 11 दिसंबर, 2018 से उक्त त्यागपत्र को स्वीकार किया था;

अतः, अब, वित आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) की धारा 3, 4 और 6 के साथ, पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में श्री अजय नारायण झा को 1 मार्च, 2019 से नियुक्त करते हैं और इस उद्देश्य के लिए तारीख 27 नवंबर, 2017 के पूर्वोक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः-

उक्त आदेश में, पैरा 1 में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"1. श्री अजय नारायण झा - सदस्य"

वित्त सचिव,

भारत सरकार

ह/-

राम नाथ कोविंद

भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली,

तारीखः 27 फरवरी, 2019

[फा. सं. 10(1)-बी(एस)/2016)]

अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पणः वित्त आयोग के गठन के लिए मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 3755(अ) तारीख 27 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अनुलग्नक 1.6

(पैरा 1.17)

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 2450] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019 /श्रावण 7, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

का. आ. 2691(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैः-

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड(1) के उपबंधों के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (ii), तारीख 27 नवंबर, 2017 में प्रकाशित आदेश सं. का.आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 का और संशोधन करते हैं अर्थात् -

उक्त आदेश में,-

(क) पैरा 3 में, शब्दों "30 अक्तूबर, 2019" के शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 नवंबर, 2019" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 9 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"9-क आयोग इस बात की भी परीक्षा करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे तंत्र का किस प्रकार प्रचालन किया जा सकता है।"

(ग) पैरा 11 में, "30 अक्तूबर, 2019" के शब्दों और अंको के स्थान पर "30 नवंबर, 2019" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

नई दिल्ली

तारीखः 29 जुलाई 2019

ह/-

(राम नाथ कोविंद)

भारत के राष्ट्रपति

[फा. सं. 10(1)-बी(एस)/2016/खंड-III]

अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पणः मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए, अर्थातः-

(i) का.आ. 3802(अ) तारीख 4 दिसंबर, 2017;

(ii) का.आ. 1964(अ) तारीख 17 मई, 2018;

(iii) का.आ. 6142(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2018;

(iv) का.आ. 1040(अ) तारीख 27 फरवरी, 2019

अनुलग्नक 1.7
(पैरा 1.18)

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 3870] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2019/अग्रहायण 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

का.आ. 4308(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैः-

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) में अंतर्विष्ट उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 27 नवम्बर, 2017 में प्रकाशित आदेश संख्या का.आ.3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 का और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-

उक्त आदेश में,-

(क) पैरा 3 में, ''रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक या 30 नवम्बर, 2019 तक'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक या 30 अक्तूबर, 2020 तक'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 10 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ः-

''10क. आयोग दो रिपोर्टें अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट और 2021-

22 से 2025-26 तक की विस्तारित अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।''

(ग) पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

''11. आयोग, 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए 30 अक्तूबर, 2020 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।''

ह/-

राम नाथ कोविंद

भारत के राष्ट्रपति

(फा.सं.10(1)-बी(एस)/2019)

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पणः मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.सं.3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसका संशोधन किया गया, अर्थात् :-

(i) का.आ. 3802(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2017;

(ii) का.आ. 1964(अ), तारीख 17 मई, 2018;

(iii) का.आ. 6142(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2018;

(iv) का.आ. 1040(अ), तारीख 27 फरवरी, 2019;

(v) का.आ. 2691(अ), तारीख 29 जुलाई, 2019 ।

अनुलग्नक 1.8

पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्यायों की विचारार्थ विषय-वार मैपिंग

पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय	अध्याय
4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थातः- i. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;	6
ii. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शसित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और	10
iii. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय।	7
5. आयोग संघ और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकद अनिशेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रायासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय समेकन की रुपरेखा की सिफारिश करेगा, जहां समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होकर देश में अधिक समावेशी विकास करते हुए सामान्य और सरकारी ऋण और घाटे के स्तर को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाए। आयोग यह जांच भी कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं।	3,10, 12,13

6. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथः-	4,5,6,12
(i) वर्ष 2024-25 तक संभवतः प्राप्त होने वाले कर और कर- भिन्न राजस्व के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संसाधानों को ध्यान में रखेगा। कर और कर-भिन्न दोनों प्रकार के राजस्व के संबंध में आयोग उनका पूरी तरह दोहन करने की संभावना और राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखेगा;	
(ii) केन्द्रीय सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों को ध्यान में रखेगा;	4,6,11,12
(iii) राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसरंचना के वितपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा उनकी लोक उपयोगिताओं के ऋण और देनदारियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा;	4,5,6,9, 10,12
(iv) आयोग, 14वें वित आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्यों को कर न्यागमन में सारवान रूप से वृद्धि के साथ-साथ न्यू इंडिया-2022 सहित राष्ट्रीय विकास एजेन्डा की अनिवार्यता जारी रखने से संघ की सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करेगा;	4,6,12
(v) केन्द्र और राज्यों के वित्त साधनों पर माल और सेवा कर के प्रभाव पर विचार करेगा, जिसमें 5 वर्षों के लिए संभावित राजस्व हानि के लिए प्रतिकर का भुगतान और प्रतिकर के लिए कतिपय उपकरों की समाप्ति जिन्हें प्रतिकर हेतु निर्धारित किया जाएगा और अन्य संरचनागत सुधार भी सम्मिलित हैं; और	5,4,6,12
(vi) उन शर्तों पर विचार करेगा जो भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अधीन सहमति देते हुए राज्यों पर अधिरोपित कर सकेगी।	4,12
7. आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकेगाः	5,10
(i) माल और सेवा कर के अधीन कर-जाल के विस्तार और गहन बनाने में राज्यों द्वारा किए गए प्रयास;	

(ii) जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर की दिशा में किए गए प्रयास और प्रगति;	6,10
(iii) भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सह्य अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता;	8,10,13
(iv) पूंजी व्यय बढ़ाने, विद्युत सेक्टर की हानियों को खत्म करने और आमदनी के भावी मार्ग सृजित करने में ऐसे व्यय की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में की गई प्रगति;	10,13
(v) कर/कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने में की गई प्रगति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अंगीकार करते हुए बचत का संवर्धन करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सरकार तथा हिताधिकारियों के बीच अड़चनों को हटाना;	5,10,13
(vi) संबंधित नीतिगत और विनियामक परिवर्तनों को प्रभावी करके और श्रमोन्मुखी विकास को बढ़ावा देकर कारबार करने को सरल बनाने में की गई प्रगति;	10
(vii) आधारभूत सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों को स्तरीय मानव संसाधन सहित, अनुदान सहायता का उपबंध और सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने में निष्पादन अनुदान प्रणाली का कार्यान्वयन।	7,10
(viii) लोक लुभावन उपायों पर उपगत व्यय पर नियंत्रण या उसकी कमी; और	10
(ix) स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में की गई प्रगति।	7,10
8. आयोग अपनी सिफारिश करते समय 2011 की जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करेगा।	6,7,10
9. आयोग, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वित्तपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।	8

9क. आयोग यह जांच भी करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा हेतु वित्तपोषण के लिए एक पृथक व्यवस्था तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, और यदि ऐसा हो तो ऐसे व्यवस्था तंत्र का प्रचालन किस प्रकार से किया जा सकता है।	11
10. आयोग, उन आधारों को बताएगा जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्यवार प्राक्कलन उपलब्ध कराएगा।	4,6,12

अनुलग्नक 1.9

स्वीकृत पदों की सूची

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर (7वां वेतन आयोग)
1	सचिव	1	15
2	संयुक्त सचिव	2	14
3	आर्थिक सलाहकार	1	14
4	निदेशक	4	13
5	संयुक्त निदेशक	3	12
6	अध्यक्ष का निजी सचिव	1	12
7	उपनिदेशक	6	11
8	पीपीएस/एडिशनल पीएस	5	11
9	पुस्तकाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी	1	11
10	सहायक निदेशक	8	10
11	प्रशा. एवं लेखा अधिकारी	1	10
12	सहायक लेखा अधिकारी	1	8
13	आशुलिपिक ग्रेड-बी	6	8
14	आर्थिक अधिकारी	10	7
15	सहायक अनुभाग अधिकारी	4	7
16	कैशियर	1	6
17	आशुलिपिक ग्रेड-सी	8	7
18	हिंदी आशुलिपिक ग्रेड-सी	1	7
19	आशुलिपिक ग्रेड-डी	4	4
20	वरिष्ठ सचिवालय सहायक (यूडीसी)	2	4
21	टेलीफोन ऑपरेटर	1	2
22	हिंदी टंकक	1	2
23	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (एलडीसी)	3	2
24	स्टाफ कार ड्राइवर	5	2
25	एमटीएस	5	1
	कुल	**85**	

अनुलग्नक 1.10

(अध्याय 14, खंड I)

पदाधिकारियों की सूची

अध्यक्ष	श्री एन. के. सिंह
सदस्य	श्री शक्तिकांत दास (11.12.2018 को त्यागपत्र दिया)
	श्री अजय नारायण झा (श्री शक्तिकांत दास के स्थान पर)
	डॉ. अनूप सिंह
	डॉ. अशोक लाहिड़ी
	डॉ. रमेश चंद
सचिव	श्री अरविन्द मेहता
अपर सचिव	श्री मुखमीत सिंह भाटिया
संयुक्त सचिव	डॉ. रवि कोटा (11.08.2020 तक)
आर्थिक सलाहकार	श्री आन्टणी सिरियक
मीडिया सलाहकार	सुश्री मौसुमी चक्रवर्ती
निदेशक	श्री भारत भूषण गर्ग
	श्री गोपाल प्रसाद (15.09.2020 तक)
	श्री जसविंदर सिंह (31.07.2020 को सेवानिवृत्त) और दिनांक 01.08.2020 को परामर्शदाता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
	श्री कंदर्प वी. पटेल
संयुक्त निदेशक	सुश्री अदिति पाठक
	श्री आनंद सिंह परमार
	श्री मनीश देव
	सुश्री शिखा दहिया
	सुश्री स्वेता सत्या

वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	श्री एस. सुदर्शन
अवर सचिव	श्री एस. आर. राजा, अध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी
उप-निदेशक	श्री नितिश सैनी (17.12.2019 तक) श्री रितेश कुमार श्री संदीप कुमार श्री विजय कुमार मान
पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	श्री डी. के. शर्मा
प्रधान निजी सचिव	श्री जे. के. वधवा (31.12.2019 को सेवानिवृत्त और दिनांक 01.01.2020 को परामर्शदाता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया) श्री पी. वेंकट स्वामी श्री आर. त्यागराजन श्री एस. पुट्टण्णाा श्री संसार चंद बिरदी
सहायक निदेशक	श्री महेश कुमार श्री मुकेश कुमार सिंह श्री पंकज गेरा (13.12.2019 तक) श्री प्रवीन जैन श्री आर. सुरेश श्री सलाम श्यामसुंदर सिंह श्री सुशांत कुमार बजाज श्री विकास अहलावत
कनिष्ठ सचिवालय सहायक	श्री हरी दत्त

परामर्शदाता	श्री ए. सी. मेहता श्री अभिषेक सिंह श्री अशोक कुमार वर्मा श्री बलबीर सिंह श्री भोला राम श्री यूजीन फ्रांसिस श्री जे. के. आहूजा श्री एन. द्वारकानाथन श्री पी.एल.एन. मूर्ति श्री प्रकाश ए. श्री रविन्द्र कुमार श्री एस. गोपालकृष्णन सुश्री शताक्षी गर्ग (30.08.2020 तक)
कनिष्ठ परामर्शदाता	श्री अनिकेत
सहायक निदेशक (राजभाषा)	श्री संजीव नयन साहा
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	डॉ. आनंद प्रकाश यादव श्री अनुप साव श्री जय वीर श्री ओमप्रकाश सिंह

अनुलग्नक 1.11

सं.A.19011/2/2017-Ad.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

कार्यालय आदेश

विषय: पंद्रहवें वित्त आयोग के विशेष कार्याधिकारी श्री अरविंद मेहता को विभागाध्यक्ष की शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978, के नियम 13(2) के तहत इस विभाग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पंद्रहवें वित्त आयोग में विशेष कार्याधिकारी श्री अरविंद मेहता, आईएएस (एचपीः84), इस आदेश की तारीख से, पंद्रहवें वित्त आयोग के समक्ष निपटान हेतु प्रस्तुत किए वाले बजट को प्रशासित करने के लिए विभागाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे;

परंतु निम्नलिखित के संबंध में इस उपनियम के तहत कोई शक्ति पुनःप्रत्यायोजित नहीं की जाएगीः

(क) पदों का सृजन;

(ख) हानियों को बट्टे खाते डालना; और

(ग) विनियोजन की किसी भी प्राथमिक इकाई या उपशीर्ष, यानी, ऐसी प्राथमिक इकाई या उपशीर्ष जिससे निधियों का पुनर्विनियोजन किया जा रहा हो अथवा ऐसी प्राथमिक इकाई या उपशीर्ष जिसमें निधियों का पुनर्विनियोजन किया जाना हो, इनमें से जो भी कम हो, के लिए मूल बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का पुनर्विनियोजन।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से उनके दिनांक 26.10.2017 के एफटीएस सं. 356116/जेएस एंड एफए (फाइनेंस)/2017 के तहत जारी किया जाता है।

ह/-

(सुनील कुमार गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः

1. श्री अरविन्द मेहता, आईएएस (एचपीः84), विशेष कार्याधिकारी, पंद्रहवें वित्त आयोग का अग्रिम प्रकोष्ठ, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

2. उपनिदेशक (बजट) [श्री राजीव नयन शर्मा], आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, को उनके दिनांक 20-10-2017 के आईडी सं. 10(1)-बी(एस)/2017 (पार्ट) के संदर्भ में।

3. सहायक निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

4. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक का कार्यालय, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, एजीसीआर भवन, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली

5. मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (आंतरिक लेखापरीक्षा विंग), आरएफए बैरक, चर्च रोड, नई दिल्ली

6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक

7. डीडीओ, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक

8-20. संयुक्त सचिव(एसीसी) /संयुक्त सचिव (बजट)/ उपसचिव (प्रशा.)/ अवर सचिव (आईएफ (I)/प्रशा.-I/I-ए/II/IV/V/ वित्त पुस्तकालय/ सतर्कता/ प्रोटोकॉल/ एचआईसी/ गार्ड फाइल।

अनुलग्नक 1.12

पंद्रहवां वित्त आयोग

प्रक्रिया-नियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (4) और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का XXXIII) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंद्रहवां वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया के निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियम विहित करता है अर्थात;

1. साक्ष्य प्राप्त करने और/ या केंद्रीय एवं राज्य सरकारों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों से मुलाकात करने के लिए आयोग की औपचारिक बैठकों का यथावश्यकता आयोजन किया जाएगा। ऐसी बैठकों का समय एवं स्थान सचिव द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा।

2. आयोग की आंतरिक बैठकें अनौपचारिक होंगी।

3. आयोग की सभी बैठकें निजी सत्र में आयोजित की जाएंगी।

4. बैठकों की व्यवस्था साधारण तौर पर इस प्रकार से की जाएगी कि सभी सदस्य उपस्थित हो सकें। यदि अपरिहार्य कारणों से, कोई सदस्य बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो भी, अध्यक्ष सहित कम-से-कम तीन सदस्यों की उपस्थिति होने पर ऐसी बैठक आयोजित की जा सकेगी। यदि किसी कारणवश, अध्यक्ष उपस्थित न हो सकें तो वह किसी सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए नामित कर सकेंगे।

5. आयोग की बैठकों में आयोग के ऐसे अधिकारी उपस्थित रहेंगे जो सचिव द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से निर्दिष्ट किए जाएं।

6. अनौपचारिक बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त (जब तक कि अन्यथा विनिश्चित न किया जाए), सचिव द्वारा एक कार्यवृत्त-पुस्तिका के रूप में रखे जाएंगे और सदस्यों के बीच परिचालित किए जाएंगे। कार्यवृत्त को आयोग की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

7. साधारणतः आयोग की औपचारिक बैठकों की कार्यवाहियों का कोई शब्दशः रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। जब कोई शब्दशः रिकॉर्ड न रखा जाना हो तो, यथाशीघ्र, सचिव के निदेश द्वारा या उसके अधीन ऐसी बैठकों का एक सारांश तैयार करके आयोग के सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा। यदि शब्दशः रिकॉर्ड रखा जाना हो तो प्रत्येक साक्षी से संबंधित भाग को अंतिम रूप से रिकॉर्ड में लेने से पूर्व उस साक्षी को

भेजा जाएगा। वैकल्पिक तौर पर, आयोग संबंधित साक्षियों से अपने कथन लिखित रूप में भेजने का भी अनुरोध कर सकेगा।

8. अध्यक्ष या सचिव के निदेश के बिना, किसी भी सदस्य या स्टाफ द्वारा आयोग की बैठकों या कार्य से संबंधित कोई भी सूचना प्रेस को नहीं दी जाएगी।

9. आयोग का सचिव, अध्यक्ष के सामान्य निदेश के अधीन, आयोग के कार्यालय का समग्र रूप में प्रभारी होगा और वह आयोग के समुचित कार्य-संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

10. औपचारिक रिपोर्ट से भिन्न, आयोग से होने वाले समस्त पत्रादि पर अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा (या सचिव द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कम-से-कम उप-सचिव की श्रेणी के अधिकारी द्वारा) समुचित रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, परंतु आयोग के विचारों को व्यक्त करने संबंधी किसी भी पत्रादि को उसके अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

11. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के सेवा संबंधी नियम-शर्तों से या उनसे वैयक्तिक रूप से संबंधित मामलों से जुड़े समस्त पत्रादि या प्रस्तावों को सचिव द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई भी कार्रवाई अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)/ आयोग के साथ यथोचित परामर्श से ही की जाएगी।

12. सचिव द्वारा आयोग के कार्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों के विषय में आयोग को समय-समय पर अवगत कराया जाएगा।

13. ऐसी नियुक्तियों के सिवाय जिनके संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति का अनुमोदन आवश्यक है, अन्य सरकारों या सरकारी विभागों से स्थानांतरण द्वारा की गई नियुक्तियों सहित आयोग के राजपत्रित पदों पर सभी नियुक्तियां, सचिव के द्वारा की जाएगी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति के अनुमोदन की आवश्यकता वाली और परामर्शियों के रूप में की जाने वाली नियुक्तियां अध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएंगी।

14. नियम 13 में यथानिर्दिष्ट से भिन्न कर्मचारियों, जिनमें अन्य सरकारों या सरकारी विभागों से स्थानांतरण पर प्राप्त कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, की नियुक्ति सचिव द्वारा या उसकी ओर से विधिवत् प्राधिकृत, कम-से-कम उप-सचिव की श्रेणी के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

15. नियम 13 और 14 के उपबंध इस शर्त के अध्यधीन होंगे कि आयोग के सदस्यों के वैयक्तिक कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में, संबंधित सदस्य से परामर्श किया जाएगा।

16. सचिव, किसी राजपत्रित अधिकारी को नियमित या आकस्मिक छुट्टी प्रदान कर सकेगा। जहाँ तक अराजपत्रित कर्मचारियों का संबंध है, इस प्रयोजन के लिए सचिव द्वारा प्राधिकृत कम-से-कम उप-सचिव की श्रेणी के अधिकारी द्वारा छुट्टी स्वीकृत की जा सकेगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वैयक्तिक

कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी प्रदान किए जाने से पूर्व उनसे सम्यक् परामर्श किया जाएगा।

17. आयोग के बजट और संशोधित प्राक्कलनों को वित्त मंत्रालय को संसूचित किए जाने से पूर्व, सचिव द्वारा आयोग के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

18. आयोग द्वारा प्राप्त समस्त पत्रादि, जो ऐसे मामलों से संबंधित हों जिनके संबंध में आयोग द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, आयोग के समक्ष रखे गए सभी मामले और आयोग की बैठक में की गई समस्त चर्चाओं को गोपनीय माना जाएगा।

19. आयोग अध्ययन / इनपुट के प्रयोजन के लिए उन संगत संस्थानों और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगा जिनके बारे में आयोग द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाए।

अनुलग्नक 1.13

(पैरा 1.24)

पंद्रहवां वित्त आयोग

सार्वजनिक सूचना

विचारार्थ विषयों (टीओआर) पर सुझावों का आमंत्रण

1. पंद्रहवां वित्त आयोग अपने विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर सर्व-साधारण, संस्थाओं और संगठनों से सुझाव आमंत्रित करता है।

2. राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसरण में दिनांक 27 नवंबर, 2017 की राजपत्र अधिसूचना के तहत श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग के अन्य सदस्यों में श्री शक्तिकांत दास; डॉ. अनूप सिंह; डॉ. अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चंद हैं। आयोग 01 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिफारिशें करेगाः-

(i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;

(ii) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय।

3. आयोग संघ और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकद अनिशेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रायासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय समेकन की रुपरेखा की सिफारिश करेगा, जहां समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होकर देश में अधिक समावेशी विकास करते हुए सामान्य और सरकारी ऋण और घाटे के

स्तर को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाए। आयोग यह जांच भी कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं।

4. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथः-

(i) वर्ष 2024-25 तक संभवतः प्राप्त होने वाले कर और कर- भिन्न राजस्व के स्तरों के आधार पर 1अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संसाधानों को ध्यान में रखेगा। कर और कर-भिन्न दोनों प्रकार के राजस्व के संबंध में आयोग उनका पूरी तरह दोहन करने की संभावना और राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखेगा;

(ii) केन्द्रीय सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों को ध्यान में रखेगा;

(iii) राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसरंचना के वितपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा उनकी लोक उपयोगिताओं के ऋण और देनदारियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा;

(iv) आयोग, 14वें वित आयोग की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए राज्यों को कर न्यागमन में सारवान रूप से वृद्धि के साथ-साथ न्यू इंडिया-2022 सहित राष्ट्रीय विकास एजेन्डा की अनिवार्यता जारी रखने से संघ की सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करेगा;

(v) केन्द्र और राज्यों के वित्त साधनों पर माल और सेवा कर के प्रभाव पर विचार करेगा, जिसमें 5 वर्षों के लिए संभावित राजस्व हानि के लिए प्रतिकर का भुगतान और प्रतिकर के लिए कतिपय उपकरों की समाप्ति जिन्हें प्रतिकर हेतु निर्धारित किया जाएगा और अन्य संरचनागत सुधार भी सम्मिलित हैं; और

(vi) उन शर्तों पर विचार करेगा जो भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अधीन सहमति देते हुए राज्यों पर अधिरोपित कर सकेगी।

5. आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकेगाः

(i) माल और सेवा कर के अधीन कर-जाल के विस्तार और गहन बनाने में राज्यों द्वारा किए गए प्रयास;

(ii) जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर की दिशा में किए गए प्रयास और प्रगति;

(iii) भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सह्य अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता;

(iv) पूंजी व्यय बढ़ाने, विद्युत सेक्टर की हानियों को खत्म करने और आमदनी के भावी मार्ग सृजित करने में ऐसे व्यय की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में की गई प्रगति;

(v) कर/कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने में की गई प्रगति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अंगीकार करते हुए बचत का संवर्धन करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सरकार तथा हिताधिकारियों के बीच अड़चनों को हटाना;

(vi) संबंधित नीतिगत और विनियामक परिवर्तनों को प्रभावी करके और श्रमोन्मुखी विकास को बढ़ावा देकर कारबार करने को सरल बनाने में की गई प्रगति;

(vii) आधारभूत सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों को स्तरीय मानव संसाधन सहित, अनुदान सहायता का उपबंध और सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने में निष्पादन अनुदान प्रणाली का कार्यान्वयन;

(viii) लोक लुभावन उपायों पर उपगत व्यय पर नियंत्रण या उसकी कमी; और

(ix) स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में की गई प्रगति।

6. आयोग अपनी सिफारिश करते समय 2011 की जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करेगा।

7. आयोग, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वित्तपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।

8. आयोग, उन आधारों को बताएगा जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्यवार प्राक्कलन उपलब्ध कराएगा।

9. यह सूचना और पिछले वित्त आयोग के संबंध में संगत सामग्री इस वित्त आयोग की वेबसाइट http://fincomindia.nic.in पर उपलब्ध है।

10. यह वित्त आयोग सभी इच्छुक संगठनों एवं व्यक्तियों से ऐसे सुझावों /विचारों का स्वागत करेगा जो निम्नलिखित माध्यमों से किसी के भी द्वारा 30 अप्रैल, 2018 तक भेज दिए जाएं:

(i) डाक द्वारा, जो सचिव, पंद्रहवां वित्त आयोग 9वां तल, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, को संबोधित हो;

(ii) ई-मेल के माध्यम से secy-xvfc@gov.in को;

(iii) वेबसाइट के माध्यम से http://fincomindia.nic.in पर हाइपर लिंक 'कॉल फोर सजेशंस' को क्लिक करते हुए।

अनुलग्नक 1.14

(पैरा 1.24)

पंद्रहवां वित्त आयोग

सार्वजनिक सूचना

अतिरिक्त विचारार्थ विषय (टीओआर) पर सुझाव आमंत्रित करना

1. पंद्रहवां वित्त आयोग वित्त मंत्रालय की 29 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 2691 (ई), के तहत जारी और भारत के राजपत्र में प्रकाशित अतिरिक्त विचारार्थ विषयों से संबंधित मामलों पर, सर्व-साधारण, संस्थाओं और संगठनों से सुझाव आमंत्रित करता है।

2. अतिरिक्त विचारार्थ विषय का संगत पैराग्राफ नीचे उद्धृत है :-

" "9-क आयोग इस बात की भी परीक्षा करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे तंत्र का किस प्रकार प्रचालन किया जा सकता है।";"

3. यह सूचना और पिछले वित्त आयोग के संबंध में संगत सामग्री इस वित्त आयोग की वेबसाइट http://fincomindia.nic.in पर उपलब्ध है।

4. यह वित्त आयोग सभी इच्छुक संगठनों एवं व्यक्तियों से ऐसे सुझावों /विचारों का स्वागत करेगा जो निम्नलिखित माध्यमों से किसी के भी द्वारा 10 अक्तूबर, 2019 तक भेज दिए जाएंः

(i) डाक द्वारा, जो सचिव, पंद्रहवां वित्त आयोग 9वां तल, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, को संबोधित हो;

(ii) ई-मेल के माध्यम से secy-xvfc@gov.in को;

(iii) वेबसाइट के माध्यम से http://fincomindia.nic.in पर हाइपर लिंक 'कॉल फोर सजेशंस' को क्लिक करते हुए।

अनुलग्नक 1.15

(पैरा 1.23)

सं. 5/6/UF-XVFC-2018

पंद्रहवां वित्त आयोग

संघीय वित्त और समन्वय

जवाहर व्यापार भवन, 9वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

16 अप्रैल, 2018

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

<u>विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् का गठन।</u>

पंद्रहवां वित्त आयोग एतदद्वारा एक सलाहकार परिषद् का गठन करता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगेः

I. डॉ. अरविन्द विरमानी, अध्यक्ष, फोरम फॉर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्ज

ii. डॉ. सुरजीत एस. भल्ला, पीएमईएसी के अंशकालिक सदस्य और ऑब्जर्वेटरी ग्रुप के वरिष्ठ भारतीय विश्लेषक तथा ऑक्सस रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष

iii. डॉ. संजीव गुप्ता, पूर्व-उपनिदेशक (राजकोषीय कार्य विभाग), आईएमएफ

iv. प्रो. पिनाकी चक्रबर्ती, प्रोफेसर (एनआईपीएफपी)

v. श्री साजिद चिनॉय, चीफ इंडिया इकॉनॉमिस्ट, जेपी मॉर्गन

vi. श्री नीलकंठ मिश्रा, प्रबंध निदेशक तथा क्रेडिट सुसी इंडिया अर्थशास्त्री और रणनीतिकार

2. इस सलाहकार परिषद् की भूमिका एवं कार्य निम्नलिखित होंगेः

i. आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) से संबंधित किसी भी संगत मामले या विषय पर आयोग को सलाह देना;

ii. किसी भी ऐसे दस्तावेज को तैयार करने या अनुसंधान अध्ययन करने में सहयोग करना जो विचारार्थ विषयों में अंतर्विष्ट मामलों पर आयोग के ज्ञानवर्धन में सहायक हो; और

iii. राजकोषीय अंतरण से संबंधित मामलों पर सर्वोत्तम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का

पता लगाने के लिए आयोग के दायरे और समझ को व्यापक बनाने तथा इसकी अनुशंसाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच और प्रवर्तन में सुधार करने में सहायता करना।

3. आयोग वर्ष 2018 में इस परिषद् की दो बैठकों और वर्ष 2019 में अधिक से अधिक तीन बैठकों का आयोजन कर सकेगा।

4. आयोग सलाहकार परिषद् की बैठकों से संबंधित यात्राओं पर होने वाले व्यय तथा अन्य सुप्रचालनिक व्यवस्थाओं को, यथाग्राह्यता, वहन करेगा।

5. आयोग परिषद् की सदस्यता और इसकी भूमिका एवं कार्य में ऐसे आशोधनों पर विचार कर सकेगा जो आवश्यक समझे जाएं।

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)

अनुलग्नक 1.15 (जारी)

(पैरा 1.23)

सं. 5/6/UF_XVFC-2018

पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 9वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

16 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् में दो नए सदस्यों का समावेशन।

दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. के आंशिक आशोधन में, आयोग की सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित दो नए सदस्यों का समावेश किया गया है।

i. डॉ. डी. के. श्रीवास्तव, प्रोफेसर, मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एवं सदस्य 12वां वित्त आयोग।

ii. डॉ. इंदिरा राजारमन, सदस्य, 13वां वित्त आयोग।

पूर्वोक्त का.ज्ञा. की अन्य संपूर्ण विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)

संलग्नकः दिनांक 16.04.2018 का समसंख्यक का.ज्ञा.

अनुलग्नक 1.15 (जारी.)

(पैरा 1.23)

सं. 5/6/UF-XVFC-2018

पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 21वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

27 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् में 1 (एक) नए सदस्य का समावेशन।

दिनांक 16 अप्रैल, 2018 (संलग्न) के समसंख्यक का.ज्ञा. के आंशिक आशोधन में, आयोग की सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित नए सदस्य का समावेश किया गया है।

i. डॉ. प्राची मिश्रा, प्रबंध निदेशक
ग्लोबल मैक्रो रिसर्च, गोल्डमैन सैच्स, मुंबई, भारत

पूर्वोक्त का.ज्ञा. की अन्य संपूर्ण विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)

अनुलग्नक 1.15 (जारी.)

(पैरा 1.23)

सं. 5/6/UF-XVFC-2018

पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 21वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

20 दिसंबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् में दो नए सदस्यों का समावेशन।

दिनांक 27 अगस्त, 2018 (संलग्न) के समसंख्यक का.ज्ञा. के आंशिक आशोधन में, आयोग की सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित दो नए सदस्यों का समावेश किया गया है।

i. डॉ. एम. गोविंदा राव

ii. डॉ. ओमकार गोस्वामी

2. सलाहकार परिषद् की भूमिका एवं कार्य दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के समसंख्यक मूल का.ज्ञा. में उल्लिखित किए गए थे, उसकी भी प्रति संलग्न है।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)

अनुलग्नक 1.15 (जारी)

(पैरा 1.23)

सं. 5/6/UF-XVFC-2018

पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 21वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001

तारीखः 1 मई, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् में 1 (एक) नए सदस्य का समावेशन।

दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. के आंशिक आशोधन में, आयोग की सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित नए सदस्य का समावेश किया गया है।

i. **डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन**

मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार

पूर्वोक्त का.ज्ञा. की अन्य संपूर्ण विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)

अनुलग्नक 1.15 (जारी)

(पैरा 1.23)

सं. 5/6/UF-XVFC-2018

पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 21वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

तारीखः 12 जून, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् से सदस्य का त्यागपत्र।

डॉ. पिनाकी चक्रबर्ती के अनुरोध के आधार पर आयोग की सलाहकार परिषद् से उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया है।

ह/-

(कंदर्प पटेल)

संयुक्त निदेशक (पंद्रहवां वित्त आयोग)

अनुलग्नक 1.16

(पैरा 1.23)

सं. 5/17/UF-XVFC-2018

पंद्रहवां वित्त आयोग

संघीय वित्त

जवाहर व्यापार भवन, 9वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

तारीखः 1 मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः स्वास्थ्य सेक्टर के उच्च स्तरीय समूह का गठन

माननीय राष्ट्रपति के दिनांक 27 नवंबर, 2017 के आदेश के तहत पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) की प्रति संलग्न है। अपने अधिदेश के निर्वहन में आयोग, एतदद्वारा, निम्नलिखित संयोजक और सदस्यों के साथ स्वास्थ्य सेक्टर पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन करता हैः

(i) डॉ. देवी शेट्टी, अध्यक्ष, नारायणा हेल्थ सिटी, बंगलौर;

(ii) डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर, कुलपति, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नासिक महाराष्ट्र;

(iii) डॉ. नरेश त्रेहन, मेदांता सिटी, गुड़गावं;

(iv) डॉ. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली (संयोजक);

(v) डॉ. भाबतोष बिस्वास, प्रो. एवं कार्डियो थोरैकिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष, आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता; और

(vi) प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी, अध्यक्ष, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया।

2. स्वास्थ्य सेक्टर के उच्च स्तरीय समूह की भूमिका एवं कार्य निम्नलिखित होंगेः

(क) स्वास्थ्य सेक्टर के मौजूदा ढांचे का मूल्यांकन करना तथा इसकी क्षमता और कमजोरियों की पड़ताल करना ताकि भारत की जनांकिकीय रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेक्टर का संतुलित रूप में तेजी से विस्तार किया जा सके;

(ख) भारत में मौजूदा वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के तरीके एवं उपाय सुझाना तथा सुपरिभाषित स्वास्थ्य मापदंडों को पूरा करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना; और

(ग) स्वास्थ्य सेक्टर के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों की समग्र जांच करना तथा हमारे स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए इन परिपाटियों के अनुरूप अपने फ्रेमवर्क बेंचमार्क का निर्धारण करना।

3. आयोग उच्च स्तरीय स्वास्थ्य समूह से मूल्यवान सलाह, मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा करता है।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(अरविंद मेहता)

सचिव

विशेष आमंत्रितीः

1) डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग, नई दिल्ली

2) डॉ. (प्रो.) आरती विज, एम्स, नई दिल्ली

3) अन्य प्रतिष्ठित महानुभाव

समूह की रिपोर्ट वित्त आयोग की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-

-http://fincomindia.nic.in/under the heading 'Study Reports'

अनुलग्नक 1.17

(पैरा 1.23)

सं. 3/20/SF/XVFC-2018

पंद्रहवां वित्त आयोग

टॉलस्टाय मार्ग, जवाहर व्यापार भवन,

21वां तल, एसटीसी भवन

नई दिल्ली- 110001

तारीखः 11.02.2019

<u>अधिसूचना</u>

पंद्रहवें वित्त आयोग के हालिया पंजाब राज्य के दौरे के दौरान राज्य सरकार द्वारा 30,584 करोड़ रुपए के विरासती ऋण से उत्पन्न आसन्न राजकोषीय संकट को आयोग के संज्ञान में लाया गया। यह पंजाब में केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद से संबंधित एक दशक से अधिक अवधि के दौरान संचित नकद क्रेडिट सीमा (सीसीएल) अंतर के कारण था। यह बताया गया कि यह बोझ कथित रूप से संघ सरकार द्वारा सीसीएल अंतर को राज्य के लिए एक दीर्घकालिक ऋण में परिवर्तित करते हुए थोपा गया। साथ ही यह भी बताया गया कि इसके कारण वर्ष 2016-17 में राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़कर जीएसडीपी का 12.34 प्रतिशत हो गया तथा इस राशि का कर्ज भुगतान अकेले ही सितंबर, 2034 तक 3,240 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, इस ऋण की चुकौती अवधि के दौरान कुल 57,358 करोड़ रुपए की राशि का बहिर्प्रवाह होगा।

2. राज्य सरकार ने, कर्ज में फंसे होने की बदतर स्थिति और इसके कारण राज्य की भुगतान देयता उसकी सकल उधारियों से अधिक हो जाने का हवाला देते हुए आयोग से यह भी निवेदन किया कि पंद्रहवां वित्त आयोग इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक उपयुक्त कर्ज राहत पैकेज प्रदान करे अन्यथा राज्य सरकार विकास संबंधी व्यय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी।

3. उपर्युक्त के संदर्भ में, एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और समस्त हितधारकों के लिए उचित तरीके से जांच में आयोग की सुविधा के लिए इस मामले की एक व्यापक जांच करने और उपयुक्त उपायों की अनुशंसा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया जाता हैः

(i) श्री रमेश चंद, सदस्य, पंद्रहवां वित्त आयोग - अध्यक्ष

(ii) श्री रवि कांत, सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य

(iii) श्री राजीव रंजन, अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय - सदस्य

(iv) श्री रवि मित्तल, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय - सदस्य

(v) मुख्य सचिव, पंजाब सरकार - सदस्य

(vi) डॉ. रवि कोटा, संयुक्त सचिव, पंद्रहवां वित्त आयोग -सदस्य सचिव

4. इस समिति के विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्नलिखित हैः-

संचित सीसीएल अंतर के विरासती ऋण के संबंध में (बकाया ऋण के मामले)

(क) भारतीय खाद्य निगम/ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संदर्भ में संचित सीसीएल (खाद्य ऋण) अंतर से उत्पन्न पंजाब सरकार के विरासती ऋण के बकाया मामलों के सभी पहलुओं की जांच करना।

(ख) ऐसे उचित समाधान की रूपरेखा की अनुशंसा करना जो निष्पक्ष हो तथा समस्त हितधारकों और पंजाब सरकार के लिए उपयुक्त हो। इससे राज्य को विरासती ऋण के कारण बकाया कर्ज और ब्याज-भुगतान से उत्पन्न राजकोषीय चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी।

सीसीएल अंतर के वर्तमान संचय पर (ऋण प्रवाह के मामले)

(ग) सीसीएल अंतर के मूल कारणों का पता लगाने के लिए इससे संबंधित मौजूदा मुद्दे (विरासती ऋण-बोझ के सिवाय) की जांच करना।

(घ) चिह्नित किए गए कारणों को दूर करने के लिए समुचित उपायों की अनुशंसा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आनुक्रमिक खरीद सीजनों में सीसीएल अंतर मौजूद न रहे।

5. यह समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह अध्यक्ष, पंद्रहवां वित्त आयोग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(अरविंद मेहता)

सचिव, पंद्रहवां वित्त आयोग

अनुलग्नक 1.18

(पैरा 1.23)

फा. सं. 5/103/UF-XVFC/2019

पंद्रहवां वित्त आयोग

(संघीय वित्त और समन्वय)

9वां तल, जवाहर व्यापार भवन,

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

तारीखः13 जनवरी, 2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

<u>विषयः रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के मामलों की जांच हेतु समूह का गठन</u>

राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3755(अ) (प्रति संलग्न) के तहत पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) की दिनांक 29.7.2019 और 29.11.2019 की प्रतियां भी संलग्न हैं। आयोग ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन करने का विनिश्चय किया है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है –

i)	श्री एन.के. सिंह, अध्यक्ष, पंद्रहवां वित्त आयोग	- अध्यक्ष
ii)	श्री ए.एन. झा, सदस्य, पंद्रहवां वित्त आयोग	- सदस्य
iii)	सचिव, गृह मंत्रालय	- सदस्य
iv)	सचिव, रक्षा मंत्रालय	- सदस्य
v)	सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय	- सदस्य

2. रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर इस समूह का अधिदेश 'यह जांच करना होगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे तंत्र का किस प्रकार प्रचालन किया जा सकता है'।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। ह/-

(जसविंदर सिंह)

निदेशक

विशेष आमंत्रितीः-

1) जनरल श्री बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), रक्षा मंत्रालय

2) जनरल श्री मनोज मुकुन्द नरवणे, थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्रालय

अनुलग्नक 1.19

(पैरा 1.23)

फा. सं. 5/102/UF-XVFC/2020

पंद्रहवां वित्त आयोग

(संघीय वित्त और समन्वय)

9वां तल, जवाहर व्यापार भवन,

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

तारीखः 6 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषयः कृषि निर्यातों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन

राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3755(अ) (प्रति संलग्न) के तहत पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) की दिनांक 29.11.2019 की प्रति भी संलग्न हैं। आयोग ने अपने विचारार्थ विषयों (पैरा 7) के अनुसरण में, यानी, कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने तथा उच्च आयात प्रतिस्थापन में समर्थ बनाने वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मापनीय निष्पादन प्रोत्साहनों की अनुशंसा करने के लिए, कृषि निर्यातों पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित करने का निर्णय लिया है, इस समूह का संघटन निम्नानुसार है–

(i)	श्री संजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीसी	- अध्यक्ष
(ii)	सुश्री राधा सिंह, पूर्व कृषि सचिव	- सदस्य
(iii)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि	- सदस्य
(iv)	अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय	- सदस्य
(v)	श्री सुरेश नारायणन, सीएमडी, नेस्ले इंडिया	– सदस्य
(vi)	श्री जय श्रॉफ, सीईओ, यूपीएल लिमिटेड	– सदस्य
(vii)	श्री संजय सचेती, कंट्री हैड इंडिया, ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड	– सदस्य

(viii) डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस – सदस्य

2. यह समिति अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी उपयुक्त संस्था या संगठन से सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। समिति से अनुरोध है कि वह तीन माह के भीतर अपनी सिफारिशें आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत कर दे।

3. इस समूह के विचारार्थ विषय संलग्न हैं।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(जसविंदर सिंह)

निदेशक

फोन 011-23701004

ई-मेलः jasvinder.singh@nic.in

विचारार्थ विषय:

1. बदलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में भारतीय कृषि उत्पादों (वस्तुओं, अर्ध-प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत) के लिए निर्यात और आयात प्रतिस्थापन अवसरों का आकलन करना और निर्यातों को निरंतर रूप से बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के तरीके सुझाना।

2. कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्यवर्धन में समर्थ बनाने, भारतीय कृषि से संबद्ध अपशिष्ट में कमी सुनिश्चित करने, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करने, आदि के लिए रणनीतियों और उपायों की अनुशंसा करना, ताकि इस सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार हो सके।

3. कृषि मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेश में आने वाली बाधाओं की पहचान करना और नीतिगत उपायों और सुधारों का सुझाव देना जो अपेक्षित निवेशों को आकर्षित करने में मदद करे।

4. कृषि क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के साथ-साथ इस संबंध में अन्य नीतिगत उपायों को लागू करने के लिए, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्य सरकारों को समुचित निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों का सुझाव देना।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधिः श्री मनोज जोशी, अपर सचिव

समूह की रिपोर्ट वित्त आयोग की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-

-http://fincomindia.nic.in/under the heading 'Study Reports'

अनुलग्नक 1.20

(पैरा 1.23)

फा. सं. 8/30/EA-XVFC/2018

पंद्रहवां वित्त आयोग

तारीखः 18.03.2020

21वां तल, जवाहर व्यापार भवन,

नई दिल्ली

विषयः सामान्य सरकार (केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप में) की राजकोषीय समेकन रूपरेखा की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन के संबंध में।

पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा सामान्य सरकार की राजकोषीय समेकन रूपरेखा की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का संघटन निम्न प्रकार है-

1.	श्री एन. के. सिंह, अध्यक्ष, पंद्रहवां वित्त आयोग	- अध्यक्ष
2.	श्री ए. एन. झा, सदस्य, पंद्रहवां वित्त आयोग	- सदस्य
3.	डॉ. अनूप सिंह, सदस्य, पंद्रहवां वित्त आयोग	- सदस्य
4.	सीएजी का प्रतिनिधि	- सदस्य
5.	सीजीए का प्रतिनिधि	- सदस्य
6.	संयुक्त सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	- सदस्य
	<u>**बाहरी विशेषज्ञ**</u>	
7.	डॉ. साजिद जेड चिनॉय	- सदस्य
8.	डॉ. प्राची मिश्रा	- सदस्य
	<u>**राज्य सरकारों के प्रतिनिधि**</u>	
9.	श्री एस. कृष्णन, अपर मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार	- सदस्य
10.	श्री अनिरुद्ध तिवारी, प्रधान सचिव	- सदस्य

पंजाब सरकार

2. समिति को विश्लेषणात्मक और आंकड़ों संबंधी सहायता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली, की एक टीम द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. वित्त आयोग सचिवालय का आर्थिक प्रभाग इस समिति को कार्यसंचालन संबंधी सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

4. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं-

(i) समिति, संप्रभु की समस्त स्पष्ट और मापनीय देनदारियों पर विचार करते हुए तथा बकाया कर्ज (डेट स्टॉक) और घाटे (प्रवाह) की परिभाषा के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए, केंद्रीय सरकार, समग्र राज्य सरकारों, सामान्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए घाटे और कर्ज की परिभाषा पर अपनी शिफारिशें करेगी।

(ii) दोहरी गणना से बचाव के लिए समुचित निवल अवधारणा का उपयोग करते हुए समिति सामान्य सरकार और समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के कर्ज का आकलन करने के लिए सिद्धांतों का निर्धारण भी करेगी।

(iii) समिति अनुषंगी देनदारियों को परिभाषित करेगी और जहां संभव हो, ऐसी देनदारियों की परिमाणात्मक माप उपलब्ध कराएगी तथा उन दशाओं को विनिर्दिष्ट करेगी जिनमें "अनुषंगी" देनदारियां सार्वजनिक क्षेत्र की सुस्पष्ट "देनदारियां" बन जाती हैं।

(iv) उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर समिति घाटे और कर्ज की वर्तमान स्थिति की, विभिन्न स्तरों पर समीक्षा करेगी।

(v) उपर्युक्त के आधार पर, समिति वित्त वर्ष 2021-25 के लिए केंद्रीय सरकार, समग्र राज्यों और सामान्य सरकार के लिए कर्ज और राजकोषीय समेकन रूपरेखा की अनुशंसा करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए परिदृश्य तैयार करेगी।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(कंदर्प वी. पटेल)

संयुक्त निदेशक

अनुलग्नक 1.21

(पैरा 1.32)

"राज्य-वित्त के मूल्यांकन" पर किए गए अध्ययन

क्रम सं.	राज्य	संस्थान का नाम
1	आंध्र प्रदेश	सेंटर फॉर इकॉनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, हैदराबाद
2	असम	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम
3	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, अरुणाचल प्रदेश
4	बिहार	एशियन डवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट
5	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
6	गोवा	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा
7	गुजरात	गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट रिसर्च, अहमदाबाद
8	हरियाणा	एमडीआई, गुड़गांव
9	हिमाचल प्रदेश	श्री डी. के. शर्मा
10	जम्मू एवं कश्मीर*	एनआईपीएफपी
11	झारखंड	जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एक्सएलआरआई), जमशेदपुर
12	कर्नाटक	इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनॉमिक चेंज, बेंगलुरु
13	केरल	सीडीएस, त्रिवेंद्रम
14	मध्य प्रदेश	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर
15	महाराष्ट्र	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकॉनॉमिक्स
16	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय
17	मेघालय	राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
18	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय
19	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय
20	ओडिशा	नबकृष्णा चौधुरी सेंटर फॉर डवलपमेंट स्टडीज, भुवनेश्वर
21	पंजाब	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली
22	राजस्थान	सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड डवलपमेंट स्टडीज
23	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय
24	तमिलनाडु	मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स
25	तेलंगाना	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद
26	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
27	उत्तराखंड	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
28	उत्तर प्रदेश	डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक्स, लखनऊ
29	पश्चिम बंगाल	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, दिल्ली

**जम्मू एवं कश्मीर 31 अक्तूबर, 2019 को संघ राज्यक्षेत्र बन गया।*

समूह की रिपोर्ट वित्त आयोग की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-

-http://fincomindia.nic.in/under the heading 'Study Reports'

अनुलग्नक 1.22

(पैरा 1.33)

किए गए अन्य अध्ययनों की सूची

क्रम सं.	विषय	संस्थान/ संगठन का नाम
1	केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा और राज्यों के बीच आबंटनः साम्य-संतुलन एवं दक्षता संबंधी कुछ मुद्दे	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
2	वेतन आयोगः राजकोषीय निहितार्थ	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
3	भारत में केंद्र और राज्यों के लिए चक्रीय रूप से समायोजित प्राथमिक संतुलन	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
4	आयुष्मान भारतः प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लागत एवं वित्तीय व्यवस्था	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
5	चौदहवां वित्त आयोग पंचाट होने के बाद राज्यों में विकास पर व्ययः राज्यों को प्रदत्त धन के व्यय की रीति	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली
6	चौदहवां वित्त आयोग पंचाट होने के बाद राज्यों में विकास पर व्ययः केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का एक मूल्यांकन	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली
7	भारत के महानगरीय शहरों में नगर निगमों का वित्त	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली
8	भारत में म्युनिसिपल वित्त की स्थिति	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली
9	पैट्रोलियम उत्पादों पर कर राजस्व तथा विक्रय कर के पूर्वानुमान और राज्यों के अपने कर-राजस्व संबंधी (एसओटीआर) प्रयासः भारत में राज्यों का विश्लेषण	जेवियर विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
10	भारत में राज्यों की जनांकिकीय उपलब्धियों के बदले में संसाधनों का आबंटनः एक साक्ष्याधारित सन्निष्कर्ष	सेंटर फॉर डवलपमेंट स्टडीज, केरल
11	उपकर और अधिभारः संकल्पना, परिपाटी और सुधार	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली
12	उन शर्तों के लिए विधिक आधार की जांच जो भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अधीन सहमति प्रदान करते समय राज्यों पर अधिरोपित की जा सकती हैं	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली
13	संवैधानिक उलझनों को दूर करनाः सातवीं अनुसूची में सुधार	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली

14	राज्यों को सशर्त अंतरणों हेतु विधिक आधार की जांच तथा राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों से संबंधित मुद्दे	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली
15	राजकोषीय संघवाद के माध्यम से वन-संरक्षणः विगत अनुभवों से ली गई सीख	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
16	भारत में हरित राजकोषीय संघवाद का सुदृढ़ीकरण	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
17	कृषि-सब्सिडी	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, नई दिल्ली
18	भारत में राज्यों के लिए मापनीय, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन	एनसीएईआर, नई दिल्ली
19	शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से शहरी अवसंरचना का विकास करना और इसे आपदासह्य बनाना	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन सेटलमेंट्स, बेंगलुरु
20	संघीय वित्त आयोग अनुदानों का पंचायतों को अंतरण	अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली
21	ग्रामीण स्थानीय निकायों को निधि प्रवाहों का विश्लेषण	अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली
22	अनुषंगी देयता प्रबंधन रूपरेखा	क्रिसिल, नई दिल्ली
23	भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन (आरएलजी) को अंतरसरकारी राजकोषीय अंतरणों का अभिकल्प	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
24	वायु-प्रदूषणः स्वच्छ वायु प्रबंधन के लिए परिणामाधारित वित्त व्यवस्था	वर्ल्ड रिसोसर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
25	पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के लिए समष्टि—अर्थशास्त्रीय नीतिगत अनुरूपता	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली
26	राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों की समीक्षा	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली
27	माल एवं सेवाकर लागू होने के राजकोषीय निहितार्थ	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली
28	म्युनिसिपल वित्त संबंधी अध्ययन	जनाग्रह, बेंगलुरु
29	वायु-प्रदूषण की वर्तमान स्थिति एवं कारण तथा समाधान	द नेचर कंजर्वेसी, नई दिल्ली
30	आपदा जोखिम प्रबंधन का वित्तपोषण*	यूएनडीपी

**यह अध्ययन पूरी तरह से एनडीएमए द्वारा प्रायोजित था।*

समूह की रिपोर्ट वित्त आयोग की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-

-http://fincomindia.nic.in/under the heading 'Study Reports'

अनुलग्नक 1.22(क)

(पैरा 1.21)

बहुपक्षीय और अन्य संगठनों द्वारा पीपीटी प्रस्तुतियों और अध्ययनों की सूची

1. 27 फरवरी, 2018 को 15वें वित्त आयोग और आईएमएफ के बीच बैठक

(i) "फिस्कल टारगेट्स एक्रॉस गवर्नमेंट लेवल्स" एड्रिएन चेस्टी और लुक ऐरॉड द्वारा

(ii) "फलेक्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन एट द सब-नेशनल लेवल" एड्रिएन चेस्टी और लुक ऐरॉड द्वारा

2. 27 और 28 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ "वित्तीय संघवाद में मुद्दे" पर 15वां वित्त आयोग सम्मेलन

(i) "कॉन्सट्रेनिंग सब-नेशनल बोरोइंग थ्रू रूल्स एंड कंट्रोल्स" लुक ऐरॉड द्वारा

(ii) "मार्केट डिसिप्लिन एट द स्टेट लेवल" आदिल मोहम्मद, राचा मौसा और लेज्ली फिशर द्वारा

(iii) "द रोल ऑफ म्युनिसपैलिटीज एंड अदर लोकल गवर्नमेंट्स" रॉबिन बॉडवे और एंड्रयू हॉज द्वारा

(iv) "इक्विलाइज़ेशनः रैशनेल, डिज़ाइन एंड इंप्लीमेंटेशन" रॉबिन बॉडवे, क्वीन्स यूनिवर्सिटी कनाडा द्वारा

(v) "कंडीशनेलिटी इन इंटर-गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र्स" एलिफ ट्यूरे (आईएमएफ़) द्वारा

(vi) "इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी ऑन इंटरगवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशंस" रॉबिन बॉडवे, क्वीन्स यूनिवर्सिटी कनाडा द्वारा

3. सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच राजकोषीय संबंधों पर भारत के पंद्रहवें वित्त आयोग और ओईसीडी के बीच उच्च-स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, 4 अप्रैल 2018, बुधवार, नई दिल्ली, भारत

(i) "सब-नेशनल डेट एंड फिस्कल टारगेट्स" रोनी डाउन्स द्वारा

(ii) "रिवेन्यू शेयरिंग, ट्रांसफर्स एंड फिस्कल इक्वलाइजेशनः द टैक्स पर्स्पेक्टिव" डेविड ब्रैडबरी द्वारा

(iii) "रिवेन्यू शेयरिंग, ट्रांसफर्स एंड फिस्कल इक्वलाइजेशन" जोनाथन कोपेल द्वारा

(iv) "ब्रॉड मेसेज ऑन ट्रांसफर्स एंड फिस्कल इक्वलाइजेशन" सान एम. डोअर्टी द्वारा

(v "द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, परफॉर्मेंस इन्संटिव्ज एंड रीजनल डवलपमेंट" रूडिगर अह्रेंड द्वारा

(vi) "फिस्कल रिलेशंस एक्रॉस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंटः परफॉर्मेंस इन्संटिव्ज एंड रीजनल पॉलिसी, द ईयू एक्सपीरिएंस" पीटर बर्कोवित्ज़ द्वारा

(vii) "इन्फॉर्मेलिटी एंड फिस्कल फ्रेमवर्क्स" पिरिटा सोर्सा द्वारा

(viii) "डिजाइनिंग फिस्कल रूल्स फॉर सब-नेशनल गवर्नमेंट" हेंसजॉर्ग ब्लोक्लिगर द्वारा

(ix) "फिस्कल रूल्सः सब-नेशनल इंप्लीकेशंस" रोनी डाउन्स द्वारा

(x) "फिस्कल रूल्स, सब-नेशनल डेट एंड इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क्स- द ऑस्ट्रियन एक्सपीरिएंस" फिलिप पैकलर द्वारा

4. 30-31 जुलाई (सोमवार), 2018 को "राजकोषीय अंतरणों में अंतरराष्ट्रीय अनुभव" पर विश्व बैंक सम्मेलन,

(i) "इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशंस इन ऑस्ट्रेलिया" बॉब सियर्ल द्वारा

(ii) "रिफॉर्मिंग वर्टिकल प्रोग्राम्स – द केस आफ साउथ अफ्रीका" डेविड सैवेज द्वारा

(iii) "इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स एंड परफॉर्मेंस ग्रांट्स इन ब्राजील" डेबोरा वेजल द्वारा

(iv) "द इकॉनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ एचएफईः लेसंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया" जोनाथन कोपेल द्वारा

(v) "डीलिंग विद होरिजोंटल एंड वर्टिकल फिस्कल इंबैलेंसेजः लेसंस फ्रॉम कनाडाज वेरी डिसेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम" मर्सेलीन जोनिस द्वारा

(vi) "द जर्मन एक्सपीरिएंस ऑफ अड्रेसिंग वर्टिकल एंड होरिजोंटल फिस्कल इंबैलेंसेज" पॉल बर्न्ड स्पाह्न द्वारा

(vii) "डिस्कशन विद फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन" रॉय बहल द्वारा

5. 4 अप्रैल, 2019 को "सरकार के विभिन्न स्तरों के राजकोषीय संबंधों" पर विश्व बैंक, ओईसीडी और एडीबी

(i) "सब-नेशनल फिस्कल रूल्स – प्रिसींपल्स एंड एक्सपीरिएंसेज" जॉर्ज मार्टिनेज (जीएसयू) द्वारा

(ii) "मॉडल्स एंड ऑप्शन्स फॉर इंडिया" रंजीत घोष (पश्चिम बंगाल) द्वारा

(iii) "इंटरनेशनल एक्सपीरिएंस विद फिस्कल इक्वलाइजेशन एंड ट्रांसफर्स" सान डोअर्टी (ओईसीडी) द्वारा

(iv) "द रोल ऑफ परफॉर्मेंस इन्सेंटिव्ज इन इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स डिजाइन" नवेंदु करण (एडीबी)

(v) "एशियन एक्सपीरिएंस इन फिस्कल इक्वलाइजेशन एंड इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स डिजाइन" सिगडेम अकिन (एडीबी) द्वारा

(vi) "पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट (पीएफ़एम) – टुवाड्र्स अ रिफॉर्म एजेंडा" एड्रियन फोजार्ड (पश्चिम बंगाल) और मनोज जैन (पश्चिम बंगाल) द्वारा

(vii) "इंटरनेशनल एक्सपीरिएंस विद बजट प्रोसेसेज इन सेंट्रल एंड सब-नेशनल गवर्नमेंट्स" डेल्फीन मोरेटी (ओईसीडी) द्वारा

(viii) "स्टेट फाइनेंस कमीशंस एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट्स" फराह ज़हीर (पश्चिम बंगाल) द्वारा

(ix) "प्रोपर्टी टैक्सेशनः इंडियाज पोजिशन एंड इंटरनेशनल एक्सपीरिएंसेज" मोहन नागराजन (पश्चिम बंगाल) द्वारा

6. 17 जनवरी, 2020 को 15वें वित्त आयोग और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक

(i) "इंडियाः रिसॉर्स मोबिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट फाइव इयर्स" रूड डी मूइज, अरबिन्द मोदी, ली लियू, दीनार प्रिहार्दिनी और जुआन कार्लोस बेनिटेज़ द्वारा

7. वायु प्रदूषण पर 20 मई, 2019 को डब्ल्यूआरआई की बैठक

(i) क्लीन एयर फॉर ऑल : फाइनेंसिंग क्लीन एयर इन इंडिया

8. 30 अप्रैल, 2019 को वन क्षेत्र पर टीएनसी की बैठक

(i) इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स फॉर स्ट्रेथनिंग द फोरेस्ट कवर

9. 6 जुलाई, 2020 को स्वास्थ्य सेक्टर पर विश्व बैंक की बैठक

(i) इंडियाज हेल्थ सिस्टम इन द टाइम ऑफ कोविड-19

10. एडीबी, आईएमएफ़, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूआरआई और टीएनसी द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्टों की सूची

(i) "द एशियन एक्सपीरिएंस इन इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स" पर एडीबी अध्ययन रिपोर्ट

(ii) "स्ट्रेथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडियाः इम्प्रूविंग आउटकम्स फ्रॉम पब्लिक स्पेंडिंग" पर विश्व बैंक रिपोर्ट

(iii) "इंडिया रिसॉर्स मोबिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट फाइव इयर्स" पर आईएमएफ अध्ययन रिपोर्ट

(iv) "क्लीन एयर फॉर ऑल : फाइनेंसिंग क्लीन एयर इन इंडिया" पर डब्ल्यूआरआई अध्ययन

(v) टाटा ट्रस्ट, द नेचर कंजर्वेंसी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिपेंडेंट रिसर्चर (पूर्व में टेरी के साथ) और ग्लोबल एवर ग्रीनिंग अलायंस और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट जैसे 7 विभिन्न संस्थानों के 14 शोधकर्ताओं द्वारा "स्ट्रेंथनिंग इंडियाज फोरेस्ट सेक्टर" पर एक अध्ययन।

(vi) "प्रोपर्टी टैक्सेशन इन इंडियाः इंडियाज पोजिशन, इंटरनेशनल एक्सपीरिएंसेज, इश्यूज एंड आइडियाज फॉर रिफॉर्म्" पर विश्व बैंक की रिपोर्ट।

उपर्युक्त पीपीटी और अध्ययन वित्त आयोग की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-
- http://fincomindia.nic.in/ under the heading 'Study Reports'

अनुलग्नक 1.23
(पैरा 1.20)

15वें वित्त आयोग की बैठकें

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
प्रथम बैठक	4 दिसंबर, 2017	21वीं बैठक	3 अप्रैल, 2019
द्वितीय बैठक	6 दिसंबर, 2017	22वीं बैठक	9 अप्रैल, 2019
तृतीय बैठक	11 दिसंबर, 2017	23वीं बैठक	16 अप्रैल, 2019
चतुर्थ बैठक	10 जनवरी, 2018	24वीं बैठक	23 अप्रैल, 2019
पंचम बैठक	15 जनवरी, 2018	25वीं बैठक	30 अप्रैल, 2019
6ठीं बैठक	29 जनवरी, 2018	26वीं बैठक	7 मई, 2019
7वीं बैठक	5 फरवरी, 2018	27वीं बैठक	14 मई, 2019
8वीं बैठक	21 फरवरी, 2018	28वीं बैठक	21 मई, 2019
9वीं बैठक	14 मार्च, 2018	29वीं बैठक	28 मई, 2019
10वीं बैठक	19 मार्च, 2018	30वीं बैठक	28 जून, 2019
11वीं बैठक	18 अप्रैल, 2018	31वीं बैठक	2 जुलाई, 2019
12वीं बैठक	20 अप्रैल, 2018	32वीं बैठक	9 जुलाई, 2019
13वीं बैठक	16 मई, 2018	33वीं बैठक	11 जुलाई, 2019
14वीं बैठक	4 जून, 2018	34वीं बैठक	12 जुलाई, 2019
15वीं बैठक	23 अगस्त, 2018	35वीं बैठक	16 जुलाई, 2019
16वीं बैठक	28 अगस्त, 2018	36वीं बैठक	22 जुलाई, 2019
17वीं बैठक	22 अक्तूबर, 2018	37वीं बैठक	30 जुलाई, 2019
18वीं बैठक	26 अक्तूबर, 2018	38वीं बैठक	2 अगस्त, 2019
19वीं बैठक	3 जनवरी, 2019	39वीं बैठक	6 अगस्त, 2019
20वीं बैठक	13 फरवरी, 2019	40वीं बैठक	20 अगस्त, 2019

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
41वीं बैठक	22 अगस्त, 2019	63वीं बैठक	18 फरवरी, 2020
42वीं बैठक	23 अगस्त, 2019	64वीं बैठक	3 मार्च, 2020
43वीं बैठक	29 अगस्त, 2019	65वीं बैठक	11 मार्च, 2020
44वीं बैठक	31 अगस्त, 2019	66वीं बैठक	7 अप्रैल, 2020
45वीं बैठक	9 अक्तूबर, 2019	67वीं बैठक	10 अप्रैल, 2020
46वीं बैठक	10 अक्तूबर, 2019	68वीं बैठक	16 अप्रैल, 2020
47वीं बैठक	11 अक्तूबर, 2019	69वीं बैठक	20 अप्रैल, 2020
48वीं बैठक	14 अक्तूबर, 2019	70वीं बैठक	28 अप्रैल, 2020
49वीं बैठक	15 अक्तूबर, 2019	71वीं बैठक	5 मई, 2020
50वीं बैठक	17 अक्तूबर, 2019	72वीं बैठक	12 मई, 2020
51वीं बैठक	30 अक्तूबर, 2019	73वीं बैठक	19 मई, 2020
52वीं बैठक	31 अक्तूबर, 2019	74वीं बैठक	20 मई, 2020
53वीं बैठक	1 नवंबर, 2019	75वीं बैठक	26 मई, 2020
54वीं बैठक	8 नवंबर, 2019	76वीं बैठक	28 मई, 2020
55वीं बैठक	11 नवंबर, 2019	77वीं बैठक	2 जून, 2020
56वीं बैठक	18 नवंबर, 2019	78वीं बैठक	9 जून, 2020
57वीं बैठक	19 नवंबर, 2019	79वीं बैठक	10 जून, 2020
58वीं बैठक	25 नवंबर, 2019	80वीं बैठक	11 जून, 2020
59वीं बैठक	27 नवंबर, 2019	81वीं बैठक	12 जून, 2020
60वीं बैठक	17 दिसंबर, 2019	82वीं बैठक	16 जून, 2020
61वीं बैठक	28 दिसंबर, 2019	83वीं बैठक	17 जून, 2020
62वीं बैठक	14 जनवरी, 2020	84वीं बैठक	18 जून, 2020

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
85वीं बैठक	19 जून, 2020	107वीं बैठक	29 जुलाई, 2020
86वीं बैठक	22 जून, 2020	108वीं बैठक	5 अगस्त, 2020
87वीं बैठक	29 जून, 2020	109वीं बैठक	6 अगस्त, 2020
88वीं बैठक	30 जून, 2020	110वीं बैठक	7 अगस्त, 2020
89वीं बैठक	1 जुलाई, 2020	111वीं बैठक	10 अगस्त, 2020
90वीं बैठक	3 जुलाई, 2020	112वीं बैठक	11 अगस्त, 2020
91वीं बैठक	6 जुलाई, 2020	113वीं बैठक	17 अगस्त, 2020
92वीं बैठक	7 जुलाई, 2020	114वीं बैठक	18 अगस्त, 2020
93वीं बैठक	9 जुलाई, 2020	115वीं बैठक	19 अगस्त, 2020
94वीं बैठक	10 जुलाई, 2020	116वीं बैठक	20 अगस्त, 2020
95वीं बैठक	13 जुलाई, 2020	117वीं बैठक	24 अगस्त, 2020
96वीं बैठक	14 जुलाई, 2020	118वीं बैठक	25 अगस्त, 2020
97वीं बैठक	15 जुलाई, 2020	119वीं बैठक	26 अगस्त, 2020
98वीं बैठक	16 जुलाई, 2020	120वीं बैठक	27 अगस्त, 2020
99वीं बैठक	17 जुलाई, 2020	121वीं बैठक	28 अगस्त, 2020
100वीं बैठक	20 जुलाई, 2020	122वीं बैठक	31 अगस्त, 2020
101वीं बैठक	21 जुलाई, 2020	123वीं बैठक	2 सितंबर, 2020
102वीं बैठक	22 जुलाई, 2020	124वीं बैठक	7 सितंबर, 2020
103वीं बैठक	23 जुलाई, 2020	125वीं बैठक	8 सितंबर, 2020
104वीं बैठक	24 जुलाई, 2020	126वीं बैठक	9 सितंबर, 2020
105वीं बैठक	27 जुलाई, 2020	127वीं बैठक	10 सितंबर, 2020
106वीं बैठक	28 जुलाई, 2020	128वीं बैठक	11 सितंबर, 2020

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
129वीं बैठक	14 सितंबर, 2020	141वीं बैठक	6 अक्तूबर, 2020
130वीं बैठक	15 सितंबर, 2020	142वीं बैठक	7 अक्तूबर, 2020
131वीं बैठक	16 सितंबर, 2020	143वीं बैठक	8 अक्तूबर, 2020
132वीं बैठक	21 सितंबर, 2020	144वीं बैठक	11 अक्तूबर, 2020
133वीं बैठक	23 सितंबर, 2020	145वीं बैठक	12 अक्तूबर, 2020
134वीं बैठक	25 सितंबर, 2020	146वीं बैठक	13 अक्तूबर, 2020
135वीं बैठक	26 सितंबर, 2020	147वीं बैठक	17 अक्तूबर, 2020
136वीं बैठक	28 सितंबर, 2020	148वीं बैठक	19 अक्तूबर, 2020
137वीं बैठक	29 सितंबर, 2020	149वीं बैठक	26 अक्तूबर, 2020
138वीं बैठक	2 अक्तूबर, 2020	150वीं बैठक	28 अक्तूबर, 2020
139वीं बैठक	3 अक्तूबर, 2020	151वीं बैठक	30 अक्तूबर, 2020
140वीं बैठक	5 अक्तूबर, 2020		

अनुलग्नक 1.24
(पैरा 1.24)

प्रतिष्ठित व्यक्तियों/ संगठनों के साथ अध्यक्ष की बैठकों की सूची

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1.	भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल और तीन डिप्टी गवर्नर,मुंबई	7 दिसंबर,2017
2.	श्री के. रामाराव,प्रधान सचिव वित्त,तेलंगाना सरकार और डॉ.जी.आर. रेड्डी,सलाहकार और डॉ. राजीव शर्मा, मुख्य सलाहकार,दिल्ली	12 जनवरी,2018
3.	श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्य मंत्री, बिहार	5 जून,2018
4.	श्री अनिल कुमार खाची, अपर मुख्य सचिव(वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार	13 जुलाई,2018
5.	श्री कृष्ण वत्स और पदाधिकारी, यूएनडीपी, विश्व बैंक और एनडीएमए	27 जुलाई,2018
6.	श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य, शिक्षा मंत्री,असम	10 सितंबर,2018
7.	श्री अरुण जेटली, केबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री	10 सितंबर,2018
8.	जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुतीकरण	24 सितंबर,2018
9.	श्री प्रकाश पंत, वित्त मंत्री, उत्तराखंड	29 सितंबर,2018
10.	श्री हिमंत बिश्व शर्मा, वित्त मंत्री, असम	8 अक्तूबर,2018
11.	श्री अमित मित्रा, वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल	26अक्तूबर,2018
12.	श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	17 दिसंबर,2018
13.	श्री प्रकाश जावड़ेकर,केबिनेट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्री	21 दिसंबर,2018
14.	श्री नितिन गडकरी, केबिनेट मंत्री,सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री	24 दिसंबर,2018
15.	श्री संभाजी क्षत्रपति, संसद सदस्य, राज्य सभा	4 जनवरी,2019
16.	श्री आर. के. माथुर,मुख्य मंत्री के सलाहकार, त्रिपुरा और श्री जी.एस.जी. अयंगर, प्रधान स्थानिक आयुक्त,त्रिपुरा	4 जनवरी,2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
17.	श्री करन अवतार सिंह, मुख्य सचिव,पंजाब	28 जनवरी,2019
18.	श्री अरविंद पनगड़िया,पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग	1 अप्रैल,2019
19.	श्री के.के.वेणुगोपाल, भारत के महान्यायवादी	13 अप्रैल,2019
20.	श्री लखनपाल, अध्यक्ष, पंजाब वित्त आयोग	15 अप्रैल,2019
21.	श्री के. परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय	2 मई,2019
22.	सीएस द्वारा प्रस्तुतीकरण, उत्तराखंड, वित्त और पर्यटन सचिव	6 मई,2019
23.	श्रीमती निर्मला सीतारमण, केबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री	6 जून,2019
24.	श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य मंत्री, दिल्ली	10 जुलाई,2019
25.	श्री राजीव महर्षि, भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक	11 जुलाई,2019
26.	श्री अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर,दिल्ली	12 जुलाई,2019
27.	श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य मंत्री, दिल्ली और श्री मनीष सिसोदिया, वित्त मंत्री, दिल्ली	26 जुलाई,2019
28.	मुख्यमंत्री का कान्क्लेव, देहारादून/मसूरी	27 और 28 जुलाई, 2019
29.	श्री पीयू टीजे ललनुत्लुयांगा, कानून एवं परिवहन राज्य मंत्री, मिजोरम	30 जुलाई, 2019
30.	श्री अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर,दिल्ली	1 अगस्त,2019
31.	श्री गोडिसेला राजेशम गौड़,अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग तेलंगाना	5 अगस्त,2019
32.	श्री जयराम ठाकुर, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	6 अगस्त,2019
33.	श्री वी. नारायणस्वामी, मुख्य मंत्री, पुडुचेरी	21 अगस्त,2019
34.	श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री, राजस्थान	23 अगस्त,2019
35.	श्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, वित्त मंत्री ,आंध्र प्रदेश	4 अक्तूबर,2019
36.	श्री श्रीकांत बाल्दी, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश	9 अक्तूबर,2019
37.	श्री नगेंद्र नाथ सिन्हा, अध्यक्ष, एनएचएआई	10 अक्तूबर, 2019
38.	प्रो.के. विजय राघवन,भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार	11 अक्तूबर,2019
39.	श्री धर्मेंद्र प्रधान, केबिनेट मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री	16 अक्तूबर,2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
40.	श्री आलोक निगम, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	7 नवंबर,2019
41.	श्री हरीश राव,वित्त मंत्री,तेलंगाना और श्री रामकृष्ण राव, मुख्य सचिव(वित्त), तेलंगाना	28 जनवरी,2020
42.	श्री डेविड लिप्टन,प्रथम उप प्रबंध निदेशक,आईएमएफ़	14 फरवरी,2020
43.	श्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, वित्त मंत्री ,आंध्र प्रदेश	2 मार्च,2020
44.	श्री प्रेम सिंह तमांग,मुख्य मंत्री,सिक्किम	7 मार्च,2020
45.	श्री नेफ़्यू रियो,मुख्य मंत्री नागालैंड	12 मार्च,2020
46.	श्री चौना मीन, उप मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	13 मार्च,2020
47.	सुश्री रेनाटा डेसालिएन, यूनाइटेड नेशन	28 सितंबर,2020

अनुलग्नक 1.25(क)

(पैरा 1.31)

माननीय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री (नई दिल्ली) के साथ आयोग की बैठकों की सूची

क्रम सं.	बैठक	तारीख
1	श्री अरुण जेटली, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्रालय (आयोग की ओर से शिष्टाचार आमंत्रण)	04 दिसंबर, 2017
2	श्री अरुण जेटली, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्रालय	13 जनवरी, 2018
3	श्री राम नाथ कोविंद, भारत के माननीय राष्ट्रपति	15 फरवरी, 2018
4	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री	06 मार्च, 2018
5	श्री एम. वेंकैया नायडू, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति	18 मई, 2018
6	श्री राम नाथ कोविंद, भारत के माननीय राष्ट्रपति	5 दिसंबर, 2019
7	श्रीमती निर्मला सीतारमण, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्रालय	6 दिसंबर, 2019
8	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री	12 दिसंबर, 2019

अनुलग्नक 1.25 (ख)
(पैरा 1.24)

व्यक्तियों/ संगठनों (नई दिल्ली) के साथ आयोग की बैठकों की सूची

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	सुश्री पूनम गुप्ता, अर्थशास्त्री और श्री जुनैद अहमद, दक्षिण एशिया में भारत देश के निदेशक और विश्व बैंक के अन्य अधिकारीगण	09 फरवरी, 2018
2	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त परिचयात्मक बैठक	21 फरवरी, 2018
3	तमिलनाडु से मंत्री / संसद सदस्य	19 अप्रैल, 2018
4	श्री मार्को बूटी, महानिदेशक (आर्थिक और वित्तीय मामले), यूरोपीय आयोग	17 मई, 2018
5	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली (स्थानीय सरकार को अंतरण और शासन संबंधी मुद्दों पर एक प्रस्तुतीकरण)	20 जून, 2018
6	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई (केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा लोक व्यय की औसत दक्षता की तुलना पर एक प्रस्तुतीकरण)	21 जून, 2018
7	मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, चेन्नई (कुछ चुनिंदा राज्य सरकारों के एक समूह द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कुछ चयनित मदों पर किए जाने वाले लोक व्यय की दक्षता संबंधी एक तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण)	21 जून, 2018
8	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की प्रमुख सुश्री गैब्रिएला रामोस तथा अन्य पदाधिकारीगण	03 जुलाई, 2018
9	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा जोखिम प्रबंधन के वित्तपोषण पर प्रस्तुतीकरण)	8 अगस्त एवं 8 अक्टूबर, 2018
10	श्री एस. के. मिश्रा, अध्यक्ष, इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट	14 सितंबर, 2018
11	श्री नितिन आनंद, आयुक्त जीएसटी, बिहार	14 सितंबर, 2018
12	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली (मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी सिमुलेशन मॉडल पर प्रस्तुतीकरण)	8 अक्टूबर, 2018 एवं 15 मई, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
13	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली (पंचायतों के अपने संसाधनों के संवर्धन हेतु आवश्यक उपायों पर प्रस्तुतीकरण)	14 दिसंबर, 2018
14	श्री अरबिंद मोदी, पूर्व सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	13 अगस्त, 2019
15	लद्दाख का दौरा	15 से 18 सितंबर, 2019
16	आंध्र प्रदेश का दौरा*	18 से 20 दिसंबर, 2019
17	श्री राकेश नाथ, पूर्व सदस्य, विद्युत अपीलीय प्राधिकरण और पूर्व-अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	3 अगस्त, 2020
18	डॉ. एरोमर रेवी, निदेशक, आईआईएचएस	5 अगस्त, 2020
19	हरियाणा के मुख्यमंत्री**	28 सितंबर, 2020

* इस बैठक में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सचिव/अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
** इस बैठक में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्य(एएल) सचिव/अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

अनुलग्नक 1.26
(पैरा 1.24 और 1.30)

संघ सरकार के मंत्रालयों /विभागों के साथ आयोजित बैठकें (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1 (क)	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	16 जनवरी, 2018
1 (ख)	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (प्रधान निदेशक द्वारा रेल-वित्त पर प्रस्तुतीकरण)	16 मई, 2018
1 (ग)	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा अन्य पदाधिकारीगण	8 जुलाई, 2019
2	लेखा महानियंत्रक (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रस्तुतीकरण)	3 अप्रैल, 2018
3 (क)	विशेष सचिव और सदस्य, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड तथा अन्य पदाधिकारीगण	9 अप्रैल, 2018
3 (ख)	अध्यक्ष, तथा अन्य पदाधिकारीगण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड	24 अगस्त, 2018
4	अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	10 अप्रैल, 2018
5 (क)	रक्षा बलों के प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीगण	16 अप्रैल, 2018
5 (ख)	श्रीमती निर्मला सीतारमण, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	20 अप्रैल, 2018
5 (ग)	श्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	30 अगस्त, 2019
6 (क)	श्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	19 अप्रैल, 2018
6 (ख)	गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदाधिकारीगण	9 जुलाई, 2020
7 (क)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	14 मई, 2018

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
7 (ख)	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभागों के पदाधिकारीगण	23 जुलाई, 2019
7 (ग)	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभागों के पदाधिकारीगण	31 अगस्त, 2019
7 (घ)	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	17 जून, 2020
8 (क)	मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा पदाधिकारीगण, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	1 जून, 2018
8 (ख)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	11 अप्रैल, 2019
8 (ग)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	15 मई, 2019
8 (घ)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, व्यय विभाग और बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय	26 अगस्त, 2019
8 (ङ)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	6 मार्च, 2019
8 (च)	सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	22 जून, 2020
8 (छ)	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	2 जुलाई, 2020
8 (ज)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	8 जुलाई, 2020
8 (झ)	सचिव, वित्तीय सेवाएं प्रभाग, वित्त मंत्रालय	31 जुलाई, 2020
8 (ञ)	सचिव, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय	4 अगस्त, 2020
9 (क)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारीगण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	4 जून, 2018
9 (ख)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	21 मई, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
10 (क)	श्री पीयूष गोयल, कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	5 जून, 2018
10 (ख)	अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण, रेलवे बोर्ड	8 अगस्त, 2019
10 (ग)	अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण, रेलवे बोर्ड	27 जनवरी, 2020
11 (क)	अपर महानिदेशक तथा अन्य पदाधिकारीगण, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	18 जून, 2018
11 (ख)	उपमहानिदेशक तथा अन्य पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	18 जून, 2019
11 (ग)	महानिदेशक तथा अन्य पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	6 जुलाई, 2018
12 (क)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय	11 जुलाई, 2018
12 (ख)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, ग्रामीण विकास मंत्रालय	11 अप्रैल, 2019
12 (ग)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, पंचायती राज मंत्रालय	26 अप्रैल, 2019
12 (घ)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, ग्रामीण विकास विभाग	20 जनवरी, 2020
12 (ड़)	श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री, कृषि और कृषक कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के पदाधिकारीगण	25 जून, 2020
12 (च)	श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री, कृषि और कृषक कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय तथा कृषि और कृषक कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय के पदाधिकारीगण	26 जून, 2020
13 (क)	उपाध्यक्ष (डॉ. राजीव कुमार) तथा अन्य पदाधिकारीगण, नीति आयोग	27 जुलाई, 2018
13 (ख)	उपाध्यक्ष (डॉ. राजीव कुमार) तथा अन्य पदाधिकारीगण, नीति आयोग	15 अप्रैल, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
13 (ग)	उपाध्यक्ष (डॉ. राजीव कुमार) तथा अन्य पदाधिकारीगण, नीति आयोग	8 अगस्त, 2019
13 (घ)	डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग तथा सचिव व अन्य पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	14 जनवरी, 2020
13 (ड़)	उपाध्यक्ष (डॉ. राजीव कुमार) तथा अन्य पदाधिकारीगण, नीति आयोग	27 जनवरी, 2020
14	श्रीमती सुषमा स्वराज, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	5 नवंबर, 2018
15	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय#	6 दिसंबर, 2018
16	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, जनजातीय कार्य मंत्रालय#	11 दिसंबर, 2018
17	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (संयुक्त सचिव द्वारा फेम इंडिया स्कीम पर प्रस्तुतिकरण)	18 दिसंबर, 2018
18 (क)	श्री जगत प्रकाश नड्डा, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों के पदाधिकारीगण	19 दिसंबर, 2018
18 (ख)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	19 जुलाई, 2019
18 (ग)	डॉ. हर्षवर्धन, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पदाधिकारीगण	23 अगस्त, 2019
18 (घ)	डॉ. हर्षवर्धन, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	13 जुलाई, 2020
19	श्री नितिन जे. गडकरी, कैबिनेट मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	2 जनवरी, 2019
20 (क)	मंत्रिमंडल सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय के पदाधिकारीगण; सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	21 जनवरी, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
20 (ख)	मंत्रिमंडल सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय के पदाधिकारीगण; वित्त सचिव और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	16 मार्च, 2019
21 (क)	श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	4 फरवरी, 2019
21 (ख)	अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय#	13 अगस्त, 2019
21 (ग)	श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	21 अगस्त, 2019
21 (घ)	श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	17 जुलाई, 2020
22 (क)	श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पदाधिकारीगण	13 फरवरी, 2019
22 (ख)	श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण	22 फरवरी, 2019
22 (ग)	श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधान विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पदाधिकारीगण	21 अगस्त, 2019
22 (घ)	संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा श्री आशीष धवन, संस्थापक एवं अध्यक्ष, सेंट्रल स्क्वेयर फाउंडेशन	17 जनवरी, 2020
22 (ङ)	श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधान विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पदाधिकारीगण	29 जून, 2020
22 (च)	श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधान विकास मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण	29 जून, 2020
23 (क)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	15 फरवरी, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
23 (ख)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	12 मार्च, 2019
23 (ग)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	8 अगस्त, 2019
23 (घ)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	21 जनवरी, 2020
23 (ङ)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	29 मई, 2020
24 (क)	सचिव और पदाधिकारीगण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	15 मार्च, 2019
24 (ख)	श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	1 अगस्त, 2019
24 (ग)	श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	30 मई, 2020
25	श्री श्रीपद येसो नाइक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	18 जुलाई, 2019
26	श्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	27 अगस्त, 2019
27 (क)	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, कैबिनेट मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	4 सितंबर, 2019
27 (ख)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और अध्यक्ष तथा पदाधिकारीगण, एपीईडीए	5 फरवरी, 2020
28	श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	14 सितंबर, 2019
29	सचिव और पदाधिकारीगण, वाणिज्य विभाग तथा सचिव और पदाधिकारीगण, पर्यटन मंत्रालय	28 जनवरी, 2020

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
30	श्री प्रणब सेन, अध्यक्ष, सांख्यिकी विषयक स्थायी समिति तथा सचिव और पदाधिकारीगण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	6 फरवरी, 2020

- पंद्रहवें वित्त आयोग के सचिव स्तर पर आयोजित बैठकें।

अनुलग्नक 1.27
(पैरा 1.21 और 1.24)

अर्थशास्त्रियों, विषय-विशेषज्ञों, अंतरराष्ट्रीय एवं अन्य संगठनों के साथ बैठकें

क्रम संख्या	बैठकें/सम्मेलन/कार्यशालाएं	तारीख
1	भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली	15 जनवरी, 2018
2	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली	5 फरवरी, 2018
3	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली	27 फरवरी, 2018
4	वरिष्ठ संपादकों के साथ सम्मेलन, नई दिल्ली	28 फरवरी, 2018
5	इथोपियन प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली*	5 मार्च, 2018
6	संसद सदस्य, नई दिल्ली	14 मार्च, 2018
7	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नई दिल्ली	27 एवं 28 मार्च, 2018
8	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के साथ उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, नई दिल्ली	4 अप्रैल, 2018
9	कृषि वैज्ञानिकों के साथ कार्यशाला, चंडीगढ़	3 मई, 2018
10	अर्थशास्त्री / विषय विशेषज्ञ, नई दिल्ली	14 मई, 2018
11	अर्थशास्त्री / विषय विशेषज्ञ, नई दिल्ली	17 मई, 2018
12	विश्व बैंक प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली	30 एवं 31 जुलाई, 2018
13	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) पदाधिकारी, नई दिल्ली	16 अगस्त, 2018
14	पश्चिमी क्षेत्र के अर्थशास्त्री, पुणे	21 अगस्त, 2018
15	अर्थशास्त्री, चेन्नई	5 सितंबर, 2018
16	राजस्व आबंटन आयोग (सीआरए), केन्या से प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली*	24 सितंबर, 2018
17	यूएनडीपी, एनडीएमए, वर्ल्ड बैंक और पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन के वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, नई दिल्ली	12 एवं 13 नवंबर, 2018
18	लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री, नई दिल्ली	15 फरवरी, 2019

क्रम संख्या	बैठकें/सम्मेलन/कार्यशालाएं	तारीख
19	आयोग द्वारा विश्व बैंक, ओईसीडी और एडीबी की साझेदारी में, नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन	4 अप्रैल, 2019
20	भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास और भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य अधिकारी, मुंबई	8 मई, 2019
21	अर्थशास्त्री और वित्तीय संस्थाएं, मुंबई	9 मई, 2019
22	अर्थशास्त्री, बेंगलुरु	24 जून, 2019
23	प्रोफेसर कार्तिक मुरलीधरन, टाटा चांसलर्स प्रोफेसर ऑफ इकॉनॉमिक्स, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में	8 जुलाई, 2019
24	जीएसटी परिषद की बैठक, गोवा**	19 एवं 20 सितंबर, 2019
25	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रस्तुतिकरण, नई दिल्ली	17 जनवरी, 2020
26	श्री सार्थक सक्सेना, उपायुक्त, जीएसटीएन, नई दिल्ली	10 फरवरी, 2020
27	विश्व बैंक के पदाधिकारीगण	6 जुलाई, 2020

* पंद्रहवें वित्त आयोग के सचिव स्तर पर आयोजित बैठकें

** इन बैठकों में पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव ने भाग लिया।

अनुलग्नक 1.28
(पैरा 1.25)

राज्यों के महालेखाकारों के साथ आयोजित बैठकें (नई दिल्ली)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	राज्य	तारीख
1	श्री जॉन के. सेलेट, प्रधान महालेखाकार	अरुणाचल प्रदेश	19 मार्च, 2018
2	श्री सुशील कुमार ठाकुर, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और श्री एस. चटर्जी, महालेखाकार (ए एंड ई)	जम्मू एवं कश्मीर**	21 मार्च, 2018
3	सुश्री रश्मि अग्रवाल, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	असम	23 अप्रैल, 2018
4	सुश्री महुआ पाल, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	हरियाणा	2 मई, 2018
5	श्री एस. सुनील राज, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)	केरल	11 मई, 2018
6	श्री के. आर. श्रीराम, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) तथा श्री एच. के. धर्मदर्शी, प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)	गुजरात	3 जुलाई, 2018
7	श्री एम. एस. सुब्रह्मण्यम, प्रधान महालेखाकार और श्री श्रीराज अशोक, उपमहालेखाकार	पश्चिम बंगाल	6 जुलाई, 2018
8	श्री नेदुनचेझियन सी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	झारखंड	20 जुलाई, 2018
9	सुश्री संगीता चौउरे, प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा-I	महाराष्ट्र	7 अगस्त, 2018
10	सुश्री देविका नायर, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)	तमिलनाडु	28 अगस्त, 2018
11	श्री आई.डी.एस. धारीवाल, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	हिमाचल प्रदेश	11 सितंबर, 2018

क्रम सं.	नाम और पदनाम	राज्य	तारीख
12	श्री नीलोत्पल गोस्वामी, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	बिहार	14 सितंबर, 2018
13	श्री एल. वी. सुधीर कुमार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	आंध्र प्रदेश	24 सितंबर, 2018
14	श्री एस. आलोक, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	उत्तराखंड	8 अक्तूबर, 2018
15	श्री सी. ए. बोध, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	मणिपुर	14 नवंबर, 2018
16	श्री ए. पी. चोफी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	नागालैंड	14 नवंबर, 2018
17	श्री बसंतिया बी., महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)	ओडिशा	3 जनवरी, 2019
18	श्री मनीष कुमार, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	त्रिपुरा	15 जनवरी, 2019
19	सुश्री पूनम पांडे, प्रधान महालेखाकार	पंजाब	22 जनवरी, 2019
20	सुश्री रेबेका मथाई, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	तेलंगाना	14 फरवरी, 2019
21	श्री एल. तोछांग, प्रधान महालेखाकार	मिजोरम	20 मार्च, 2019
22	श्री स्टीफन होंगरे, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	मेघालय	20 मई, 2019
23	सुश्री ई. पी. निवेदिता, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)	कर्नाटक	7 जून, 2019
24	श्री आर. के. पांडेय, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)*	मध्य प्रदेश	3 जुलाई, 2019
25	श्री डी. आर. पाटिल, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	छत्तीसगढ़	15 जुलाई, 2019
26	श्री आर. जी. विश्वनाथन, प्रधान महालेखाकार	राजस्थान	13 अगस्त, 2019
27	श्री सुशील कुमार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	सिक्किम	12 सितंबर, 2019

क्रम सं.	नाम और पदनाम	राज्य	तारीख
28	श्री जयंत सिन्हा, प्रधान महालेखाकार (आर्थिक, राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)	उत्तर प्रदेश	11 अक्तूबर, 2019
29	श्री आशुतोष जोशी, प्रधान महालेखाकार	गोवा	16 जनवरी, 2020

*भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित
**जम्मू एवं कश्मीर 31 अक्तूबर, 2019 को संघ राज्यक्षेत्र बन गया।

अनुलग्नक 1.29

(पैरा 1.29)

राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों की सूची

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	दक्षिणी राज्यों के संबंध में, हैदराबाद, तेलंगाना	9 फरवरी, 2018
2	पूर्वी राज्यों के संबंध में, रांची, झारखंड	15 फरवरी, 2018
3	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के संबंध में, नई दिल्ली	22 फरवरी, 2018
4	उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के संबंध में, नई दिल्ली	23 फरवरी, 2018

अनुलग्नक 1.30
(पैरा 1.29)

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए राज्यों के दौरों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	तारीख		मुख्यमंत्री के साथ बैठक
1	अरुणाचल प्रदेश	5 अप्रैल, 2018	8 अप्रैल, 2018	6 अप्रैल, 2018
2	असम	25 अप्रैल, 2018	28 अप्रैल, 2018	26 अप्रैल, 2018
3	हरियाणा	3 मई, 2018	4 मई, 2018	4 मई, 2018
4	केरल	28 मई, 2018	31 मई, 2018	29 मई, 2018
5	पश्चिम बंगाल	16 जुलाई, 2018	18 जुलाई, 2018	17 जुलाई, 2018
6	गुजरात	23 जुलाई, 2018	25 जुलाई, 2018	23 जुलाई, 2018
7	झारखंड	1 अगस्त, 2018	3 अगस्त, 2018	2 अगस्त, 2018
8	तमिलनाडु	4 सितंबर, 2018	8 सितंबर, 2018	6 सितंबर, 2018
9	महाराष्ट्र	17 सितंबर, 2018	19 सितंबर, 2018	19 सितंबर, 2018
10	हिमाचल प्रदेश	25 सितंबर, 2018	28 सितंबर, 2018	26 सितंबर, 2018
11	बिहार	1 अक्तूबर, 2018	4 अक्तूबर, 2018	3 अक्तूबर, 2018
12	आंध्र प्रदेश	9 अक्तूबर, 2018	12 अक्तूबर, 2018	11 अक्तूबर, 2018
13	उत्तराखंड	15 अक्तूबर, 2018	18 अक्तूबर, 2018	16 अक्तूबर, 2018
14	नागालैंड	27 नवंबर, 2018	28 नवंबर, 2018	28 नवंबर, 2018
15	मणिपुर	29 नवंबर, 2018	30 नवंबर, 2018	30 नवंबर, 2018
16	ओडिशा	8 जनवरी, 2019	11 जनवरी, 2019	9 जनवरी, 2019
17	त्रिपुरा	16 जनवरी, 2019	18 जनवरी, 2019	17 जनवरी, 2019
18	पंजाब	29 जनवरी, 2019	1 फरवरी, 2019	30 जनवरी, 2019
19	तेलंगाना	18 फरवरी, 2019	20 फरवरी, 2019	19 फरवरी, 2019
20	मिजोरम	25 मार्च, 2019	26 मार्च, 2019	25 मार्च, 2019*
21	मेघालय	3 जून, 2019	5 जून, 2019	4 जून, 2019
22	कर्नाटक	23 जून, 2019	26 जून, 2019	25 जून, 2019
23	मध्य प्रदेश	3 जुलाई, 2019	5 जुलाई, 2019	4 जुलाई, 2019
24	छत्तीसगढ़	23 जुलाई, 2019	25 जुलाई, 2019	25 जुलाई, 2019
25	राजस्थान	6 सितंबर, 2019	9 सितंबर, 2019	9 सितंबर, 2019
26	सिक्किम	23 सितंबर, 2019	26 सितंबर, 2019	24 सितंबर, 2019
27	उत्तर प्रदेश	19 अक्तूबर, 2019	22 अक्तूबर, 2019	22 अक्तूबर, 2019
28	गोवा	23 जनवरी, 2020	24 जनवरी, 2020	24 जनवरी, 2020

*राज्य के मुख्य सचिव के साथ आयोजित बैठक।

अनुलग्नक 1.31

उन संस्थाओं/संगठनों के साथ बैठकों की सूची जिन्हें पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अध्ययन कार्य सौंपे गए

क्रम सं.	विषय	संस्था	तारीख
1	भारत में केंद्र और राज्यों के लिए चक्रीय रूप से समायोजित प्राथमिक संतुलन	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	13 जून, 2018 और 19 मार्च, 2019
2	वेतन आयोगः राजकोषीय निहितार्थ	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	13 जून, 2018 और 19 मार्च, 2019
3	केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा और राज्यों के बीच आबंटनः साम्य-संतुलन एवं दक्षता संबंधी कुछ मुद्दे	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	13 जून, 2018
4	चौदहवां वित्त आयोग पंचाट होने के बाद राज्यों में विकास पर व्ययः राज्यों को प्रदत्त धन के व्यय की रीति	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली	14 जून, 2018
5	चौदहवां वित्त आयोग पंचाट होने के बाद राज्यों में विकास पर व्ययः केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का एक मूल्यांकन	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली	14 जून, 2018, 15 सितंबर, 2018 और 25 जनवरी, 2019
6	भारत के महानगरीय शहरों में नगर निगमों का वित्त	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली	14 जून, 2018 और 21 सितंबर, 2018
7	भारत में म्युनिसिपल वित्त की स्थिति	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली	14 जून, 2018 और 21 सितंबर, 2018

क्रम सं.	विषय	संस्था	तारीख
8	म्युनिसिपल वित्त संबंधी अध्ययन	जनाग्रह, बेंगलुरु	20 जून, 2018 और 9 अप्रैल, 2019
9	पैट्रोलियम उत्पादों पर कर राजस्व तथा विक्रय कर के पूर्वानुमान और राज्यों के अपने कर-राजस्व संबंधी (एसओटीआर) प्रयासः भारत में राज्यों का विश्लेषण	जेवियर यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	22 जून, 2018
10	भारत में राज्यों की जनांकिकीय उपलब्धियों के बदले में संसाधनों का आबंटनः एक साक्ष्याधारित सन्निष्कर्ष	सेंटर फॉर डवलपमेंट स्टडीज, केरल	28 जून, 2018 और 25 अप्रैल, 2019
11	राजकोषीय संघवाद के माध्यम से वन-संरक्षणः विगत अनुभवों से ली गई सीख	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	28 जून, 2018 और 2 नवंबर, 2018
12	भारत में हरित राजकोषीय संघवाद का सुदृढ़ीकरण	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	28 जून, 2018 और 2 नवंबर, 2018
13	भारत में राज्यों के लिए मापनीय, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन	एनसीएईआर, नई दिल्ली	5 जुलाई, 2018, 19 दिसंबर, 2018 और 7 मार्च, 2019
14	आयुष्मान भारतः प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लागत एवं वित्तीय व्यवस्था	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	13 जुलाई, 2018 और 18 दिसंबर, 2018
15	संघीय वित्त आयोग अनुदानों का पंचायतों को अंतरण	अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली	6 अगस्त, 2018, 15 मार्च, 2019 और 6 मई, 2019
16	शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से शहरी अवसंरचना का विकास करना और इसे आपदासह्य बनाना	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन सेटलमेंट्स, बेंगलुरु	8 अगस्त, 2018
17	कृषि-सब्सिडी	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली	23 अगस्त, 2018 और 12 दिसंबर, 2018

क्रम सं.	विषय	संस्था	तारीख
18	उपकर और अधिभारः संकल्पना, परिपाटी और सुधार	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली	13 सितंबर, 2018
19	राज्यों को सशर्त अंतरणों हेतु विधिक आधार की जांच तथा राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों से संबंधित मुद्दे	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली	13 सितंबर, 2018
20	वायु-प्रदूषण की वर्तमान स्थिति एवं कारण तथा समाधान	द नेचर कंजर्वेंसी	20 दिसंबर, 2018
21	वायु-प्रदूषण तथा वन-संबंधी राजकोषीय अंतरणों पर संयुक्त प्रस्तुतीकरण	द नेचर कंजरवेंसी, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट	30 अप्रैल, 2019
22	वायु-प्रदूषणः स्वच्छ वायु प्रबंधन के लिए परिणामाधारित वित्त व्यवस्था	वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट	20 मई, 2019
23	जीएसटी लागू होने के राजकोषीय निहितार्थ	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी	7 जून, 2019

अनुलग्नक 1.32

आयोग की सलाहकार परिषद् की बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	17 मई, 2018
2	दूसरी	21 फरवरी, 2019
3	तीसरी	16 मई, 2019
4	चौथी	13 सितंबर, 2019
5	पांचवीं	16 दिसंबर, 2019
6	छठी	13 फरवरी, 2020
7	सातवीं	23-24 अप्रैल, 2020
8	आठवीं	25-26 जून, 2020
9	नौवीं	4-5 सितंबर, 2020

अनुलग्नक 1.33

स्वास्थ्य सेक्टर पर गठित उच्च स्तरीय समूह के साथ बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	20 अगस्त, 2018
2	दूसरी	8 फरवरी, 2019
3	तीसरी	22 मई, 2019
4	चौथी	30 अगस्त, 2019
5	पांचवीं	21 मई, 2020

अनुलग्नक 1.34

पंजाब के सीसीएल अंतर की समीक्षा हेतु गठित नकद क्रेडिट सीमा समिति की बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	14 फरवरी, 2019
2	दूसरी	20 मार्च, 2019
3	तीसरी	2 अगस्त, 2019

अनुलग्नक 1.35

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के मामलों की जांच हेतु गठित समूह की बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	4 मार्च, 2020
2	दूसरी	18 मई, 2020

अनुलग्नक 1.36

कृषि निर्यातों पर गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की बैठकों की सूची

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	24 फरवरी, 2020
2	दूसरी	17 मार्च, 2020
3	तीसरी	30 अप्रैल, 2020
4	चौथी	12 मई, 2020
5	पांचवीं	11 जून, 2020
6	छठी	9 जुलाई, 2020
7	सातवीं	31 जुलाई, 2020

अनुलग्नक 1.37

राजकोषीय समेकन रूपरेखा समिति की बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	21 मई, 2020

अनुलग्नक 1.38

राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों के प्रतिभागियों की सूची (क से घ तक)

(क)	डॉ. एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, में दिनांक 09.02.2018 को दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक
1.	श्री एम. रविचंद्र, विशेष मुख्य सचिव (वित्त), आंध्र प्रदेश
2.	श्री बी. वेंकटेश्वरा राव, विशेष कार्याधिकारी, वित्त विभाग, आंध्र प्रदेश
3.	श्री बी. सोबन, परामर्शदाता, वित्त विभाग, आंध्र प्रदेश
4.	श्री सी. बालाजी, जिला पंचायत अधिकारी, आंध्र प्रदेश
5.	श्री जी. विनोद कुमार, परामर्शदाता, आंध्र प्रदेश
6.	श्री गोपालकृष्ण, वित्त विभाग, कर्नाटक
7.	श्री पुरुषोत्तम सिंह, विशेष अधिकारी, जिला पंचायत, कर्नाटक
8.	श्री मिन्हाज आलम, सचिव (वित्तीय संसाधन), केरल
9.	श्री बी. प्रतीप कुमार, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, केरल
10.	श्री पी. कार्तिकराज, अनुसंधान सहायक, वित्त विभाग, केरल
11.	श्री एम. अरविंद, उपसचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु
12.	श्री एच. कृष्णनउन्नी, उपसचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु
13.	श्री गिरिराज कुमार, अवर सचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु
14.	श्री वी. गिरिराज, वित्त विभाग, महाराष्ट्र
15.	श्री वैभव आर. राजेघाटगे, उपसचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र
16.	श्रीमती विद्या एच. वाघमारे, अवर सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र
17.	श्री जी. आर. रेड्डी, तेलंगाना सरकार के सलाहकार
18.	श्री के. रामकृष्ण राव, प्रधान वित्त सचिव, तेलंगाना

19.	श्री एन. शिव शंकर, प्रधान सचिव (वित्त), तेलंगाना
20.	डॉ. बी. जनार्दन रेड्डी, आयुक्त, जीएचएमसी
21.	डॉ. पी. के. श्रीदेवी, निदेशक, म्युनिसिपल प्रशासन, तेलंगाना
22.	श्री विकास राज, प्रधान सचिव, पीआरएंडआरडी, तेलंगाना
23.	श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद, आयुक्त एवं निदेशक, पीआरएंडआरडी, तेलंगाना
24.	श्री जी. एस. राममोहन राव, अपर वित्त सचिव, तेलंगाना
25.	श्री चौ. वी. साई प्रसाद, संयुक्त सचिव, तेलंगाना

	पंद्रहवां वित्त आयोग
26.	श्री अरविन्द मेहता, सचिव
27.	श्री मुखमीत सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव
28.	श्री जसविंदर सिंह, निदेशक
29.	श्री रितेश कुमार, सहायक निदेशक
30.	श्री संदीप कुमार, सहायक निदेशक
31.	श्री महेश कुमार, सहायक निदेशक

(ख)	दिनांक 15.02.2018 को रांची, झारखंड में आयोजित पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
1.	सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव (वित्त), बिहार
2.	श्री मनोरंजन दास, वित्त आयोग प्रकोष्ठ, बिहार
3.	श्री के. डी. प्रोज्ज्वल, बिहार
4.	श्री नजर हुसैन, बिहार
5.	श्री राजेश कुमार तिवारी, अनुभाग अधिकारी, बिहार
6.	श्री सुनील कुमार, अनुभाग अधिकारी, बिहार
7.	श्री गौरव कुमार, एमआईएस (विशेषज्ञ), बिहार
8.	श्री बिनोद कुमार तिवारी, बिहार
9.	श्री संजीव मित्तल, बिहार
10.	डॉ. ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़
11.	श्री अरविंद कुजूर, विशेष कार्याधिकारी, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़
12.	श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव (वित्त), झारखंड
13.	श्री सतेंद्र सिंह, सचिव (व्यय), झारखंड
14.	श्री हरिश्वर दयाल, मुख्य निदेशक, सीएफएस, झारखंड
15.	श्री ए. के. रतन, संयुक्त सचिव (यूडी एंड एचडी), झारखंड
16.	श्री नवनीत कुमार, परामर्शदाता, झारखंड
17.	श्री चंदन कुमार, झारखंड
18.	श्री निलहानी कुमार, आईपीआरडी, रांची, झारखंड
19.	श्री लाल हेमंत एन. शाहदेव, अवर सचिव (यूडी एंड एचडी), झारखंड
20.	श्री रंजीत रंजन पाल, अवर सचिव, पंचायती राज, झारखंड
21.	श्री सत्य नारायण प्रसाद, ए. ओ. (वित्त), झारखंड
22.	श्री देबेंद्र कुमार जीन, ओडिशा

23.	श्री रूप नारायण दास, संयुक्त सचिव (वित्त), ओडिशा
24.	श्री देवप्रिय बिस्वास, उपसचिव (वित्त), ओडिशा
25.	श्री पी. ए. सिद्दीकी, सचिव (वित्त), पश्चिम बंगाल
26.	सुश्री उज्जैनी दत्ता, अपर सचिव (वित्त), पश्चिम बंगाल
27.	श्री जे. दत्ता, सलाहकार (बजट), पश्चिम बंगाल
28.	श्री पवन कादयान, संयुक्त सचिव (वित्त), पश्चिम बंगाल
29.	डॉ. अनल ज्योति चक्रबर्ती, उपसचिव (वित्त), पश्चिम बंगाल

	पंद्रहवां वित्त आयोग
30.	श्री अरविन्द मेहता, सचिव
31.	श्री मुखमीत सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव
32.	श्री गोपाल प्रसाद, निदेशक
33.	श्री नितिश सैनी, उपनिदेशक
34.	सुश्री अदिति पाठक, उपनिदेशक
35.	श्री संदीप कुमार, सहायक निदेशक
36.	श्री महेश कुमार, सहायक निदेशक

(ग)	दिनांक 22.02.2018 को चतुर्थ तल, नॉलेज सेंटर, एसटीसी भवन, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
1.	श्री जी. एन. सिन्हा, विशेष कार्याधिकारी (वित्त आयोग), अरुणाचल प्रदेश
2.	श्री एस. आर. डोंगरे, सलाहकार (वित्त), अरुणाचल प्रदेश
3.	श्री एन. टी. ग्लोव, विशेष सचिव, (वित्त आयोग), अरुणाचल प्रदेश
4.	श्री श्याम जगनाथन, आयुक्त एवं सचिव (वित्त), असम
5.	श्री हेमंत कुमार देवरी, निदेशक (वित्त), असम
6.	श्री माटीलाल सरकार, संयुक्त निदेशक (वित्त), असम
7.	श्री अभय पंत, वित्त सचिव के विशेष कार्याधिकारी, हिमाचल प्रदेश
8.	श्री रेखी राम, उपसचिव, बजट, हिमाचल प्रदेश
9.	श्री जीत राम, अधीक्षक बजट, हिमाचल प्रदेश
10.	श्री मदन वर्मा, अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश
11.	श्री विपिन कुमार, सहायक, हिमाचल प्रदेश
12.	श्री विशाल शर्मा, अपर सचिव (वित्त), जम्मू एवं कश्मीर
13.	श्री ओवैस अहमद, उपसचिव (वित्त), जम्मू एवं कश्मीर
14.	डॉ. प्रिया बड्याल, लेखा अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर
15.	सुश्री मोनिका लाहोत्रा, लेखा अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर
16.	श्री रविंदर सिंह, संयुक्त सचिव, मणिपुर
17.	श्री पी. के. अग्रहरि, आईएफएस, सचिव (वित्त), मेघालय
18.	श्री ई. वाई. चेन, निदेशक, मेघालय
19.	श्री एम. लिंगदोह, विशेष अधिकारी एवं अवर सचिव, मेघालय
20.	पु लालमलस्वामा, सचिव (वित्त), मिजोरम
21.	पु लालिंगमवाई सैलो, संयुक्त सचिव (वित्त), मिजोरम
22.	पु सी. लुंगमुअनपुइया, अवर सचिव/ नोडल अधिकारी, मिजोरम

23.	श्री वाई. किखेतो सेमा, सचिव, बजट, नागालैंड
24.	श्री केखवेजो केफो, संयुक्त सचिव, नागालैंड
25.	श्री केतॉलहौ मेथा, वरि. अनुसंधान अधिकारी, बजट, नागालैंड
26.	श्री प्रधान, प्रधान निदेशक (वित्त), सिक्किम
27.	श्री बेनू कुमार मुखिया, निदेशक (वित्त), सिक्किम
28.	श्री अकिंचन सरकार, संयुक्त सचिव (वित्त), त्रिपुरा
29.	श्री एल. एन. पंत, अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड
30.	श्री आई. के. पांडे, सलाहकार (सेवानिवृत्त), उत्तराखंड

	पंद्रहवां वित्त आयोग
31.	श्री अरविन्द मेहता, सचिव
32.	श्री मुखमीत सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव
33.	श्री आन्टणी सिरियक, आर्थिक सलाहकार
34.	श्री गोपाल प्रसाद, निदेशक
35.	श्री आनंद सिंह परमार, संयुक्त निदेशक
36.	सुश्री स्वेता सत्या, उपनिदेशक
37.	श्री कंदर्प वी. पटेल, उपनिदेशक
38.	श्री नितिश सैनी, उपनिदेशक
39.	सुश्री अदिति पाठक, उपनिदेशक
40.	सुश्री शिखा दहिया, उपनिदेशक
41.	श्री रितेश कुमार, सहायक निदेशक
42.	श्री संदीप कुमार, सहायक निदेशक
43.	श्री महेश कुमार, सहायक निदेशक
44.	श्री पंकज गेरा, आर्थिक अधिकारी

(घ)	दिनांक 23.02.2018 को नॉलेज सेंटर, चतुर्थ तल, एसटीसी बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली में उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक
1.	डॉ. वाई. दुर्गाप्रसाद, निदेशक, आयोजना, गोवा
2.	श्री हेमंत देसाई, बजट विश्लेषक, गोवा
3.	श्री प्रसाद पोवार, सहायक, एफडीएमडी, गोवा
4.	श्री शैलेश नाइक, सहायक, एफडीएमडी, गोवा
5.	श्री मुकेश एच. ढोलकिया, उपनिदेशक, गुजरात
6.	श्री पी. एम. नायर, उप-अनुभाग अधिकारी, गुजरात
7.	डॉ. आर. एस. मल्हण, निदेशक आयोजना, हरियाणा
8.	श्री उदय वीर, अनुसंधान अधिकारी, हरियाणा
9.	श्री पी. के. राय, उपसचिव वित्त, मध्य प्रदेश
10.	श्री बृजपाल सिंह, अनुसंधान अधिकारी, मध्य प्रदेश
11.	श्रीमती परमजीत कौर, उपनिदेशक, पंजाब
12.	श्री ललित गोयल, अनुसंधान अधिकारी, पंजाब
13.	श्री आशुतोष वाजपेयी, संयुक्त सचिव (ईए), राजस्थान
14.	श्री संजीव मित्तल, प्रधान सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश
15.	श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश
16.	श्री अशोक कुमार, उपनिदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश

	पंद्रहवां वित्त आयोग
17.	श्री अरविन्द मेहता, सचिव
18.	श्री मुखमीत सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव
19.	श्री आन्टणी सिरियक, आर्थिक सलाहकार
20.	श्री गोपाल प्रसाद, निदेशक

21.	श्री आनंद सिंह परमार, संयुक्त निदेशक
22.	सुश्री स्वेता सत्या, उपनिदेशक
23.	श्री कंदर्प वी. पटेल, उपनिदेशक
24.	श्री नितिश सैनी, उपनिदेशक
25.	सुश्री अदिति पाठक, उपनिदेशक
26.	सुश्री शिखा दहिया, उपनिदेशक
27.	श्री रितेश कुमार, सहायक निदेशक
28.	श्री संदीप कुमार, सहायक निदेशक
29.	श्री महेश कुमार, सहायक निदेशक
30.	श्री पंकज गेरा, आर्थिक अधिकारी

अनुलग्नक 1.39

राज्य सरकारों के साथ बैठकों के प्रतिभागियों की सूची

1. आंध्र प्रदेश (09-12 अक्तूबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री नारा चंद्रबाबू नायडू	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री एन. चिनाराजप्पा	माननीय उपमुख्यमंत्री
3.	श्री पिठानी सत्यनारायण	श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कारखाना
4.	श्री सी. कुटुम्बा राव	उपाध्यक्ष आंध्र प्रदेश योजना बोर्ड
5.	डॉ. डी. संबाशिव राव	सरकार के विशेष मुख्य सचिव (सीटी, पी एंड ई, आर एंड एस), राजस्व विभाग
6.	डॉ. मनमोहन सिंह	सरकार के विशेष मुख्य सचिव (भूमि, बंदोबस्ती और आपदा प्रबंधन), राजस्व
7.	श्री बुदिथि राजशेखर	सरकार के विशेष मुख्य सचिव (एफ़एसी) (विपणन) कृषि और सहकारिता विभाग
8.	श्री नीरभ कुमार प्रसाद	सरकार के विशेष मुख्य सचिव, टीआर एंड बी विभाग
9.	श्री सतीशचंद्र	मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव
10.	श्रीमती पूनम मालाकोंडैया	विशेष मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण
11.	श्री के.एस. जवाहर रेड्डी	सरकार के प्रधान सचिव (आरडी) पीआर एंड आरडी
12.	श्री शमशेर सिंह रावत	सरकार के प्रमुख सचिव (एसडब्ल्यू और टीडबल्यू) एसडब्ल्यू विभाग
13.	श्री अजय जैन	सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा, अवसंरचना और निवेश

14.	श्री के. विजयानंद	सरकार के प्रधान सचिव (एफएसी), सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार
15.	श्री जी. अनंत रामू	सरकार के प्रमुख सचिव ईएफएस एंड टी
16.	श्री मुद्दादा रविचंद्र	प्रमुख वित्त सचिव (एफ़एसी) और सचिव (आर एंड ई)
17.	श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी	सरकार के प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग और मत्स्य पालन
18.	श्री एल. प्रेम चंद्र रेड्डी	सरकार के पदेन प्रधान सचिव (एसआर) सामान्य प्रशासन
19.	श्रीमती बी. उदय लक्ष्मी	सरकार के प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
20.	सुश्री ए.आर. अनुराधा	सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग
21.	श्री शशिभूषण कुमार	सरकार के सचिव (लघु, मध्यम और प्रमुख सिंचाई) जल संसाधन
22.	श्री मुकेश कुमार मीणा	सरकार के सचिव (पर्यटन), वाईएटी एंड सी विभाग
23.	श्री पीयूष कुमार	सरकार के सचिव (एफपी), वित्त
24.	श्री के.वी.वी. सत्यनारायण	सरकार के विशेष सचिव (आई एंड बीएफ़) वित्त विभाग
25.	श्री सिद्धार्थ जैन	आयुक्त, उद्योग विभाग
26.	श्री के. कन्ना बाबू	निदेशक, एमए और यूडी विभाग
27.	श्री ए.एस. दिनेश कुमार	एमडी, एपी फाइबर
28.	श्री के. रामगोपाल	सरकार के सचिव (अल्पसंख्यक कल्याण), अल्पसंख्यक कल्याण
29.	श्री कांतिलाल डांडे	प्रबंध निदेशक ए.पी. स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि.
30.	श्री अरुण कुमार	आयुक्त, सचिव (एफएसी), डब्ल्यूसीडी विभाग
31.	श्री डी. वेंकट रमणा	सरकार के सचिव, विधि विभाग

32.	श्री संजय गुप्ता	सी. ई. ओ. और सरकार के पदेन सचिव, योजना
33.	श्री एनवीएस बाबू	एमडी, एपीएसआरटीसी
34.	श्री वी. राम मनोहर	विशेष आयुक्त, सीआरडीए
35.	डॉ. जी. सोमा सेखरम	निदेशक, पशुपालन विभाग
36.	श्री एन.वाई. सास्त्री	निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजना विभाग
37.	डॉ. दक्षिणामूर्ति	सलाहकार, योजना विभाग
38.	श्री वी. कृष्ण देवराय	सीईओ, एपीसीएफएसएस
39.	श्री बित्रा वेंकटेश्वर राव	ओएसडी (एफसी), वित्त विभाग
40.	श्री डी. सुरेन्द्र	जेएफए, वित्त विभाग

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री कोनेरू श्रीधर	महापौर, विजयवाड़ा नगर निगम
2.	श्री अब्दुल अज़ीज़	महापौर नेल्लूर नगर निगम
3.	श्रीमती मदमंची स्वरूपा	महापौर, अनंतपुरम नगर निगम
4.	श्री तुमुल अचुतावल्ली	अध्यक्ष, नगरपालिका कार्यालय, पुराना शहर, बोबिली
5.	श्री पी.राज्य लक्ष्मी रेड्डी	अध्यक्ष, नगरपालिका कार्यालय, इचापुरम
6.	श्री कोटिकालपुडी गोविंदा राव	अध्यक्ष, भीमावरम नगर पालिका
7.	श्री यलवर्थी श्रीनिवास राव	अध्यक्ष, गुडीवाड़ा नगर पालिका
8.	श्री चुन्द्रु श्री वर प्रकाश	अध्यक्ष, मंडपेटा नगर कार्यालय
9.	श्रीमती वाई. पद्मावती	अध्यक्ष, नंदीगामा एन.पी.
10.	श्रीमती सज्ज हेमलता	अध्यक्ष, पोन्नूर नगर कार्यालय
11.	श्री ठाडीवाका. श्रीनिवास राव	अध्यक्ष, रेपल्ले नगर निगम कार्यालय
12.	श्रीमती के. महालक्ष्मी	अध्यक्ष, ताडेपल्ली नगर भवन
13.	श्रीमती दुन्दु सारदा	महापौर, अध्यक्ष, वेंकटगिरी नगरपालिका कार्यालय

14.	श्रीमती कोट्रीक गायत्रीदेवी	अध्यक्ष, धोने नगर कार्यालय

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती गडे अनुराधा	ज़ेडपीपी, अध्यक्ष, कृष्णा जिला
2.	श्रीमती स्वाति रानी शोभा	ज़ेडपीपी, अध्यक्ष, विजयनगरम जिला
3.	श्रीमती जया लखमी	ज़ेडपीटीसी, तेनाली मंडल, गुंटूर जिला
4.	श्री दिलीप चक्रवर्ती	ज़ेडपीटीसी, पीपली मंडल, कुरनूल जिला
5.	श्री डी. श्रीनिवासमूर्ति	गुड़ीबंडा मंडल, अनंतपुर जिला
6.	श्री पी.सी. सांबा शिवम	एमपीपी, कुप्पम, चित्तूर जिला
7.	श्री कृष्णा किरण,	एमपीपी, विंजामुर, नेल्लूर जिला
8.	श्री डी. राम सुब्बा रेड्डी	एमपीटीसी, तिरुवनंतपुरम, भदवेल मंडल, कडप्पा जिला
9.	श्री पीसा कृष्णा	एमपीटीसी, नारनपेटा, श्रीकौलम जिला
10.	श्री के उदय भास्कर राव	सरपंच, मंडुवारिपालेम पंचायत, ओंगोले डिवीजन और मंडल, प्रकाशमम जिला
11.	श्री अमाबती सूर्य प्रकाश राव	सरपंच, गुडिवाड़ा पंचायत, पेड्डापुरम मंडल और डिवीजन, पूर्वी गोदावरी जिला
12.	श्री के.एस. जवाहर रेड्डी	सरकार के प्रधान सचिव (आरडी) पीआर एंड आरडी

व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री रमाकांत इनानी	उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ तेलंगाना और एपी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, (एफ़टीएपीसीसीआई)
2.	श्री के. सुब्बा राव	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एपी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एफ़एपीएसआईए)

3.	श्री ए. सत्यनारायण	कार्यकारी निदेशक, एपी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन
4.	श्री एन.राघव राव	ईडी. एपी स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन
5.	श्रीमती बी. रामादेवी	अध्यक्ष, भारतीय महिला उद्यमी संघ (एएलईएपी)
6.	सुश्री नरला मलाथी	अध्यक्ष
7.	सुश्री झाँसी	सचिव, सीओडबल्यूई-एपी चैप्टर विजयवाड़ा महिला संगठन
8.	श्री सिद्धार्थ जैन	आयुक्त, उद्योग विभाग

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री पी. जे. चन्द्रशेखर राव	भाकपा
2.	श्री के.एन.रेड्डी	भाकपा
3.	श्री पी. मधु	सीपीआई (एम)
4.	श्री वाई वेंकटेश्वर राव	सीपीआई (एम)
5.	डॉ. यू. वेंकटेश्वरुलु	वाईएसआरसीपी
6.	श्री डी.एन.कृष्णा	वाईएसआरसीपी
7.	प्रो. डी. आर. सुब्रह्मण्यम	भाजपा
8.	श्री सुधीर रामभोतला	भाजपा
9.	डॉ. पी. कृष्णा	टीडीपी
10.	श्री टी. श्रवण कुमार	टीडीपी

2. अरुणाचल प्रदेश (5-8 अप्रैल, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री पेमा खांडू	मुख्यमंत्री
2.	श्री चौना मेन	उपमुख्यमंत्री
3.	श्री मोहेश चाइ	मंत्री
4.	श्री ऐलो लिबांग	मंत्री
5.	श्री नबाम रेबिया	मंत्री
6.	श्री वांग्की लोवांग	मंत्री
7.	श्री होनचुन नगंदम	मंत्री
8.	श्री कैमलुंग मोसांग	मंत्री
9.	श्री बामांग फेलिक्स	मंत्री
10.	श्री जरकर गामलिन	संसदीय सचिव
11.	श्रीमती गुम तायेंग	माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार
12.	श्री ताइ तगाक	आयुक्त
13.	डॉ. एम. सूर्य प्रकाश	मुख्य इंजीनियर
14.	श्री काटुंग वाह्गे	निदेशक, आवासन
15.	श्री तेची गुबिन	सलाहकार (वित्त)
16.	श्री एस. आर. डोंगरे	निदेशक
17.	श्री ताजुक चारु	सचिव (सहकारिता)
18.	श्री ओनित पन्यांग	निदेशक (एएचवी)
19.	श्री एन. डी. मिंटो	वरिष्ठ सलाहकार (वित्त)
20.	श्री जगदीश सिन्हा	निदेशक (आईडब्ल्यूटी)
21.	श्री चारु तायुम	निदेशक (लेखापरीक्षा एवं पेंशन)

22.	श्री ए. बासित	उप-निदेशक (पीआर)
23.	श्री नबाम राजेश	निदेशक (एटीआई)
24.	श्री पाटे मारिक	निदेशक (एफएंडसी)
25.	श्री लियोक बोरांग	डी.ई.ई.
26.	श्री तापी गाओ	निदेशक (आईटीएंडसी)
27.	श्रीमती नीलम यापिन ताना	निदेशक (आईटीएंडसी)
28.	डॉ. डी. पाडुंग	राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरुणाचल प्रदेश
29.	श्री एम. ई. ओरी	सचिव (एफ एंड सी)
30.	श्री जे. अंगु	संयुक्त सचिव (टीपीटी)
31.	श्री हाबुंग दोन्यी	निदेशक (एजीआरआई)
32.	श्री केसांग त्सेरिंग	संयुक्त निदेशक (एजीआरआई)
33.	श्री तादु गामे	एस.पी. इटानगर
34.	श्री एस. एस. कल्सिक	मंत्री
35.	श्री तुमके बागरा	उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर)
36.	श्री एस. बी. के. सिंह	पुलिस उपमहानिदेशक
37.	श्री गौतम सेन	परामर्शदाता (15वां वित्त आयोग)
38.	श्री जी. एन. सिन्हा	ओएसडी, 15वां वित्त आयोग
39.	श्री रबिंद्र कुमार	पीसीसीएफ (पी एंड डी)
40.	श्री आर. के. सिंह	विशेष सचिव (पर्यावरण एवं वन)
41.	श्री ओमकार सिंह	पीसीसीएफ एवं प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)
42.	श्री हिमांशु गुप्ता	विशेष सचिव (एचसीएम)
43.	श्री सोनम चोम्बे	सचिव (एचसीएम)
44.	श्री ए. के. शुक्ला	एपीसीसीएफसीएफसी

45.	श्री सी.एम. राव	एपीसीसीएफ (सीएएमपीए)
46.	डॉ. आर. केम्प	पीसीसीएफ (डब्ल्यूआई एंड बीडी)
47.	श्री के. खोली	सचिव (आरडब्ल्यूडी)
48.	श्री रेमो काम्की	संयुक्त सचिव (एआर)
49.	श्री डी. नियोडु	सीई (आरडब्ल्यूडी)
50.	श्री रिंचिन ताशी	सचिव (आरडी एंड पीआर)
51.	श्रीमती मिमुम तायेंग	सचिव (बागवानी)
52.	श्रीमती येशी वांग्मो रिंगु	सचिव (वित्त)
53.	श्री पी. ऐच	सलाहकार (बजट)
54.	श्री अमिताव कुंडू	उपनिदेशक (राज्य योजना)
55.	श्री ए. कातन	सीई (एचपीडी)
56.	श्री सुबु ताबिन	निदेशक (एसडीई)
57.	श्री एच. आर. बाडो	एसई (पारेषण)
58.	श्री मार्की लोया	निदेशक (एपीईडीए)
59.	श्री बाटेम पेर्टिन	निदेशक (अनुसंधान)
60.	श्री हागे अप्पा	सीई (पीडब्ल्यूडी)
61.	श्री एम. गोम्दिर	सीई (डब्ल्यूआरडी)
62.	श्री पी. मिश्रा	निदेशक (परियोजना समन्वय)
63.	श्री तडार अप्पा	निदेशक (खेलकूद)
64.	श्री युमलाम काहा	निदेशक (एसजेईटीए)
65.	श्री जे. रिमे	प्रभारी निदेशक (बागवानी)
66.	श्री होक्तुम ओरी	नियंत्रक (विधिक मापविज्ञान)
67.	श्रीमती टी. पेर्टिन लोयी	निदेशक (डब्ल्यूसीडी)
68.	श्री एन. डी. पुबियांग	मृदा संरक्षण अधिकारी (आरडब्ल्यूडी)

69.	श्री टी. वेल्ली	सीई (आरडब्ल्यूडी)
70.	श्री कागो ताबियो	सीई (आरडब्ल्यूडी)
71.	श्री जे. काम्डक	सीई (एचपीडी)
72.	श्री के. सेरा	सीई (पीडब्ल्यूडी)
73.	श्री तारू तालो	निदेशक (उद्योग)
74.	श्री अटोप लेगो	सीई (पीडब्ल्यूडी)
75.	श्री तागे ताडो	निदेशक (परिवहन)
76.	श्री एम. लेगो	निदेशक (स्वास्थ्य)
77.	श्री आर. के. जोशी	सीई (एचपीडी)
78.	श्री तसार तलार	निदेशक (भूविज्ञान एवं खनन)
79.	श्री जोतोम बोरांग	निदेशक (पुस्तकालय)
80.	श्री ओबांग तायेंग	निदेशक (आईपीआर)
81.	श्री तोमो बसर	सीई (पीएचईडी) ईजेड
82.	श्री एच. दत्ता	निदेशक (एसआरएसएसी/एसएंडटी)
83.	श्री अनोंग लेगो	निदेशक (एजीआरआई)
84.	श्री बी. जे. दुइया	निदेशक (एसएलआरडी)
85.	श्री तोको ज्योति	सीई (पीएचईडी) डब्ल्यूजेड
86.	श्री तेडी तेची	डीएटी
87.	श्री आर. रोन्या	निदेशक (पीआर)
88.	श्री बी. मेगू	निदेशक (आर्थिक एवं सांख्यिकी)
89.	श्री सी. डी. मुंग्याक	निदेशक (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
90.	श्री एच. डोडुंग	निदेशक (वस्त्र एवं हस्तशिल्प)
91.	श्री गनिया लीज	निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
92.	श्री तोकोंग पेर्टिन	निदेशक (टीएंडसी)

93. श्री पुरा तुपे — सीई (एचपीडी)
94. श्री पल्लब डे — निदेशक (आयोजना)
95. श्री टी. डी. नेकोम — डीडीए (विकास)

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती तेची मेमा	पार्षद सं. 13
2.	श्री गोरा तलांग	पार्षद वार्ड (ईसीएस) सदस्य
3.	श्रीमती गुरांग याचे	पार्षद वार्ड सं. -7 (ईसीएस)
4.	श्रीमती पोनुंग लेगो	पार्षद वार्ड सं. -10 (ईसीएस)
5.	श्री सोबो पेर्टिन	पार्षद (ईएससी) पीएसजी
6.	श्रीमती ओमेम दरांग	(ईएससी) पीएसजी
7.	श्री बीरी जुग्दो	पार्षद (आईएमसी)
8.	श्री तातुंग तानिया	पार्षद (आईएमसी)
9.	श्री ताबा ताकिया	पार्षद (आईएमसी)
10.	श्री तार नाचुग	उप-पार्षद (आईएमसी)
11.	श्री कलिंग दरांग	उप-पार्षद (पीएमसी)
12.	श्री केनबोम मुरी	दल-नेता (एसएमएमयू)
13.	श्रीमती सियांग रेबे	सहायक नगर नियोजक
14.	श्री तेरगे सोरा	सहायक नगर नियोजक
15.	श्री मिची तारे	पीपीपी विशेषज्ञ
16.	श्री तार ताबिन	एफएओ, टीपी
17.	श्री ऐडो पुतिन	सहायक नगर आयोजना एसटीपी एवं यूएलबी
18.	श्रीमती मिल्लो मेरा	नगर आयोजना सहायक, डीटीपी एवं यूएलबी
19.	श्री तोजुम पोटोम	वीपी, एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस

20.	श्री एन. आर. सिंह	डीडी, यूडी एंड एच
21.	श्री पी. मिश्रा	निदेशक आयोजना (पीसी)
22.	श्री ताशी नोर्बू	जेडपीएम, कलक्तांग
23.	श्री खिया चोया	जेडपीएम, सावा
24.	श्री संघा तागिक	जेडपीएम, कुरुंग कुमे
25.	श्री एस. नालो	अध्यक्ष (एएपीपीपी)
26.	श्री कलिंग दाइ	जेडपीएम, पू./सियांग जिला
27.	श्री सोन्तुंग बांगरिया	जेडपीसी, तिराप
28.	श्री हागे कोबिंग	जेडपीसी, जीरो लोअर सुबनसिरी
29.	श्रीमती रिडो मेना	जेडपीसी, क्रा दादी
30.	श्री कलिंग दोराक	मुख्य पार्षद
31.	श्रीमती ताना यायो	जेडपीसी
32.	श्री ताना पिकाप	जेडपीएम
33.	श्रीमती नबाम एका	जेडपीएम
34.	श्रीमती तार मेनिका	जेडपीएम
35.	श्रीमती ओ. जेरांग	जेडपीएम
36.	श्रीमती ताना येजी नबाम	जीपीसी – 14, रोज
37.	श्री ताना ताला	जीपीसी – 17, लेलचा
38.	श्री टेरी मारिन	जीपीसी – 16, टिडो
39.	श्रीमती डुकुम पेरा	जीपीसी – 12, चिपुता
40.	श्री तायोम मोथु	जेडपीएम
41.	श्रीमती हेयोमी ताउसिक	जेडपीसी
42.	श्री कुकु नबाम हिना	जीपीसी – 11, रोनो
43.	श्री ताना एची	जीपीसी – 9, एम्ची

44.	श्री बुंग्बा लांग्दो	आरआरए (पीआरआई)
45.	श्री चारु जगत	सीए (पीआर)
46.	श्री लैंग्बिया तमांग	जीपीएम
47.	श्रीमती खोली जुम्सी	जीपीसी
48.	श्री तपांग कोपाक	सहायक निदेशक (पीआर)
49.	श्रीमती तोक निम्पू तेची	जीपीसी
50.	श्रीमती नबाम याजो	जीपीसी
51.	श्रीमती युमलाम मिनु	पार्षद
52.	श्री ताजिन ताकीं	जेडपीएम, पासीघाट

एआईटीएफ/सीबीओ/बाजार समिति/बैंकरों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती कनी नाडा मलिंग	महासचिव, एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस
2.	श्रीमती यापी मलिंग	रजिस्ट्रार (एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएससीसीईसी)
3.	श्रीमती केन्यिर रिंगु	अध्यक्ष (एपीएसएसडब्ल्यूबी)
4.	श्रीमती जोंगम रिमे	एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस
5.	श्रीमती तोजुम पोटोम	उपाध्यक्ष (एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस)
6.	श्रीमती जार्जुम एटे	अध्यक्ष, अरुणाचल स्वदेशी जनजातीय मंच
7.	श्री तागे रिबा	उद्यमी
8.	श्रीमती पदमश्री जमोह	उपाध्यक्ष (एपीएससीडब्ल्यू)
9.	श्रीमती रोजी ताबा	सदस्य, एपीएससीडब्ल्यू
10.	श्रीमती याने हिगियो	सदस्य सचिव (एपीएससीडब्ल्यू)
11.	श्री प्रदीप कुमार	मुख्य सलाहकार (एसीसी)
12.	श्री जार नाचुंग	महासचिव (एसीसीआई)
13.	श्री तोको तातुंग	प्रवक्ता

14.	श्री लिखा मेज	प्रगतिशील कृषक
15.	श्री ताना शोवेन	प्रोफेसर
16.	श्री एस. के. नायक	प्रोफेसर
17.	श्री एन. सी. रॉय	प्रोफेसर
18.	श्रीमती वंदना उपाध्याय	प्रोफेसर
19.	श्री तिलक कुमार धर	उपमहाप्रबंधक, एसबीआई
20.	श्री जोगेश्वर स्वर्झरी	क्षेत्रीय प्रबंधक, एसबीआई
21.	श्री अटेगे लिंग्री	सहायक प्रोफेसर
22.	श्री कामतांग खोंजुजु	उपाध्यक्ष साजोलैंग एलिगे सोसाइटी
23.	श्री सोमनइ वांगपान	विधिक सलाहकार (वांचो कल्चरल सोसाइटी)
24.	श्री त्सेरिंग थोंग्डोक	सलाहकार (एसईडब्ल्यूए)
25.	श्री डी.एम. थामोंग	जीएस (टीबीएस)
26.	श्री हेरी मारिंग	महासचिव (एनईएस)
27.	श्रीमती मुंटा मोसांग	महासचिव (एआईटीएफ)
28.	श्री पी.एफ. तागो	प्रवक्ता (एआईटीएफ)
29.	श्री खोडा रुइ	अध्यक्ष (टीएसडी)
30.	श्री तापी ताइ	महासचिव (टीएसडी)
31.	श्री एमी रूमी	मुख्य सलाहकार (जीडब्ल्यूएस)
32.	श्री टोनी पेर्टिन	अध्यक्ष (एबीके)
33.	श्री तानोन तातक	सचिव वित्त (एबीके)
34.	श्री तार ताबिन	उपाध्यक्ष (एनईएस)
35.	श्री अदु खानम	अध्यक्ष (एबीकेएस)
36.	डॉ. सोपाइ तावसिक	अध्यक्ष (एमआईएसएमआई वेल्फेयर सोसाइटी)
37.	श्री युहे योबिन	संयुक्त सचिव (वाईडब्ल्यूएस)

38.	श्री ताबु पाक्तुंग	अध्यक्ष (तगिन कल्चरल सोसाइटी)
39.	श्री नेफा वांग्सा	उप प्रवक्ता (एएपीएसयू)
40.	श्री हावा बगांग	अध्यक्ष (एएपीएसयू)
41.	श्री तोबोम दुइ	महासचिव (एएपीएसयू)
42.	श्री तायुक सोनम	उपाध्यक्ष (एएपीएसयू)
43.	श्री जॉन लाओज्काम	पूर्व-सचिव

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री नबाम तुकी	पूर्व-मुख्यमंत्री
2.	श्री वाई. डी. थोंग्ची	पूर्व-एससीआईसी
3.	श्री जारपुम गामलिन	महासचिव, राज्य बीजेपी
4.	श्री काफा बेंगिया	अध्यक्ष - पीपीए
5.	श्री गिको कबाक	राज्य अध्यक्ष – एनपीपी
6.	श्री निमा सांगे	उपाध्यक्ष – एनपीपी
7.	श्री कोनिया रिंगु	प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष
8.	श्री ओजिंग तासिंग	प्रदेश भाजपा सचिव
9.	श्रीमती मीना तोको	एपीसीसी, प्रवक्ता
10.	श्री मिंकी लोलेन	उपाध्यक्ष – एपीसीसी

3. असम (25-28 अप्रैल, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री सर्बानंद सोनोवाल	मुख्यमंत्री
2.	डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा	वित्त मंत्री
3.	श्री नाबा कुमार डोली	मंत्री, पी एंड आरडी
4.	श्री रिहोन दैमारी	मंत्री, पीएचई, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
5.	श्री रंजीत दत्ता	मंत्री, सिंचाई, हथकरघा और वस्त्र
6.	श्री परिमल शुक्ला बैद्य	मंत्री, पीडब्ल्यूडी, आबकारी और मत्स्य पालन
7.	श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मा	मंत्री, पर्यावरण और वन तथा डबल्यूपीटी एवं बीसी
8.	श्री चन्द्र मोहन पटोवरी	मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य, परिवहन
9.	श्री पल्लब लोचन दास	राज्य मंत्री
10.	श्री पीयूष हजारिका	राज्य मंत्री
11.	श्रीमती टी. वाई. दास	मुख्य सचिव, असम
12.	श्री वी.बी. प्यारेलाल	अपर मुख्य सचिव, वित्त, टी एंड डी और सांस्कृतिक मामले
13.	श्री आलोक कुमार	अपर मुख्य सचिव, गृह, वन और पीडब्ल्यूडी
14.	श्री रवि कपूर	अपर प्रमुख सचिव, उद्योग, वाणिज्य, खान, खनिज आदि।
15.	श्री कुमार संजय कृष्ण	अपर मुख्य सचिव, राजस्व, एफसीएस, पीएचई
16.	श्री ए.के. सिंह	अपर मुख्य सचिव, सूचना और जनसंपर्क, संसदीय मामले
17.	श्री के.के. मित्तल	अपर मुख्य सचिव, कृषि
18.	श्री राजीव बोरा	अपर मुख्य सचिव, डबल्यूपीटी और बीसी

19.	श्री वी.एस. भास्कर	अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, आईटी और एसएंडटी
20.	श्री एम.सी. जौहरी	अपर मुख्य सचिव, मत्स्य पालन
21.	श्री एम.जी.वी.के. भानु	अपर मुख्य सचिव, पी एंड आरडी
22.	श्री मुकेश सहाय	डीजीपी असम,
23.	श्री डी. हर प्रसाद	पीसीसीएफ़ और एचओएफ़एफ़, असम, वन विभाग
24.	श्री एल. एस. चांगसान	प्रधान सचिव, गृह और राजनीतिक, सीमा आदि
25.	श्री समीर कुमार सिन्हा	वित्त विभाग के प्रधान सचिव
26.	श्री जिष्णु बरुआ	प्रधान सचिव, बिजली, सामाजिक कल्याण आदि
27.	श्री हेमंत नाज़री	प्रधान सचिव, जल संसाधन और सिंचाई विभाग
28.	श्री एन. के. वासु	पीसीसीएफ़ सीडबल्यूएल और सीडबल्यूएलडबल्यू, असम, वन विभाग
29.	श्री राजेश प्रसाद	आयुक्त एवं सचिव, आरएंडडीएम, पर्यटन, आदि
30.	श्री के.के. द्विवेदी	आयुक्त एवं सचिव, प्रेस और एआरएंडटी
31.	डॉ. जे. बी. एक्का	आयुक्त एवं सचिव, पीएंडआरडी
32.	श्री अहमद हुसैन	आयुक्त एवं सचिव, जीएडी और एसएडी
33.	श्री सत्येन्द्र मल्ल बुजर बरुआ	आयुक्त एवं सचिव, विधायी
34.	श्री श्याम जगन्नाथम	आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग
35.	डॉ. ए. यू. चौधुरी	आयुक्त एवं सचिव, पहाड़ी क्षेत्र और पीपीजी
36.	श्री आशुतोष अग्निहोत्री	आयुक्त एवं सचिव, परिवहन, एसईईडी
37.	श्रीमती देवोला देवी दास	सचिव, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा और हथकरघा, कपड़ा, रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर)
38.	श्री कीर्ति जल्ली	मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक) के स्टाफ अधिकारी
39.	श्री कैलाश कार्तिक	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग

40.	श्री डी. के. बरुआ	सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग
41.	श्री आर. बोराह	सचिव, जीडीडी और यूडीडी
42.	श्री हितेश देव सरमा दास	सचिव, यूडीडी
43.	श्री एल. सी. पाठक	सचिव, सिंचाई
44.	श्री सिद्धार्थ सिंह	सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग
45.	सुश्री नीरा गोडोई सोनोवाल	निदेशक, मुद्रण और स्टेशनरी विभाग
46.	श्रीमती मोनालिसा गोस्वामी	आयुक्त, जीडीडी, जीएमसी
47.	श्री मुक्त नाथ सैकिया	निदेशक, रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर), हथकरघा, कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर)
48.	श्री भोगेश्वर श्याम	अपर सचिव, हथकरघा, कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर), असम सरकार
49.	श्री पंकज कुमार गोगोई	सांख्यिकी अधिकारी, रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर) निदेशालय, असम, हथकरघा, कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर) विभाग
50.	श्री कामाख्या डोवार	उपनिदेशक, रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर), असम, हथकरघा, कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर) विभाग
51.	श्रीमती बरनाली शर्मा	निदेशक, सांस्कृतिक मामले, असम और एमडी, एएफएफडीसीएल, सांस्कृतिक मामले
52.	सुश्री नज़रीन अहमद,	निदेशक, नगर प्रशासन, असम, शहरी विकास विभाग
53.	श्रीमती रंजना बरुआ	सचिव, चाय जनजातियां, आबकारी विभाग
54.	श्री संजीब गोहेन बरुआ	राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय
55.	श्री एस.के. शर्मा	एलआर और सी एंड एस, न्यायिक
56.	श्री तपन चंद शर्मा	सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण, श्रम
57.	श्री के. जे. हिलाली	प्रबंध निदेशक, एटीडीसी, पर्यटन

58.	श्री राज चक्रवर्ती	आयुक्त और विशेष सचिव, पीडब्ल्यूडी (भवन और राजमार्ग)
59.	श्री राकेश कुमार	आयुक्त, आबकारी
60.	श्री बोरसिंग रोंग्पी	मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन
61.	सुश्री अंजलि डामरी	वित्तीय सलाहकार, बीटीसी सचिवालय
62.	श्री अरुण कुमार बसुमातारी	उपसचिव, बीटीसी सचिवालय
63.	श्री एस. के भुइयां	प्राथमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा (प्राथमिक)
64.	श्री लक्ष्मणन	सलाहकार, वित्त विभाग
65.	श्री हेमंत कुमार देउरी	निदेशक, वित्त विभाग
66.	श्री आर. अग्रवाल	अपर कर आयुक्त, असम, वित्त (कराधान)
67.	श्री माटी लाल सरकार	संयुक्त निदेशक, वित्त (ईए) विभाग
68.	श्रीमती कबिता रानी दास	अपर आरसीएस और आरसीएस प्रभारी, असम सहकारिता
69.	श्री उत्पल भट्ट	प्रणाली प्रशासक, डी.ए.टी, वित्त
70.	श्री बी. देकाराजा	निदेशक, लेखा और कोषागार, वित्त
71.	श्री पी. थाओसेन	निदेशक, सीमा रक्षण एवं विकास, सीमा
72.	सैयदा हसीना एम. रहमान	अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास विभाग
73.	श्री आनंद प्रकाश तिवारी	एमडी एएसटीसी और एएसडीएम, परिवहन और कौशल विकास
74.	श्री फणींद्र जिदंग	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, असम, शिक्षा विभाग
75.	श्री संजीब सरमा	वरिष्ठ एफ़. ए. ओ., शिक्षा विभाग
76.	श्री नरेश घोष	प्रधान सचिव, एनसीएचएसी, एचएडी
77.	श्री रिचर्ड रोंग्पी	उप-सचिव केएएसी दिफू, केएएसी
78.	श्री आर. आर. बोरा	निदेशक रोजगार और सीटी असम, एसईईडी

79.	श्री जी. एस. पनेसर	निदेशक भूविज्ञान @ खनन, खान और खनिज
80.	श्री बी. के. बोरा	निदेशक हथकरघा @ कपड़ा, हथकरघा और कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर)
81.	श्री पूरन गुप्ता	एमडी, एपीडीसीएल, विद्युत
82.	श्री एस. चौधुरी	निदेशक, मृदा संरक्षण
83.	श्री एन. देव	निदेशक, एससीईआरटी, असम
84.	श्री पी.के. खौंड	निदेशक, खेल और युवा कल्याण
85.	श्री एम. रहमान	अपर निदेशक, हथकरघा और कपड़ा
86.	श्री प्रफुल्ल कुमार हज़ोअरी	आयुक्त और सचिव, डबल्यूपीटी और बीसी/ खान और खनिज
87.	श्री कमल कांत नाथ	सचिव, टी एंड डी विभाग
88.	श्री आर. केम्पराई	आयुक्त एवं विशेष सचिव, पीडब्ल्यूडी
89.	श्री उदयन हजारिका	सचिव, ई एंड एफ विभाग
90.	श्रीमती कृष्णा गोहेन	सचिव उच्च शिक्षा और निगमित डीटीई, उच्च शिक्षा
91.	श्रीमती गितुमनी फुकन	संयुक्त-सचिव उच्च शिक्षा और निगमित डीटीई, उच्च शिक्षा
92.	डॉ. रूनु दत्ता	निदेशक, परिवर्तन एवं विकास
93.	श्री एम. के. यादव	एपीसीसीएफ और एमडी, एमट्रॉन, वन विभाग और आईटी विभाग
94.	सुश्री मौसुमी दास	एसआरओ, परिवर्तन एवं विकास
95.	श्री पी. बोरा	संयुक्त निदेशक, परिवर्तन एवं विकास
96.	श्री भूगिधर बरुआ	एसआरओ, परिवर्तन एवं विकास
97.	श्री सांतनु भराली	माननीय मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार
98.	श्री हृषिकेश गोस्वामी	माननीय मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री निहारेंद्र नारायण टैगोर	अध्यक्ष, सिलचर एमबी
2.	श्री राजीब रॉय	कार्यकारी अधिकारी, सिलचर एमबी
3.	श्रीमती पुष्पो मालो	अध्यक्ष, धुबरी एमबी
4.	श्री जिंटू बोरा	कार्यकारी अधिकारी, धुबरी एमबी
5.	श्री अरुणाभ कालिता	अध्यक्ष, देरगाँव एमबी
6.	श्री होमन गोहेन	कार्यकारी अधिकारी, देरगाँव एमबी
7.	श्री हिमांग्शु रॉय	अध्यक्ष, पाठशाला टीसी
8.	श्री अपूर्ब कुमार नाथ	कार्यकारी अधिकारी, पाठशाला टीसी
9.	श्री रफ़ीक उज़ ज़मान	अध्यक्ष, टेओक टीसी
10.	श्री भास्कर ज्योति राजबोंग्शी	कार्यकारी अधिकारी, टेओक टीसी
11.	श्री कपिलदेव पाण्डेय	उपाध्यक्ष, डूमडूमा टीसी
12.	श्री मृगेन सरानिया	महापौर, गुवाहाटी नगर निगम
13.	श्रीमती मोनालिसा गोस्वामी	आयुक्त, गुवाहाटी नगर निगम
14.	श्री बालेन्द्र भराली	एमआईसी, सदस्य कराधान और वित्त, जीएमसी, गुवाहाटी नगर निगम
15.	श्रीमती रूबी बोरा	सचिव, असम सरकार, जीडीडी और यूडीडी,
16.	श्री नज़रीन अहमद	निदेशक, नगर प्रशासन, असम,

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती चपापला राजबोंग्शी मेधी	अध्यक्ष, नलबाड़ी जिला परिषद
2.	श्रीमती बीनापाणि दास	अध्यक्ष, मोरीगांव जिला परिषद
3.	श्रीमती कुंजलता दास	अध्यक्ष, कामरूप (मेट्रो) जिला परिषद
4.	श्री जोगन प्रतिव गोगोई	अध्यक्ष, जोरहाट आंचलिक पंचायत

5.	श्रीमती कल्याणी दास	पूर्व अध्यक्ष, चकचका आंचलिक पंचायत, बारपेटा
6.	श्री मइनुल अली	अध्यक्ष, बरखेत्री आंचलिक पंचायत, नलबाड़ी
7.	श्री बिमल दोले	अध्यक्ष, कार्तिपर गाँव पंचायत, माजुली
8.	श्रीमती मीरा डेका	अध्यक्ष, जगरा गाँव पंचायत, नलबाड़ी
9.	श्री हेमराज शर्मा	अध्यक्ष, खेरेमिया गाँव पंचायत, डिब्रूगढ़
10.	श्री एन. इस्लाम	सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार
11.	श्री के. पेगु	संयुक्त सचिव और निदेशक, एसआईपीआरडी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार
12.	श्री एम. मेधी	संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार
13.	श्री अरूप कुमार सरमा	संयुक्त निदेशक, सीपीआरडी कार्यालय, असम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- असम सरकार
14.	श्री बरुण भुइयां	आयुक्त और सचिव, शिक्षा क्षेत्र,
15.	श्री एस. ए. लस्कर	संयुक्त निदेशक, पी एंड आरडी, असम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती इंद्राणी तहबिलदार	महासचिव, असम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
2.	श्री पूरबी ककोटी	सचिव, असम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
3.	श्रीमती शांता बी. सरमा	प्रमुख, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई)
4.	श्री बिस्वजीत चक्रबर्ती	निदेशक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की)
5.	श्री कौस्तव भगवती	सहायक निदेशक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की)

6.	श्री संदीप खेतान	निदेशक, पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग परिसंघ (फिनर)
7.	श्री बिहित टोडी	सदस्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग परिसंघ (फिनर)
8.	श्री प्रनोम दत्ता मजूमदार	उप-निदेशक, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)
9.	श्री अभिजीत सरमा	सचिव, भारतीय चाय संघ (एबीआईटीए), असम शाखा
10.	श्री राजकमल गोहेन	महासचिव, ऑल असम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एएएसएसआईए)
11.	श्री पंकज सरमा	निदेशक, ऑल असम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एएएसएसआईए)
12.	श्री अनुपम बोरा	सचिव, असम होटल एवं रेस्तरां संघ
13.	श्री विश्वनाथ गोयनका	सलाहकार, असम होटल एवं रेस्तरां संघ
14.	श्री विनोद लोहिया	अध्यक्ष, कराधान समिति, लघु उद्योग भारती
15.	श्री आशीष बजाज	कोषाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती
16.	श्री बिद्यानंद बरकाकोटी	सलाहकार, पूर्वोत्तर चाय संघ
17.	श्री एल. आर. ठाकुरिया	अध्यक्ष, पूर्वोत्तर प्लास्टिक विनिर्माता संघ
18.	श्री गौतम साहा	उपाध्यक्ष, पूर्वोत्तर प्लास्टिक विनिर्माता संघ
19.	श्रीमती इंदु सिंह	उपाध्यक्ष, पूर्वोत्तर महिला उद्यमी संघ
20.	श्रीमती अनीता चेतिया	अध्यक्ष, पूर्वोत्तर महिला उद्यमी संघ
21.	श्री अरिजीत पुरकायस्थ	सीईओ, आईएटीओ- पूर्वोत्तर राज्य अध्याय

छठी अनुसूची के क्षेत्रों और स्वायत्त परिषदों के प्रतिनिधि

1.	श्री दानेश्वर गोयारी	कार्यकारी सदस्य, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)
2.	श्री बिरेन चंद्र फूकन	प्रधान सचिव, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)
3.	श्री रॉबिन्सन मुचाहरी	अपर वित्तीय सचिव, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)

4.	श्री बोलेन बोरो	वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)
5.	श्री एच.पी.के सिंह	विशेष कार्याधिकारी (आयोजना), बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)
6.	डॉ. नुमाल मोमिन	एमएलए, बोकाजन, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
7.	श्री अमरसिंग टिसो	कार्यकारी सदस्य, कार्बी- एंगलोंग स्वायत्त परिषद
8.	श्री डोरसिंग रोंगहांग	सदस्य, स्वायत्त परिषद, फुलौनी, कार्बी- एंगलोंग स्वायत्त परिषद
9.	श्री महादानंद हजारिका	प्रधान सचिव, कार्बी- एंगलोंग स्वायत्त परिषद
10.	श्री सी-इम तारो	सचिव, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
11.	श्री रिचर्ड रोंग्पी	उप-सचिव, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
12.	श्री रूबेन रोंगहांग	उप-निदेशक, नगर और क्षेत्र (कंट्री) नियोजन, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
13.	श्री देबोलाल गोरलोसा	मुख्य कार्यकारी सदस्य, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
14.	श्री सैमुअल चांगसन	कार्यकारी सदस्य, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
15.	श्री नरेश घोष	प्रधान सचिव, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
16.	श्री मुकुट केम्पराय	प्रधान सचिव (एन), उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
17.	श्री रमेश थाओसेन	सीईएम के सलाहकार, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
18.	श्री देबानन दौलागुपु	सचिव, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
19.	श्री शरत टेरोन	वरिष्ठ एफएओ, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
20.	श्री परमानन्द चायेंगिया	मुख्य कार्यकारी सदस्य, मिसिंग स्वायत्त परिषद
21.	श्री प्रदीप दोले	प्रधान सचिव, मिसिंग स्वायत्त परिषद
22.	श्री रंजन बोरा	उप-सचिव (एफ), मिसिंग स्वायत्त परिषद

23.	श्री पबन मंता	मुख्य कार्यकारी सदस्य, तिवा स्वायत्त परिषद
24.	श्रीमती जूरी गोगोई	प्रधान सचिव, तिवा स्वायत्त परिषद
25.	श्री भास्कर देओरी	उप-प्रमुख, देओरी स्वायत्त परिषद
26.	श्री माधव देओरी	मुख्य कार्यकारी सदस्य, देओरी स्वायत्त परिषद
27.	श्री देबाशीष बैश्य	प्रधान सचिव, देओरी स्वायत्त परिषद
28.	श्री कुमुद चन्द्र कचारी	मुख्य कार्यकारी सदस्य, थेंगाल कचारी स्वायत्त परिषद
29.	श्रीमती गीतांजलि दत्ता	प्रधान सचिव, थेंगाल कचारी स्वायत्त परिषद
30.	श्री दीपू रंजन मकरारी	मुख्य कार्यकारी सदस्य, सोनोवाल कचारी स्वायत्त परिषद
31.	श्री डी. सैकिया	प्रधान सचिव, सोनोवाल कचारी स्वायत्त परिषद
32.	श्री टंकेश्वर राभा	मुख्य कार्यकारी सदस्य, राभा हसांग स्वायत्त परिषद
33.	श्री देबा कुमार कालिता	प्रधान सचिव, राभा हसोंग स्वायत्त परिषद
34.	श्री ए.एन. हजारिका	संयुक्त सचिव, डब्ल्यूपीटी और बीसी
35.	श्रीमती पी. सहारिया	संयुक्त सचिव, डब्ल्यूपीटी और बीसी
36.	श्री रणजीत कुमार पेगू	योजना अधिकारी, डब्ल्यूपीटी और बीसी
37.	श्री माटीलाल सरकार	संयुक्त निदेशक, वित्त (ईए)
38.	श्री प्रशांत फूकन	संयुक्त निदेशक, वित्त (ईए)

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री शोनारुल शाह मुस्तफा	महासचिव (प्रशा.), ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (राज्य इकाई)
2.	श्री गिरीन्द्र सैकिया	अध्यक्ष, मीडिया सेल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (राज्य इकाई)
3.	श्री अवाल माजिद	सचिव, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट

4.	श्री हारुन अहमद	महासचिव, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट
5.	श्री दिलीप बोरा	उपाध्यक्ष, असम गण परिषद
6.	श्री दिलीप पाटगिरी	प्रवक्ता, असम गण परिषद
7.	श्री लंकी फंगचो	उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी (राज्य इकाई)
8.	श्री स्वप्नानिल बरुआ	संयोजक, सुशासन विभाग, भारतीय जनता पार्टी (राज्य इकाई)
9.	श्री दिलीप सैकिया	महासचिव, भारतीय जनता पार्टी (राज्य इकाई)
10.	श्री इमैनुएल मोशाहारी	महासचिव, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
11.	श्री माहेश्वर बोरो	सदस्य, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
12.	श्री चरण बोरो	सदस्य, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
13.	श्री कमलसिंग नारज़री	सहायक सचिव, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
14.	श्री थानेश्वर बसुमातारी	सदस्य, पीएमबी, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
15.	श्री उद्धब बर्मन	राज्य सचिवालय सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (राज्य इकाई)
16.	श्री सुप्रकाश तालुकदार	राज्य सचिवालय सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (राज्य इकाई)
17.	श्री दांबारू बोरा	राज्य कार्यकारी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (राज्य इकाई)
18.	श्री रामेन दास	राज्य कार्यकारी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (राज्य इकाई)
19.	श्री रंजन बोरा	महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (राज्य इकाई)
20.	श्री विक्टर कारपेंटर	अध्यक्ष, आरटीआई विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (राज्य इकाई)
21.	श्री डी. डी. अधिकारी	अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राज्य इकाई)
22.	श्री परेश बरुवा	कोषाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राज्य इकाई)

23.	श्री रतुल कुमार चौधरी	अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी (राज्य इकाई)
24.	श्री किशोर मेधी	महासचिव, समाजवादी पार्टी (राज्य इकाई)

4. बिहार (01-04 अक्तूबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री नीतीश कुमार	मुख्यमंत्री
2.	श्री सुशील कुमार मोदी	उप-मुख्यमंत्री
3.	श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव	मंत्री, विद्युत, संसदीय कार्य, पंजीकरण एवं प्रतिषेध
4.	श्री प्रेम कुमार	मंत्री, कृषि विभाग
5.	श्री नंद किशोर यादव	मंत्री, सड़क निर्माण विभाग
6.	श्री श्रवण कुमार	मंत्री, ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य विभाग
7.	श्री राम नारायण मंडल	मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
8.	श्री जय कुमार सिंह	मंत्री, उद्योग विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
9.	श्री मंगल पांडे	मंत्री, स्वास्थ्य विभाग
10.	श्री प्रमोद कुमार	मंत्री, पर्यटन विभाग
11.	श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा	मंत्री, शिक्षा विभाग
12.	श्री विनोद नारायण झा	मंत्री, पी.एच.ई.डी. विभाग
13.	श्री शैलेश कुमार	मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
14.	श्री सुरेश कुमार शर्मा	मंत्री, आवासन एवं शहरी विकास
15.	श्री विजय कुमार सिन्हा	मंत्री, श्रम संसाधन विभाग
16.	श्री राणा रणधीर	मंत्री, सहकारिता विभाग
17.	श्री खुर्शीद उर्फ़ फिरोज अहमद	मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, गन्ना उद्योग विभाग
18.	श्री विनोद कुमार सिंह	मंत्री, खान एवं भूविज्ञान विभाग
19.	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा मामले
20.	श्री कपिल देव कामत	मंत्री, पंचायती राज विभाग
21.	श्री दिनेश चंद्र यादव	मंत्री, लघु सिंचाई एवं आपदा प्रबंधन विभाग

22.	श्री बृज किशोर बिंद	मंत्री, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
23.	श्री पशुपति कुमार पारस	मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास
24.	श्री दीपक कुमार	मुख्य सचिव, बिहार
25.	श्री अरुण कुमार सिंह	प्रधान सचिव, बिहार
26.	श्री आमिर सुभानी	प्रधान सचिव, गृह विभाग
27.	श्री अतुल प्रसाद	प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग
28.	श्री सुधीर कुमार	प्रधान सचिव, कृषि एवं जल संसाधन विभाग
29.	श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी	प्रधान सचिव, वित्तीय एवं वाणिज्यिक कर विभाग
30.	श्री बृजेश मेहरोत्रा	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
31.	श्री अमृत लाल मीणा	प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग एवं पीआरआई
32.	श्रीमती अंशुली आर्य	प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग
33.	श्री संजय कुमार	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
34.	श्री चैतन्य प्रसाद	प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग
35.	श्री प्रत्यय अमृत	प्रधान सचिव, बिजली विभाग भवन सड़क एवं सेतु
36.	श्री एस. सिद्धार्थ	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग गन्ना उद्योग
37.	श्री दीपक कुमार सिंह	प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग
38.	श्री चंचल कुमार	प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग
39.	श्रीमती हरजोत कौर बाम्हा	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
40.	श्री रवि मनुभाई परमार	प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग
41.	श्री अरविंद कुमार चौधरी	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
42.	श्रीमती एन. विजयलक्ष्मी	सचिव, पशु एवं मत्स्यपालन विभाग
43.	श्री राहुल सिंह	सचिव, वित्त एवं प्रौद्योगिकी विभाग
44.	श्री पंकज कुमार	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
45.	श्री विनय कुमार	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

46.	श्री जितेंद्र श्रीवास्तव	सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग
47.	श्री प्रेम सिंह मीणा	सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
48.	श्री मनीष कुमार वर्मा	सचिव, आयोजना एवं विकास विभाग
49.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सचिव, परिवहन विभाग
50.	डॉ. प्रतिमा	सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सीता साहु	महापौर, नगर निगम
2.	श्री विनय कुमार पप्पू	उपमहापौर, नगर निगम
3.	श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह	महापौर, नगर निगम
4.	श्री राजीव रंजन	उपमहापौर, नगर निगम
5.	श्री विजय सिंह	महापौर, नगर निगम
6.	मो. मंजूर खान	उपमहापौर, नगर निगम
7.	श्री तारकेश्वर नाथ गुप्ता	अध्यक्ष, नगर परिषद
8.	श्री उदय कुमार	अध्यक्ष, नगर परिषद
9.	श्रीमती सीता कुमार	अध्यक्ष, नगर परिषद
10.	श्रीमती जानकी देवी	अध्यक्ष, नगर परिषद
11.	श्रीमती बेलमंती देवी	अध्यक्ष, नगर पंचायत
12.	श्री कैलाश पासवान	अध्यक्ष, नगर पंचायत
13.	श्रीमती सावित्री देवी	अध्यक्ष, नगर पंचायत
14.	श्री नवीन कुमार	अध्यक्ष, नगर पंचायत
15.	श्री शैलेंद्र कुमार गढ़वाल	अध्यक्ष, जिला परिषद, पश्चिमी चंपारण
16.	श्री अनंत कुमार	अध्यक्ष, जिला परिषद,

17.	श्रीमती संगीता देवी	अध्यक्ष, जिला परिषद,
18.	श्रीमती क्रांति देवी	अध्यक्ष, जिला परिषद,
19.	श्रीमती प्रेमलता	अध्यक्ष, जिला परिषद
20.	श्री रामप्रीत मंडल	प्रमुख, रातुतौना
21.	श्रीमती ललिता देवी	प्रमुख, सोनबरशा
22.	श्री मनोज कुमार	प्रमुख, निमचक भटनी
23.	श्री रमाकांत रंजन किशोर	प्रमुख, मसौधी
24.	श्रीमती मनोरमा देवी	प्रमुख, अंगसराय
25.	श्री इंद्र भूषण सिंह आलोक	मुखिया, भर्थीपुर
26.	श्री अजय सिंह यादव	मुखिया, धरनाई
27.	श्री संजय कुमार	मुखिया, घटराई
28.	श्रीमती रितु जायसवाल	मुखिया, सिंहवाहिनी
29.	श्रीमती किरण देवी	मुखिया, केसरु धर्मपुर

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री पी. के. अग्रवाल	अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
2.	श्री मुकेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
3.	श्री अमित मुखर्जी	महासचिव, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
4.	श्री राजेश कुमार खेतान	बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
5.	श्री सुनील सर्राफ	बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
6.	श्री एस. के. पटवारी	बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
7.	श्री बलराम प्रसाद	महासचिव, खाद्य उद्योग समिति
8.	श्री भावेश कुमार	अध्यक्ष, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
9.	श्री पी. के. सिंह	अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन

10.	श्री विनोद कुमार	अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा कमेटी
11.	श्री के.पी.एस. केशरी	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ
12.	श्री पुरषोत्तम अग्रवाल	अध्यक्ष, कराधान उपसमिति, बिहार उद्योग संघ
13.	श्री अरुण अग्रवाल	पूर्व-उपसचिव, हाजीपुर उद्योग संघ
14.	श्री पी. के. सिन्हा	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ
15.	श्री आलोक पोद्दार	जीएसटी समिति, बीसीसीआई
16.	श्री सुनील सिंह	बीआईए, पूर्व-उपाध्यक्ष
17.	श्री कैलाश प्रसाद	अध्यक्ष, तकनीकी प्रभाग, बीआईए
18.	श्री संजय गोयनका	अध्यक्ष, पॉलिसी इनिशिएशन, बीआईए
19.	श्री मणिकांत	उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री बिजेंदर प्रसाद यादव	विद्युत मंत्री, जनता दल (यूनाइटेड)
2.	श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
3.	श्री मिथलेश तिवारी	विधानसभा सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
4.	श्री नितीश मिश्रा	उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
5.	श्री अनिल किशोर झा	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
6.	श्री नवल किशोर शाही	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
7.	श्री रामचंद्र पुर्वे	राष्ट्रवादी जनता दल
8.	श्री शिवानंद तिवारी	राष्ट्रवादी जनता दल
9.	श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी	राष्ट्रवादी जनता दल
10.	श्री अभयानंद सुमन	राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
11.	श्री ब्रह्मचर्य प्रसाद डांगी	प्रदेश प्रधान, महासचिव
12.	डॉ. समीर कुमार सिंह	कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

13.	श्री जय मिश्रा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
14.	श्री केशव सिंह	राज्य महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी
15.	श्री सत्यानंद शर्मा	राष्ट्रीय महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी
16.	श्री अरुण कुमार मिश्र	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (एम)
17.	श्री रामबाबू कुमार	राज्य कार्यकारी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
18.	श्री के. डी. यादव	राज्य सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
19.	श्री व्रषान पटेल	हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा
20.	श्री रास बिहारी प्रसाद सिंह	कुलपति, पटना विश्वविद्यालय
21.	डॉ. मनोज मिश्रा	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
22.	श्री पी. के. अग्रवाल	अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
23.	श्री आर.पी.एस. केशरी	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ
24.	श्री सत्य सिंह	अध्यक्ष, पी.एच.डी. चैंबर ऑफ कॉमर्स

5. छत्तीसगढ़ (23-25 जुलाई, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री भूपेश बघेल	मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन, वित्त, इलेक्ट्रनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन-संपर्क, खनन, ऊर्जा और ऐसे अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।
2.	श्री ताम्रध्वज साहु	मंत्री, लोक निर्माण विभाग, गृह, कारागार, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन
3.	डॉ. प्रेमसाई सिंह टेकाम	मंत्री, स्कूल शिक्षा, जनजातीय एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास, सहकारिता
4.	श्री मोहम्मद अकबर	मंत्री, परिवहन, आवासन और पर्यावरण, वन, कानून
5.	डॉ. शिव कुमार डहरिया	मंत्री, शहरी प्रशासन, श्रम
6.	श्रीमती अनिला भेडिया	मंत्री, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण
7.	श्री उमेश पटेल	मंत्री, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जनशक्ति आयोजना, खेल एवं युवा कल्याण
8.	श्री अमरजीत भगत	मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, आयोजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति
9.	श्री सुनील कुमार कुजूर	मुख्य सचिव
10.	श्री सी.के. खेतान	एसीएस, गृह
11.	श्री आर.पी. मंडल	एसीएस, पी एंड आरडी
12.	श्री के.डी.पी. राव	एसीएस/ एपीवीसी
13.	श्री अमिताभ जैन	एसीएस, वित्त
14.	श्री गौरव द्विवेदी	माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव

15.	श्रीमती शहला निगार	सचिव, वित्त
16.	डॉ. कमल प्रीत सिंह	सचिव, खाद्य
17.	श्री प्रभात मलिक	डीआईएफ, वित्त
18.	श्रीमती रेणु जी. पिल्लै	पी.एस., कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा
19.	श्री मनोज कुमार पिंगुआ	पी.एस., वाणिज्य एवं उद्योग, परिवहन
20.	श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी	पी.एस., ग्रामोद्योग
21.	श्रीमती निहारिका बारिक सिंह	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
22.	श्री देवी दयाल सिंह	सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी
23.	श्रीमती रीता शांडिल्य	सचिव, जीएडी एवं सहकारिता
24.	श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले	सचिव, वाणिज्यिक कर
25.	श्रीमती संगीता पी.	विशेष सचिव, आवासन एवं पर्यावरण
26.	श्रीमती आलारमेलमांगइ डी.	विशेष सचिव, शहरी प्रशासन विभाग
27.	श्री अन्बलगन पी.	विशेष सचिव, खनिज संसाधन विभाग
28.	श्री बी. आनंद बाबू	सीसीएफ, वन विभाग
29.	श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी	सचिव, खेल एवं युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास कल्याण
30.	श्री अविनाश चंपावत	सचिव, जल संसाधन विभाग, धार्मिक न्यास धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन
31.	श्री एन.एन. एक्का	सीईओ, एनआरएएनवीपी
32.	श्रीमती शारदा वर्मा	निदेशक, बजट
33.	श्री अय्याज तंबोली	कलेक्टर, बस्तर
34.	श्री चंदन कुमार	कलेक्टर, सुकमा
35.	श्री अजीत वसंत	निदेशक, खान

36.	श्री बी.के. पांडेय	अनुबद्ध प्रोफेसर, एनआईएफएम, फरीदाबाद
37.	श्री ए.के. सिंह	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री प्रमोद दुबे	महापौर, रायपुर
2.	श्री किशोर राय	महापौर, बिलासपुर
3.	श्री जतिन जायसवाल	महापौर, जगदलपुर
4.	श्रीमती सुमिया नागराज	अध्यक्ष, नगर पंचायत
5.	श्री अमिलदास	अध्यक्ष, नगर पंचायत, लोरमी
6.	श्री स्वप्निल उपाध्याय	अध्यक्ष, कुम्हारी
7.	श्रीमती आलारमेलमांगइ डी.	विशेष सचिव, शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग
8.	श्री सुनील चौबे	अपर निदेशक, शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग
9.	श्री एस. ब्योहर	ओएसडी (टी), यूएडी
10.	श्री यू.के. ढालेंद्र	ओएसडी, एसयूएडी
11.	श्री नितेश शर्मा	सलाहकार, यूएडी
12.	श्री भुवन शर्मा	मिशन प्रबंधक, एसयूडीए
13.	श्री परवेश गुडिल	पीएमसी/सीए
14.	श्री अभिषेक जैन	एसयूडीए, एफओ, एसबीएम
15.	श्री पार्थ शाह	एसयूडीए, एमएच, एसबीएम

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री आर.पी. मंडल	अपर मुख्य सचिव
2.	श्री टी.सी. महावर	सचिव
3.	श्री जितेंद्र शुक्ला	निदेशक, पंचायत

4.	श्रीमती शारदा देवी वर्मा	अध्यक्ष, जिला पंचायत रायपुर
5.	श्रीमती कलावती मार्कम	अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरिया
6.	श्रीमती सविता चंद्राकर	सदस्य, जिला पंचायत रायपुर
7.	श्रीमती द्वारिका साहु	सदस्य, जिला पंचायत रायपुर
8.	श्री बसंत आदिल	सदस्य, जिला पंचायत
9.	श्री सूर्य प्रताप सिंह नेताम	अध्यक्ष, जनपद पंचायत
10.	श्री सूर्य प्रकाश सिंह	सदस्य, जनपद पंचायत
11.	श्रीमती अर्चना यादव	सरपंच, दुर्ग
12.	श्रीमती दोमेश्वरी	सरपंच, टेकरी
13.	श्रीमती केशर गौड़	सरपंच, ग्राम पंचायत नंदकाठी
14.	श्रीमती हिमांशी यादव	सरपंच, पारसडीह, महासमुंद
15.	श्रीमती सविता बेक	सरपंच, शिवपुर, अंबिकापुर
16.	श्री सूरज नेताम	सरपंच, चिपखंड
17.	श्रीमती कमलेश्वरी नाग	सरपंच, खोदगांव

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री मनोज कुमार पिंगुआ	प्रधान सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग
2.	श्री अश्विन गर्ग	उर्ला उद्योग संघ
3.	श्री मनीष गुप्ता	बीएसबीके ग्राउट
4.	श्री जितेंद्र जैन बारलोटा	छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
5.	श्री भरत बजाज	छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज/ मीडिया सेल्स
6.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल	लघु उद्योग भारती
7.	श्री इंद्रजीत जोतवानी	लघु उद्योग भारती

8.	श्री अभिताब जैन	सनपैक इंडस्ट्रीज
9.	श्री सुशील बकलीवाल	बकलीवाल फर्नीचर्स
10.	श्री पंकज सारदा	सारदा ग्रुप
11.	श्री दिनेश अग्रवाल	हीरा ग्रुप
12.	श्री रमेश अग्रवाल	जीआर माइन्स एंड मिनरल्स/ सीजी स्टील चैंबर
13.	श्री नरेंद्र गोयल	भारतीय उद्योग महासंघ/ गोयल टीएमटी
14.	श्री शशांक रस्तोगी	पीएचडी चैंबर/ स्टील कास्ट ऐड लि.
15.	श्री बहादुर अली	आईबी ग्रुप
16.	श्री विजय झांवर	छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशसन
17.	श्री रमेश गांधी	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स
18.	श्री विक्रम जैन	उर्ला उद्योग संघ
19.	श्री लाल चंद	सीजीआई चैंबर
20.	श्री प्रकाश अग्रवाल	छत्तीसगढ़ चैंबर
21.	श्री जगदीश पटेल	लघु उद्योग भारती
22.	श्री नवीन	सीआईएडब्ल्यू रायपुर
23.	श्री मलय साई	बीएचआईएनडीएएस फैब्रिकेशन एसोसिएशन
24.	श्री सुमित दुबे	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स
25.	श्री सतीश पांडेय	भारतीय उद्योग महासंघ, छत्तीसगढ़
26.	श्री पुरुषोत्तम पाटे	महासचिव, लघु उद्योग भारती
27.	श्री ईश्वर पटेल	एलयूबी रायपुर
28.	श्री दया पटेल	एलयूबी रायपुर
29.	श्री किशोर पटेल	सीआईएडब्ल्यू, रायपुर

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री परेश बघारी	उपाध्यक्ष, जनता कांग्रेस, छत्तीसगढ़
2.	श्री सान्याल	राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई (एम)
3.	श्री एम.के. नायडू	राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई (एम)
4.	श्री डी. महापात्र	राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई (एम)
5.	श्री एस. एन. कमलेश	सहायक सचिव, सीपीआई – छत्तीसगढ़
6.	श्री आर.डी.सी.पी. राव	सचिव सीपीआई राज्य परिषद
7.	श्री संतोष कुमार मार्कंडेय	अंचल प्रभारी, रायपुर, बीएसपी
8.	श्री हेमंत पोयाम	राज्य अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, बीएसपी
9.	श्री नरेश चंद्र गुप्ता	बीजेपी, विधिक विभाग
10.	श्री सी.एस. साहु	बीजेपी, पूर्व-मंत्री एवं पूर्व-सांसद
11.	श्री सत्यनारायण शर्मा	पूर्व-मंत्री कांग्रेस एमएलए
12.	श्रीमती किरणमयी नायक	पूर्व-महापौर, रायपुर, कांग्रेस
13.	श्री रमेश वर्लियानी	पूर्व विधायक एवं महासचिव, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी

6. गोवा (23-24 जनवरी, 2020)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	डॉ. प्रमोद सावंत	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री चंद्रकांत (बाबू) कावेलकर	माननीय उपमुख्यमंत्री, नगर एवं क्षेत्र नियोजन
3.	श्री गोविंद गौडे	माननीय मंत्री, कला एवं संस्कृति
4.	श्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्स	माननीय मंत्री, जल संसाधन
5.	श्री मोविन गोडिन्हो	माननीय मंत्री, परिवहन एवं पंचायत
6.	श्री नीलेश काबरा	माननीय मंत्री, विद्युत
7.	श्री दीपक सी. प्रभु पुष्कर	माननीय मंत्री, लोक निर्माण
8.	श्री परिमल राय	मुख्य सचिव
9.	श्री पुनीत कुमार गोयल	प्रधान सचिव (विद्युत)
10.	श्री दौलत ए. हवलदार	आयुक्त एवं सचिव (वित्त एवं आयोजना)
11.	श्री रूपेश कुमार ठाकुर	राज्यपाल के सचिव
12.	श्री जे. अशोक कुमार	माननीय मुख्यमंत्री के सचिव
13.	श्रीमती नीला मोहनन	सचिव (शिक्षा)
14.	श्री चोखा राम गर्ग	सचिव (महिला एवं बाल)
15.	श्री संजय गिहार	सचिव (जल संसाधन)
16.	श्री कुलदीप सिंह गांगर	सचिव (कृषि)
17.	श्री रवि झा	सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
18.	सुश्री ईशा खोसला	सचिव (सामान्य प्रशासन)
19.	श्री वेनांसियो फर्तादो	कदंबा परिवहन निगम लिमिटेड
20.	श्री राजन सतारडेकर	परिवहन
21.	श्री एन.एम. गोयल	पंचायत

22.	श्री डॉ. जोस ओ.ए.डी. 'सा'	स्वास्थ्य सेवाएं
23.	श्री आशुतोष आर. आप्टे	खान एवं भूविज्ञान
24.	श्री प्रसाद लोलायेकर	उच्च शिक्षा
25.	श्री मेनिनो डिसूजा	निदेशक, पर्यटन
26.	श्री तारिक थॉमस	डीएमए
27.	श्री संतोष कुमार	एपीसीसीएफ, वन
28.	श्री अमित सतीजा	उत्पाद शुल्क आयुक्त
29.	श्री एस.डी. पाटिल	डब्ल्यूआरडी
30.	श्री आर.बी. घाँटी	डब्ल्यूआरडी
31.	श्री पी.बी. सेल्डारकर	एसआईडीसीजीएल
32.	श्री अनिल एस. रिंगाने	मुख्य ईंजीनियर, लोक निर्माण विभाग
33.	श्री डोमिनिक फर्नांडीज	डब्ल्यूएमसी एवं डीएसटी
34.	श्री दिलीप धवलीकर	एसआईडीसीजीएल
35.	श्री वी. पी. देसी	डीआईटीसी
36.	श्रीमती अंकिता आनंद	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
37.	श्रीमती वंदना राव	निदेशक (शिक्षा)
38.	श्री अरविंद खुटकर	समाहरणालय, दक्षिण गोवा
39.	श्री संजीव जोगलेकर	सदस्य, जीईडीए
40.	श्री आशा सौरबारी	एस.ओ. ओएलटीसी
41.	श्री प्रसिद्ध पी. नावु	बीडीओ (मुख्यालय) डीओपी
42.	श्री दीपेश प्रियोलकर	उपनिदेशक, नगर प्रशासन
43.	श्री अभिजीत एस. नेरुरकल	जीएसआईडीआई लि.
44.	श्री यू. पी. पारसेकर	पीसीई, लोक निर्माण विभाग

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री उदय वी. मडकाइकर	महापौर, पणजी नगर निगम
2.	श्रीमती स्वेता एस. कांबली	अध्यक्ष, परनेम नगर परिषद
3.	श्री रायन ब्रगेंजा	मपूसा नगर परिषद
4.	श्री राजाराम ए. गांवकर	बिचोलिम नगर परिषद
5.	श्री अख्तर अली शाह	अध्यक्ष, वालपोई नगर परिषद
6.	श्रीमती नीतू समीर देसाई	काणकोण नगर परिषद
7.	श्रीमती पांजी कोटिन्हो	अध्यक्ष, कंकोलिम नगर परिषद
8.	श्री नंददीप एम. राउत	अध्यक्ष, मोर्मुगाओ नगर परिषद
9.	श्री बालकृष्ण यू.एस. होडरकर	अध्यक्ष, ककोरा – कर्चोरेम नगर परिषद
10.	श्री रोमल्डो जे.ए. फर्नांडीज	अध्यक्ष, संगुएम नगर परिषद

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती अंकिता नावेलकर	उत्तर गोवा जिला पंचायत अध्यक्ष
2.	श्री नवनाथ नाइक	दक्षिण गोवा जिला पंचायत अध्यक्ष
3.	श्री मोहन वेरेकर	जिला पंचायत सदस्य, पोंडा
4.	श्रीमती सुवर्ण तेंदुलकर	जिला पंचायत सदस्य, संवोर्देम
5.	श्री रूपेश नाइक	जिला पंचायत सदस्य सालिगाओ
6.	श्री अरुण बांकर	जिला पंचायत सदस्य मंद्रेम
7.	श्री प्रमोद फलदेसाई	कानकोण - अगोंडा सरपंच
8.	श्री एगनेलो डि कुन्हा	तालेइगाओ सरपंच
9.	श्री रत्नाकर हरजी	मंद्रेम – केरी - तेरेखोल सरपंच
10.	श्रीमती स्नेह लता नाइक	संवोर्देम – मोल्लेम सरपंच
11.	श्रीमती प्रशिला गौडे	संखिली पेपी सरपंच

12.	श्री संतोष बंदोदकर	सालिगाओ, पिलरने सरपंच
13.	श्री अर्जुन नाइक	संगुएम ग्राम पंचायत उगुएम
14.	श्री अलुलुई अफोंसो	आवेडे कोटमी, क्वेपेम
15.	श्री नामदेव वोल्वोइकर	दीवर पंचायत कुंभरजुआ

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री नीलेश सालकर	अध्यक्ष क्रेडाई- गोवा
2.	श्री अवेज शाइक	संयुक्त सचिव, क्रेडाई- गोवा
3.	श्री जोआओ पी. सौसा	उपमहाप्रबंधक (वित्त), आर्थिक विकास निगम लि.
4.	श्री विश्वास धुमे	उपप्रबंधक, आर्थिक विकास निगम लि.
5.	श्री एस.वी. नाइक	गोवा औद्योगिक विकास निगम
6.	श्री परवेज गोम्स	गोवा औद्योगिक विकास निगम
7.	श्री मनोज काकुलो	अध्यक्ष, गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
8.	श्री संदीप भंडारे	तत्काल-पूर्व अध्यक्ष, गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
9.	श्री यशवंत कामत	चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ गोवा
10.	श्री हरित मगनलाल	भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई)
11.	श्री श्रीनिवास नाइक	कैसिनो - होटल "नियो मैजेस्टिक"
12.	श्री विलियम डिकोस्टा	अध्यक्ष, गोवा बार्ज ऑनर्स एसोसिएशन
13.	श्री चंद्रकांत गवास	वरिष्ठ प्रबंधक, गोवा बार्ज ऑनर्स एसोसिएशन
14.	श्री नाथन चौगुले	उपाध्यक्ष, गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ
15.	श्री सौविक मजुमदार	सचिव, गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ
16.	श्री ग्लेन कलावमपारा	सचिव, गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री सदानंद तानावडे	भारतीय जनता पार्टी
2.	श्री गिरीश चोदानकर	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3.	श्री दिगंबर कामत	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री
4.	श्री चर्चिल अलेमाओ	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
5.	श्री जोस फिलिप डिसूजा	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
6.	श्री क्रिस्टोफर फोंसेका	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
7.	श्री आर. डी. मंगेशकर	सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
8.	श्री सुहास नाइक	उपसचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
9.	एडवो. नारायण सावंत	कार्यवाहक अध्यक्ष, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी
10.	श्री राहुल म्हांब्रे	आम आदमी पार्टी
11.	श्री एरोल पायर्स	आम आदमी पार्टी
12.	श्री विजय सरदेसाई	गोवा फॉरवार्ड पार्टी

7. गुजरात (23-25 जुलाई, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री विजयभाई रूपाणी	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री नितिनभाई पटेल	माननीय उपमुख्यमंत्री (वित्त)
3.	डॉ. जे. एन. सिंह	मुख्य सचिव
4.	श्री के. कैलाशनाथन	मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव
5.	श्री एम. के. दास	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और प्रधान सचिव (आईएमडी)
6.	श्री अरविंद अग्रवाल	अपर मुख्य सचिव (वित्त)
7.	श्री पी. के. परमार	अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा)
8.	श्रीमती संगीता सिंह	अपर मुख्य सचिव (कार्मिक)
9.	श्री संजय प्रसाद	अपर मुख्य सचिव
10.	श्री पंकज कुमार	अपर मुख्य सचिव
11.	डॉ. राजीव कुमार गुप्ता	अपर मुख्य सचिव
12.	डॉ. पी. डी. वाघेला	आयुक्त
13.	श्री राज गोपाल	प्रधान सचिव
14.	श्री मुकेश पुरी	प्रधान सचिव
15.	श्री ए. के. राकेश	प्रधान सचिव
16.	श्रीमती सुनैना तोमर	प्रधान सचिव
17.	श्री मनोज अग्रवाल	प्रधान सचिव
18.	श्री जे.पी. गुप्ता	प्रधान सचिव (जलापूर्ति)
19.	श्री विनोद राव	सचिव

20.	सुश्री मोना के. कंधर	सचिव (ग्रामीण विकास)
21.	श्री आर. सी. मीणा	सचिव
22.	श्री संजीव कुमार	सचिव (आर्थिक कार्य)
23.	श्री एम. के. जादव	सचिव (जल संसाधन)
24.	श्री एस. बी. वासव	सचिव
25.	श्री जी. के. सिन्हा	पीसीसीएफ
26.	डॉ. प्रकाश वाघेला	अपर निदेशक (एफडब्ल्यू)
27.	श्रीमती पी. भारती	राज्य परियोजना निदेशक
28.	श्री सी. जे. मेकवान	संयुक्त सचिव
29.	श्री महेश जोशी	निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
30.	सुश्री मनीषा चंद्रा	निदेशक (आईसीडीएस)
31.	श्री अजय कुमार	विशेष आयुक्त
32.	श्री सुप्रीत सिंह गुलाटी	अपर आयुक्त
33.	श्री एस. के. हुड्डा	निदेशक
34.	श्री एम. पी. रावल	मुख्य इंजीनियर
35.	श्री मनीष पंड्या	संयुक्त निदेशक
36.	श्री एम. एच. ढोलकिया	उप-निदेशक
37.	श्री आर. डी. मोदी	अवर सचिव
38.	श्री वी. के. आडवाणी	उपायुक्त
39.	श्री समीर जोशी	अवर सचिव
40.	श्री आर. डी. भावसार	लेखा अधिकारी
41.	श्री पी. एम. नायर	उप अनुभाग अधिकारी

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती बीजलबेन पटेल	महापौर, अहमदाबाद नगर निगम
2.	श्री जगदीशभाई पटेल	महापौर, सूरत नगर निगम
3.	सुश्री जिगिषाबेन शेठ	महापौर, वडोदरा नगर निगम
4.	श्रीमती बीनाबेन आचार्य	महापौर, राजकोट नगर निगम
5.	श्री हसमुखभाई जेठवा	महापौर, जामनगर नगर निगम
6.	श्री मनहरभाई मोरी	महापौर, भावनगर नगर निगम
7.	श्री प्रवीण पटेल	महापौर, गांधीनगर नगर निगम
8.	श्री एम. थेन्नासरन	आयुक्त, सूरत नगर निगम
9.	श्री अजय भादु	आयुक्त, वडोदरा नगर निगम
10.	श्री आर.बी. बारद	आयुक्त, जामनगर नगर निगम
11.	श्री के. बी. ठक्कर	उपायुक्त, अहमदाबाद नगर निगम
12.	श्री मुकेश पुरी	प्रधान सचिव, यूडी एवं यूएचडी
13.	श्री लोचन शेहरा	सचिव (आवासन एवं निर्मल गुजरात), यूडी एवं यूएचडी
14.	श्री एम. एस. पटेल	आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन, गुजरात राज्य
15.	श्री बी. सी. पाटनी	सीईओ, गुजरात नगर वित्त परिषद
16.	श्री एल. आर. दमोर	उपायुक्त, नगरपालिका प्रशासन, गुजरात राज्य
17.	सुश्री दीपिकाबेन पटेल	अध्यक्ष, नाडियाड नगरपालिका, नाडियाड
18.	श्री अनिरुद्धभाई पटेल	अध्यक्ष, हिम्मतनगर नगरपालिका, हिम्मतनगर
19.	श्री पंकजभाई अहीर	अध्यक्ष, वलसाड नगरपालिका, वडोदरा
20.	श्री विपिनभाई टोडिया	अध्यक्ष, सुरेंद्रनगर नगरपालिका, सुरेंद्रनगर
21.	श्री एस. के. गरवाल	मुख्य अधिकारी, नाडियाड नगरपालिका, नाडियाड
22.	श्री पी. वी. माली	मुख्य अधिकारी, हिम्मतनगर नगरपालिका, हिम्मतनगर

23.	श्री जगतसिंह वासवा	मुख्य अधिकारी, वलसाड नगरपालिका, वडोदरा
24.	श्री अमितभाई पंढ्या	मुख्य अधिकारी, सुरेंद्रनगर नगरपालिका, सुरेंद्रनगर

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री जे.एच. चौहान	अध्यक्ष, अहमदाबाद
2.	श्री एच.के. वंसिया	उपाध्यक्ष, सूरत
3.	श्री आर.एम. जादव	अध्यक्ष, पंचमहल
4.	श्री एन.आर. मोरी	अध्यक्ष, पोरबंदर
5.	सुश्री आर.पी. मोहनिया	अध्यक्ष, तालुका : धनपुर, जिला : दाहोद
6.	श्री जे.पी. गोर	सदस्य, तालुकाः धनसुरा, जिलाः अरावली
7.	सुश्री जी.पी. परमार	अध्यक्ष, तालुकाः तालोद, जिलाः साबरकांठा
8.	सुश्री के.डी. राठवा	अध्यक्ष, तालुकाः नसवाडी, जिलाः छोटाउदयपुर
9.	श्री डी. एस. जेसर	सरपंच, ग्राम मुंद्रा, तालुका मुंद्रा, जिला कच्छ
10.	सुश्री एस.एन. चौधरी	सरपंच, ग्राम छीरी, तालुका वापी, जिला वलसाड
11.	सुश्री सी.आर. पटेल	सरपंच, ग्राम नारदीपुर, तालुका कलोल, जिला गांधीनगर
12.	सुश्री आर.एस. पटेल	सरपंच, ग्राम पोग्लू, तालुका प्रांतिज, जिला साबरकांठा
13.	श्री बी. जे. पटेल	सरपंच, ग्राम गोविंदपुरा, तालुका विजापुर, जिला मेहसाणा
14.	श्री अरुण महेश बाबू	डीडीओ, अहमदाबाद
15.	श्री बीजल शाह	डीडीओ, बनासकांठा
16.	श्री देवांग देसाई	डीडीओ, वलसाड
17.	श्री बरनवाल वरुणकुमार	डीडीओ, भावनगर
18.	सुश्री जाह्नवी पटेल	टीडीओ, गांधीनगर
19.	श्री पंकज वघानी	टीडीओ, सूरत

20.	श्री दिलीप वाघेला	टीडीओ, नवसारी
21.	श्री राजेश पटेल	टीडीओ, मेहसाणा
22.	श्री एन.पी. ठक्कर	आयुक्त, विकास आयुक्त, आयुक्त कार्यालय
23.	श्री एच.सी. पटेल	मुख्य लेखाधिकारी, विकास आयुक्त, आयुक्त कार्यालय
24.	समीक्षा दलसानिया	लेखा अधिकारी, विकास आयुक्त, आयुक्त कार्यालय

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	डॉ. जैमिन वासा	अध्यक्ष, जीसीसीआई
2.	श्री नीलेश शुक्ला	सचिव, जीसीसीआई
3.	श्री मुकेश शाह	पूर्व समिति सदस्य, जीसीसीआई
4.	श्री सुनील पारेख	पूर्व समिति सदस्य, जीसीसीआई
5.	श्री जगदीश शाह	महासचिव, जीसीसीआई
6.	श्री पिरूज खभाटा	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ – पश्चिमी क्षेत्र
7.	श्री राजूभाई शाह	सदस्य, भारतीय उद्योग महासंघ - गुजरात
8.	श्री नैशाद पारिख	सदस्य, भारतीय उद्योग महासंघ
9.	श्री विमल अंबानी	सदस्य भारतीय उद्योग महासंघ
10.	श्री सैकत रॉय चौधरी	भारतीय उद्योग महासंघ
11.	श्री प्रेमल दवे	भारतीय उद्योग महासंघ
12.	श्री राजीव वास्तुपाल	सदस्य, फिक्की
13.	श्री पंकज तिबाक	फिक्की
14.	सुश्री भाग्येश सोनेजी	अध्यक्ष, एसोचैम गुजरात परिषद
15.	श्री मधु मेनन	अध्यक्ष, बीएफएसआई समिति, एसोचैम गुजरात परिषद
16.	सीए. अमिष खंधर	अध्यक्ष, कराधान समिति, एसोचैम गुजरात परिषद
17.	श्री अनिल मट्टू	सदस्य, एसोचैम

18.	श्री विपुल गजिंगवार	क्षेत्रीय प्रमुख, एसोचैम गुजरात परिषद
19.	सुश्री ममता वर्मा	उद्योग आयुक्त
20.	श्री जी.जे. देसाई	संयुक्त उद्योग आयुक्त

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री आई. के. जडेजा	उपाध्यक्ष, सभापति, गरीब कल्याण वर्ष समिति, गुजरात राज्य, बीजेपी
2.	श्री नरहरिभाई अमीन	कार्यकारी सदस्य, उपाध्यक्ष, गुजरात राज्य योजना आयोग, बीजेपी
3.	श्री धनसुखभाई भंडेरी	जिला संगठन प्रभारी अध्यक्ष, गुजरात नगर वित्त परिषद, बीजेपी
4.	श्री डॉ. अनिल जोशियारा	विधानसभा सदस्य, आईएनसी
5.	श्री पी.के. वलेरा	उपाध्यक्ष, आईएनसी
6.	श्री कैलाशदान गाधवी	प्रवक्ता, आईएनसी
7.	श्री बाबूलाल मेघजी शाह	पूर्व वित्त मंत्री गुजरात, एनसीपी
8.	श्री शरद पटेल	उपाध्यक्ष गुजरात, एनसीपी
9.	श्री हेमांग शाह	उपाध्यक्ष गुजरात, एनसीपी
10.	श्री अशोक चावड़ा	अध्यक्ष गुजरात प्रदेश, बीएसपी
11.	श्री निरंजन घोष	महामंत्री गुजरात प्रदेश, बीएसपी
12.	श्री रूपवंत सिंह	आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन
13.	श्री दीपक एम. शुक्ला	अपर निदेशक, जीएंडएम कमेटी कार्यालय
14.	श्री एस. बी. जोशी	जीएंडएम कमेटी कार्यालय
15.	श्री एम. डी. व्यास	जीएंडएम कमेटी कार्यालय
16.	श्री केयूर पंड्या	जीएंडएम कमेटी कार्यालय

8. हरियाणा (03-04 मई, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री मनोहर लाल खट्टर	मुख्यमंत्री
2.	कैप्टन अभिमन्यु	वित्त मंत्री
3.	श्री ओम प्रकाश धनखड़	विकास और पंचायत मंत्री
4.	श्रीमती कविता जैन	शहरी स्थानीय निकाय मंत्री
5.	श्री विपुल गोयल	उद्योग और वाणिज्य मंत्री
6.	श्री देपिंदर धेसी	मुख्य सचिव, हरियाणा
7.	श्री राजेश खुल्लर	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
8.	श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
9.	श्री केशनी आनंद अरोड़ा	अपर मुख्य सचिव और एफसी, राजस्व और आपदा प्रबंधन
10.	श्री देवेन्द्र सिंह	उद्योग और वाणिज्य
11.	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा
12.	श्री राजीव अरोड़ा	अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग
13.	श्री वी. एस. कुंडू	अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
14.	श्री आर. आर. जोवेल	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
15.	श्री पी. के. दास	अपर मुख्य सचिव, विद्युत
16.	श्री धीरा खंडेलवाल	अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा
17.	श्री संजीव कौशल	अपर मुख्य सचिव, उत्पाद शुल्क और कराधान
18.	श्री धनपत सिंह	अपर मुख्य सचिव, परिवहन
19.	श्री एस. एस. प्रसाद	अपर मुख्य सचिव, गृह
20.	श्री सुनील कुमार गुलाटी	अपर मुख्य सचिव, पशुपालन और डेयरी

21.	श्री राम निवास	अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
22.	श्री विवेक जोशी	प्रधान सचिव, निगरानी और समन्वय
23.	डॉ. महावीर सिंह	प्रधान सचिव, श्रम
24.	श्री अरुण गुप्ता	प्रधान सचिव, नगर एवं क्षेत्र नियोजन
25.	श्री श्रीकांत वालगड	प्रधान सचिव, आवास
26.	श्री अशोक खेमका	प्रधान सचिव, खेल और युवा मामले
27.	श्री अंकुर गुप्ता	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार
28.	श्री अभिलक्ष लिखी	प्रधान सचिव, कृषि और किसान कल्याण
29.	श्री अनुराग रस्तोगी	प्रधान सचिव, सिंचाई और जल संसाधन
30.	श्री आनंद मोहन शरण	प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय
31.	श्री सुधीर राजपाल	प्रधान सचिव, विकास और पंचायतें
32.	श्री शत्रुजीत कपूर	मुख्य प्रबंध निदेशक, डिस्कॉम (यूएचबीवीएन) और डीएचबीवीएन)
33.	श्री सुनील सरन	वित्त सचिव-सह-सलाहकार
34.	श्रीमती रेणु एस. फुलिया	विशेष सचिव, मत्स्यपालन
35.	श्री नितिन यादव	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय
36.	श्री समीर पाल स्रो	महानिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क और निदेशक, पर्यटन
37.	श्री रवि प्रकाश गुप्ता	सचिव, गृह
38.	श्री दुसमंत कुमार बेहरा	निदेशक, कृषि और किसान कल्याण
39.	डॉ. शालीन	अपर सचिव, वित्त
40.	श्री विवेक पदम सिंह	संयुक्त सचिव, वित्त
41.	श्रीमती हेमा शर्मा	निदेशक, महिला एवं बाल विकास

42.	श्री विकास वर्मा	राज्य कार्यालय प्रमुख, यूएनडीपी
43.	श्री कविता धनखड़	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती कविता जैन	शहरी स्थानीय निकाय मंत्री
2.	श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
3.	श्री आनंद मोहन शरण	प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग
4.	श्री सुनील सरन	वित्त सचिव-सह-सलाहकार
5.	श्रीमती सुमन बाला	महापौर, नगर निगम, फरीदाबाद
6.	श्री पवन कुमार	वरिष्ठ उप महापौर, नगर निगम, यमुनानगर
7.	श्रीमती शकुंतला राजलीवाला	महापौर, नगर निगम, हिसार
8.	श्रीमती रीनू बाला गुप्ता	महापौर, नगर निगम, करनाल
9.	श्रीमती पूनम किलोई	पार्षद, नगर निगम, रोहतक
10.	श्रीमती उमा सुधा	अध्यक्ष, नगर निगम, थानेसर (कुरुक्षेत्र)
11.	श्री पवन थरेजा	अध्यक्ष, नगर निगम, कैथल
12.	श्रीमती शीला राठी	अध्यक्ष, नगर निगम, बहादुरगढ़ (झज्जर)
13.	श्री बलदेव राज चावला	अध्यक्ष, नगर निगम शाहबाद (कुरुक्षेत्र)
14.	श्री अशोक कुमार	अध्यक्ष, नगर निगम, पिहोवा (कुरुक्षेत्र)
15.	श्री सुभाष चंदर गुप्ता	अध्यक्ष, नगर निगम, घरौंडा (करनाल)
16.	श्रीमती कविता	अध्यक्ष, नगर निगम, झज्जर
17.	श्री ईश्वर कश्यप	अध्यक्ष, नगर निगम, गन्नौर (सोनीपत)
18.	श्री ओम प्रकाश धनखड़	विकास और पंचायत मंत्री
19.	श्री सुधीर राजपाल	प्रधान सचिव, विकास और पंचायत विभाग
20.	श्री सुरिंदर सिंह	अध्यक्ष, जिला परिषद अंबाला

21.	श्री नंद लाल मटानी	अध्यक्ष, पंचायत समिति लोहारू (भिवानी)
22.	श्री राकेश	सरपंच, बाढड़ा (चरखी दादरी)
23.	श्री सोमेश	सरपंच, ग्राम पंचायत घिकारा (चरखी दादरी)
24.	श्री महीपाल आर्य	सरपंच मिर्जापुर, ब्लॉक बल्लभगढ़, फरीदाबाद
25.	श्रीमती नीलम कंबोज	अध्यक्ष, पंचायत समिति रतिया (फतेहाबाद)
26.	श्री संजीव कुमार	उपाध्यक्ष, जिला परिषद गुरुग्राम
27.	श्री मनोज कुमार	सरपंच, बीर, ब्लॉक हिसार (हिसार)
28.	श्री परमजीत	अध्यक्ष, जिला परिषद, झज्जर
29.	श्री सुरेन्द्र राणा	सरपंच सिंघाना, ब्लॉक सफीदों (जींद)
30.	श्री नरवीर नेहरा	सरपंच दिल्लूवाला, ब्लॉक अलेवा (जींद)
31.	श्री गज्जन सिंह	सरपंच, गोबिंद पुरा, ब्लॉक सीवान (कैथल)
32.	श्रीमती सीमा देवी	अध्यक्ष, पंचायत समिति असंध (करनाल)
33.	श्रीमती रेणु शर्मा	अध्यक्ष, पंचायत समिति लाडवा (कुरुक्षेत्र)
34.	श्री हनीफ खान	सरपंच, फिरोजपुर नमक, (नूंह)
35.	श्री प्रेम चंद	अध्यक्ष, ब्लॉक समिति पलवल
36.	श्रीमती रितु सिंगला	अध्यक्ष, जिला परिषद पंचकुला
37.	श्री खुशदिल कादयान	सरपंच, सिवाह (पानीपत)
38.	श्री वीरेंद्र सिंह	अध्यक्ष, ब्लॉक समिति बावल (रेवाड़ी)
39.	श्री अमित कुमार कादयान	सरपंच, काहनौर (रोहतक)
40.	श्री आत्मा राम	सरपंच, हांडी खेड़ा (सिरसा)
41.	श्रीमती मीना रानी	अध्यक्ष, जिला परिषद सोनीपत
42.	श्री युवराज शर्मा	सरपंच, खुर्दबन, (यमुनानगर)
43.	श्री राम लाल	सरपंच, पोटली (यमुनानगर)

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री विपुल गोयल	उद्योग और वाणिज्य मंत्री
2.	श्री देवेन्द्र सिंह	अपर मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
3.	श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
4.	श्री सुनील सरन	वित्त सचिव-सह-सलाहकार
5.	श्री गोपाल शरण गर्ग	अध्यक्ष, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड
6.	श्री सी. बी. गोयल	पूर्व अध्यक्ष, एचसीसीआई
7.	श्री रजनीश गर्ग	उपाध्यक्ष, एचसीसीआई, पंचकुला
8.	श्री एम. के. गुप्ता	अध्यक्ष, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हरियाणा समिति, चंडीगढ़
9.	श्री अपूर्व	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा
10.	श्री ओ.पी. नेगी	वरिष्ठ ए.ओ., उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा
11.	श्री हरदीप बंगा	विक्टोरा ऑटो (पी), फरीदाबाद
12.	श्री नवदीप चावला	साइकोट्रोपिक इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद
13.	श्री ए. एल. अग्रवाल	उपाध्यक्ष, एचसीसीआई
14.	श्री वजीर सिंह गोयत	महानिदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा
15.	श्री भगवान गुप्ता	अध्यक्ष, विनिर्माता संघ, सोनीपत
16.	श्री ब्रिगेडियर एचपीएस बेदी	निदेशक, पीएचडी चैंबर, चंडीगढ़
17.	श्री रमेश वर्मा	अध्यक्ष, हथकरघा निर्यात विनिर्माता संघ, पानीपत
18.	श्री प्रीतम सिंह	अध्यक्ष, एचसीसीआई पानीपत चैप्टर
19.	श्री राकेश गर्ग	एचसीसीआई, पानीपत
20.	श्री देव ज्योति	निदेशक, सी.आई.आई.
21.	श्री राजेश कपूर	निदेशक, सी.आई.आई.

22.	श्रीमती दीप्ति शर्मा	कार्यकारी अधिकारी, सी.आई.आई.
23.	श्री संदीप	सीएमडी, नैसकॉम, गुरुग्राम
24.	श्रीमती लनिका	नैसकॉम, गुरुग्राम

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री आर.एस. चौधरी	राष्ट्रीय महासचिव, इंडियन नेशनल लोकदल
2.	श्री बी.डी. ढालिया	राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य, इंडियन नेशनल लोकदल
3.	प्रो. हरबंस सिंह	मुख्य मीडिया समन्वयक, इंडियन नेशनल लोकदल
4.	श्री प्रवीण अत्री	प्रवक्ता, इंडियन नेशनल लोकदल
5.	श्री सुभाष बराला	विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
6.	कैप्टन अभिमन्यु	विधायक, वित्त मंत्री, भारतीय जनता पार्टी
7.	श्री ओम प्रकाश धनखड़	विधायक, विकास और पंचायत मंत्री, भारतीय जनता पार्टी
8.	श्री ज्ञान चंद गुप्ता	विधायक, मुख्य सचेतक, भारतीय जनता पार्टी
9.	श्री नीरज दफ्तुआर	मुख्यमंत्री के प्रधान विशेष कार्याधिकारी, भारतीय जनता पार्टी

9. हिमाचल प्रदेश (25-28 सितंबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री जय राम ठाकुर	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर	माननीय मंत्री, आईपीएच और बागवानी
3.	श्री किशन कपूर	माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सीए
4.	श्री सुरेश भारद्वाज	माननीय मंत्री, शिक्षा
5.	श्री अनिल शर्मा	माननीय मंत्री, एमपीपी और विद्युत
6.	श्री सरवीण चौधरी	माननीय मंत्री, आवास, यूडी और टीसीपी
7.	श्री विपिन सिंह परमार	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
8.	श्री वीरेंद्र कंवर	माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
9.	श्री विक्रम सिंह	माननीय मंत्री, उद्योग और टीई
10.	श्री राजीव सैजल	माननीय मंत्री, एसजेई और सहकारिता
11.	श्री विनीत चौधरी	मुख्य सचिव
12.	श्री बी.के. अग्रवाल	अपर मुख्य सचिव (गृह, सतर्कता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), वित्तीय आयुक्त (अपील)
13.	श्री श्रीकांत बाल्डी	अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री
14.	श्रीमती मनीषा नंदा	अपर मुख्य सचिव (लोक निर्माण)
15.	श्री अनिल कुमार खाची	अपर मुख्य सचिव (वित्त, आयोजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीस सूत्री कार्यक्रम), वित्तीय आयुक्त (अपील)
16.	श्री राम सुभाग सिंह	अपर मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, शहरी विकास)
17.	श्री तरुण कपूर	अपर मुख्य सचिव (एमपीपी एवं पावर, एनसीईएस, वन, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

18.	श्री संजय गुप्ता	प्रधान सचिव (आयुर्वेद, सहकारिता, आरपीजी)
19.	श्री आर. डी. धीमान	प्रधान सचिव (उद्योग, तकनीकी शिक्षा, बागवानी)
20.	श्री प्रबोध सक्सेना	प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, कार्मिक, प्रशिक्षण,एफ़ए)
21.	श्री जगदीश चंदर	प्रधान सचिव (उत्पाद शुल्क एवं कराधान, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी)
22.	श्री ओंकार चंद शर्मा	प्रधान सचिव (जनजातीय विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, कृषि)
23.	श्री देवेश कुमार	सचिव (सिंचाई और लोक स्वास्थ्य)
24.	श्री अरुण कुमार शर्मा	सचिव (शिक्षा)
25.	श्री रविन्द्र नाथ बत्ता	सचिव (ग्रामीण विकास, पंचायती राज, परियोजना निगरानी, मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, संसदीय कार्य, सचिवालय प्रशासन, सैनिक कल्याण)
26.	डॉ. पूर्णिमा चौहान	सचिव (प्रशासनिक सुधार, भाषा, कला एवं संस्कृति)
27.	श्री अक्षय सूद	सचिव (वित्त)
28.	श्री दिनेश मल्होत्रा	सचिव (युवा सेवाएं और खेल), आयुक्त विभागीय
29.	श्री राजीव शर्मा	ईटीसी एचपी
30.	श्री अभय पंत	विशेष कार्याधिकारी, 15वां वित्त आयोग
31.	श्री डी. सी. राणा	विशेष सचिव
32.	श्री देशराज शर्मा	निदेशक, कृषि विभाग
33.	श्री अशोक वर्मा	वनस्पति विशेषज्ञ, कृषि निदेशालय
34.	श्री आर. पी. वर्मा	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग
35.	श्री एच. के. गुप्ता	सीजीएम एचआरटीसी
36.	श्री आबिद हुसैन	विशेष सचिव, वित्त
37.	डॉ. निपुण जिंदल	विशेष सचिव, स्वास्थ्य

38.	श्री संजय भारद्वाज	अपर आयुक्त, उत्पाद शुल्क और कराधान
39.	श्री प्रदीप शर्मा	उपायुक्त, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क
40.	डॉ. बासु सूद	सलाहकार, आयोजना
41.	श्री प्रदीप चौहान	आर्थिक सलाहकार

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती कुसुम सदरेट	महापौर, नगर निगम शिमला
2.	श्रीमती रजनी व्यास	महापौर, नगर निगम धर्मशाला
3.	श्रीमती सोमा देवी	अध्यक्ष, नगर निगम बिलासपुर
4.	श्री अमरजोत सिंह बेदी	अध्यक्ष, नगर निगम ऊना
5.	श्री देवेंद्र ठाकुर	अध्यक्ष, नगर निगम, सोलन
6.	श्रीमती सलोचना देवी	अध्यक्ष, नगर निगम हमीरपुर
7.	श्री ठाकुर दास शर्मा	अध्यक्ष, नगर निगम परवाणू
8.	श्रीमती राधा सूद	अध्यक्ष, नगर निगम पालमपुर
9.	श्री लाभ सिंह ठाकुर	अध्यक्ष, एन.पी. रेवलसर
10.	श्री चंदर मोहन ठाकुर	अध्यक्ष, एन.पी. चौपाल
11.	सुश्री वीणा	अध्यक्ष, नगर निगम हमीरपुर

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती नीलम सरायक	सदस्य, जिला परिषद शिमला
2.	श्री मदन वर्मा	अध्यक्ष, पंचायत समिति थेओग
3.	श्री पूरन चंद ठाकुर	उपाध्यक्ष, जिला परिषद, मंडी
4.	सुश्री प्रज्वल	अध्यक्ष, पंचायत समिति उब्बल-कोटखाइ
5.	श्री दिग्विजय सिंह नेगी	प्रधान, ग्राम पंचायत काफनू, जिला किन्नौर

6.	श्री ओम प्रकाश	प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर, ब्लॉक धर्मपुर
7.	श्री संजीव कुमार राणा	प्रधान, ग्राम पंचायत आइमा, ब्लॉक लंबागांव
8.	श्रीमती सरला ठाकुर	अध्यक्ष, जिला परिषद, मंडी
9.	श्री दीना नाथ	प्रधान, ग्राम पंचायत पखरैर ब्लॉक सेराज
10.	श्रीमती बन्टी देवी	प्रधान, ग्राम पंचायत कराड, ब्लॉक अन्नी
11.	श्री राकेश ठाकुर	अध्यक्ष, जिला परिषद, हमीरपुर
12.	श्री प्यारे लाल	प्रधान, ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा ब्लॉक सदर, जिला बिलासपुर
13.	सुश्री आशा कश्यप	प्रधान, ग्राम पंचायत, थारी

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री सतीश गुप्ता	व्यापार मंडल
2.	श्री मोहिन्दर सेठ	पर्यटन उद्योग हितधारक संघ
3.	श्री जगदीश चंदर शर्मा	प्रधान सचिव (उत्पाद शुल्क और कराधान)
4.	श्री विकास कपूर	उपाध्यक्ष-संचालन, रेडिसन
5.	श्री गगनदीप सिंह	क्लस्टर हेड हिमाचल
6.	श्री अनिल वालिया	प्रबंध निदेशक, होटल और रेस्तरां संघ
7.	श्री अंकुश महाजन	महाप्रबंधक , वन्य पुष्प
8.	श्री रमेश	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल
9.	श्री ओ.पी. सैनी	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल
10.	श्री सुशील सोनी	कार्यकारी सदस्य, हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल
11.	श्री शैलेश अग्रवाल	बीबीएनआईए
12.	श्री आई.एम.जे.एस. सिद्धू	भारतीय उद्योग महासंघ, हिमाचल प्रदेश
13.	श्री संजय खुराना	भारतीय उद्योग महासंघ

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	कर्नल धनी राम शांडिल	पूर्व मंत्री और विधायक सोलन
2.	श्री मुकेश अग्निहोत्री	विधायक और नेता प्रतिपक्ष, वीपीओ गोंदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
3.	श्री राम लाल ठाकुर	विधायक, विला घयाल, पीओ नम्होल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
4.	श्री हर्षवर्धन चौहान	विधायक, रैन बसेरा भवन, द मॉल, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
5.	डॉ. ओंकार शाद	राज्य सचिव, सीपीआई (एम), राज्य मुख्यालय सीपीआई (एम), बावा मार्केट, निकट महालेखाकार कार्यालय, द मॉल, शिमला
6.	श्री राकेश सिंघा	विधायक और राज्य सचिवालय सदस्य, राज्य मुख्यालय सीपीआई (एम), बावा मार्केट, निकट महालेखाकार कार्यालय, द मॉल, शिमला
7.	डॉ. कुलदीप सिंह तंवर	राज्य सचिवालय सदस्य सीपीआई (एम), राज्य मुख्यालय सीपीआई (एम), बावा बाज़ार, निकट महालेखाकार कार्यालय, द मॉल, शिमला
8.	श्री संजय चौहान	राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई (एम), राज्य मुख्यालय सीपीआई (एम), बावा मार्केट, निकट महालेखाकार कार्यालय, द मॉल, शिमला
9.	श्री सतपाल सिंह सत्ती	अध्यक्ष भाजपा, भाजपा मुख्यालय, दीप कमल, चक्कर, शिमला
10.	श्री नरेंद्र बरागटा	विधायक और मुख्य सचेतक, बरागटा निवास, स्टोक्स प्लेस, शिमला -2
11.	श्री रणधीर शर्मा	पूर्व विधायक, और मुख्य प्रवक्ता, राज्य भाजपा, ग्राम गुरु-का-लाहौर, पी.ओ. बस्सी, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर

12.	श्री चंदर मोहन ठाकुर	महासचिव, प्रदेश भाजपा, ग्राम कावगा, पी.ओ. तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर

10. झारखंड (01-03 अगस्त, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री रघुबर दास	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री सरयू राय	माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति
3.	श्री रामचंद्र चंद्रवंशी	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा
4.	श्री राज पालीवार	माननीय मंत्री, श्रम
5.	श्रीमती नीरा यादव	माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा
6.	डॉ. डी. के. तिवारी	विकास आयुक्त
7.	श्री आई.एस. चतुर्वेदी	अपर मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण
8.	श्री सुखदेव सिंह	अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त
9.	श्री अरुण कुमार सिंह	अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन
10.	श्री के.के. खंडेलवाल	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्यिक कर
11.	श्री एपी सिंह	प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा
12.	श्रीमती निधि खरे	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा
13.	श्री अविनाश कुमार	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास
14.	श्री एसकेजी रहाटे	प्रधान सचिव, गृह
15.	श्री सतेंद्र सिंह	सचिव, वित्त (व्यय)
16.	श्री अजय कुमार सिंह	सचिव, शहरी विकास
17.	श्री नितिन मदन कुलकर्णी	सचिव, ऊर्जा विभाग
18.	श्री संजय कुमार	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
19.	श्री राहुल शर्मा	सचिव, परिवहन और उत्पाद शुल्क

20.	श्री के.के. सोन	सचिव, आरसीडी
21.	श्रीमती हिमानी पांडे	सचिव, कल्याण
22.	श्रीमती आराधना पटनायक	सचिव, पीएचईडी
23.	श्री विनय कुमार चौबे	सचिव, उद्योग
24.	श्री अमिताभ कौशल	सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति
25.	श्री सुनील कुमार	सचिव, भवन
26.	श्रीमती पूजा सिंघल	सचिव, कृषि
27.	श्री मनीष रंजन	सचिव, पर्यटन, खेल, कला और संस्कृति
28.	श्री अबू बकर सिद्दीकी	सचिव, खान
29.	श्री राजेश शर्मा	सचिव, उच्च शिक्षा
30.	श्री प्रवीण टोप्पो	सचिव, पंचायती राज
31.	डॉ. हरिश्वर दयाल	मुख्य निदेशक, सीएफएस

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री चंद्र शेखर अग्रवाल	महापौर, धनबाद नगर निगम
2.	श्री भोलू पासवान	महापौर, चास नगर निगम
3.	श्रीमती आशा लाकड़ा	महापौर, रांची नगर निगम
4.	श्री प्रकाश राम	उप-महापौर, गिरिडीह नगर निगम
5.	श्रीमती सीतामणि तिर्की	अध्यक्ष, लातेहार नगर पंचायत
6.	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर	अध्यक्ष, चाईबासा नगर परिषद
7.	श्री ओमप्रकाश साहु	उपाध्यक्ष, सिमडेगा नगर परिषद
8.	श्री सुनील सिन्हा	उपाध्यक्ष, पाकुड़ नगर परिषद
9.	श्री विनोद कुमार तिवारी	वार्ड पार्षद, रामगढ़ नगर परिषद
10.	श्री संदीप आनंद	वार्ड पार्षद, खुंटी नगर पंचायत

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती शालिनी गुप्ता	जिला पंचायत अध्यक्ष, कोडरमा
2.	श्रीमती रेणुका मुर्मू	जिला पंचायत अध्यक्ष, साहिबगंज
3.	श्री संजय सिंह	जिला पंचायत उपाध्यक्ष, पलामू
4.	श्री श्याम सुंदर कच्छप	जिला पंचायत उपाध्यक्ष, कोडरमा, खुंटी
5.	श्री विकास महतो	मुखिया, धनबाद
6.	श्री अजय सिंह	मुखिया, पेटरवार, बोकारो
7.	सुश्री दीपान्त्री सरदार	मुखिया, तेतल पंचायत, पोटका, पूर्वी सिंहभूम
8.	सुश्री मिसफिक्रा	मुखिया, इलामी, पाकुड़
9.	श्री आमुख प्रियदर्शी	प्रमुख, तरहासी ब्लॉक, पलामू
10.	श्री तिमुथियुस खाखा	प्रमुख, सदर ब्लॉक, सिमडेगा
11.	श्रीमती रुक्मिला देवी	प्रमुख, कुंती सदर

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री सुनील भास्करन	उपाध्यक्ष – कॉर्पोरेट सेवाएँ, टाटा स्टील
2.	श्री अमृतांशु प्रसाद	उपाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्य, अडानी समूह
3.	श्री देबाशीष मजूमदार	अध्यक्ष और प्रभारी, यूएएसडी डिवीजन, जमशेदपुर, उषा मार्टिन
4.	श्री गुनवंत सिंह सलूजा	अध्यक्ष, मोंगिया स्टील
5.	श्री अविजित घोष	मुख्य प्रबंध निदेशक, एचईसी
6.	श्री रणजीत कुमार गरोडिया	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
7.	श्री हंसराज जैन	महासचिव - झारखंड, लघु उद्योग भारती
8.	श्री बाल कृष्ण सिंह	राज्य प्रमुख, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स

9.	श्री मधुकर सिन्हा	प्रबंध निदेशक, एपी एवं वीपीएल और सदस्य, भारतीय उद्योग महासंघ, झारखंड
10.	श्री इंदर अग्रवाल	अध्यक्ष, आदित्यपुर लघु उद्योग संघ
11.	श्री भरत जायसवाल	राज्य समन्वयक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
12.	श्री अमिताव बख्शी	उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ, झारखंड
13.	श्री संजय सभरवाल	क्षेत्रीय अध्यक्ष (पूर्वी क्षेत्र), ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री दीपक प्रकाश	बीजेपी
2.	डॉ. अजय कुमार	राज्य अध्यक्ष, आईएनसी, झारखंड
3.	श्री अजय सिंह	टीएमसी
4.	श्री दयानंद प्रसाद सिंह	टीएमसी
5.	श्री भुबनेश्वर मेहता	सीपीआई
6.	श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता	एनसीपी
7.	श्री प्रदीप यादव	जेवीएम
8.	श्री देवशरण भगत	एजेएसयू
9.	श्री जयंत घोष	एजेएसयू
10.	श्री हेमंत सोरेन (पूर्व मुख्यमंत्री)	जेएमएम
11.	श्री आबिद अली	आरजेडी
12.	श्री गोपी कांत बक्सी	सीपीआई (एम)

11. कर्नाटक (23-26 जून, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री एच. डी. कुमारस्वामी	मुख्यमंत्री
2.	डॉ. जी. परमेश्वरा	उपमुख्यमंत्री
3.	श्री एम. बी. पाटिल	गृह मंत्री
4.	श्री के.जे. जॉर्ज	मंत्री, बड़े एवं मध्यम उद्योग
5.	श्री सी.एस. पुत्तराजू	लघु सिंचाई मंत्री
6.	श्री जी.टी. देवेगौड़ा	उच्च शिक्षा मंत्री
7.	श्री कृष्ण बायरगौड़ा	ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री
8.	श्री यू.टी. अब्दुल खादेर	शहरी विकास मंत्री
9.	श्री सतीश एल. जारकीहोली	वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री
10.	श्री कोनारेड्डी	माननीय मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार
11.	डॉ. एस. सुब्रमण्य	माननीय मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार
12.	श्री टी.एम. विजय भास्कर	मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार
13.	श्री पी. रवि कुमार	अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार
14.	श्रीमती वंदिता शर्मा	सरकार के अपर मुख्य सचिव और विकास आयुक्त, कर्नाटक सरकार,
15.	श्री महेंद्र जैन	सरकार के अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) / ऊर्जा विभाग
16.	श्री आई.एस.एन. प्रसाद	सरकार के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
17.	श्रीमती वी. मंजुला	सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
18.	श्री अजय सेठ	प्रबंध निदेशक, बीएमआरसीएल

19.	डॉ. ई. वी. रमन रेड्डी	माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार
20.	डॉ. राजकुमार खत्री	सरकार के प्रधान सचिव (आपदा प्रबंधन), राजस्व विभाग
21.	डॉ. एन. नागम्बिका देवी	सरकार के प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग
22.	श्री एल.के. अतीक	सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग
23.	श्री एस.आर. उमाशंकर	सरकार के प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा)
24.	श्री अंजुम परवेज	सरकार के प्रधान सचिव (एम एंड यू), शहरी विकास विभाग
25.	श्री आर.के. कटारिया	सचिव, सरकार, कृषि विभाग
26.	डॉ. एस. सेल्वकुमार	माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, कर्नाटक सरकार
27.	श्री एम.एस. श्रीकर	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग
28.	डॉ. एकरूप कौर	सरकार के सचिव (बी एंड आर / व्यय) वित्त विभाग
29.	श्री वी. यशवंत	आयुक्त, आबकारी विभाग
30.	श्री ए.बी. इब्राहिम	प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास एवं वित्त निगम (केयूआईडीएफ़सी)
31.	श्री पुनाती श्रीधर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती गंगाम्बिके मल्लिकार्जुन	महापौर, बीबीएमपी
2.	श्री पद्मनाभ रेड्डी	कॉर्पोरेटर, बीबीएमपी वार्ड नंबर- 29, बीबीएमपी में नेता प्रतिपक्ष

3.	श्री बी.एस. सत्यनारायण	कॉर्पोरेटर, बीबीएमपी वार्ड नंबर -154, बासवनगुडी, बेंगलुरु
4.	श्रीमती रूपाश्री बी. एस.	उप-महापौर, तुमकुरु नगर निगम
5.	श्री चन्नाबसप्पा एस.एन.	उप-महापौर, शिवमोगा नगर निगम
6.	श्री बी.ए. रमेश हेगड़े	कॉर्पोरेटर, शिवमोगा नगर निगम
7.	श्री एच. विष्णुनायक	अध्यक्ष, मरियम्मनहल्ली, तालुक पंचायत
8.	श्री जी. राघवेंद्र	पार्षद और सदस्य स्थायी समिति, कुडलिगी, तालुक पंचायत
9.	श्री बी.एच. अनिल कुमार	सरकार के अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग
10.	श्री एन. मंजूनाथ प्रसाद	आयुक्त, बीबीएमपी
11.	श्री अंजुम परवेज	सरकार के प्रधान सचिव (एम एंड यू), शहरी विकास विभाग

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री सी. नारायणस्वामी	सदस्य, पंचायत राज परिषद्
2.	श्री वी. वाई. घोरपडे	उपाध्यक्ष, कर्नाटक राज्य विकेंद्रीकृत योजना एवं विकास समिति
3.	श्री मंजुनाथ	अध्यक्ष, चिक्काबल्लापुर जिला पंचायत
4.	श्रीमती जयम्मा	अध्यक्ष, बेंगलुरु ग्रामीण जिला पंचायत
5.	श्री नीलकंठप्पा एम. कुसागुरा	अध्यक्ष, रानीबेनूर तालुक पंचायत
6.	श्रीमती पुष्पा राजेश	अध्यक्ष, सोमवरपेट तालुक पंचायत
7.	श्री सतीश के.एस.	सदस्य, कडाबा ग्राम पंचायत, गुब्बली तालुक और अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य ग्राम पंचायत सदस्य परिसंघ
8.	श्री पी.पी. बोपन्ना	अध्यक्ष, पोलेबेट्टु ग्राम पंचायत, विराजपेट तालुक
9.	श्री महेश कुमार एन. के.	अध्यक्ष, डोडाजला ग्राम पंचायत, बेंगलुरु (उत्तर)

10.	श्री एल.के. अतीक	सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग
11.	श्री एस.एम. जुल्फीकारुल्ला	निदेशक (पंचायत राज), ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग
12.	श्री एम. के. केम्पेगौडा	सलाहकार (पंचायत राज), ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री टी. वी. मोहनदास पई	अध्यक्ष, एएआरआईएन कैपिटल पार्टनर्स
2.	श्री उल्लास कामथ	अध्यक्ष-फिक्की (कर्नाटक)
3.	श्री एस संपतरामन	भूतपूर्व- अध्यक्ष, एफकेसीसीआई
4.	श्री सीए एन नित्यानंद	अध्यक्ष, कॉर्पोरेट कानून, केंद्रीय कर एवं जीएसटी समिति, एफकेसीसीआई और प्रबंध समिति के सदस्य
5.	श्री देवेश अग्रवाल	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बेंगलुरु चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (बीसीआईसी)
6.	श्री आनंद पद्मनाभन	अध्यक्ष, शाही एक्सपोर्ट्स
7.	श्री अनिल हरिदास	प्रबंध निदेशक, बिल फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड
8.	श्री बसवराज जावली	अध्यक्ष, केएएसएसआईए
9.	श्री सत्य गुप्ता	उपाध्यक्ष, आईईएसए
10.	श्री सईद अहमद	सीईओ, एनएएसएससीओएम (नैसकॉम)
11.	श्री कृष्णन जी.एस.	उपाध्यक्ष, एबीएलई और क्षेत्रीय अध्यक्ष, इंडिया नोवोजाइम्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड
12.	श्री बीरेन घोष	अध्यक्ष, एबीएआई
13.	श्री गणेश शेनॉय	संयोजक, भारतीय उद्योग महासंघ, कर्नाटक आर्थिक मामले, वित्त एवं कराधान पैनल और सीएफओ एमटीआर फूड्स

14.	श्री अमन चौधरी	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ, कर्नाटक
15.	श्री एम. माहेश्वर राव	सरकार के सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
16.	श्रीमती गुंजन कृष्णा	आयुक्त, उद्योग विभाग

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री हरिराम	बहुजन समाज पार्टी
2.	श्री के.सी. नागराज	बहुजन समाज पार्टी
3.	श्री राज शेखर	बहुजन समाज पार्टी
4.	श्री साथी सुंदरेश	प्रदेश सचिव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
5.	श्री एम. सत्यानंद	सहायक सचिव, बेंगलुरु, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
6.	श्री कृष्ण बायरगौड़ा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7.	श्री रमेश बाबू	जनता दल (सेकुलर)
8.	श्री बंदेप्पा खाशमपुर	जनता दल (सेकुलर)
9.	श्री सैयद शफी उल्ला साहेब	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जनता दल (सेकुलर)

12. केरल (28-31 मई, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री पिनारयी विजयन	मुख्यमंत्री
2.	डॉ. टी.एम. थॉमस इसाक	मंत्री, वित्त और कॉयर
3.	श्री ए.के. बालन	मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, कानून, संस्कृति और संसदीय कार्य
4.	श्री ई. चंद्रशेखरन	राजस्व और आवासन मंत्री
5.	श्री के.टी. जलील	मंत्री, स्थानीय स्वशासन, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज तीर्थयात्रा
6.	श्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन	मंत्री, सहकारिता, पर्यटन और देवस्वोम
7.	श्री एम. एम. मणि	विद्युत मंत्री
8.	एडवोकेट मैथ्यू टी. थॉमस	जल संसाधन मंत्री
9.	श्रीमती जे. मर्सीकुट्टी अम्मा	मंत्री, मत्स्य पालन, हार्बर इंजीनियरिंग और काजू उद्योग
10.	श्री ए. सी. मोइदीन	मंत्री, उद्योग, खेल और युवा मामले
11.	एडवोकेट के. राजू	मंत्री, वन, पशुपालन और चिड़ियाघर
12.	श्री रामचंद्रन कडन्नापल्ली	मंत्री, पोर्ट्स, संग्रहालय, पुरातत्व और अभिलेखागार
13.	प्रो. सी. रवींद्रनाथ	शिक्षा मंत्री
14.	श्रीमती के.के. शैलजा टीचर	मंत्री, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय
15.	श्री जी. सुधाकरन	मंत्री, लोक निर्माण और पंजीकरण
16.	एडवोकेट वी.एस. सुनील कुमार	कृषि मंत्री
17.	श्री पी. थिलोथामन	खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री
18.	श्री पॉल एंटनी	मुख्य सचिव
19.	श्री टॉम जोस	अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं कौशल

20.	श्री राजीव सदानंदन	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष
21.	श्री सुब्रत बिस्वास	अपर मुख्य सचिव, गृह और सतर्कता
22.	डॉ. विश्वास मेहता	अपर मुख्य सचिव, आयोजना और आर्थिक मामले
23.	श्री पी. एच. कुरियन	अपर मुख्य सचिव, राजस्व, आवास, पर्यावरण
24.	श्री टी. के. जोस	अपर मुख्य सचिव, एलएसजीडी
25.	डॉ. वी. वेणु	प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, वन और वन्य जीव, सांस्कृतिक मामले
26.	श्री मनोज जोशी	प्रधान सचिव, वित्त
27.	श्री बिश्वनाथ सिन्हा	प्रधान सचिव, जीएडी, पी एंड एआरडी, पावर, ट्रांसपोर्ट (एविएशन), पोर्ट्स
28.	श्री संजीव कौशिक	प्रधान सचिव, वित्त संसाधन
29.	डॉ. उषा टिटस	प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा
30.	श्री ए. अजित कुमार	सचिव, एलएसजी (ग्रामीण)
31.	श्री एक्स. अनिल	सचिव, पशुपालन और डेयरी विकास, सांस्कृतिक मामले (चिड़ियाघर), कृषि
32.	श्री एम. शिवशंकर	मुख्यमंत्री के सचिव, ईएंडआईटी
33.	श्रीमती रानी जॉर्ज	सचिव, सांस्कृतिक मामले, पर्यटन
34.	श्रीमती सुमन एन. मेनन	सचिव, सैनिक कल्याण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
35.	डॉ. शर्मिला मैरी जोसेफ	सचिव, वित्त (व्यय), आयोजना और आर्थिक मामले
36.	श्रीमती टिंकू बिस्वाल	सचिव, जल संसाधन
37.	श्री ए शाजहां	सचिव, सामान्य शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व (वक्फ)
38.	श्री संजय एम. कौल	सचिव, उद्योग विभाग, कर (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)
39.	श्रीमती मिनी एंटनी	विशेष सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, उद्योग (कॉयर)

40.	श्री पी. वेणुगोपाल	विशेष सचिव, सहकारिता, आई एंड पीआरडी

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री टी. के. जोस	अपर मुख्य सचिव, एलएसजीडी
2.	एडवोकेट वी. के. प्रशांत	सचिव, महापौर परिषद और महापौर तिरुवनंतपुरम निगम
3.	श्रीमती मीरा दर्शक	उप-महापौर, कोझिकोड निगम
4.	श्रीमती सौमिनी जैन	उपाध्यक्ष महापौर परिषद और महापौर, कोच्चि निगम
5.	श्रीमती डब्ल्यू. आर. हीभा	उपाध्यक्ष, चेम्बर ऑफ म्युनिसिपल चेयरमेन
6.	एडवोकेट के. तुलसीभाई पद्मनाभन	अध्यक्ष, केरल ग्राम पंचायत संघ, पंचायत भवन, तिरुवनंतपुरम
7.	श्री आर. सुभाष	अध्यक्ष, केरल ब्लॉक पंचायत एसोसिएशन, स्वराज भवन, नान्थनकोड, तिरुवनंतपुरम
8.	श्री वी.के. मधु	अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष चैंबर, केरल जिला पंचायत कार्यालय, पट्टोम, तिरुवनंतपुरम

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री पी. के. मायन	वेस्टर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	श्रीमती कैथ्रेनम्मा सेबेस्टियन	उपनिदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान, त्रिशूर
3.	श्री एस. रमेश कुमार	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)
4.	श्री एन. के. कृष्णन कुट्टी	डीजीएम, केनरा बैंक

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री जे. सुधाकरन	बहुजन समाज पार्टी
2.	एडवोकेट पद्मकुमार	भारतीय जनता पार्टी

3.	डॉ. राधाकृष्ण पिल्लै	भारतीय जनता पार्टी
4.	श्री के. प्रकाश बाबू	सहायक सचिव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
5.	श्री ए. विजयराघवन	केंद्रीय समिति के सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
6.	श्री रमेश चेन्निथला	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7.	श्री थाम्पनूर रवि	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
8.	श्री सुकु एस. कडमपल्ली	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
9.	श्री सी. के. नानू	जनता दल (सेक्युलर)
10.	श्री जॉर्ज थॉमस	जनता दल (सेक्युलर)
11.	श्री जोसेफ एम. पुथुसेरी	पूर्व विधायक, केरल कांग्रेस (एम)
12.	श्री मोहम्मद शाह	मुस्लिम लीग

13. मध्य प्रदेश (03-05 जुलाई, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री कमलनाथ	मुख्यमंत्री
2.	डॉ. विजय लक्ष्मी साधो	मंत्री
3.	श्री हुकुम सिंह कराड़ा	मंत्री
4.	श्री बाला बच्चन	मंत्री
5.	श्री आरिफ अकील	मंत्री
6.	श्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर	मंत्री
7.	श्री प्रदीप जायसवाल	मंत्री
8.	श्री लखन सिंह यादव	मंत्री
9.	श्री तुलसीराम सिलावट	मंत्री
10.	श्री गोविंद सिंह राजपूत	मंत्री
11.	डॉ. प्रभुराम चौधरी	मंत्री
12.	श्री हर्ष यादव	मंत्री
13.	श्री जयवर्धन सिंह	मंत्री
14.	श्री कमलेश्वर पटेल	मंत्री
15.	श्री लखन घनघोरिया	मंत्री
16.	श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया	मंत्री
17.	श्री पी.सी. शर्मा	मंत्री
18.	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर	मंत्री
19.	श्री सचिन सुभाष यादव	मंत्री
20.	श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल	मंत्री
21.	श्री सुधी रंजन मोहंती	मुख्य सचिव

22.	श्री प्रभांशु कमल	एपीसी/अपर मुख्य सचिव
23.	श्री पी. सी. मीणा	अपर मुख्य सचिव
24.	श्री एम. गोपाल रेड्डी	अपर मुख्य सचिव
25.	श्री के. के. सिंह	अपर मुख्य सचिव
26.	श्रीमती सेलीना सिंह	अपर मुख्य सचिव
27.	श्री मनोज श्रीवास्तव	अपर मुख्य सचिव
28.	श्रीमती शिखा दुबे	अपर मुख्य सचिव
29.	श्रीमती गौरी सिंह	अपर मुख्य सचिव
30.	श्रीमती वीरा राणा	अपर मुख्य सचिव
31.	श्री अनुराग जैन	अपर मुख्य सचिव
32.	श्री मोहम्मद सुलेमान	अपर मुख्य सचिव
33.	श्री जे. एन. कंसोटिया	प्रधान सचिव
34.	डॉ. राजेश राजोरा	प्रधान सचिव
35.	श्री पंकज राग	प्रधान सचिव
36.	श्री शिवनारायण मिश्र	प्रधान सचिव
37.	श्री अश्विनी कुमार राय	प्रधान सचिव
38.	श्री मलय श्रीवास्तव	प्रधान सचिव
39.	श्री अजीत केसरी	प्रधान सचिव
40.	श्री अशोक कुमार शाह	प्रधान सचिव
41.	श्री अशोक वर्नवाल	प्रधान सचिव
42.	डॉ. मनोज गोविल	प्रधान सचिव
43.	श्री प्रमोद अग्रवाल	प्रधान सचिव
44.	श्री मनु श्रीवास्तव	प्रधान सचिव
45.	श्री सतीश चंद्र मिश्र	प्रधान सचिव

46.	श्री पंकज अग्रवाल	प्रधान सचिव
47.	श्री के. सी. गुप्ता	प्रधान सचिव
48.	श्रीमती नीलम शमी राव	प्रधान सचिव
49.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	प्रधान सचिव
50.	श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी	प्रधान सचिव
51.	श्री नीरज मंडलोई	प्रधान सचिव
52.	श्री संजय दुबे	प्रधान सचिव
53.	श्री अनुपम राजन	प्रधान सचिव
54.	श्री अनिरुद्ध मुखर्जी	प्रधान सचिव
55.	श्री संजय कुमार शुक्ल	प्रधान सचिव
56.	श्रीमती रश्मि अरुण शमी	प्रधान सचिव
57.	श्री हरिरंजन राव	प्रधान सचिव
58.	श्रीमती दीपाली रस्तोगी	प्रधान सचिव
59.	डॉ. पल्लवी जैन गोविल	प्रधान सचिव
60.	श्री मनीष रस्तोगी	प्रधान सचिव
61.	श्री शिवशेखर शुक्ला	प्रधान सचिव
62.	श्री विनोद कुमार	प्रधान सचिव
63.	श्रीमती हर्षिका सिंह	उप-सचिव
64.	श्री नीरज कुमार सिंह	उप-सचिव
65.	श्री पी. के. रॉय	उप-सचिव
66.	श्री अशोक कुमार धनोपिया	अनुसंधान विश्लेषक
67.	श्री राजेन्द्र सिंह जादम	सांख्यिकीय अधिकारी

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री अहसानुल हक	पार्षद, नगर निगम रीवा
2.	श्री अजय शुक्ला	अध्यक्ष, नगर परिषद सेमरिया
3.	डॉ. सुनीता यार्दे	महापौर, नगर निगम रतलाम
4.	श्री राजेंद्र वशिष्ठ	नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम उज्जैन
5.	श्रीमती शकुंतला जायसवाल	अध्यक्ष, नगर परिषद आगर
6.	श्रीमती छाया सचिन पाटनी	अध्यक्ष, नगर परिषद उन्हेल
7.	श्री राजवीर सिंह बघेल	अध्यक्ष, नगर परिषद सोनकच्छ
8.	श्री कृष्ण कुमार दीक्षित	पार्षद, नगर निगम ग्वालियर
9.	श्री खलक सिंह राजपूत	पार्षद (एमआईसी के सदस्य) नगर निगम मुरैना
10.	श्री मुन्नालाल कुशवाहा	अध्यक्ष, नगर परिषद शिवपुरी
11.	श्री अलकेश आर्य	अध्यक्ष, नगर परिषद बैतूल
12.	श्री लोकेश गोगले	पार्षद, नगर परिषद होशंगाबाद
13.	श्री अजय रत्नानी	पार्षद (सदस्य, पीआईसी) नगर परिषद होशंगाबाद
14.	श्री सुरेश जैन	अध्यक्ष, नगर परिषद हरदा
15.	श्री आलोक शर्मा	महापौर, नगर निगम भोपाल
16.	श्री राजेश नेमा	पार्षद, नगर परिषद विदिशा
17.	श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर	महापौर, नगर निगम इंदौर
18.	श्री चंद्रजीत यादव	अध्यक्ष, नगर परिषद देपालपुर
19.	श्री लक्ष्मण सिंह चौहान	अध्यक्ष, नगर परिषद बड़वानी
20.	श्री राजेश सोनी	पार्षद, नगर परिषद महेश्वर
21.	श्रीमती सुशीला विष्णु चौरसिया	अध्यक्ष, नगर परिषद सेहोरा
22.	श्री हेमंत राय	अध्यक्ष, नगर परिषद न्यूटनचखली
23.	श्री अजय परमार	नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम सागर

24.	श्रीमती अरुणा टंटवाल	अध्यक्ष, नगर परिषद हाटा
25.	श्रीमती कृष्णा लक्ष्मण सिंह	अध्यक्ष, नगर परिषद पथारिया

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री मनमोहन नागर	जिला पंचायत, भोपाल
2.	श्रीमती रजनी प्रजापति	जिला पंचायत, दतिया
3.	श्रीमती चंद्रकला परस्ते	सदस्य, जिला पंचायत, डिंडोरी
4.	श्री चंद्रवीर सिंह राठौर	सह अध्यक्ष, जिला पंचायत, झाबुआ
5.	श्री संजय मावस्कर	ब्लॉक पंचायत, भैंसदेही, बैतूल
6.	सुश्री आरती यादव	ब्लॉक पंचायत, फंदा, भोपाल
7.	श्री गेंदालाल डामोर	ब्लॉक पंचायत, थांदला, झाबुआ
8.	श्रीमती अनुराधा जोशी	सरपंच, ग्राम पंचायत, कोदरिया
9.	श्री राजेश जांगड़े	सरपंच, ग्राम पंचायत, बिलकिसगंज
10.	श्री दिलीप डेहरिया	सरपंच, ग्राम पंचायत, रोहनकला
11.	सुश्री मोना कौरव	सरपंच, ग्राम पंचायत, सदूमर
12.	श्री गजराज सिंह	सरपंच, ग्राम पंचायत, निपन्या जाट
13.	श्री पवन ठाकुर	सरपंच, ग्राम पंचायत, पंडरी
14.	श्री लखन कुम्हारे	सरपंच, ग्राम पंचायत, पीपलधाना
15.	श्री राजेन्द्र टीकम	सरपंच, ग्राम पंचायत, करंजिया
16.	श्री डेलन टीकम	सरपंच, ग्राम पंचायत, पिपरिया
17.	श्री दिनेश बरासकर	सरपंच, ग्राम पंचायत, बोथिया
18.	श्री दिलीप डामोर	सरपंच, ग्राम पंचायत, सीहोर चिकलिया
19.	श्री रामजी किरार	सरपंच, ग्राम पंचायत, कुमारहार

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री अनुराग श्रीवास्तव	उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ
2.	श्री प्रदीप करम्बेलकर	सह-अध्यक्ष, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स
3.	श्री राजीव अग्रवाल	अध्यक्ष, मंडीदीप उद्योग संघ
4.	श्री अमरजीत सिंह	अध्यक्ष, गोविंदपुरा उद्योग संघ (जीआईए)
5.	श्री के. एस. नंदा	उपाध्यक्ष, गोविंदपुरा उद्योग संघ (जीआईए)
6.	श्री नितिन अग्रवाल	अध्यक्ष, क्रेडाइ, भोपाल
7.	श्री मनोज सिंह मीक	उपाध्यक्ष, क्रेडाइ
8.	श्री वासिक हुसैन	अध्यक्ष, क्रेडाइ, एम.पी.
9.	श्री पी.एस. बिंद्रा	उपाध्यक्ष, क्रेडाइ
10.	श्री अजय शर्मा	कोषाध्यक्ष, क्रेडाइ
11.	श्री नीरज मेकर	उपाध्यक्ष, क्रेडाइ
12.	श्री अखिलेश राठी	निदेशक / अध्यक्ष, भास्कर इंडस्ट्रीज / एमपी टेक्सटाइल एसोसिएशन
13.	श्री एस. पाल	स्थानिक निदेशक, वर्धमान यार्न्स
14.	श्री सिद्धार्थ अग्रवाल	निदेशक, सागर मेन्युफेक्चरिंग
15.	श्री सुधीर अग्रवाल	अध्यक्ष, सागर मेन्युफेक्चरिंग
16.	श्री डी. के. मित्तल	मराल ओवरसीज लिमिटेड
17.	श्री श्रेयस्कर चौधरी	प्रबंध निदेशक, प्रतिभा सिंटेक्स लि.
18.	श्री मृत्युंजय कुमार	संयंत्र प्रमुख, अल्केम लेबोरेटरीज
19.	श्री राकेश गोयल	अल्केम लेबोरेटरीज
20.	श्री विकास गर्ग	वरि. निदेशक संचालन, तेवा एपीआई इंडिया
21.	श्री मनोज मिश्रा	सीजीएम प्रशासन, तेवा एपीआई इंडिया
22.	डॉ. अनामिका गुलाटी	एलटी फूड्स

23.	श्री गौरव बाहेती	निदेशक, अरीबा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	श्री आर. एन. मालू	सीएफओ, सूर्या रोशनी
25.	श्री वसुमित्र पांडे	सीजीएम वित्त, सूर्या रोशनी
26.	श्री सौरभ सांगला	निदेशक, एड्रॉयट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.
27.	श्री राकेश चौधरी	संयंत्र प्रमुख, एलएपीपी इंडिया
28.	श्री मनोज मोदी	औद्योगिक पैकेजिंग
29.	श्री मयूर पटेल	प्रबंध निदेशक, मैक्सन हेल्थकेयर प्रा. लि.
30.	श्री टी. एस. धर्मेंदर	टेनेको ऑटोमोटिव इंडिया प्रा. लि.

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2.	श्री जे. पी. धनोपिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3.	श्री भूपेंद्र गुप्ता	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4.	श्री प्रकाश जैन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5.	श्री गौरव रघुवंशी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6.	श्री विजेश लुणावत	भारतीय जनता पार्टी
7.	श्री हेमानंद खंडेलवाल	भारतीय जनता पार्टी
8.	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	भारतीय जनता पार्टी
9.	श्री अखिलेश जैन	भारतीय जनता पार्टी
10.	श्री योगेश मेहता	भारतीय जनता पार्टी
11.	श्री राम कुमार गौतम	बहुजन समाज पार्टी
12.	श्री सी. एल. गौतम	बहुजन समाज पार्टी
13.	श्री कमल सिंह रघुवंशी	समाजवादी पार्टी
14.	श्री अरुण दुबे	समाजवादी पार्टी
15.	श्री विक्रम सिंह राणा	निर्दलीय

14. महाराष्ट्र (17-19 सितंबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री देवेंद्र फड़नवीस	मुख्यमंत्री
2.	श्री चन्द्रकांत पाटिल	मंत्री, राजस्व, राहत एवं पुनर्वास
3.	श्री सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार	मंत्री, वित्त एवं आयोजना, वन
4.	प्रो. राम शंकर शिंदे	मंत्री, जल संरक्षण, प्रोटोकॉल
5.	श्री संभाजी दिलीपराव पाटिल-निलंगेकर	मंत्री, श्रम, भूकंप पुनर्वास, कौशल विकास, भूतपूर्व सैनिक कल्याण।
6.	श्री दीपक केसरकर	राज्य मंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त एवं आयोजना
7.	श्री वी. गिरिराज	अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग ज्ञापन समिति
8.	श्री यू. पी. एस. मदान	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
9.	श्रीमती मेधा गाडगिल	अपर मुख्य सचिव, (राहत और पुनर्वास), राजस्व और वन विभाग
10.	श्री देबाशीष चक्रवर्ती	अपर मुख्य सचिव, योजना विभाग
11.	श्री मनु कुमार श्रीवास्तव	अपर मुख्य सचिव (राजस्व पंजीकरण और स्टाम्प), राजस्व और वन विभाग
12.	श्री राजीव जलोटा	आयुक्त, राज्य कर, महाराष्ट्र
13.	श्री राजगोपाल देवरा	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
14.	डॉ. प्रदीप व्यास	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य विभाग
15.	श्री इकबाल सिंह चहल	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग
16.	श्री बी. ए. गगरानी	प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
17.	श्री असीम गुप्ता	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
18.	श्री एकनाथ दावले	सचिव, कृषि और मृदा एवं जल संरक्षण विभाग

19.	श्री विकास खड़गे	सचिव (वन), राजस्व और वन विभाग
20.	श्री राजीवकुमार मित्तल	सचिव (व्यय), वित्त विभाग
21.	एम. शंकरनारायणन	निदेशक, नगर प्रशासन निदेशालय
22.	डॉ. अमित सैनी	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती अलका स्वामी	अध्यक्ष, नगर परिषद, इचलकरंजी
2.	श्री अतुल तराले	अध्यक्ष, नगर परिषद, वर्धा
3.	श्रीमती लक्ष्मी कराडकर	नगर परिषद, पचगनी
4.	श्रीमती अनुराधा आदिक	अध्यक्ष, नगर परिषद, श्रीरामपुर
5.	श्रीमती अंजलिताई घोटेकर	महापौर, नगर निगम, चंद्रपुर
6.	श्री हरीश शर्मा	अध्यक्ष, नगर परिषद, बल्लारपुर
7.	श्रीमती मीना पाटिल	दशम स्वयं सहायता समूह, जिला नंदुरबार
8.	श्रीमती मनीषा रत्नाकर पवार	अध्यक्ष, पंचायत समिति, नासिक
9.	श्रीमती चित्रा असवद पाटिल	सदस्य, जिला परिषद, रायगढ़
10.	श्री प्रशांत रनवडे	सरपंच, ग्राम पंचायत, नंदे, तालुका मुलशी, जिला पुणे
11.	श्री देवराव भोंगले	अध्यक्ष, जिला परिषद, चंद्रपुर
12.	श्रीमती सुप्रिया पवार	सरपंच, ग्राम पंचायत, बेलवंडी, तालुका श्रीगोंडा, जिला- अहमदनगर
13.	श्रीमती लता संजय जाधव	तुलजा भवानी स्वयं सहायता समूह, सखारी, जिला- धुले

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री दीपक मुखी	प्रमुख, फिक्की

2.	श्री राजेश शाह	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की)
3.	श्री संतोष मंडलेचा	अध्यक्ष, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर
4.	श्री जिबाक दासगुप्ता	निदेशक, भारतीय उद्योग महासंघ
5.	श्रीमती नयना नारायणन	उप-निदेशक, भारतीय उद्योग महासंघ

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री रत्नाकर महाजन	उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2.	श्री किशोर गजभिये	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3.	श्री भाई जगताप	एमएलसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4.	श्री मकरंद हेरवाडकर	शिवसेना
5.	श्री अरविंद सावंत	सांसद, शिवसेना
6.	श्री अनिल देसाई	शिवसेना
7.	श्री सचिन पारस नाइक	प्रशासनिक अधिकारी, शिवसेना
8.	श्री अनिल शिधोरे	महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
9.	श्री हर्षल देशपांडे	सचिव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
10.	श्री अतुल भातखालकर	महासचिव, विधायक, भाजपा
11.	श्री अजीत अभ्यंकर	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
12.	श्री जयंत पाटिल	विधायक, एनसीपी
13.	श्री प्रकाश नरवेकर	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
14.	श्री अशोक सूर्यवंशी	कार्यकारी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
15.	श्री मिलिंद रांडे	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
16.	श्री प्रशांत इंगले	महासचिव, बहुजन समाज पार्टी

15. मणिपुर (29-30 नवंबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री एन. बीरेन सिंह	माननीय मुख्यमंत्री, मणिपुर
2.	श्री वाई. जॉयकुमार सिंह	उप-मुख्यमंत्री, मणिपुर
3.	श्री करम श्याम	मंत्री (सीएएफ और पीडी/राजस्व)
4.	श्री लेटपाओ हाओकिप	मंत्री (डबल्यूआरडी/वाईएएस)
5.	श्री एन. काइसी	मंत्री (टीए और एच/मत्स्यपालन)
6.	श्री ठाकुर श्यामकुमार	मंत्री (वन/एमएएचयूडी)
7.	श्री वी. हंगखालियन	मंत्री (कृषि और पशुचिकित्सा)
8.	श्रीमती नेमचा किपगेन	मंत्री (समाज कल्याण / सहकारिता)
9.	डॉ. जे. सुरेश बाबू	मुख्य सचिव
10.	श्री राकेश रंजन	प्रधान सचिव (वित्त)
11.	डॉ. सुहेल अख्तर	अपर मुख्य सचिव (वन)
12.	डॉ. प्रमोद अस्थाना	एडीजीपी (कानून और व्यवस्था)
13.	श्री एम.एच. खान	अपर मुख्य सचिव (आरडी / मत्स्य पालन)
14.	श्री लेतखोजेन हाओकिप	अपर मुख्य सचिव (टीए और एच)
15.	श्री ठाकुर गोपेन मीतेई	आयुक्त (एई)
16.	श्री के. अंगामी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
17.	श्री सी. आर्थर डब्ल्यू	निदेशक
18.	श्री एम. लक्ष्मीकुमार	आयुक्त (परिवहन)
19.	श्री ठाकुर हरिकुमार	निदेशक (एमएएचयूडी)
20.	श्री एन. जियोफ्रे	मुख्यमंत्री के सचिव
21.	श्री एच. दिलीप सिंह	आयुक्त (शिक्षा)

22.	श्री एम. जॉय सिंह	सचिव (एमएएचयूडी)
23.	श्री पी. वाइफेई	प्रधान सचिव (कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग)
24.	श्री वी. वुमलुनमंग	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य / समाज कल्याण / जीएडी /रेशम कीट-पालन)
25.	श्रीमती ए. नुंगशीतोम्बी	सचिव (कानून)
26.	श्री टी. गुइटे	एडीजीपी
27.	श्रीमती पीजोना केमी	निदेशक (आर्थिक एवं सांख्यिकी)
28.	श्री के. ब्रोजेन	संयुक्त निदेशक (बागवानी)
29.	श्रीमती निधि केसरवानी	सचिव (पीएचईडी / पर्यटन)
30.	श्रीमती जैकिंथा लाजारस	सचिव (एमआई /डबल्यूआरडी)
31.	श्री आर. के. दिनेश	आयुक्त (निर्माण/ विद्युत)
32.	श्री आई. के. मुइवा	पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)
33.	श्री एथेम मुइवा	सचिव (डीआईपीआर)
34.	श्री वाई. जॉयकुमार	परियोजना निदेशक (ईएपी), पीडब्ल्यूडी
35.	श्री एच. बालकृष्ण	निदेशक (आरडी / आईपीआर)

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री एल. मणियामा	अध्यक्ष, बिष्णुपुर नगर परिषद
2.	श्री ठा. अमिताभ सिंह	पार्षद, वांगजिंग नगर परिषद
3.	श्रीमती अरीबम थाजा देवी	अध्यक्ष, लामसांग नगर पंचायत
4.	श्रीमती एल. बबीता	अध्यक्ष, वांगजिंग नगर परिषद
5.	श्री ठा. श्यामो सिंह	अध्यक्ष, थौनाल नगर परिषद
6.	श्री लोकेश्वर सिंह	महापौर, इंफाल नगर निगम
7.	श्री एल. लुखोई खुमान	पार्षद, एंड्रो नगर पंचायत

8.	श्री एम. सरत सिंह	अध्यक्ष, सुगनू नगर परिषद

ग्रामीण स्थानीय निकायों और एडीसी के प्रतिनिधि

1.	श्री मो. अब्दुल लतीफ	सदस्य, थौबल जिला परिषद
2.	श्री सिनम मार्जित	सदस्य, इंफाल पश्चिम जिला परिषद
3.	श्रीमती पी. बिमोला देवी	अध्यक्ष, इम्फाल पूर्व जिला परिषद
4.	श्री एच. लिओ	एडीसी, सेनापति जिला
5.	श्री ठा. होपेसन चोटे	अध्यक्ष के सलाहकार, एडीसी, चंदेल
6.	श्री एम. इसाक	उपाध्यक्ष, एडीसी, उखरुल
7.	श्री मिकाह पामी	सदस्य, एडीसी, तामेंगलोंग
8.	श्री एन. वुंगरियो	सदस्य, एडीसी, उखरूल
9.	श्री एच. हांगशिंग	अध्यक्ष, एडीसी, कांग्पोकपी
10.	श्री जॉन हिंगबा	उपाध्यक्ष, एडीसी, सेनापति
11.	श्री टी. पौखानलियन	अध्यक्ष, एडीसी, चूड़ाचांदपुर
12.	श्रीमती रोमबाई एल.	अध्यक्ष, जिला परिषद, बिष्णुपुर जिला
13.	श्री एल. लेत्खोजेन हाओकिप	अपर मुख्य सचिव, टीए और हिल्स
14.	श्री एच. बालकृष्ण	निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज
15.	श्री एम.एच. खान	अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री एस. टेकेंद्रजीत सिंह	अध्यक्ष, इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड यूनियन
2.	श्री वाई. कपूर सिंह	उपाध्यक्ष, इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड यूनियन
3.	श्री ठा. जॉयकुमार सिंह	अखिल मणिपुर उद्यमी संघ
4.	श्री ठाकुर इबोचौबा सिंह	महासचिव, अखिल मणिपुर उद्यमी संघ

5.	श्री वी. शेखर	अध्यक्ष, बॉर्डर ट्रेड चैंबर ऑफ कॉमर्स
6.	श्री चौ. रंजीत सिंह	महासचिव, इंडो म्यांमार निर्यात-आयात संघ
7.	श्री राजमणि शर्मा	अध्यक्ष, मणिपुर आयातक-निर्यातक परिसंघ, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
8.	श्री पी. वायफेई	प्रधान सचिव (कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग)
9.	श्री सी. आर्थर डब्ल्यू.	निदेशक, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, मणिपुर सरकार
10.	डॉ. राधेश्याम ओइनम	मणिपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स
11.	श्री आर. जगन्नाथन	बॉर्डर ट्रेड चैंबर ऑफ कॉमर्स
12.	श्री के. बी. सुब्रह्मण्यम	बॉर्डर ट्रेड चैंबर ऑफ कॉमर्स

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री सुशील हुइद्रोम	उपाध्यक्ष, एनपीपी
2.	श्री ख.लोकन सिंह	महासचिव, एनपीपी
3.	श्रीमती वाई. रोमोला देवी	अध्यक्ष, शिवसेना महिला मोर्चा, शिवसेना
4.	श्री चौ. बिजॉय सिंह	प्रवक्ता, भाजपा मणिपुर, भाजपा
5.	श्री एम. भोरोट सिंह	पूर्व अध्यक्ष, भाजपा मणिपुर, भाजपा
6.	श्री ख. देवब्रत सिंह	कांग्रेस
7.	श्री बी.डी. बेहरिंग	पीडीए
8.	श्री केश्री संता	सचिव, सीपीआई (मार्क्सवादी)
9.	श्री इतो मीतेई	सीपीआई
10.	श्री एल. सोतिन कुमार	प्रदेश सचिव, सीपीआई
11.	श्री ख. सुरचंद	सहायक प्रदेश सचिव, सीपीआई (एम)
12.	डॉ. जी. टी. शर्मा	अध्यक्ष, एमडीपीएफ

16. मेघालय (03-05 जून, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री कोनराड संगमा	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री प्रेस्टोन तिनसोंग	उप-मुख्यमंत्री, प्रभारी लोक निर्माण विभाग (सड़क), पशुपालन एवं पशुचिकित्सा, इत्यादि,
3.	श्री अलेक्जेंडर लालू हेक	कैबिनेट मंत्री, प्रभारी कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इत्यादि,
4.	श्री कॉमिंगोन यमबन	कैबिनेट मंत्री, प्रभारी लोक निर्माण विभाग (भवन), मत्स्यपालन, इत्यादि,
5.	श्री स्नियाभालंग धर	कैबिनेट मंत्री, प्रभारी वाणिज्य एवं उद्योग, सी एंड आरडी, इत्यादि,
6.	श्री मेहताब लिंदोह	कैबिनेट मंत्री, प्रभारी आबकारी, रजिस्ट्रीकरण, कराधान, स्टाम्प, पर्यटन, इत्यादि,
7.	श्री लाह्कमेन रिम्बुई	कैबिनेट मंत्री, प्रभारी सीमा क्षेत्र, वन एवं पर्यावरण, इत्यादि,
8.	श्री किरमेन शायला	कैबिनेट मंत्री, प्रभारी सामाजिक कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, इत्यादि,
9.	श्री बेंटीडोर लिंगदोह	कैबिनेट मंत्री, प्रभारी बागवानी, कृषि, इत्यादि,
10.	श्री हैमलेटसन लिंगदोह	कैबिनेट मंत्री, प्रभारी, शहरी मामले, नगर प्रशासन, इत्यादि,
11.	श्री सैमलिन मालिंग्यांग	कैबिनेट मंत्री, प्रभारी लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी और सचिवालय प्रशासन विभाग
12.	श्री पी.एस. थांगखिव	मुख्य सचिव, मेघालय
13.	श्री हेक्टर मार्वीन	अपर मुख्य सचिव प्रभारी, कला एवं संस्कृति, सामाजिक कल्याण, इत्यादि,

14.	श्री आर.वी. सूचियांग	अपर मुख्य सचिव प्रभारी, वित्त, आयोजना, इत्यादि,
15.	श्री डी.पी. वाहलंग	अपर मुख्य सचिव, प्रभारी, खेल एवं युवा मामले, शहरी कार्य, इत्यादि
16.	श्री संपत कुमार	आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी, कृषि, रेशम-कीट पालन, इत्यादि
17.	श्री टी. दखार	आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी, सामाजिक कल्याण, सीमा क्षेत्र, इत्यादि
18.	श्री फ्रेडरिक रॉय	आयुक्त एवं सचिव प्रभारी, निर्वाचन
19.	श्री एम. आर. सिनरेम	आयुक्त एवं सचिव प्रभारी, राज्य आयोजना बोर्ड, पर्यटन, इत्यादि
20.	श्री एस. खारलिंगदोह,	आयुक्त एवं सचिव प्रभारी गृह (पुलिस) और राजनैतिक विभाग
21.	श्री अलदौस मावलोंग	आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी, वन एवं पर्यावरण
22.	श्री पीटर एस. दखार	आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी खेल एवं युवा मामले तथा कला एवं संस्कृति
23.	डॉ. डी. विजय कुमार	आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी वित्त, आयोजना
24.	श्री आई. आर. संगमा	सचिव प्रभारी, सी एंड आरडी, मत्स्यपालन
25.	श्री एम. एन. नंपुई	सचिव प्रभारी, कृषि, सूचना एवं जनसंपर्क, इत्यादि,
26.	श्री प्रवीण बख्शी	सचिव प्रभारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कला एवं संस्कृति
27.	श्रीमती वांचवा शाल्लम	निदेशक, लेखा एवं कोषागार
28.	श्रीमती बी.एम. लिनदेव	एसईपीएचई
29.	श्री ए. लिंगखर	राज्य समन्वयक, एसबीएम (ए)
30.	श्री बी.एस. सोहलिया	निदेशक, आईपीआर सीईओ, शिलांग नगर परिषद
31.	श्री सी. खरकरंग	निदेशक, एमईपीटीसीएल

32.	श्री के.एन. वार	निदेशक, (वितरण), एमईपीडीसीएल
33.	श्री एम. शांगप्लियांग	निदेशक (उत्पादन), एमईपीसीसीएल
34.	श्री ए.सीएच. मारक	निदेशक, डीएसईएल एवं डीएचटीई- शिक्षा
35.	श्री के. डी. तालेकुदार	मुख्य इंजीनियर, पीएचई, विभाग
36.	श्री ई. खरमाल्की	सचिव, शहरी विकास विभाग
37.	श्री रोहमिंग थिएक	योजना अधिकारी (वन)
38.	श्री जे.आर.संगमा	सचिव, सी.आर.डी. विभाग
39.	श्री ए.एम. लालू	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
40.	श्री आर. सुमेर	उप-निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
41.	श्री रॉबर्ट लिंदोह	संयुक्त सचिव, आयोजना
42.	श्री रंडाल रंगाद	वरि. आर.ओ. इनेवल (ईए)
43.	श्री ई.वाई. चेन	संयुक्त सचिव, वित्त (ईए), विभाग
44.	श्री सिरिल दिएंग्दोह	निदेशक, पर्यटन
45.	श्री एल. खमग्सित	संयुक्त आयुक्त, कर
46.	श्री डब्ल्यू.ए.एम. बूथ	निदेशक, एसवाईए
47.	श्री जे.एल. मावलोंग	निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग
48.	श्री जी.एस. मुखर्जी,	कंपनी सचिव, एमईईसीएल और अनुषंगी कंपनियां
49.	श्री बी.पी. सिंह	मुख्य लेखा अधिकारी, प्रभारी, एमईईसीएल
50.	श्री एम.एन. नंपुई	सचिव, कृषि ईआर विभाग
51.	श्री ए. एल. मावलोंग	निदेशक, भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण
52.	श्री वी.आर. सिलेयाई	निदेशक, सीमा क्षेत्र विकास
53.	श्री पी.एस. दखार	आयुक्त एवं सचिव, खेल एवं युवा मामले
54.	डॉ. मंजूनाथ सी.	सचिव, पशुचिकित्सा एवं खनन
55.	डॉ. शिल्ला	निदेशक पशुपालन एवं पशुचिकित्सा

56.	श्री डब्ल्यू. नोंगसीज	निदेशक, कला एवं संस्कृति
57.	श्री बी. हाजोंग	निदेशक, डीईसीटी
58.	श्री पी. आर. मार्वीन	सचिव पीडब्ल्यूडी (सड़क एवं सेतु)
59.	श्री एल.डी. सूचियांग	मुख्य इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी (सड़क)
60.	श्री पी.के. अग्रहरि	सचिव, वित्त विभाग
61.	श्री अरुण कुमार केंभावी	निदेशक, सीएचआरडी

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री बी.एस. सोहलिया	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, शिलांग नगर परिषद
2.	श्रीमती रिमाया एस. मैनर्स	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जोवाइ नगर परिषद
3.	श्री अलॉयसियस चौ. मारक	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विलियमनगर नगर परिषद
4.	श्रीमती जूलिया बिलचमे मारक	सहायक इंजीनियर, रेसुबेलपाड़ा नगर परिषद
5.	श्री एस. आमसे	ई.ओ., जोवाइ नगर परिषद
6.	श्री बी.एस. सोहलिया	सीईओ, एसएमबी

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री टी. दखार	मुख्य कार्यपालक सदस्य, केएचएडीसी
2.	श्री पीनियाइड एस. स्यिएम	उप-मुख्य कार्यपालक सदस्य, केएचएडीसी
3.	श्री टी. डब्ल्यू. चिने	कार्यपालक सदस्य, केएचएडीसी
4.	श्री पी. लिंगदोह	कार्यपालक सदस्य, केएचएडीसी
5.	श्री टी. शिवात	मुख्य कार्यपालक सदस्य, जेएचएडीसी
6.	श्री एल. रिंबाई	उप-मुख्य कार्यपालक सदस्य, जेएचएडीसी
7.	श्री आर. सिंग्कोन	कार्यपालक सदस्य, जेएचएडीसी
8.	श्री विनिंग जी. सुंगोह	कार्यपालक सदस्य, जेएचएडीसी

9.	श्री एच.बी. दखार	आयोजना सलाहकार, जेएचएडीसी
10.	श्री एल.सी. रिंग्ख्लेम	वित्त एवं लेखा अधिकारी, जेएचएडीसी
11.	श्रीमती जे. पी. डे	मुख्य इंजीनियर, जेएचएडीसी
12.	श्रीमती के. सिंग्कोन	आयोजना अधिकारी, जेएचएडीसी
13.	श्री ऑगस्टीन आर. मारक	अध्यक्ष, उच्च अधिकार समिति, जीएचएडीसी
14.	श्री सेंगनल एन. संगमा	कार्यपालक सदस्य, वित्त, जीएचएडीसी
15.	श्रीमती रिकसे आर. मारक एमसीएस	ईसी के सचिव, जीएचएडीसी
16.	श्री रंगकु ओरासिस एन. संगमा	मुख्य वन अधिकारी, जीएचएडीसी
17.	श्रीमती एस. साईबोर्न	आईटी सचिव, केएचएडीसी
18.	श्री सी. पोहलोंग	उपसचिव, केएचएडीसी

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सिल्डा थाबाह	मेसर्स डिलिकेसीज फूड प्रोसेसिंग सेंटर, नोंग्रह, शिलांग
2.	श्री जेम्स दुखार	मेसर्स नेला हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर-कम-प्रोडक्शन यूनिट, मावकासियांग
3.	श्रीमती डी. मजाव (अध्यक्ष)	मेसर्स स्मोकी फाल्स ट्राइब कॉफी, नोंगथिमाई
4.	श्री पेला मारबानियांग	मजई एक्सपोर्टर, पूर्वी खासी हिल्स जिला
5.	श्री सतीश उरिओन	मजई एक्सपोर्टर, पूर्वी खासी हिल्स जिला
6.	श्री फील्डस्टार जापंग	मजई एक्सपोर्टर, पूर्वी खासी हिल्स जिला
7.	श्री आर. लिंगदोन	रिवर मिहंगी एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एसोसिएशन, पूर्वी खासी हिल्स जिला
8.	श्री एन. खोंगख्लाद (अध्यक्ष)	रिवर मिहंगी एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एसोसिएशन, पूर्वी खासी हिल्स जिला
9.	श्री एरिकस्टोन लासो	नोंग्जरी एलाका इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन, पूर्वी खासी हिल्स जिला

10.	श्री एमलिन नोमी	नोंग्जरी एलाका इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन, पूर्वी खासी हिल्स जिला
11.	श्री नथानेल पी. एंडरसन न्यूमई	मेसर्स एंडरसन टी एस्टेट, उमरान डेयरी, री-भोई, जिला
12.	श्री आर. के. पारीक (अध्यक्ष)	मेघालय सीमेंट्स लि., थांग्स्काई 23, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
13.	श्री देवेन्द्र बंसल	सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि., लुम्श्नोंग, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
14.	श्री एल.एन. मिश्रा	डालमिया सीमेंट्स लि., थांग्स्काई, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
15.	श्री पवन जोशी	ग्रीन वैली सीमेंट्स लि., नोंग्स्निंग, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
16.	श्री पवन यादव	मेसर्स अमृत सीमेंट्स लि., उमलापेर, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
17.	श्री विक्रम सिंघानिया	मेसर्स प्रिंट एक्सप्रेस, पुलिस बाजार, शिलांग
18.	श्री ए.बी. राजन	हिल्स सीमेंट कं. लिमिटेड
19.	श्री ए. केजरीवाल	मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड
20.	श्री आर.सी. त्रिपाठी	अमृत सीमेंट लिमिटेड
21.	श्री एरिक स्टोन लासो	नोंग्जरी एलाका एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एसोसिएशन

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री ऑस्पिसियस एल. माव्फलांग	महासचिव, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट
2.	श्री विजय राज	कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
3.	श्री एच.एम. शांगप्लीयांग	विधायक, कांग्रेस
4.	श्री डॉन कुपार वार	कार्यकारी अध्यक्ष, नेशनल पीपुल्स पार्टी
5.	श्री डेविड खरसाती	प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

6.	श्री के. बसइयावमोइत	प्रदेश कार्यपालक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
7.	श्री के.पी. पंगनियांग	अध्यक्ष, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
8.	श्री एडेलबर्ट नोंग्रुम	अध्यक्ष, खुन हाइनेविट्रेप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट
9.	श्री थॉमस पासा	उपाध्यक्ष, खुन हाइनेविट्रेप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट
10.	श्री मेटबाह लिंगदोह	कार्यकारी अध्यक्ष, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी
11.	श्री लाह्कमेन रिम्बुई	विधायक, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी
12.	श्री एस.पी. झापर	महासचिव, एनसीपी
13.	श्री एस. खारलिंगदोह	आयुक्त, गृह पुलिस

17. मिजोरम (25-26 मार्च, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री लालनुनमाविया चुआंगो	मुख्य सचिव
2.	श्री वनलाल छुअंगा	वित्त आयुक्त
3.	श्री लालमलसावमा	वित्त सचिव (एफसी)
4.	श्री साविह्लिरा	वित्त सचिव
5.	डॉ. चौ. मुरलीधर राव	प्रधान सचिव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
6.	श्री लालमिंगथंगा	आयुक्त एवं सचिव, कृषि, ग्रामीण विकास
7.	श्री ब्यक्तलुअंगा	आयुक्त एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
8.	श्री लालथंगपुइया साइलो	आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा
9.	श्री एच. एल. रोचुंगनुंगा	आयुक्त एवं सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, लोक निर्माण विभाग
10.	श्री जोथन खुमा	आयुक्त एवं सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम, रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमिता
11.	श्रीमती एस्थर लालरुअत्किमी	आयुक्त एवं सचिव, स्कूल शिक्षा, पर्यटन
12.	श्री रोडने एल. राल्टे	सचिव, बागवानी, जिला परिषद एवं अलपसंख्यक मामले
13.	श्री एच. लालेंगमाविया	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेल एवं युवा सेवाएं
14.	डॉ. सी. वनलालरमसंगा	सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, आयोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
15.	श्री बी. लालमिंगथंगा	सचिव, कला एवं संस्कृति, विद्युत एवं बिजली

16.	श्रीमती जोरामथंगी हाओनर	सचिव, स्थानीय प्रशासन विभाग
17.	श्रीमती मर्ली वांगकुंग	सचिव, विधि एवं न्याय विभाग
18.	श्री विंग कमांडर जे. लालमिंगलियाना	प्रधान परामर्शदाता, नागर विमानन
19.	श्री लालरिखुमा साइलो	सलाहकार, आयोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
20.	इंजी. के. लालसमवेला	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग
21.	इंजी. लालमुअनजोवा	मुख्य इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी
22.	श्री सी. लियनलुंग	मुख्य इंजीनियर विद्युत एवं बिजली के लिए मुख्य इंजी. (आरई)
23.	श्रीमती रामदीनलियानी	संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास
24.	श्री जोसेफ एच. लालरमसंगा	निदेशक, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन
25.	डॉ. टी. लालमनगेही	निदेशक, अस्पताल एवं चिकित्सा शिक्षा
26.	डॉ. लालनुंतलुअंगी	निदेशक, चिकित्सा अधिकारी (आयोजना) स्वास्थ्य सेवाएं
27.	डॉ. एच. सल्थाओत्लुअंगा	निदेशक, कृषि (आर एवं ई)
28.	श्री आर.एस. लाल्जम्लियाना	निदेशक, स्थानीय प्रशासन विभाग
29.	डॉ. एलिजाबेथ साइपरी	निदेशक, बागवानी
30.	श्री ललछुअनाव्मा ह्रसेल	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
31.	डॉ. एच. लालथंग्लियाना	आयुक्त, आइजोल नगर निगम
32.	श्री रामचुआना	अपर सचिव, वित्त विभाग (आर्थिक कार्य/बजट)
33.	श्री लालह्मिंग्माविया साइलो	अपर सचिव, वित्त विभाग (एफसी एवं एमसी)
34.	श्री सी. लुंग्मुअनपुइया	अवर सचिव, वित्त विभाग (एफसी एवं एमसी)

18. नागालैंड (27-28 नवंबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री नेफ्यू रियो	मुख्यमंत्री
2.	श्री वाई. पैटन	उप-मुख्यमंत्री, गृह
3.	श्री जी. काइतो आये	मंत्री, कृषि
4.	श्री पेइवांग कोन्याक	मंत्री, परिवहन
5.	श्री मेत्सुबु	मंत्री, नगरीय कार्य
6.	श्री आर. बिंचिलो थोंग	मुख्य सचिव
7.	श्री तेमजेन तोए	अपर मुख्य सचिव, वित्त
8.	श्री सेंटियांगर इमचेन	प्रधान सचिव एवं विकास आयुक्त
9.	श्री ल्होउबिलातुओ काइरे	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, ईएफ एंड सीसी, डीयूडीयू तथा निर्माण कार्य और आवासन
10.	श्री मेनुखोल जॉन	प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा
11.	श्री अभिषेक सिंह	आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव, शहरी विकास और पी एंड एआर
12.	श्री वाई. किखेतो सेमा	सचिव, वित्त एवं भूमि संसाधन
13.	श्रीमती केविलेनो अंगामी	विशेष कार्याधिकारी, आयोजना और समन्वय तथा स्कूल शिक्षा

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री जॉन लोहे	कोषाध्यक्ष, चाखेसांग सार्वजनिक संगठन
2.	श्री डेविड संग्ताम	पूर्वी नागा सार्वजनिक संगठन
3.	श्रीमती त्सैकोला रोथ्रॉन्ग	सलाहकार, पूर्वी नागा महिला संगठन
4.	श्री कोवी मेयासे	प्रशासक, कोहिमा नगर परिषद

5.	श्री पाकोन फॉम	प्रशासक, त्वेनसांग नगर परिषद
6.	श्री सी.टी. जमीर	एओ सेंडेन प्रतिनिधि
7.	श्री के. टी. विली	अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन
8.	श्री विहोशे मुरु	उपाध्यक्ष, सुमी होहो
9.	डॉ. फियोबेमो न्गुली	उपाध्यक्ष, लोथा होहो
10.	श्री अपोंग जांगेर	अध्यक्ष, पूर्वी नागा विद्यार्थी परिसंघ
11.	श्री मोआतेम्सु संग्ताम	प्रशासक, दीमापुर नगर परिषद
12.	श्री मैनपइ फॉम	प्रशासक, मोकोचुंग नगर परिषद
13.	श्री रमणीकांत	प्रशासक, मोन नगर परिषद
14.	श्री अभिषेक सिंह	आयुक्त एवं सचिव, शहरी विकास
15.	श्री वाई. किखेतो सेमा	सचिव, वित्त एवं भूमि संसाधन

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि (ग्राम परिषद सदस्य एवं ग्राम विकास बोर्ड)

1.	श्री आओनेन पोंगेन	अध्यक्ष, चुचुयिम्लांग ग्राम परिषद, मोकोचुंग
2.	श्री तोहोशे अवोमी	अध्यक्ष, नागालैंड स्टेट वीडीबी एसोसिएशन
3.	श्री के. त्सालीमोंग	अध्यक्ष, कोहिमा ग्राम परिषद
4.	डॉ. नीफी काइरे	अध्यक्ष, कोहिमा ग्राम परिषद
5.	श्री यामयिंग कोन्याक	वीडीबी सचिव, लापा ग्राम, मोन जिला
6.	श्रीमती रीता वी. छाया	वीडीबी (महिला), खुजामा ग्राम, कोहिमा जिला
7.	श्रीमती केनी-यू साचु	वीडीबी (महिला), कोहिमा ग्राम, कोहिमा जिला
8.	श्री थेजस सेख़ोसे	कोहिमा ग्राम
9.	श्री बेंडांग्कोकबा	आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास
10.	श्री वाई. किखेतो सेमा	सचिव, वित्त एवं भूमि संसाधन
11.	श्री रोविलातुओ मोर	सचिव, गृह

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री तेमजेन तोए	अपर मुख्य सचिव (वित्त)
2.	श्रीमती लिथ्रोंग्ला जी. चिशी	आयुक्त एवं सचिव उद्योग एवं वाणिज्य
3.	श्रीमती केखरीनुओ मेयासे	महासचिव, केसीसीआई
4.	श्री त्सुक्ति लोंग्कुमेर	अध्यक्ष, एमसीसीआई
5.	श्रीमती हेकानि जखालु	अध्यक्ष, शासकीय परिषद, यूथनेट
6.	श्री रिचर्ड बेल्हो	अध्यक्ष, ज़ाइनोरिक़
7.	श्री नीशुते डोउलो	सीईओ, उद्यमी सहयोगी
8.	श्री ओका सुमी	सदस्य, डीसीसीआई
9.	श्री लिमालेंडन लोंग्कुमेर	सचिव, एमसीसीआई
10.	श्री रुओकुओनीली केसीज़ी	उपाध्यक्ष, केसीसीआई

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री अलेम्तेम्शी जामीर	कार्यकारी अध्यक्ष, एनडीपीपी
2.	श्री एंड्रयू योम	युवा अध्यक्ष, एनडीपीपी
3.	श्री हुश्का येपथोमी	कार्यकारी अध्यक्ष, एनपीएफ
4.	श्री सुनवोंगो	उपाध्यक्ष, एनपीएफ
5.	डॉ. सुखातो ए. सेमा	उपाध्यक्ष, बीजेपी
6.	श्री केवेखापे थेरी	अध्यक्ष, एनपीसीसी
7.	श्री कितोहो रोतोख़ा	महासचिव, जेडी(यू)
8.	श्री अतो येपथोमी	अध्यक्ष, एनपीपी
9.	श्री चेलुबा	उपाध्यक्ष, एनपीपी
10.	श्री जुकैमो पैटन	महासचिव (वाई.वी.), एनसीपी
11.	श्री वांथुंगो ओड्युओ	एनसीपी अध्यक्ष

12.	श्री इम्सु ओजुकुम	उपाध्यक्ष, एलजेपी
13.	श्री केवेख्रो काफो	कार्यकारी अध्यक्ष, एलजेपी
14.	श्री तेमजेन तोए	अपर मुख्य सचिव (वित्त)
15.	श्री मेनुखोल जॉन	प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा

19. ओडिशा (08-11 जनवरी, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री नवीन पटनायक	माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा
2.	श्री शशि भूषण बेहरा	माननीय मंत्री, वित्त, आबकारी, कृषि एवं कृषक सशक्तीकरण और मत्स्यपालन तथा ए.आर.डी.
3.	श्री बिक्रम केशरी अरुखा	माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य और लोक उद्यम
4.	श्री प्रताप जेना	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विधि, सूचना एवं जनसंपर्क
5.	श्री आदित्य प्रसाद पाधी	मुख्य सचिव
6.	श्री असित कुमार त्रिपाठी	डी.सी.-सह-अपर मुख्य सचिव
7.	श्री गगन कुमार ढाल	एपीसी–सह-ए.सी.एस
8.	श्री सुरेश चंद्र महापात्र	अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
9.	श्री आर. के. शर्मा	अपर मुख्य सचिव, इस्पात एवं खान विभाग
10.	श्री एल. एन. गुप्ता	अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
11.	श्री अशोक के. के. मीणा	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
12.	डॉ. सौरव गर्ग	प्रधान सचिव, कृषि एवं कृषक सशक्तीकरण विभाग
13.	श्री जी. श्रीनिवास	प्रधान सचिव, वाणिज्य और परिवहन विभाग
14.	श्री सी. जे. वेणुगोपाल	प्रधान सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
15.	श्री निकुंज बिहारी ढाल	प्रधान सचिव, आर एवं डीएम तथा आबकारी विभाग
16.	श्री जी. मथी वथानन	प्रधान सचिव, आवासन एवं शहरी विकास और संसदीय कार्य विभाग
17.	श्री संजीव चोपड़ा	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग

18.	श्रीमती अनु गर्ग	प्रधान सचिव, श्रम एवं ई.एस.आई., डब्ल्यू एवं सीडी तथा मिशन शक्ति विभाग
19.	श्री डी. के. सिंह	प्रधान सचिव, पंचायती राज एवं पेयजल विभाग
20.	श्री मनोरंजन पाणिग्रही	प्रधान सचिव, उड़िया भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग
21.	डॉ. मोना शर्मा	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
22.	श्री पी. के. महापात्र	प्रधान सचिव, स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग
23.	श्री नितेन चंद्र	प्रधान सचिव, सामाजिक सुरक्षा तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
24.	श्री प्रदीप कुमार जेना	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग
25.	श्री हेमंत शर्मा	आयुक्त–सह-सचिव, ऊर्जा विभाग
26.	श्री वीर विक्रम यादव	आयुक्त-सह-सचिव, एफ. एस. एवं सी. डब्ल्यू. विभाग
27.	श्रीमती शुभा सरमा	आयुक्त-सह-सचिव, हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग
28.	श्री भास्कर ज्योति सरमा	आयुक्त-सह-सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
29.	डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा	आयुक्त-सह-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
30.	श्री बिष्णुपद सेठी	आयुक्त-सह-सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और विशेष राहत आयुक्त
31.	श्री संजय कुमार सिंह	आयुक्त-सह-सचिव, आई एवं पीआर तथा एसडी एवं टीई विभाग
32.	श्री विशाल कुमार देव	आयुक्त-सह-सचिव, पर्यटन एवं खेल तथा वाईएस विभाग
33.	श्री आर. रघु प्रसाद	आयुक्त-सह-सचिव, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग
34.	श्री वी. कार्तिकेयन पांडियन	मुख्यमंत्री के निजी सचिव

35.	श्री नलिनीकांत प्रधान	मुख्य इंजीनियर-सह-सचिव, निर्माण कार्य विभाग
36.	श्री आर. पी. शर्मा	पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, ओडिशा
37.	श्री बी. के. शर्मा	पुलिस महानिदेशक, एफ.एस, होमगार्ड्स और निदेशक, सिविल डिफेंस, ओडिशा, कटक
38.	डॉ. देबासीस पाणिग्रही	अपर पुलिस महानिदेशक, सतर्कता
39.	सुश्री मधुमिता बसु	प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा
40.	सुश्री चित्रा अरुमुगम	विशेष सचिव, आयोजना एवं अभिसरण (पीएंडसी) विभाग
41.	श्रीमती संतोष बाला	विशेष सचिव, गृह विभाग
42.	श्री संग्रामजीत नायक	निदेशक, नगर प्रशासन
43.	श्री प्रताप चंद्र दास	निदेशक, पंचायती राज
44.	श्री आर. विनील कृष्ण	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भुवनेश्वर स्मार्ट सिटीलि., भुवनेश्वर
45.	श्री स्मृति रंजन प्रधान	निदेशक, एनआरएलएम
46.	श्री पी. सी. माझी	विशेष सचिव, वित्त विभाग
47.	श्री पी. के. बिस्वाल	विशेष सचिव, वित्त विभाग
48.	श्री सी. पी. मोहंती	विशेष सचिव, वित्त विभाग
49.	श्री बिवस कानूनगो	विशेष सचिव, वित्त विभाग
50.	श्री पी. के. राउत	निदेशक, लघु बचत, वित्त विभाग
51.	श्री एन. के. राउतराय	अपर सचिव, वित्त विभाग
52.	श्री प्रदीप्त कुमार नंदा	अपर सचिव, वित्त विभाग
53.	श्री गदाधर नंदी	अपर सचिव, वित्त विभाग
54.	श्री रूप नारायण दास	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
55.	श्री देवीप्रिय बिस्वाल	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग

56.	श्री सत्य प्रिय रथ	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
57.	श्री सत्यब्रत राउत	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
58.	श्री सांतनु कुमार साहू	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
59.	श्रीमती स्मिता राउत	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
60.	सुश्री जयश्री त्रिपाठी	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
61.	श्रीमती एलोरा मोहंती	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
62.	श्रीमती सरमिष्ठा सेठी	उप-सचिव, वित्त विभाग
63.	श्री सौम्यजीत राउत	उप-सचिव, वित्त विभाग
64.	श्री अनिल कुमार पुरोहित	उप-सचिव, वित्त विभाग
65.	श्री प्रशांत कुमार मिश्रा	उप-सचिव, वित्त विभाग
66.	श्री रजनी कांत मिश्रा	उप-सचिव, वित्त विभाग
67.	श्री मलय कुमार मोहंती	अवर सचिव, वित्त विभाग
68.	श्री निहार रंजन पांडा	अवर सचिव, वित्त विभाग
69.	श्री सी. आर. होता	अवर सचिव, वित्त विभाग
70.	श्री पी. के. बेहरा	अवर सचिव, वित्त विभाग

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती के. शांति	उपमहापौर, भुवनेश्वर नगर निगम
2.	श्री बी. के. बेहरा	कॉरपोरेटर एवं अध्यक्ष अनुज्ञप्ति स्थायी समिति, कटक नगर निगम
3.	श्रीमती शुभाश्री मल्लिक	अध्यक्ष, सुनाबेदा नगरपालिका
4.	श्रीमती दीपांजलि भोरासागर	अध्यक्ष, अट्टाबिरा एनएसी
5.	श्रीमती हीरा बाग	अध्यक्ष, धर्मगढ़ एनएसी
6.	श्री सुनील परीदा	उपाध्यक्ष, जिला परिषद, कटक

7.	श्रीमती एम्मा एक्का	अध्यक्ष, जिला परिषद, सुंदरगढ़
8.	सुश्री पुष्पलता सामंत	अध्यक्ष, पंचायत समिति, बांकी
9.	श्री मनोज बरुआ	अध्यक्ष, पंचायत समिति, सुब्देगा
10.	श्रीमती अन्नपूर्णा देहुरी	सरपंच, मुकुंदपुर पटना ग्राम पंचायत
11.	श्री जसेश साहू	सरपंच, सप्तसाज्य ग्राम पंचायत
12.	श्रीमती मालती प्रधान	सरपंच, मिनिया ग्राम पंचायत
13.	श्री बसंत कुमार नाइक	सरपंच, बनाइगढ़ ग्राम पंचायत

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री हिमांशु शेखर मिश्रा	उपाध्यक्ष, ओडिशा लघु उद्योग संघ
2.	श्री संजय कुमार महापात्र	कार्यकारी सदस्य, ओडिशा लघु उद्योग संघ
3.	श्री अशोक चिंचेला	मानद कोषाध्यक्ष, उत्कल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
4.	श्री संजीव महापात्र	मानद संयुक्त सचिव, उत्कल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
5.	श्री बिरंची नारायण मिश्रा	अध्यक्ष, ओडिशा युवा उद्यमी संघ
6.	श्री सुधाकर पांडा	महासचिव, ओडिशा व्यवसायी महासंघ
7.	श्री शुभ्रकांत पांडा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ, आईएमएफए और अध्यक्ष, फिक्की-ओडिशा राज्य परिषद
8.	इं. सात्विक स्वेन	महासचिव मानद, ओडिशा लघु एवं मध्यम उद्यम सभा

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री सुब्रत सामल	प्रदेश समन्वयक, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी)
2.	प्रो. क्षितिभूषण दास	वरिष्ठ सदस्य, बीजेपी बौद्धिक प्रकोष्ठ

3.	श्री सुदर्शन नायक	प्रदेश संयोजक, बीजेपी बौद्धिक प्रकोष्ठ
4.	डॉ. अमर पटनायक	प्रवक्ता, बीजू जनता दल (बीजेडी)
5.	डॉ. सुष्मित पात्रा	प्रवक्ता, बीजू जनता दल (बीजेडी)
6.	श्री दिबाकर नायक	सदस्य, सीपीआई राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
7.	श्री आशीष कानूनगो	सीपीआई प्रदेश सचिव
8.	श्री संतोष दास	प्रदेश सचिवालय सदस्य, सीपीआई (मार्क्सवादी)
9.	श्री गणेश्वर बेहरा	उपाध्यक्ष, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी)
10.	श्री बिक्रम स्वेन	महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)
11.	श्री सुजीत जी. दस्तीदार	प्रदेश संयोजक, ओडिशा प्रदेश तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)
12.	श्री सुभ्रांशु शेखर पाधी	सचिव, ओडिशा प्रदेश तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)

20. पंजाब (29 जनवरी-01 फरवरी, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	कैप्टन अमरिंदर सिंह	मुख्यमंत्री
2.	श्री ब्रह्म मोहिंद्रा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
3.	श्री मनप्रीत सिंह बादल	वित्त मंत्री
4.	श्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा	मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत
5.	श्री चरणजीत सिंह चन्नी	मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
6.	श्री ओम प्रकाश सोनी	मंत्री, स्कूल शिक्षा और स्वतंत्रता सेनानी
7.	श्री सुरेश कुमार	मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव
8.	श्री करन अवतार सिंह	मुख्य सचिव
9.	श्री निर्मलजीत सिंह कलसी	अपर मुख्य सचिव गृह मामले एवं न्याय
10.	श्री सतीश चंद्र	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
11.	श्रीमती कल्पना मित्तल बरुआ	अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व एवं पुनर्वास
12.	श्री एम. पी. सिंह,	अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त, कराधान
13.	श्रीमती विनी महाजन	अपर मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
14.	श्री विश्वजीत खन्ना	अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त विकास
15.	श्री रोशन सुनकरिया	अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त, वन और वन्य जीव तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
16.	श्री अनिरुद्ध तिवारी	प्रधान सचिव, वित्त
17.	श्री ए. वेणु प्रसाद	प्रधान सचिव, स्थानीय शासन एवं विद्युत विभाग
18.	श्री सर्वजीत सिंह	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग

19.	श्रीमती राजी पी. श्रीवास्तव	प्रधान सचिव, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग
20.	श्री के. ए. पी. सिन्हा	प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
21.	श्री जसपाल सिंह	प्रधान सचिव, आयोजना विभाग
22.	श्री अनुराग वर्मा	प्रधान सचिव एवं वित्तीय आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतें
23.	श्री राकेश कुमार वर्मा	प्रधान सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग
24.	श्री विकास प्रताप	प्रधान सचिव, पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग
25.	श्री डी. के. तिवारी	प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
26.	श्री तेजवीर सिंह	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
27.	श्री गुरकीरत कृपाल सिंह	मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव
28.	श्री वी.एन. जाडे	सचिव, व्यय
29.	श्रीमती जसप्रीत तलवार	सचिव, जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग
30.	श्री हुसन लाल	सचिव, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग
31.	श्री विवेक प्रताप सिंह	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
32.	श्री कृष्ण कुमार	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
33.	श्री अजॉय शर्मा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड
34.	श्री अभिनव त्रिखा	विशेष सचिव, व्यय
35.	श्री अजय बीर जाखड़	अध्यक्ष, कृषक एवं कृषि श्रमिक आयोग
36.	श्री वी. के. गर्ग	मुख्यमंत्री के सलाहकार (एफआर)
37.	श्री बलदेव सिंह ढिल्लों	कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय
38.	प्रोफेसर अमरजीत सिंह नंदा	कुलपति, गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री ए. वेणु प्रसाद	प्रधान सचिव, स्थानीय शासन एवं विद्युत, पंजाब
2.	श्री कर्णेश शर्मा	निदेशक, स्थानीय शासन, पंजाब
3.	श्री गुरप्रीत सिंह खेड़ा	सचिव, स्थानीय शासन, पंजाब
4.	श्री अजॉय शर्मा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब राज्य जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड
5.	श्री मोहिंदर पाल	विशेष सचिव, स्थानीय शासन, पंजाब
6.	श्री संजीव कुमार शर्मा	महापौर, नगर निगम, पटियाला
7.	श्री करमजीत सिंह रिंटू	महापौर, नगर निगम, अमृतसर
8.	श्री बलकार सिंह संधू	महापौर, नगर निगम, लुधियाना
9.	श्री ललित मोहन पाठक	अध्यक्ष, नगर परिषद, नवांशहर
10.	श्री नरिंदर शास्त्री	अध्यक्ष, नगर परिषद, राजपुरा
11.	सुश्री किरण सूद	अध्यक्ष, नगर परिषद, अमलोह
12.	श्री इकबाल सिंह सैनी	पार्षद, नगर परिषद, नया गाँव
13.	श्री सुरिंदर कुमार	पार्षद, नगर परिषद, नया गाँव
14.	श्री सुरमुख सिंह	पार्षद, नगर परिषद, खरड़
15.	श्री सुनील कुमार	उपाध्यक्ष, नगर परिषद, खरड़
16.	श्री जगतार सिंह	पार्षद, नगर परिषद, लालड़ू
17.	श्री तेजिंदर सिंह सिद्धू	पार्षद, नगर परिषद, जिरकपुर
18.	श्री जगदीश राज राजा	महापौर, नगर निगम, जालंधर
19.	श्री जगतार सिंह	पार्षद, नगर परिषद, जिरकपुर
20.	मुकेश राणा	पार्षद, नगर परिषद, लालड़ू
21.	श्री अनुराग वर्मा	वित्तीय आयुक्त, ग्रामीण विकास और पंचायतें, पंजाब
22.	श्री विजय जाडे	सचिव, व्यय, पंजाब

23.	श्री जसकिरण सिंह	निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायतें, पंजाब
24.	सुश्री तन्नू कश्यप	संयुक्त विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास और पंचायतें, पंजाब
25.	श्री जसवीर सिंह	सदस्य, जिला परिषद, फतेहगढ़ साहिब
26.	श्रीमती गुरविंदर कौर	सदस्य, जिला परिषद, पटियाला
27.	श्री जसवीर सिंह	सदस्य, जिला परिषद, पठानकोट
28.	श्री सर्वजीत सिंह	सदस्य, पंचायत समिति राजपुरा, जिला पटियाला
29.	श्री बूटा सिंह	सरपंच, पिलखनी, जिला पटियाला
30.	श्रीमती सीता रानी	सरपंच, हरिपुर, जिला जालंधर
31.	श्री कुलविंदर कुमार	पंच, हरिपुर, जिला जालंधर
32.	श्री साधु सिंह	सरपंच, सिंहपुरा, जिला रूप नगर
33.	श्री लखविंदर कुमार	पंच, सुखानंद, जिला मोगा

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती विनी महाजन	अपर मुख्य सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब
2.	श्री अनिरुद्ध तिवारी	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, पंजाब
3.	श्री देविन्दर पाल सिंह खरबन्दा	निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब
4.	श्री सर्वजीत सिंह सरमा	भारतीय उद्योग महासंघ, पंजाब राज्य परिषद्
5.	श्री गुनबीर सिंह	भारतीय उद्योग महासंघ, पंजाब राज्य परिषद्
6.	श्री एस.सी. रल्हण	हैंड टूल्स एसोसिएशन, लुधियाना
7.	श्री आर.एस. सचदेवा	पीएचडीसीसीआई
8.	श्री ओपिंदर सिंह	ईईपीसी
9.	श्री के. के. गर्ग	इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन, लुधियाना
10.	श्री ओंकार सिंह पाहवा	एवन साइकल्स, लुधियाना

11.	श्री एस. के. राय	हीरो साइकल्स लि.
12.	श्री उपकार सिंह आहूजा	सीआईसीयू
13.	श्री के. के. सेठ	नीलम साइकल्स
14.	श्री राजिंदर प्रसाद महांजन	एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्‌र्स गुड्स
15.	श्री योगेश सागर	मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
16.	श्री संजीव वशिष्ट	मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
17.	श्री कमल डालमिया	फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
18.	श्री संजय मेहरा	पंजाब वार्प निटिंग इंडस्ट्रीज
19.	श्री अमित खन्ना	खन्ना ओवरसीज, ब्लेंकट एंड शॉल्स इंडस्ट्री
20.	श्री प्रदीप सहगल	इंडियन इम्पोर्टर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
21.	श्री मोहित खन्ना	आईसीपी, चैंबर ऑफ कॉमर्स
22.	श्री सचिद मदान	आईटीसी
23.	श्री अरविंदर पाल सिंह	पंजाब चावल निर्यातक संघ
24.	श्री अजय अरोड़ा	क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स
25.	श्री आर. के. अरोड़ा	ओसीएम प्रा. लि.
26.	श्री रमणीक सिंह	सपल टेक इंडस्ट्रीज
27.	श्री अमित शर्मा	आईटीसी लि.
28.	श्री अरविंदर पाल सिंह	लाल किला राइस, अमृतसर

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री कुलजीत सिंह नागरा	विधायक, पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति
2.	श्री अमित विज	विधायक, पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति
3.	श्री सुनील जाखड़	पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति
4.	श्री अमन अरोड़ा	विधायक, सुनाम, आम आदमी पार्टी

5.	श्री जसतेज सिंह	अध्यक्ष, विधिक प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी
6.	श्री परमिंदर सिंह ढींढसा	विधायक, शिरोमणि अकाली दल
7.	डॉ. दलजीत सिंह चीमा	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल
8.	श्री अनिल सरीन	प्रदेश प्रवक्ता, शिरोमणि अकाली दल
9.	श्री जीवन गुप्ता	प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय, शिरोमणि अकाली दल
10.	डॉ. सुभाष शर्मा	प्रदेश सचिव, भारतीय जनता पार्टी
11.	श्री मनजीत सिंह	संयोजक, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
12.	श्री रोशन लाल गोयल	सदस्य कार्यकारी समिति, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
13.	श्री पाल सिंह रत्तू	जोन प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी
14.	श्री हरनेक सिंह	जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी
15.	श्री बंत सिंह बरार	सचिव, पंजाब प्रदेश, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
16.	डॉ. जोगिंदर सिंह दयाल	राष्ट्रीय पार्षद, पंजाब प्रदेश, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
17.	श्री सुखविंदर सिंह सेखों	सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
18.	श्री रघुनाथ सिंह	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
19.	श्री स्वर्ण सिंह	अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
20.	श्री गुइंदर सिंह	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

21. राजस्थान (06-09 सितंबर, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री अशोक गहलोत	मुख्यमंत्री
2.	श्री सचिन पायलट	उप-मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी, आरडी एवं पीआर विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सांख्यिकी विभाग
3.	श्री बुलाकी दास कल्ला	मंत्री, ऊर्जा, पीएचईडी, भू-जल विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग
4.	श्री शांति कुमार धारीवाल	मंत्री, एलएसजी, यूडीएच विभाग, विधि एवं विधिक मामले और विधिक परामर्श कार्यालय, संसदीय कार्य विभाग
5.	श्री परसादी लाल	मंत्री, उद्योग, राज्य उद्यम विभाग
6.	मास्टर भंवरलाल मेघवाल	मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग
7.	श्री लालचंद कटारिया	मंत्री, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्यपालन विभाग
8.	श्री रघु शर्मा	मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
9.	श्री प्रमोद भाया	मंत्री, खान विभाग, गौ-पालन विभाग
10.	श्री विश्वेंद्र सिंह	मंत्री, पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग
11.	श्री हरीश चौधरी	मंत्री, राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, कमान क्षेत्र विकास एवं जल उपयोग विभाग
12.	श्री रमेश चंद मीणा	मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग

13.	श्री अंजना उदयलाल	मंत्री, सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) विभाग
14.	श्री प्रताप सिंह खाचरियावास	मंत्री, परिवहन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग
15.	श्री सालेह मोहम्मद	मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य, वक्फ़ और लोक शिकायत समाधान विभाग
16.	श्री गोविंद सिंह डोटासरा	राज्य मंत्री, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) विभाग (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग
17.	श्रीमती ममता भूपेश	राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार), लोक शिकायत समाधान विभाग, अल्पसंख्यक कार्य विभाग, वक्फ़ विभाग
18.	श्री अर्जुन सिंह बामनिया	राज्य मंत्री, जनजातीय क्षेत्र विभाग (स्वतंत्र प्रभार), उद्योग विभाग, राज्य उद्यम विभाग
19.	श्री भंवर सिंह भाटी	राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, कमान क्षेत्र विकास एवं जल उपयोग विभाग
20.	श्री सुखराम विश्नोई	राज्य मंत्री, वन विभाग (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण विभाग (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग
21.	श्री अशोक	राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल विभाग (स्वतंत्र प्रभार), कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग
22.	श्री टीकाराम जूली	राज्य मंत्री, श्रम विभाग (स्वतंत्र प्रभार), कारखाना एवं बॉयलर अन्वेषण विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) विभाग

23.	श्री भजनलाल जाटव	राज्य मंत्री, होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग (स्वतंत्र प्रभार), स्टाम्प एवं स्टेशनरी विभाग (स्वतंत्र प्रभार), कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्यपालन विभाग
24.	श्री राजेंद्र सिंह यादव	राज्य मंत्री, आयोजना (जनशक्ति) विभाग (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मोटर गैराज विभाग (स्वतंत्र प्रभार), भाषा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग
25.	डॉ. सुभाष गर्ग	राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृत शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
26.	श्री अरविंद मायाराम	मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार
27.	श्री गोविंद शर्मा	मुख्यमंत्री के सलाहकार
28.	श्री डी. बी. गुप्ता	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
29.	श्री राजीव स्वरूप	अपर मुख्य सचिव, गृह और परिवहन विभाग
30.	श्रीमती वीनू गुप्ता	अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग
31.	श्री पवन कुमार गोयल	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग
32.	श्री राजेश्वर सिंह	अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज
33.	श्री निरंजन कुमार आर्य	अपर मुख्य सचिव, वित्त
34.	श्री रोहित कुमार सिंह	अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
35.	श्री आर. वेंकटेश्वरन	प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
36.	श्री अभय कुमार	प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग
37.	श्री अखिल अरोड़ा	प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
38.	श्री संदीप वर्मा	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरी विभाग

39.	श्री कुलदीप रांका	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
40.	श्रीमती श्रेया गुहा	प्रधान सचिव, वन और पर्यटन विभाग
41.	श्री नरेश पाल गंगवार	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
42.	श्री भास्कर ए. सावंत	प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं आवासन विभाग
43.	श्री अजिताभ शर्मा	मुख्यमंत्री के सचिव
44.	श्री नवीन महाजन	सचिव, जल संसाधन विभाग
45.	श्रीमती गायत्री ए. राठौड़	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
46.	श्री भवानी सिंह देथा	सचिव, स्थानीय स्वशासन
47.	श्रीमती मंजू राजपाल	सचिव, वित्त (बजट) विभाग
48.	श्री आशुतोष ए. टी. पेडनेकर	सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज और आपदा प्रबंधन
49.	डॉ. पृथ्वी राज	सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग
50.	श्री सुधीर कुमार शर्मा	विशेष सचिव, वित्त (व्यय)

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सुशीला सेवर	जिला प्रमुख, बीकानेर
2.	श्री सुरेंद्र कुमार	जिला प्रमुख, कोटा
3.	श्रीमती गीता खटाणा	जिला प्रमुख, दौसा
4.	श्री मूल चंद मीणा	जिला प्रमुख, जयपुर
5.	श्रीमती भारती दीक्षित	सीईओ, जिला परिषद, जयपुर
6.	श्री जगदीश प्रसाद बुनकर	सीईओ, जिला परिषद, दौसा
7.	श्री मुकेश चंद मीणा	प्रधान, पंचायत समिति, टोडाभीम, करौली
8.	श्रीमती सविता यादव	प्रधान, पंचायत समिति, नीमराना, अलवर
9.	श्री नंद लाल गोथवाल	प्रधान, पंचायत समिति, शाहपुरा, जयपुर
10.	श्रीमती पिंकी मीणा	प्रधान, पंचायत समिति, चाकसू, जयपुर

11.	श्री विजेंद्र कुमार शर्मा	बीडीओ, पंचायत समिति, जवाजा, अजमेर
12.	श्री मुरारी लाल शर्मा	बीडीओ, पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर
13.	श्री राजेश भाकर	सरपंच, ग्राम पंचायत, तारपुरा, पंचायत समिति, पिपराली, सीकर
14.	सुश्री छवि राजावत	सरपंच, ग्राम पंचायत, सोडा, पंचायत समिति, मालपुरा, टोंक
15.	श्री ओम प्रकाश जाटावत	सरपंच, ग्राम पंचायत, नांगल तुलसीदास, पंचायत समिति, जमवा रामगढ़, जयपुर
16.	श्रीमती संगीता धूत	वीडीओ, ग्राम पंचायत, अकेरा, पंचायत समिति, आमेर, जयपुर
17.	श्री विशाल वैष्णव	वीडीओ, ग्राम पंचायत, सेंदरिया, पंचायत समिति, श्रीनगर, अजमेर
18.	श्री नारायण चोपड़ा	महापौर, नगर निगम, बीकानेर
19.	श्री विष्णु लता	महापौर, नगर निगम, जयपुर
20.	श्रीमती संगीता बोहरा	अध्यक्ष, नगर परिषद, गंगापुर सिटी
21.	श्री सिकंदा अली खिलजी	अध्यक्ष, नगर परिषद, सुजानगढ़
22.	श्रीमती राजकुमारी शर्मा	अध्यक्ष, नगरपालिका, निवाई
23.	श्रीमती आशा नामा	अध्यक्ष, नगरपालिका, मालपुरा
24.	श्री कमलेश दोसी	अध्यक्ष, नगर परिषद, प्रतापगढ़
25.	श्री सुखदेव संधू	अध्यक्ष, नगरपालिका, केशवरायपाटन
26.	श्रीमती रजनी देवी पारीक	अध्यक्ष, नगरपालिका, शाहपुरा, जयपुर
27.	श्री विनोद कुमार सांभरिया	अध्यक्ष, नगरपालिका, सांभर
28.	श्री सुरेश कुमार ओला	आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
29.	श्री सरवन बिश्नोई	आयुक्त, नगर परिषद, सीकर
30.	श्री शशिकांत शर्मा	कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका, कुम्हेर

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	डॉ. के. एल. जैन	मानद महासचिव, आरसीसीआई
2.	श्री डी.एस. भंडारी	उपाध्यक्ष, आरसीसीआई
3.	श्री विजय गोयल	कार्यकारी सदस्य, राजस्थान व्यापार एवं उद्योग परिसंघ
4.	श्री राहुल शर्मा	महाप्रबंधक, राजस्थान व्यापार एवं उद्योग परिसंघ
5.	श्री आनंद मिश्रा	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ राजस्थान
6.	श्री नितिन गुप्ता	निदेशक एवं प्रमुख, भारतीय उद्योग महासंघ राजस्थान
7.	श्री अतुल शर्मा	प्रमुख-राजस्थान राज्य परिषद, फिक्की
8.	श्री अजय सिंह	फिक्की
9.	श्री अनिल बक्शी	राजस्थान निर्यातक परिसंघ
10.	श्री संजय सिंह	क्षेत्रीय निदेशक, जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
11.	श्री शरद कांकरिया	सचिव, यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडिया
12.	श्री अनिल उपाध्याय	यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडिया
13.	श्री अर्पित मित्तल	परामर्शी सलाहकार, लघु उद्योग भारती
14.	सुश्री रचना सिंह	क्षेत्रीय निदेशक, पीएचडीसीसीआई
15.	श्रीमती श्रेया गुहा	प्रधान सचिव, पर्यटन
16.	डॉ. भंवर लाल	निदेशक, पर्यटन
17.	श्री भीम सिंह	राजस्थान टूर्स
18.	श्री अजय अग्रवाल	एलबीएम
19.	श्री प्रताप दिग्गी	होटल दिग्गी हाउस
20.	श्री रणधीर विक्रम सिंह	इंडियन हैरिटेज होटल एसोसिएशन

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	प्रो. जे. पी. यादव	प्रधान, कॉमर्स कॉलेज, जयपुर, कांग्रेस
2.	श्री एल. डी. शर्मा	सी.ए., कांग्रेस
3.	श्री सुशील कुमार असोपा	सचिव, कांग्रेस
4.	श्री विजय गर्ग	अध्यक्ष, सीए प्रकोष्ठ, कांग्रेस
5.	श्री राजपाल सिंह शेखावत	पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार, बीजेपी
6.	श्री रामलाल शर्मा	विधायक, चोमू (जयपुर), बीजेपी
7.	श्री सतीश सरीन	प्रदेश संयोजक, आर्थिक प्रकोष्ठ, बीजेपी
8.	श्री आर. पी. विजय	सी. ए., बीजेपी
9.	श्री नरेंद्र आचार्य	प्रदेश सचिव, राजस्थान, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
10.	श्री तारा सिंह सिद्धू	सदस्य, प्रदेश सचिवालय, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
11.	श्री गुरुचरण सिंह	सीपीआई (एम)
12.	श्री रविंद्र शुक्ला	सदस्य सचिवालय, सीपीआई(एम)
13.	श्री राजेश कुमार शर्मा	एनसीपी
14.	श्री मो. जुबीर खान	प्रदेश अध्यक्ष, एनसीपी युवा

22. सिक्किम (23-26 सितंबर, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री पी. एस. तमांग	मुख्यमंत्री,
2.	श्री मिंग्मा नोर्बू शेरपा	मंत्री, विद्युत और श्रम
3.	श्री समदुप लेप्चा	मंत्री, सिक्किम लोक निर्माण (सड़क एवं सेतु) तथा सांस्कृतिक मामले
4.	श्री कुंगा निमा लेप्चा	मंत्री, शिक्षा और संसदीय कार्य तथा भू-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
5.	श्री सोनम लामा	मंत्री, ग्रामीण विकास, सहकारिता तथा चर्च संबंधी मामले
6.	श्री संजीत खरेल	मंत्री, सिक्किम लोक निर्माण (भवन एवं आवासन) तथा परिवहन
7.	श्री लोकनाथ शर्मा	मंत्री, कृषि एवं बागवानी, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवा, आईपीआर तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री
8.	श्री बेदु सिंह पंथ	मंत्री, पर्यटन और नागर विमानन तथा वाणिज्य एवं उद्योग
9.	श्री अरुण उप्रेती	मंत्री, शहरी विकास एवं आवासन तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
10.	श्री भीम हांग लिंबू	मंत्री, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी और जल संसाधन
11.	श्री कर्मा लोडाई भूटिया	मंत्री, वन एवं पर्यावरण, खान एवं भूविज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
12.	डॉ. मणि कुमार शर्मा	मंत्री, स्वास्थ्य देखरेख एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं कल्याण
13.	श्री महेंद्र पी. लामा	मुख्य आर्थिक सलाहकार, सिक्किम सरकार
14.	श्री सी. एल. डेनजोंग्पा	मुख्यमंत्री के आर्थिक एवं वित्तीय सलाहकार, सिक्किम सरकार

15.	श्री ए. के. श्रीवास्तव	मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
16.	श्री सुरेश चंद्र गुप्ता	अपर मुख्य सचिव, गृह और वित्त
17.	श्री जी. पी. उपाध्याय	अपर मुख्य सचिव, शिक्षा
18.	डॉ. जयकुमार	अपर मुख्य सचिव, पर्यटन एवं नागर विमानन
19.	श्री वी.बी. पाठक	अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त, आयोजना एवं विकास
20.	श्री थॉमस चांडी	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग
21.	श्री ए. शंकर राव	पुलिस महानिदेशक, पुलिस
22.	श्री एम. एल. श्रीवास्तव	प्रधान सचिव-सह-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन
23.	श्री के. श्रीनिवासुलु	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
24.	श्री डी. के. भंडारी	सचिव, बागवानी
25.	सुश्री नम्रता थापा	सचिव, आईपीआर
26.	श्री एल. बी. छेत्री	सचिव, शहरी विकास एवं आवासन
27.	श्री सी. एस. राव	सचिव, ग्रामीण विकास
28.	श्री टी.पी. संगरदापा	प्रधान मुख्य इंजीनियर-सह-सचिव, सड़क एवं सेतु
29.	श्री राजू बसनेत	सचिव, परिवहन
30.	श्रीमती धनजोति मुखिया	सचिव, सामाजिक न्याय एवं कल्याण
31.	श्री एस. बी. सुब्बा	सचिव, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवाएं
32.	श्री खोरलो भूटिया	सचिव, कृषि
33.	श्री के. सी. लेप्चा	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
34.	श्रीमती अंबिका प्रधान	सचिव, भू-राजस्व
35.	श्री के. बी. कुंवर	प्रधान मुख्य इंजीनियर-सह-सचिव, विद्युत
36.	श्रीमती विद्या सुभा	सचिव, संस्कृति
37.	श्री शीतल प्रधान	सचिव, जल संसाधन

38.	श्रीमती शेरप शेंगा	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी
39.	श्री टी. टी. भूटिया	सचिव, पर्यटन
40.	श्री आर. के. पेरियार	प्रधान मुख्य इंजीनियर-सह-सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी
41.	श्री एम. के. शर्मा	सचिव-सह-लेखा नियंत्रक, वित्त
42.	श्री जी. पी. कौशिक	सचिव (राजस्व), वित्त
43.	श्री अरुणी चक्रवर्ती	प्रधान निदेशक-सह-सचिव (व्यय), वित्त
44.	श्री बेणु के. मुखिया	प्रधान निदेशक (एफसीडी), वित्त
45.	श्री मनोज राय	अपर आयुक्त, वित्त
46.	श्री राज के. शर्मा	एसआईए, आईपीआर
47.	श्रीमती सुनीता थापा	एसडब्ल्यू, आईपीआर

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री शक्ति सिंह चौधरी	महापौर, गंगटोक, नगर निगम, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम
2.	सुश्री लेशे डोमा बूटिया	उपमहापौर, गंगटोक, नगर निगम, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम
3.	श्री टीका गुरुंग	अध्यक्ष, नया बाजार जोरथांग नगर परिषद, जोरथांग, साउथ सिक्किम
4.	सुश्री पेमा तमांग	उपाध्यक्ष, नया बाजार जोरथांग नगर परिषद, जोरथांग, साउथ सिक्किम
5.	सुश्री जेंग्मू भूटिया	अध्यक्ष, मंगन नगर पंचायत, सिंग्ताम, नॉर्थ सिक्किम
6.	सुश्री बिष्णु माया शेरपा	उपाध्यक्ष, सिंग्ताम नगर पंचायत, सिंग्ताम, ईस्ट सिक्किम
7.	सुश्री निर्मला हिंग्मांग	पार्षद, ग्याल्जिंग नगर परिषद
8.	श्री एल. बी. छेत्री	सचिव, शहरी विकास विभाग

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री शमशेर राय	माननीय अध्यक्ष, पूर्वी जिला, जिला पंचायत
2.	सुश्री नेम्डे लेप्चा	माननीय अध्यक्ष, उत्तरी जिला, जिला पंचायत
3.	श्री अशोक गुरुंग	माननीय अध्यक्ष, पश्चिमी जिला, जिला पंचायत
4.	श्री भीम बहादुर लाखे	माननीय अध्यक्ष, दक्षिणी जिला, जिला पंचायत
5.	श्री तीर्थ बहादुर छेत्री	जिला पंचायत, लुइंग रांका टीसी
6.	श्री हरि गुरुंग	जिला पंचायत, रामेंग परबिंग फोंग टीसी
7.	श्रीमती देवी खातीवाड़ा	जिला पंचायत, लिंग्दोक नमफोंग टीसी
8.	श्री ओंगडिला भूटिया	जिला पंचायत, दराप चुंबोंग टीसी
9.	श्रीमती कला सुबेदी	पंचायत सभापति, यांगथांग जीपीयू
10.	श्री छबि लाल छेत्री	पंचायत सभापति, मार्टम जीपीयू
11.	सुश्री सरिता शर्मा	पंचायत सभापति, प्रेमलखा सुभान्यदारा जीपीयू
12.	सुश्री बंदना छेत्री	पंचायत सभापति, मार्टम नजीतम जीपीयू
13.	सुश्री ताशी डोमा भूटिया	पंचायत सभापति, नवीन सोथाक जीपीयू
14.	श्री चुंगचुंग लेप्चा	पंचायत सभापति, चुंगथांग जीपीयू
15.	श्रीमती सावित्री छेत्री	पंचायत सभापति, किताम मानपुर जीपीयू
16.	श्री बिकास शर्मा	पंचायत सभापति, नामफिंग जीपीयू
17.	श्री सी. एस. राव	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री अशोक सारदा	अध्यक्ष, सिक्किम चैंबर ऑफ कॉमर्स
2.	श्री कैलाश अग्रवाल	महासचिव, सिक्किम चैंबर ऑफ कॉमर्स
3.	श्री अतुल संत	संयंत्र प्रमुख, सिप्ला फार्मास्यूटिकल उद्योग
4.	श्री दीपक वर्मा	महाप्रबंधक, जुवेंटस फार्मास्यूटिकल उद्योग

5.	श्री उमेश मिश्रा	वरि. उपाध्यक्ष, इंटास फार्मास्यूटिकल उद्योग
6.	श्री यश मार्दा	संयंत्र प्रमुख, मार्चक मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि. – नालीदार बक्से
7.	श्री अजीत सिंह	संयंत्र प्रमुख, सिक्किम डिस्टिलरीज लि.
8.	श्री रंजीत महापात्र	संयंत्र प्रमुख, सन फार्मास्यूटिकल उद्योग
9.	सुश्री रीना राय	उद्यमी, मैटो-पोटरी-उद्यमी
10.	सुश्री स्मिता राय	उद्यमी, डिजाइनर कैंडल्स
11.	श्रीमती मृणालिनी श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक, टेमी टी एस्टेट
12.	श्री अनूप जिंबा	उद्यमी, टी-बैग एवं फ्लेवर्ड टी
13.	श्री सागर सुब्बा	उद्यमी, बांस के हस्तशिल्प
14.	श्री पवन अवस्थी	महाप्रबंधक, सरकारी फल परिरक्षण कारखाना
15.	सुश्री अपराजिता गुरुंग	उद्यमी, सिमसर बेकरी
16.	श्री थॉमस चांडी	एसीएस, वाणिज्य एवं उद्योग

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री जी. डी. अग्रवाल	कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
2.	श्री बिमल जैन	सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
3.	श्री जगत सिंह सिंघी	उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
4.	श्री कर्मा ताशी भूटिया	कोषाध्यक्ष, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति
5.	श्री टंका नाथ अधिकारी	प्रदेश सदस्य, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति
6.	श्री सोनम त्शेरिंग भूटिया	प्रदेश सदस्य, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति
7.	श्री देव गुरुंग	महासचिव/प्र शा., सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट
8.	श्री अमोस आर. लेप्चा	सचिव/ प्रशा., सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट
9.	श्री दंबेर दहल	महासचिव /पूर्वी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट

10.	श्री उत्तम लेप्चा	उपाध्यक्ष मुख्यालय/ प्रशासन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
11.	श्री पवन कुमार गुरुंग	महासचिव मुख्यालय/ प्रशासन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
12.	श्री दुप पिंत्सो केलिओन	उपाध्यक्ष, वित्त, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
13.	श्रीमती नम्रता थापा	सचिव, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

23. तमिलनाडु (04-08 सितंबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री एडापडी के. पलानीस्वामी	मुख्यमंत्री
2.	श्री ओ. पन्नीरसेल्वम	उप-मुख्यमंत्री
3.	श्री डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन	वन मंत्री
4.	श्री के. ए. सेंगोट्टैयन	मंत्री, स्कूल शिक्षा
5.	श्री सेल्लूर के. राजू	मंत्री, सरकारिता
6.	श्री पी. थंगमन	मंत्री, विद्युत, प्रतिषेध और आबकारी
7.	श्री एस. पी. वेलुमणि	मंत्री, नगर प्रशासन, ग्रामीण विकास और विशेष कार्यक्रम का कार्यान्वयन
8.	श्री डी. जयकुमार	मंत्री, मत्स्य पालन तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार
9.	श्री सी. वी. षणमुगम	मंत्री, विधि, न्यायालय और कारागार
10.	श्री के.पी. अन्बालागन	मंत्री, उच्च शिक्षा
11.	डॉ. वी. सरोजा	मंत्री, सामाजिक कल्याण और पोषक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
12.	श्री एम. सी. संपत	उद्योग मंत्री
13.	श्री के. सी. करुपन्नन	पर्यावरण मंत्री
14.	श्री आर. कामराज	मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
15.	श्री ओ. एस. मण्यन	मंत्री, हथकरघा एवं वस्त्र
16.	श्री उदुमलई के. राधाकृष्णन	पशुपालन मंत्री
17.	डॉ. सी. विजय भास्कर	मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
18.	श्री आर. दोरईकन्नू	कृषि मंत्री
19.	श्री कादंबूर राजू	मंत्री, सूचना एवं प्रचार

20.	श्री आर. बी. उदयकुमार	मंत्री, राजस्व और आपदा प्रबंधन
21.	श्री वेल्लामंडी एन. नटराजन	पर्यटन मंत्री
22.	श्री के.सी. वीरामणि	मंत्री, वाणिज्यिक कर
23.	श्री के. टी. राजेंद्र बालाजी	मंत्री, दुग्ध एवं डेयरी विकास
24.	श्री पी. बेंजामिन	मंत्री, ग्रामीण उद्योग
25.	श्री एम.आर. विजयभास्कर	परिवहन मंत्री
26.	डॉ. निलोफर कफ़ील	श्रम मंत्री
27.	डॉ. एम. मणिकदंन	मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी
28.	श्रीमती वी. एम. राजलक्ष्मी	मंत्री, आदि द्रविड़र और जनजाति कल्याण
29.	श्री के. पण्ड्याराजन	मंत्री, तमिल राजभाषा एवं तमिल संस्कृति
30.	श्री जी. भास्करन	मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
31.	श्री सेव्वूर एस. रामचंद्रन	मंत्री, हिंदू धार्मिक एवं धर्मस्व निधि
32.	श्रीमती एस. वेलारमती	मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
33.	श्री पी. बालकृष्ण रेड्डी	मंत्री, युवा कल्याण और खेल विकास
34.	डॉ. श्रीमती गिरिजा वैद्यनाथन	मुख्य सचिव, सरकार, सचिवालय
35.	श्री के. षणमुगम	अपर मुख्य सचिव, सरकार, वित्त विभाग, सचिवालय
36.	डॉ. टी.वी. सोमनाथन	(विशेष पहल विभाग और विशेषकार्याधिकारी, 15वां वित्त आयोग), सचिवालय
37.	डॉ. एम. साईकुमार	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव-I, मुख्यमंत्री कार्यालय
38.	श्री एस. विजयकुमार	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव-II, मुख्यमंत्री कार्यालय
39.	डॉ. पी. सेंथिल कुमार	मुख्यमंत्री के सचिव-III, मुख्यमंत्री कार्यालय
40.	श्रीमती जयश्री मुरलीधरन	मुख्यमंत्री के सचिव-IV, मुख्यमंत्री कार्यालय
41.	श्री के. ज्ञानदेसिकन	अपर मुख्य सचिव, सरकार, उद्योग विभाग, सचिवालय

42.	श्री हंस राज वर्मा	अपर मुख्य सचिव, सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, सचिवालय
43.	श्री राजीव रंजन	अपर मुख्य सचिव, सरकार, राजमार्ग एवं लघु पत्तन विभाग, सचिवालय
44.	श्री ओटेम दई	अपर मुख्य सचिव, सरकार, आदि द्रविड़र और जनजाति कल्याण विभाग, सचिवालय
45.	श्री अपूर्व वर्मा	अपर मुख्य सचिव, सरकार, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व निधि विभाग, सचिवालय
46.	श्री पी. डब्ल्यू. सी. दविदर	अपर मुख्य सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, सचिवालय
47.	डॉ. निरंजन मार्डी	अपर मुख्य सचिव, सरकार, गृह, प्रतिषेध और आबकारी विभाग, सचिवालय
48.	श्री हरमंदर सिंह	प्रधान सचिव, सरकार, नगर प्रशासन एवं जलापूर्ति विभाग, सचिवालय
49.	श्री गगनदीप सिंह बेदी	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रधान सचिव, सरकार, कृषि विभाग, सचिवालय
50.	डॉ. के. गोपाल	प्रधान सचिव, सरकार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, सचिवालय
51.	श्री के. बालचंद्रन	प्रधान सचिव, सरकार, वाणिज्यिक कर और रजिस्ट्रीकरण विभाग, सचिवालय
52.	श्री दयानंद कटारिया	प्रधान सचिव, सरकार, सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिवालय
53.	श्री प्रदीप यादव	प्रधान सचिव, सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय
54.	श्री मोहम्मद नसीमुद्दीन	प्रधान सचिव, सरकार, ऊर्जा विभाग, सचिवालय
55.	श्री शंभु कल्लोलिकर	प्रधान सचिव, सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, सचिवालय

56.	श्री कुमार जयंत	प्रधान सचिव, सरकार, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र और खादी विभाग सचिवालय
57.	डॉ. जे. राधाकृष्णन	प्रधान सचिव, सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय
58.	श्री मंगत राम शर्मा	प्रधान सचिव, सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय
59.	श्री धीरज कुमार	प्रधान सचिव, सरकार, युवा कल्याण और खेल विकास विभाग, सचिवालय
60.	श्री एस. कृष्णन	प्रधान सचिव, सरकार, आवासन और शहरी विकास विभाग, सचिवालय
61.	श्री सुनील पालीवाल	प्रधान सचिव, सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, सचिवालय
62.	डॉ. पी. सेंथिल कुमार	सरकार के प्रधान सचिव (प्रभारी), लोक एवं पुनर्वास विभाग, सचिवालय
63.	श्री एस. के. प्रभाकर	प्रधान सचिव, सरकार, लोक निर्माण विभाग, सचिवालय
64.	श्री ए. कार्तिक	सचिव, सरकार, बीसी, एमबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सचिवालय
65.	श्री आर. वेंकटेशन	सचिव, सरकार, तमिल विकास एवं सूचना विभाग सचिवालय
66.	श्री सी. विजयराज कुमार	सचिव, सरकार, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, सचिवालय
67.	श्री धर्मेंद्र प्रताप यादव	सचिव, सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, सचिवालय
68.	डॉ. संतोष बाबू	सचिव, सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सचिवालय
69.	श्री एम.ए. सिद्दीक़	सचिव, सरकार (व्यय), वित्त विभाग, सचिवालय
70.	डॉ. आर. आनंदकुमार	अपर सचिव, सरकार, वित्त विभाग, सचिवालय
71.	श्रीमती पूजा कुलकर्णी	अपर सचिव, सरकार, वित्त विभाग, सचिवालय

72.	श्री एम. अरविंद	उप-सचिव, सरकार, वित्त विभाग, सचिवालय
73.	श्री एच. कृष्णनउन्नी	उप-सचिव, सरकार (बजट), वित्त विभाग, सचिवालय
74.	श्री मोहन प्यारे	अपर मुख्य सचिव, सरकार / सतर्कता आयुक्त और प्रशासनिक सुधार आयुक्त
75.	डॉ. जगमोहन सिंह राजू	अपर मुख्य सचिव / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु ऊर्जा विकास अभिकरण
76.	श्री वी. के. जयकोडि	अपर मुख्य सचिव, सरकार / आयुक्त, भूमि प्रशासन विभाग
77.	डॉ. के. सत्यगोपाल	अपर मुख्य सचिव / आयुक्त, राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग
78.	श्री अशोक डोंगरे	अपर मुख्य सचिव, सरकार / प्रबंध निदेशक, चेन्नै महानगर जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड तथा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार)
79.	श्री विक्रम कपूर	प्रधान सचिव/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएनईबी और टीएएनजीईडीसीओ
80.	श्री टी. के. रामचंद्रन	प्रधान सचिव / आयुक्त, हिंदू धार्मिक एवं धर्मस्व निधि विभाग
81.	डॉ. डी. कार्तिकेयन	आयुक्त, ग्रेटर चेन्नै निगम,
82.	श्री जी. प्रकाश	आयुक्त, नगर प्रशासन विभाग
83.	श्री अनिल मेश्राम	सदस्य-सचिव, राज्य आयोजना आयोग
84.	श्री पी. उमानाथ	प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम
85.	श्री राजेंद्र रत्नू	आयुक्त, आपदा प्रबंधन, राजस्व प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग
86.	श्री एम.एस. षणमुगम	प्रबंध निदेशक, स्लम क्लीयरेंस बोर्ड
87.	डॉ. ए. के. विश्वनाथन	पुलिस आयुक्त
88.	श्री आर. के. उपाध्याय	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), वन विभाग

89.	श्री एम. साईश्रवणन	एडिशनल रजिस्ट्रार-I (सतर्कता), मद्रास उच्च न्यायालय
90.	डॉ. ए. एडविन जो	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग
91.	डॉ. एन. रुक्मणि	निदेशक, चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं
92.	श्रीमती एन. शांति	मुख्य इंजीनियर (सी एवं एम), राजमार्ग विभाग

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री हरमंदर सिंह	प्रधान सचिव, सरकार, नगर प्रशासन एवं जलापूर्ति विभाग, सचिवालय
2.	डॉ. डी. कार्तिकेयन	आयुक्त
3.	श्री जी. प्रकाश	आयुक्त, नगर प्रशासन विभाग
4.	श्री एस. पलानीसामी	निदेशक, नगर पंचायतें
5.	श्रीमती आर. ललिता	उपायुक्त (आर एवं एफ)
6.	श्रीमती जानकी रविंद्रन	क्षेत्रीय निदेशक, नगर प्रशासन
7.	श्री वी. मुरुगेसन	क्षेत्रीय कार्यपालक इंजीनियर
8.	श्री के. सरवनकुमार	नगर आयुक्त
9.	श्री एस.एम. मलयमनश्रीमुदिकरी	संयुक्त निदेशक, नगर पंचायत
10.	श्री बी. इब्राहिम्शा	कार्यपालक अधिकारी (प्रशा.), सहायक निदेशक नगर पंचायत का कार्यालय
11.	श्री हंस राज वर्मा	अपर मुख्य सचिव, सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, सचिवालय
12.	श्री के. भास्करन	निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग
13.	श्री एस.एस. कुमार	परियोजना निदेशक, डीआरडीए, जिला पंचायत
14.	श्री एन. आरुल जोति आरासन	परियोजना निदेशक, डीआरडीए, जिला पंचायत
15.	श्री आर. काशीनाथन	सहायक निदेशक (पंचायत) खंड पंचायत

16.	श्री एस. गंगातरणी	सहायक निदेशक (पंचायत) खंड पंचायत
17.	श्रीमती के. मीरा	खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत
18.	श्री जी. ज्ञानवेल	खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री के. ज्ञानदेसिकन	अपर मुख्य सचिव, सरकार, उद्योग विभाग, सचिवालय
2.	श्री वी. अरुण रॉय	अपर सचिव, सरकार, उद्योग विभाग
3.	श्री एम. पोन्नूस्वामी	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ
4.	श्री बी. संथानम	प्रबंध निदेशक, सेंट-गोबिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कांच व्यवसाय)
5.	श्री सी. के. रंगनाथन	संस्थापक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, केविन केयर
6.	श्री जोश फौल्गर	प्रबंध निदेशक, एफआईएच इंडिया डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड
7.	श्री रिन्जी कावाशिमा	उप प्रबंध निदेशक इंडिया यामहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड
8.	श्री एलांचेलियन	प्रबंध निदेशक, सेनमिना
9.	श्री वेलमुरुगन	कार्यपालक उपाध्यक्ष, इंडस्ट्रियल गाइडेंस ब्यूरो

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री अमेरिकइ नारायणन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी)
2.	श्री डी. भारतीदासन	बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी)
3.	श्री ए. मुथुकृष्णन	बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी)
4.	श्री टी. के. रंगराजन	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम)
5.	श्री एन. गुणशेखरण	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम)

6.	श्री जी. पी. सारथी	नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)
7.	श्री एम. अबुबकर	नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)
8.	श्री सी. पोन्नैयन	आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कष़गम (एआईएडीएमके)
9.	श्री पोल्लाची जयरमन	आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कष़गम (एआईएडीएमके)
10.	श्री टी.के.एस. एलेंगोवन	द्रविड़ मुनेत्र कष़गम (डीएमके)
11.	डॉ. पलानीवेल त्यागराजन	द्रविड़ मुनेत्र कष़गम (डीएमके)
12.	श्री अझगपुरम आर. मोहनराज	देसीय मुर्पोकू द्रविड़ कष़गम (डीएमडीके)
13.	डॉ. वी. एलेंगोवन	देसीय मुर्पोकू द्रविड़ कष़गम (डीएमडीके)

24. तेलंगाना (18-20 फरवरी, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री के. चंद्रशेखर राव	माननीय मुख्यमंत्री, तेलंगाना राज्य
2.	श्री मो. मोहमूद अली	माननीय गृह मंत्री
3.	श्री ए. इंद्रकरण रेड्डी	माननीय वन मंत्री
4.	श्री टी. श्रीनिवास यादव	माननीय मंत्री, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास एवं सिनेमैटोग्राफी
5.	श्री जी. जगदीश रेड्डी	माननीय शिक्षा मंत्री
6.	श्री एटेला राजेंद्र	माननीय मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
7.	श्री एस. निरंजन रेड्डी	माननीय मंत्री, कृषि, सहकारिता, विपणन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले
8.	श्री कोप्पुला ईश्वर	माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति विकास, जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांग कल्याण और वरिष्ठ नागरिक कल्याण
9.	श्री एराबेल्ली दयाकर राव	माननीय मंत्री, पंचायत राज और ग्रामीण विकास तथा आरडब्ल्यूएस
10.	श्री वी. श्रीनिवास गौड	माननीय मंत्री, प्रतिषेध एवं आबकारी, खेल एवं युवा सेवाएं, पर्यटन एवं संस्कृति तथा पुरातत्व
11.	श्री वेमुला प्रशांत रेड्डी	माननीय मंत्री, परिवहन, सड़क एवं भवन निर्माण, विधायी कार्य तथा आवासन
12.	श्री चमकुरा मल्ला रेड्डी	माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार, कारखाना, महिला एवं बाल कल्याण तथा कौशल विकास
13.	डॉ. राजीव शर्मा	सरकार के मुख्य सलाहकार
14.	डॉ. जी.आर. रेड्डी	सरकार के वित्त सलाहकार

15.	श्रीमती स्मिता सबरवाल	माननीय मुख्यमंत्री के सचिव
16.	श्री संदीप कुमार सुल्तानिया	माननीय मुख्यमंत्री के सचिव और सरकार के सचिव, एएचडीडीएंडएफ विभाग (एफएसी)
17.	श्री पी. राज शेखर रेड्डी	माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव
18.	श्री ज्वाला नरसिम्हा राव वानम	माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
19.	श्री जी. विजय कुमार,	माननीय मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी
20.	श्री शैलेंद्र कुमार जोश	मुख्य सचिव, सरकार, तेलंगाना राज्य
21.	श्री अजय मिश्रा	विशेष मुख्य सचिव, सरकार, ऊर्जा विभाग
22.	श्रीमती चित्रा रामचंद्रन	विशेष मुख्य सचिव, सरकार, आवासन विभाग
23.	श्री राजेश्वर तिवारी	विशेष मुख्य सचिव, सरकार, राजस्व (रजिस्ट्रीकरण एवं स्टांप) विभाग
24.	श्री के. रामकृष्ण राव	प्रधान सचिव, सरकार, वित्त विभाग
25.	श्री सी. पार्थसारथी	एपीसी और प्रधान सचिव, सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग
26.	श्री आधार सिन्हा	प्रधान सचिव, सरकार (राजनैतिक), जीएडी
27.	श्रीमती शालिनी मिश्रा	प्रधान सचिव, सरकार (जीपीएम एंड एआर), जीएडी
28.	श्रीमती शांति कुमारी	प्रधान सचिव, सरकार, एचएमएंडएफडब्ल्यू विभाग
29.	श्री अरविंद कुमार	प्रधान सचिव, सरकार, एमएएंडयूडी विभाग
30.	श्री विकास राज	प्रधान सचिव, सरकार, पीआर एंड आरडी विभाग
31.	डॉ. शशांक गोयल	प्रधान सचिव, सरकार, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण तथा कारखाना विभाग
32.	श्री सोमेश कुमार	सरकार के प्रधान सचिव
33.	श्री सुनील शर्मा	प्रधान सचिव, सरकार, टीआरएंडबी विभाग
34.	श्री राजीव त्रिवेदी	प्रधान सचिव, सरकार, गृह विभाग
35.	श्री वी. वेंकटेशम	सचिव, सरकार, वाईएटीएंडसी (पर्यटन) विभाग

36.	श्री बेनहुर महेश दत्त एक्का	सचिव, सरकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
37.	श्री एम. जगदीश्वर	सचिव, सरकार, डब्ल्यूडीसीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू एवं एससी विभाग
38.	श्री सब्यसाची घोष	सचिव, सरकार, वाईएटीएंडसी (युवा सेवा) विभाग
39.	श्री एम. दानाक्रिशोर	आयुक्त, जीएचएमसी, हैदराबाद
40.	श्री राहुल बोजा	आयुक्त, कृषि
41.	श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद	आयुक्त, पंचायत राज
42.	श्रीमती टी.के. श्रीदेवी	निदेशक, नगर प्रशासन
43.	श्री एन. शिवशंकर	वरिष्ठ परामर्शदाता, वित्त विभाग
44.	श्री एम. महेंदर रेड्डी	पुलिस महानिदेशक
45.	श्री पी. के. झा	पीसीसीएफ एंड एचओएफएफ, तेलंगाना वन विभाग
46.	श्री सी. मुरलीधर	मुख्य इंजीनियर, आई एंड सीएडी विभाग
47.	श्री हरिराम	मुख्य इंजीनियर, कालेश्वरम परियोजना
48.	श्री कृपाकर	मुख्य इंजीनियर, आरडब्ल्यूएस एवं एस
49.	श्री डी. प्रभाकर राव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टी.एस. जेनको

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री अरविंद कुमार	सरकार के प्रधान सचिव
2.	श्री दाना किशोर	आयुक्त, जीएचएमसी
3.	डॉ. टी.के. श्रीदेवी	आयुक्त एवं निदेशक, नगर प्रशासन (सीडीएमए)
4.	श्री जी. लक्ष्मी नारायण	सरकार के उप-सचिव
5.	श्रीमती अनुराधा	अपर निदेशक, डीएमए का कार्यालय
6.	श्री जयराज केनेडी	अपर आयुक्त, जीएचएमसी
7.	श्री भास्कर पुरानम	सरकार के प्रधान सचिव के ईए

8.	श्री फाल्गुन कुमार	उप-निदेशक, डीएमए कार्यालय तथा नोडल अधिकारी
9.	श्री बोंथू राम मोहन	महापौर, जीएचएमसी, हैदराबाद
10.	श्री सरदार रविंदर सिंह	महापौर, करीमनगर
11.	श्रीमती चत्तूरी राजामणि	महापौर, रामगुंडम
12.	श्री गुगुलोत पपलाल	महापौर, खम्मम
13.	श्रीमती कश्यप स्वाति सिंह	अध्यक्ष, आरमूर
14.	श्रीमती रंगीनेनी मनीषा	अध्यक्ष, आदिलाबाद
15.	श्री विश्वनाथम सत्यनारायण	अध्यक्ष, विकाराबाद
16.	श्री गडिपल्ली भास्कर	अध्यक्ष, गजवेल
17.	श्री थातीपार्थी विजयलक्ष्मी	अध्यक्ष, जागित्याल
18.	श्री वी. देवेंदर	अध्यक्ष, देवारकोंडा

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री विकर राज	सरकार के प्रधान सचिव
2.	श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद	आयुक्त
3.	श्री सत्यनारायण रेड्डी	मुख्य इंजीनियर
4.	श्री जी. राजेशम गौड	अध्यक्ष, तेलंगाना राज्य वित्त आयोग
5.	श्री सुरेश चंद	विशेष मुख्य सचिव और सचिव, सदस्य सचिव, तेलंगाना राज्य वित्त आयोग
6.	श्री चेन्नैया	सदस्य, तेलंगाना राज्य वित्त आयोग
7.	श्रीमती तुला उमा	जिला पंचायत अध्यक्ष, करीमनगर
8.	श्री पी. मनोहर गौड	जेडपीटीसी, संगारेड्डी, मेडक
9.	श्री के. हनमंत रेड्डी	एमपीपी, इतिक्याल, महबूबनगर
10.	श्री यू. श्रीनिवास	एमपीटीसी, गुंडलापोचमपल्ली, आरआर जिला

11.	श्री के. विजयभास्कर	सरपंच, पेड्डावूरा जीपी, नलगोंडा
12.	श्री एडे गजानंद नाइक	सरपंच नारनूर जीपी, आदिलाबाद
13.	श्री एन. वेंकटेश्वर राव	सरपंच, जीपी, गोलागुडम, खम्मम
14.	श्री एम. मधु	सरपंच, जिलेला, राजन्ना सिर्सिला
15.	श्रीमती किट्टी माधिरी	सरपंच, कोंडापुर, सिद्दीपेट
16.	श्री कियातम रवि	सरपंच जीपी, मुगपाल, निजामाबाद

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री जयेश रंजन	सरकार के प्रधान सचिव
2.	श्री अहमद नदीम	उद्योग आयुक्त
3.	श्री एस. सुरेश	संयुक्त निदेशक, उद्योग
4.	सुश्री वनिता डाटला	भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ
5.	श्री एम.के. पटोदिया	सीएमडी, जीटीएन, इंजी. इंडिया लि.
6.	श्री एम. सिमाचल मोहंती	निदेशक, कराधान, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज लि.
7.	श्री के. सुधीर रेड्डी	अध्यक्ष, टीआईएफ
8.	श्री एस. वी. रघु	महासचिव, टीआईएफ
9.	श्री वी. आनंद रेड्डी	वरि. उपाध्यक्ष, टीआईएफ
10.	श्री एम. गोपाल राव	संयुक्त सचिव, टीआईएफ
11.	श्री टी. मुरलीधरन	अध्यक्ष, फिक्की
12.	श्री ए. मुरली कृष्ण रेड्डी	सह-अध्यक्ष, फिक्की
13.	श्री अखिलेश माहुरकर	निदेशक, फिक्की
14.	श्री मीला जयदेव	एमसी सदस्य, एफटीएपीसीसीआई
15.	श्री गौड़ा श्रीनिवास	तत्काल पूर्व अध्यक्ष, एफटीएपीसीसीआई

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री पल्ला वेंकट रेड्डी	पूर्व-विधायक एवं पार्टी के प्रदेश सहायक सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
2.	श्री टी. नरसिम्हन	सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
3.	श्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू	तेलंगाना विधानसभा में विपक्ष के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4.	श्री डी. श्रीधर बाबू	विधानसभा सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5.	श्री श्याम मोहन	अध्यक्ष, बौद्धिक प्रकोष्ठ, कार्यपालक सदस्य एवं आधिकारिक प्रवक्ता, टीपीसीसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6.	श्री रेवुला चंद्र शेखर रेड्डी	टीडीपी नेता, तेलुगु देशम पार्टी
7.	श्री गंडम गुरुमूर्ती	प्रदेश पार्टी विधिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, तेलुगु देशम पार्टी
8.	श्री एन. रामचंदर राव	विधान परिषद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
9.	डॉ. एस. मल्ला रेड्डी	प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
10.	श्री अनुगुला राकेश रेड्डी	प्रदेश आधिकारिक प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी
11.	श्री मोहम्मद तौसीफ	एआईएमआईएम
12.	श्री सईद अमीन उल हसन जाफरी	विधान परिषद सदस्य, एआईएमआईएम

25. त्रिपुरा (16-18 जनवरी, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री बिप्लब कुमार देब	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री जिष्णु देव वर्मा	माननीय उप-मुख्यमंत्री, वित्त इत्यादि विभाग
3.	श्री एन.सी. देबबर्मा	माननीय मंत्री, राजस्व इत्यादि विभाग
4.	श्री रतन लाल नाथ	माननीय मंत्री, शिक्षा इत्यादि विभाग
5.	श्री सुदीप राय बर्मन	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य इत्यादि विभाग
6.	श्री प्राणजीत सिंह रॉय	माननीय मंत्री, कृषि इत्यादि विभाग
7.	श्री मनोज कांति देब	माननीय मंत्री, युवा मामले एवं खेल इत्यादि विभाग
8.	श्री मेवर कुमार जामतिया	माननीय मंत्री, जनजातीय कल्याण इत्यादि विभाग
9.	श्रीमती सांतना चकमा	माननीय मंत्री, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा इत्यादि विभाग
10.	श्री ललित कुमार गुप्ता	मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार
11.	श्री ए.के. शुक्ला	महानिदेशक, पुलिस, गृह विभाग
12.	डॉ. अलिंद रस्तौगी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
13.	श्री कुमार आलोक	प्रधान सचिव, गृह इत्यादि विभाग
14.	श्री बरुण कुमार साहु	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास (पंचायत) इत्यादि विभाग
15.	श्री लैहलिया दारलोंग	प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य इत्यादि विभाग
16.	श्री शांतनु	सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग
17.	श्री समरजीत भौमिक	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा (स्कूल) विभाग
18.	श्री तुषार कांति चकमा	सचिव, सामान्य प्रशासन (राजनैतिक) विभाग
19.	श्री माणिक लाल डे	सचिव, कृषि विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और आईसीए विभाग

20.	श्री रामेश्वर दास	सचिव, मत्स्यपालन एवं पशु संसाधन विकास विभाग
21.	श्री. डी.एम. जमातिया	सचिव, विधि विभाग
22.	श्री शाहदेब दास	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
23.	श्री एन. दारलोंग	सचिव, वित्त इत्यादि विभाग
24.	श्री देबाशीष बसु	सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
25.	श्री सी. मूर्ति	विशेष सचिव, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग और श्रम विभाग
26.	श्री शैलेंद्र सिंह	विशेष सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग तथा सहकारिता विभाग
27.	श्री. अपूर्ब रॉय	विशेष सचिव, आयोजना (पीएंडसी) विभाग
28.	श्री. पी. आर. भट्टाचार्जी	विशेष सचिव, वित्त विभाग
29.	श्री अमित शुक्ला	विशेष सचिव, शिक्षा (उच्च) विभाग
30.	श्री सी.के. जमातिया	विशेष सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग
31.	श्री एल.टी. दारलोंग	अपर सचिव, राजस्व विभाग
32.	मो. जुबैर अली हाशमी	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
33.	श्री. आर. के. नोआतिया	निदेशक, ग्रामीण विकास (पंचायत) विभाग
34.	डॉ. संदीप आर. राठौड़	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
35.	डॉ. मिलिंद रामटेके	निदेशक, शहरी विकास विभाग
36.	श्री साहिल दास	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
37.	श्री बलिन देबबर्मा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्तशासी जिला परिषद
38.	श्रीमती संचयिता दास	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (भवन)
39.	श्री बिष्णु कुमार देबबर्मा	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (जल संसाधान)

40.	श्री सोमेश चंद्र दास	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (पेयजल एवं स्वच्छता)
41.	श्री आर. देबबर्मा	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग)
42.	श्री ए. चक्रवर्ती	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)
43.	श्री प्रबीर कुमार सरकार	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)
44.	श्री. एम. देबबर्मा	निदेशक (तकनीकी), त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि.
45.	श्री नागेश कुमार बी.	कर एवं आबकारी आयुक्त, वित्त विभाग
46.	श्री अकिंचन सरकार	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
47.	श्री सुशांत दत्ता	उप-सचिव, लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं सेतु)
48.	श्री ए. के. चंदा	संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
49.	श्री बिद्युत दत्ता	संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
50.	डॉ. शरत कुमार दास	एसपीओ, आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	डॉ. प्रफुल्लजीत सिन्हा	महापौर, अगरतला नगर निगम
2.	श्रीमती अनामिका मालाकर	अध्यक्ष, कुमारघाट नगर परिषद
3.	श्री माटीलाल दास	अध्यक्ष, मोहनपुर नगर परिषद
4.	श्री चंदन भौमिक	अध्यक्ष, अंबासा नगर परिषद
5.	श्री शंकर साहा	प्रभारी अध्यक्ष, रानी बाजार नगर परिषद
6.	श्री माणिकलाल नाथ	उपाध्यक्ष, धर्मनगर नगर परिषद
7.	श्री तरुण चक्रवर्ती	अध्यक्ष, अमरपुर नगर पंचायत
8.	श्रीमती कमला मजुमदार	अध्यक्ष, सोनामुरा नगर पंचायत

9.	श्री मनोज कुमार	प्रधान सचिव, शहरी विकास
10.	डॉ. शैलेश कुमार यादव	नगर आयुक्त, अगरतला नगर निगम
11.	डॉ. मिलिंद रामटेके	निदेशक, शहरी विकास
12.	श्री नृपेंद्र चंद्र शर्मा	अपर निदेशक, शहरी विकास

ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं टीटीएएडीसी के प्रतिनिधि

1.	श्री दिलीप कुमार दास	सभाधिपति, पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद
2.	श्रीमती प्रतिमा दास	सभाधिपति, उत्तर त्रिपुरा जिला परिषद
3.	श्रीमती नमिता पार्शी	अध्यक्ष, जिरानिया पंचायत समिति
4.	श्री पिंटू ऐच	अध्यक्ष, कथालिया पंचायत समिति
5.	श्री दिबा चंद्र ह्रंगखाल	अध्यक्ष, मानु बीएसी
6.	श्री प्रशांत देबबर्मा	अध्यक्ष, पदमाबिल बीएसी
7.	श्रीमती छाया नट्टा (भौमिक)	प्रधान, दलूरा ग्राम पंचायत
8.	श्री तमाल बैद्य	प्रधान, पश्चिम पिलक ग्राम पंचायत
9.	श्री बरुण कुमार साहु	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास (पंचायतें)
10.	श्री राजेंद्र कुमार नोआतिया	निदेशक, ग्रामीण विकास (पंचायतें)
11.	श्री धनंजय देबबर्मा	अपर निदेशक, ग्रामीण विकास (पंचायतें)
12.	श्री रतन नामा	सहायक निदेशक, ग्रामीण विकास (पंचायतें)
13.	श्री शुभायन चक्रवर्ती	पंचायत संसाधन विकास अधिकारी, वित्त., ग्रामीण विकास (पंचायतें)
14.	श्री दुलाल मजुमदार	यूडीसी, ग्रामीण विकास (पंचायतें)
15.	श्री राधा चरण देबबर्मा	मुख्य कार्यपालक सदस्य, टीटीएएडीसी
16.	श्री शांतनु जमातिया	कार्यपालक सदस्य, टीटीएएडीसी
17.	श्री राजेंद्र रियांग	कार्यपालक सदस्य, टीटीएएडीसी

18.	श्रीमती संध्या रानी चकमा	कार्यपालक सदस्य, टीटीएएडीसी
19.	श्री परेश चौ. सरकार	कार्यपालक सदस्य, टीटीएएडीसी
20.	श्री पातीराम त्रिपुरा	कार्यपालक सदस्य, टीटीएएडीसी
21.	श्री शांतनु	सचिव, जनजातीय कल्याण
22.	श्री सी. के. जमातिया	निदेशक, जनजातीय कल्याण
23.	श्री बलिन देबबर्मा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, टीटीएएडीसी
24.	श्री रामकृष्ण देबबर्मा	कार्यपालक अधिकारी (वित्त), टीटीएएडीसी
25.	श्री. सुब्रत चक्रवर्ती	विशेष कार्याधिकारी, टीटीएएडीसी
26.	श्री प्रणब देबनाथ	विशेष कार्याधिकारी, वित्त, टीटीएएडीसी

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती रूपा दास	राज्य प्रमुख, भारतीय उद्योग महासंघ, त्रिपुरा अध्याय, अगरतला
2.	श्री बंसी राज साहा	स्थानिक अधिकारी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) (पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सलाहकार परिषद)
3.	श्री कनक जैन	निदेशक, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोटेज एंड स्माल इंडस्ट्री (एफआई)
4.	श्री अजय कुमार साहा	कार्यपालक सदस्य, त्रिपुरा औद्योगिक उद्यमी (टीआईई)
5.	श्री सुब्रत रॉय	अध्यक्ष,
6.	श्री एम.एल. देबनाथ	अध्यक्ष, त्रिपुरा चैंबर कॉमर्स
7.	श्री ए. के. रॉय	सचिव
8.	श्री रबिन बोस	उपाध्यक्ष, एमआईपीएल, त्रिपुरा उद्योग स्वामी संघ
9.	श्री सजीब साहा	सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य संघ, अगरतला

10.	श्री लैहलिया दारलोंग	प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य
11.	श्री संदीप आर. राठौड़	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
12.	श्रीमती सपना देबनाथ	अपर निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	डॉ. अशोक सिन्हा	पदाधिकारी, प्रदेश बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), अगरतला
2.	श्री सुब्रत चक्रवर्ती	प्रवक्ता, त्रिपुरा प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), अगरतला
3.	श्री विक्टर शोम	प्रदेश मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, (बीजेपी), अगरतला
4.	श्री रामेंद्र दत्ता गुप्ता	केंद्रीय समिति सदस्य, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई), अगरतला
5.	श्री मिलन बैद्य	प्रदेश सदस्य, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई), अगरतला
6.	श्री गौतम दास	सचिव, त्रिपुरा प्रदेश समिति, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम), अगरतला
7.	श्री भानुलाल साहा	प्रदेश समिति सदस्य, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम), अगरतला
8.	श्री मंगल देबबर्मा	एजीएस, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी), अगरतला
9.	श्री अमित देबबर्मा	सदस्य, केंद्रीय समिति, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी), अगरतला
10.	श्री तापस डे	वी.पी., भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, (आईएनसी), अगरतला
11.	श्री अमृत लाल साहा	अध्यक्ष, विचार विभाग समिति, टीपीसीसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), अगरतला

26. उत्तर प्रदेश (19-22 अक्तूबर, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री योगी आदित्यनाथ	मुख्यमंत्री
2.	श्री केशव प्रसाद मौर्य	उप-मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, खाद्य मनोरंजन कर और सार्वजनिक क्षेत्र
3.	श्री दिनेश शर्मा	उप-मुख्यमंत्री, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना
4.	श्री सूर्य प्रताप शाही	मंत्री, कृषि मंत्री कृषि अन्वेषण
5.	श्री सुरेश खन्ना	मंत्री, वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा
6.	श्री जय प्रताप सिंह	मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, माता एवं शिशु कल्याण
7.	श्री श्रीकांत शर्मा	मंत्री, विद्युत एवं अतिरिक्त विद्युत संसाधन
8.	श्री राजेंद्र प्रताप सिंह (मोती सिंह)	मंत्री, समग्र ग्रामीण विकास
9.	श्री आशुतोष टंडन	मंत्री, समग्र शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन
10.	श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी	मंत्री, पंचायती राज
11.	श्री महेंद्र सिंह	मंत्री, जल शक्ति
12.	श्री राजेंद्र कुमार तिवारी	मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त
13.	श्री आलोक टंडन	स्थापना एवं उद्योग विकास आयुक्त
14.	श्री संजीव मित्तल	अपर मुख्य सचिव, वित्त
15.	श्री आलोक सिन्हा	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्यिक कर, इलेक्ट्रॉनिकी, आईआईटी
16.	श्री कुमार कमलेश	अपर मुख्य सचिव, आयोजना
17.	श्रीमती रेणुका कुमार	अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा और राजस्व विभाग

18.	श्री शशि प्रकाश गोयल	प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री
19.	डॉ. रजनीश दुबे	प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा
20.	श्री मनोज कुमार सिंह	प्रधान सचिव, शहरी विकास
21.	श्री नवनीत कुमार सहगल	प्रधान सचिव, लघु एवं मध्यम उद्योग
22.	श्री देवेश चतुर्वेदी	प्रधान सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
23.	श्री अनुराग श्रीवास्तव	प्रधान सचिव, पंचायतीराज और ग्रामीण विकास
24.	श्री टी. वेंकटेश	प्रधान सचिव, सिंचाई
25.	श्री आलोक कुमार	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
26.	श्री राजन शुक्ला	प्रधान सचिव, सिविल डिफेंस एवं राजनीतिक पेंशन विभाग
27.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग
28.	श्री राजेश कुमार सिंह	प्रधान सचिव, सार्वजनिक क्षेत्र स्थापना एवं उद्योग विकास
29.	श्रीमती मोनिका एस. गर्ग	प्रधान सचिव, बाल विकास, पोषण, महिला कल्याण
30.	श्री संजय भूसरेड्डी	प्रधान सचिव, आबकारी एवं चीनी विभाग
31.	श्रीमती वीणा कुमारी	प्रधान सचिव, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन
32.	श्री जितेंद्र कुमार	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन
33.	श्री दिनेश कुमार सिंह	प्रधान सचिव, न्याय
34.	श्री सुरेश चंद्र	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग
35.	श्रीमती कल्पना अवस्थी	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
36.	श्री मनोज सिंह	प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण
37.	श्री सुधीर गर्ग	प्रधान सचिव, बागवानी
38.	श्री संजय प्रसाद	सचिव, मुख्यमंत्री
39.	श्री पंकज कुमार	सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

40.	श्रीमती अलकनंदा दयाल	सचिव, वित्त
41.	श्री सुभ्रांत शुक्ला	विशेष सचिव, मुख्यमंत्री
42.	श्री नील रतन	विशेष सचिव, वित्त
43.	श्री आलोक दीक्षित	विशेष सचिव, वित्त
44.	श्रीमती नीरू तिवारी	निदेशक, डी.एफ.पी.आर., वित्त
45.	श्री विवेक त्रिपाठी	संयुक्त सचिव, डी.एफ.पी.आर., वित्त
46.	श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव	अपर निदेशक, डी.एफ.पी.आर., वित्त
47.	डॉ. वीरेंद्र सिंह	संयुक्त निदेशक, डी.एफ.पी.आर., वित्त
48.	श्री अशोक कुमार	संयुक्त निदेशक, डी.एफ.पी.आर., वित्त

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री कुलविंदर सिंह	सचिव, जिला पंचायत, मेरठ
2.	श्रीमती सरिता द्विवेदी	सचिव, जिला पंचायत, बांदा
3.	श्रीमती उत्तमा देवी	खंड प्रमुख, ग्रामीण पंचायत भाटहट, गोरखपुर
4.	श्री राजेश रावत उर्फ चंद्रदीप रावत	खंड प्रमुख, ग्रामीण पंचायत माडवारा, जनपद ललितपुर
5.	श्रीमती स्वेता सिंह	ग्राम प्रमुख, लतीफपुर, लखनऊ
6.	श्री रामेश्वर सिंह	ग्राम प्रमुख, खोड़ाडीह, मिर्जापुर
7.	श्री महीप कुमार सिंह	सदस्य, जिला पंचायत , लखनऊ
8.	श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह	सदस्य, जिला पंचायत, झांसी
9.	श्री सुभाष चंद्र भारती	सदस्य, जिला पंचायत, गोरखपुर
10.	श्री अनूप सिंह	सदस्य, ग्रामीण पंचायत बुधगौरा, बाराबंकी
11.	श्री राज कुमार चौधरी	सदस्य, ग्रामीण पंचायत, सिद्धार्थ नगर
12.	श्री मिथिलेश	सदस्य, ग्रामीण पंचायत कर्वी, चित्रकूट
13.	श्री श्याम सुंदर	सदस्य, ग्राम पंचायत सरवा, सीतापुर

14.	श्री राम जीवन शुक्ला	सदस्य, ग्राम पंचायत पालरा, झांसी
15.	श्री नवीन कुमार जैन	महापौर, नगर निगम, आगरा
16.	श्री विनोद अग्रवाल	महापौर, नगर निगम, मुरादाबाद
17.	श्रीमती रुकसाना	सचिव, नगर परिषद , बिजनौर
18.	श्रीमती रुकसाना	नगर पंचायत, मडियाहू, जनपद जौनपुर
19.	श्री श्यामसुंदर वर्मा	सचिव, नगर परिषद, खलीलाबाद, जनपद - संतकबीर नगर
20.	श्रीमती गुर प्यारी मेहरा	सचिव, नगर निगम, दयालबाग, जनपद - आगरा
21.	श्री अरुण सिंह	सचिव, नगर निगम, बक्शी का तालाब, जनपद- लखनऊ
22.	श्रीमती शैफाली कुंवर	सचिव, नगर पंचायत, सरीला, जनपद-हमीरपुर
23.	श्रीमती ममता चौधरी	पार्षद नगर निगम, लखनऊ
24.	श्री अरुण तिवारी	पार्षद नगर निगम, लखनऊ
25.	श्री राजीव शर्मा	पार्षद, नगर निगम, गाजियाबाद
26.	श्री अंगद विश्वकर्मा	सदस्य, नगर परिषद, खलीलाबाद, जनपद- संतकबीर नगर
27.	श्री विनोद जायसवाल	नगर परिषद, खलीलाबाद, जनपद- संतकबीर नगर
28.	श्री मोहन लाल चौरसिया	सदस्य, नगर पंचायत, मड़ियाहू, जनपद जौनपुर

व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री विजय आचार्य	सचिव, एसोशिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यू.पी.

2.	श्री डी. पी. सिंह	सह-सचिव, एसोचैम, एसोशिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यू.पी.
3.	श्री मनीष अग्रवाल	सह-सचिव, एसोचैम, एसोशिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यू.पी.
4.	श्री सचिन अग्रवाल	भारतीय उद्योग महासंघ
5.	श्रीमती किरण चोपड़ा	भारतीय उद्योग महासंघ
6.	श्री आलोक शुक्ला	भारतीय उद्योग महासंघ
7.	श्री वी. के. अग्रवाल	भारतीय उद्योग महासंघ
8.	श्री मनीष गोयल	भारतीय उद्योग महासंघ
9.	श्री सूर्य हवेलिया	भारतीय उद्योग महासंघ
10.	श्री अमित गुप्ता	उत्तर प्रदेश प्रमुख, फेडेरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज
11.	श्रीमती रीता मित्तल	महासचिव, लघु उद्योग भारती

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	सांसद, राज्य सभा, समाजवादी पार्टी
2.	श्री उदयवीर सिंह	सदस्य, विधान परिषद, समाजवादी पार्टी
3.	श्री के. के. शर्मा	प्रदेश सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
4.	श्री उमाशंकर यादव	राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
5.	श्री जे. पी. एस. राठौर	प्रदेश उपसचिव, भारतीय जनता पार्टी
6.	श्री वाई. पी. सिंह	प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी
7.	श्री मनीष कपूर	प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
8.	श्री सलमान खुर्शीद	भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
9.	श्री अनूप पटेल	प्रवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

10.	श्री सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी	प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोक दल
11.	श्री जावेद अहमद	प्रदेश मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय लोक दल
12.	डॉ. गिरीश	सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
13.	श्री अरविंद राज स्वरूप	प्रदेश सहायक सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
14.	श्री विनय पाठक	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
15.	श्री प्रेमनाथ राय	सदस्य प्रदेश सचिव, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी
16.	श्री रविशंकर मिश्रा	सी.पी.आई., मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी

27. उत्तराखंड (15-18 अक्तूबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत	मुख्यमंत्री
2.	श्री प्रकाश पंत	वित्त मंत्री
3.	श्री उत्पल कुमार सिंह	मुख्य सचिव
4.	डॉ. रणबीर सिंह	अपर मुख्य सचिव
5.	श्री ओम प्रकाश	अपर मुख्य सचिव
6.	श्रीमती राधा रतूड़ी	अपर मुख्य सचिव
7.	श्री जय राज	अपर मुख्य वन संरक्षक
8.	श्रीमती मनीषा पंवार	प्रधान सचिव
9.	श्री आनंद बर्धन	प्रधान सचिव
10.	डॉ. भूपिंदर कौर औलख	सचिव
11.	श्री रमेश कुमार सुधांशु	सचिव
12.	श्री अमित सिंह नेगी	सचिव
13.	श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम	सचिव
14.	श्री शैलेश बगौली	सचिव
15.	श्री अरविंद सिंह हियांकी	सचिव
16.	श्री दिलीप जावलकर	सचिव, प्रभारी
17.	श्रीमती सौजन्या	सचिव, प्रभारी
18.	डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा	सचिव, प्रभारी
19.	श्री एल. एन. पंत	अपर सचिव, वित्त
20.	श्री ए. के. त्यागी	सीपीओ, यूआरईडीए
21.	श्री बी.सी.के. मिश्रा	एमडी, यूपीसीएल

22.	श्री संदीप सिंघल	एमडी, पीटीसीयूआई
23.	श्री एस. एन. वर्मा	एमडी, यूजीवीएनएल
24.	श्री मनोज पंत	जेडी, डीईएस
25.	श्री के. सी. पंत	वरि. अनुसंधान अधिकारी, आयोजना
26.	श्री अमित वर्मा	वरि. अनुसंधान अधिकारी, वित्त
27.	श्री तेजपाल सिंह	वरि. अनुसंधान अधिकारी, वित्त
28.	श्री बी. सी. सनवाल	अनुसंधान अधिकारी, वित्त
29.	श्री दिनेश	अनुसंधान अधिकारी, वित्त

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती ऊषा चौधरी	पूर्व महापौर, काशीपुर
2.	श्री मनोज गर्ग	पूर्व महापौर, हरिद्वार
3.	श्रीमती रोहणी रावत	पूर्व अध्यक्ष, जोशीमठ
4.	श्री दीपक बडोला	पूर्व अध्यक्ष, दुगड्डा
5.	श्री मनमोहन सिंह मल्ल	पूर्व अध्यक्ष, मसूरी
6.	श्री उमेश चरण सिंह	सेवानिवृत्त अध्यक्ष, टिहरी
7.	श्री प्यारेलाल हिमानी	पूर्व अध्यक्ष, पुरोला
8.	श्री सुभाष गैरोला	पूर्व अध्यक्ष, एनपीपी कर्णप्रयाग
9.	श्रीमती ऊषा चौधरी	पूर्व महापौर, काशीपुर
10.	श्रीमती राधा रतूड़ी	अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार
11.	श्री रमेश कुमार सुधांशु	सचिव, शहरी विकास, उत्तराखंड सरकार
12.	श्री अमित सिंह नेगी	सचिव, वित्त, उत्तराखंड सरकार
13.	श्रीमती सौजन्या	प्रभारी सचिव, निर्वाचन, उत्तराखंड सरकार
14.	श्री बी.एस. मनराल	अपर सचिव/ निदेशक यूआरडी, उत्तराखंड सरकार

15.	श्री उदय सिंह राणा	अपर निदेशक यूआरडी, उत्तराखंड

ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री चमन सिंह चौहान	अध्यक्ष, जिला पंचायत, देहरादून
2.	श्री अखिलेश उनियाल	सदस्य जिला पंचायत, टिहरी डोब नगर, हरिद्वार
3.	श्रीमती बीना बहुगुणा	खंड प्रमुख, रायपुर, देहरादून
4.	श्री रवींद्र सिंह	ग्राम प्रधान, बाइमारु, चमोली
5.	श्री इमरान खान	ग्राम प्रधान, केदारवाला, देहरादून
6.	श्रीमती पूनम रमोला	ग्राम प्रधान, बदिमनी, उत्तरकाशी
7.	श्री देवी दत्त पाठक	ग्राम प्रधान, तकला, बागेश्वर
8.	श्री प्रकाश जोशी	अध्यक्ष, जिला पंचायत पिथौरागढ़
9.	श्रीमती राधा रतूड़ी	अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार
10.	श्री अमित सिंह नेगी	सचिव, वित्त, उत्तराखंड सरकार
11.	श्रीमती सौजन्या	प्रभारी सचिव, निर्वाचन, उत्तराखंड सरकार
12.	श्री रंजीत सिन्हा	प्रभारी सचिव, पंचायती राज, उत्तराखंड सरकार
13.	श्री एच.सी. सेमवाल	अपर सचिव/ निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखंड सरकार
14.	श्रीमती प्रतिमा पेनौली	वित्त नियंत्रक, पंचायती राज विभाग
15.	श्री जितेंद्र कुमार	डीपीआरओ, पंचायती राज
16.	श्री ए. आर. कुमेठी	सहायक लेखा अधिकारी, पंचायती राज

उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि

1.	श्री सुधीर चंद्र नौटियाल	निदेशक, उद्योग
2.	श्री अनुपम द्विवेदी	उपनिदेशक उद्योग

3.	श्री पंकज गुप्ता	अध्यक्ष, उत्तराखंड उद्योग संघ
4.	श्री अनिल गोयल	उत्तराखंड उद्योग संघ
5.	श्री राकेश ओबेराय	महासचिव, भारतीय उद्योग महासंघ
6.	श्री संजय गुप्ता	महासचिव, भारतीय उद्योग महासंघ
7.	श्री मनमोहन जैन	महासचिव, एसआईआईडीसीयूएल उत्तराखंड विनिर्माता संघ
8.	श्री एन. पी. शुक्ला	उपाध्यक्ष, भगवानपुर उद्योग संघ
9.	श्री वीरेंद्र कालरा	पी.एच.डी. चैंबर ऑफ कॉमर्स
10.	श्री अशोक बंसल	अध्यक्ष, कुमाऊं-गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
11.	श्री आर. के. गुप्ता	महासचिव, कुमाऊं-गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
12.	श्री अनिल मारवाह	राज्य महासचिव, प्रांतीय उद्योग संघ, उत्तराखंड
13.	श्री राकेश भाटिया	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संघ,
14.	श्री सुमनप्रीत सिंह	निदेशक, भारतीय उद्योग महासंघ
15.	श्रीमती मनीषा पंवार	प्रधान सचिव
16.	श्रीमती सौजन्या	सचिव, प्रभारी

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री मुन्ना सिंह चौहान	विधायक, भारतीय जनता पार्टी
2.	श्री पुनीत मित्तल	समन्वयक, भारतीय जनता पार्टी
3.	श्री समर भंडारी	प्रदेश सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
4.	श्री अशोक शर्मा	सदस्य प्रदेश परिषद, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
5.	श्री सूर्यकांत धसमाना	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

6.	श्री राजेश चमोली	सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7.	श्री सत्यपाल सिंह	जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी
8.	श्री बच्चीराम कांसवाल	सदस्य प्रदेश समिति, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (एम)
9.	श्री अनंत आकाश	सदस्य प्रदेश समिति, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (एम)
10.	श्री सुरेंद्र प्रसाद नौटियाल	प्रदेश महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
11.	श्री विभूति भूषण नारंग	जिला प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी
12.	श्रीमती राधा रतूड़ी	अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार
13.	श्री अमित सिंह नेगी	वित्त सचिव, उत्तराखंड सरकार
14.	श्रीमती सौजन्या	प्रभारी सचिव, निर्वाचन, उत्तराखंड सरकार

28. पश्चिम बंगाल (16-18 जुलाई, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	सुश्री ममता बनर्जी	मुख्यमंत्री
2.	डॉ. अमित मित्रा	वित्त मंत्री
3.	श्री मलय कुमार डे	मुख्य सचिव
4.	श्री हरि कृष्ण द्विवेदी	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
5.	श्री गौतम सान्याल	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
6.	श्री सौरभ कुमार दास	अपर मुख्य सचिव की श्रेणी में विशेष कार्याधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
7.	श्री देबाशीस सेन	अपर मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी विभाग
8.	श्री राजीव सिन्हा	अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा वस्त्र विभाग
9.	डॉ. आर.एस. शुक्ला	अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
10.	श्री आलापन बंदोपाध्याय	अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग
11.	श्री नवीन प्रकाश	अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग
12.	श्री सुनील कुमार गुप्ता	अपर मुख्य सचिव, विद्युत एवं एनईएस विभाग
13.	श्री इंदीवर पाण्डेय	अपर मुख्य सचिव, वन विभाग
14.	श्री एम. वेंकटेश्वर राव	अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग
15.	श्री अनिल वर्मा	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
16.	श्री अत्रि भट्टाचार्य	प्रधान सचिव, गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग
17.	श्री अजित रंजन बर्धन	प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

18.	श्री एस. के. ठाड़े	प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और जनजातीय विकास
19.	श्री सुब्रत गुप्ता	प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं नगर कार्य विभाग
20.	श्री विवेक कुमार	प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग
21.	श्री मनोज कुमार अग्रवाल	प्रधान सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
22.	श्री अर्नब रॉय	प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग
23.	श्री मनोज पंत	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग
24.	श्रीमती रोशनी सेन	प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग
25.	श्री दुष्यंत नरियाला	प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
26.	श्री मनीष जैन	सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग
27.	श्रीमती नंदिनी चक्रवर्ती	सचिव, कृषि विभाग
28.	श्रीमती संघमित्रा घोष	सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री सोवन चटर्जी	महापौर, कोलकाता नगर निगम
2.	श्री सब्यसाची दत्ता	महापौर, बिधाननगर नगर निगम
3.	श्री दिलीप कुमार अगस्ती	महापौर, दुर्गापुर नगर निगम
4.	श्री दिलीप यादव	अध्यक्ष, उत्तरपाड़ा-कोत्रुंग नगरपालिका
5.	श्री असीम साहा	अध्यक्ष, कृष्णानगर नगरपालिका
6.	श्री दुलाल चंद्र दास	अध्यक्ष, महेशतला नगरपालिका
7.	श्री रथिन घोष	अध्यक्ष, मध्यम ग्राम नगरपालिका
8.	श्री शक्ति रॉय चौधुरी	अध्यक्ष, बारुईपुर नगरपालिका

9.	श्री कनाईलाल अग्रवाल	अध्यक्ष, इस्लामपुर नगरपालिका
10.	श्री अपूर्ब सरकार	अध्यक्ष, कांदी नगरपालिका
11.	श्री मोजहारुल इस्लाम	अध्यक्ष, जंगीपुर नगरपालिका
12.	श्रीमती मौसमी साहा	पार्षद, बेलडांगा नगरपालिका
13.	श्री बिकास रॉय चौधुरी	सभाधिपति, वीरभूम जिला पंचायत
14.	सुश्री रेहाना खातून	सभाधिपति, उत्तर-24 परगना जिला पंचायत
15.	श्री मोहन शर्मा	सभाधिपति, अलीपुरद्वार जिला पंचायत
16.	सुश्री उत्तरा सिंह (हाजरा)	सभाधिपति, पश्चिम मेदिनीपुर जिला पंचायत
17.	श्री नेपाल सिंह	सभाधिपति, सालबनी पंचायत समिति
18.	श्री सोमनाथ साधु	सभाधिपति, सैंथिया पंचायत समिति
19.	श्री अबानी भूषण सिंह	सभाधिपति, बाघमुंडी पंचायत समिति
20.	श्री अब्दुल सादेक	प्रधान, पंचकुड़ी-II ग्राम पंचायत
21.	सुश्री साजेदा बीबी	प्रधान, राजारहाट विष्णुपुर-II ग्राम पंचायत
22.	श्री रबींद्रनाथ बेरा	प्रधान, दिगंबरपुर ग्राम पंचायत
23.	श्री कालीपद बौरी	प्रधान, साँका ग्राम पंचायत
24.	सुश्री रीता माझी	प्रधान, कचकोले ग्राम पंचायत
25.	श्रीमती तारुलता लोहार	प्रधान, सिमलीपाल ग्राम पंचायत
26.	श्री सिमन टुडू	सदस्य, साँकराइल पंचायत समिति
27.	श्री जितेन मल्लिक	सदस्य, जंबोनी पंचायत समिति

उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि

1.	श्री मयंक जालान	अध्यक्ष, फिक्की पश्चिम बंगाल राज्य परिषद
2.	श्री सीताराम शर्मा	अध्यक्ष, भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स
3.	श्री साजहान बिस्वास	अध्यक्ष, द ओरिएंटल चैंबर ऑफ कॉमर्स

4.	श्री चंद्र शेखर घोष	अध्यक्ष, बीसीसीएंडआई
5.	श्री रमेश अग्रवाल	अध्यक्ष, मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
6.	श्री अतुल प्रकाश अग्रवाल	अध्यक्ष, एनएएसएससीओएमईआरसी
7.	श्री हितांग्शु कुमार गुहा	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोटेज एंड स्माल इंडस्ट्रीज (एफआई)
8.	श्री सुभाष सी. अगरवाल	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
9.	श्री देबाशीष सेन	अध्यक्ष, अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, ईस्टर्न रीजन

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री पार्थ चटर्जी	ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
2.	श्री फिरहाद हाकिम	ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
3.	श्री प्रमथेश मुखर्जी	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
4.	श्री सुभाष नस्कर	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
5.	डॉ. बरुण मुखर्जी	ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक
6.	श्री हाफिज आलम सैरानी	ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक
7.	श्री प्रबोद चंद सिन्हा	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
8.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
9.	डॉ. असीम दासगुप्ता	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
10.	श्री अशोक भट्टाचार्य	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
11.	श्री अशोक रॉय	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
12.	श्री मनोज चटर्जी	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
13.	डॉ. पंकज कुमार राय	भारतीय जनता पार्टी
14.	श्री कुमुद बिस्वास	बहुजन समाज पार्टी

15.	श्री संजीब किर्तानिया	बहुजन समाज पार्टी
16.	श्री नेपाल महता	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
17.	श्री सौम्यो ऐच राय	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

अनुलग्नक 1.40

(पैरा 1.19)

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 5 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंतर्विष्ट अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. पंद्रहवें वित्त आयोग [इसके बाद, आयोग] का गठन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2017 के आदेश संख्या का. आ. 3755 (अ.) के तहत 27 नवंबर, 2017 को किया गया था। दिनांक 29 नवंबर, 2019 के का.आ. सं. 4308 (अ.) के तहत आयोग को दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया है, यानी, पहली रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए तथा अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख 30 अक्टूबर, 2020 है। आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 को समाविष्ट करते हुए अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई।

2. संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसरण में, 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 को समाविष्ट करते हुए आयोग की रिपोर्ट को, आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सभा-पटल पर रखा जा रहा है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संघीय करों की निवल आगमों के बंटवारे, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान, राहत व्यय के वित्तपोषण, स्थानीय निकायों को अनुदान से संबंधित मुख्य सिफारिशें तथा अन्य सिफारिशें सार-रूप में इस ज्ञापन में अंतर्विष्ट हैं। इस ज्ञापन में, 5 दिसंबर, 2019 को आयोग द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में की गई सेक्टर-केंद्रित अनुदानों से संबंधित अनुशंसाएं तथा उपलब्ध कराए गए निष्पादन-आधारित संकेतक भी शामिल हैं।

संघीय करों का बंटवारा

3. आयोग ने अनुशंसा की है कि संघीय करों की निवल आगमों के मौजूदा 42% की बजाय 41 प्रतिशत हिस्से को राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। आयोग यह महसूस करता है कि संघीय करों की निवल आगमों के 1% के समतुल्य वित्तीय संसाधनों को केंद्र सरकार नवगठित संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के जरूरी वित्तपोषण के लिए अपने पास रखे।

सरकार ने आयोग की उपर्युक्त अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है।

संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान

4. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राजस्व घाटे, विशेष अनुदानों, पोषण अनुदानों, स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्यों के राजस्व में सहायक-अनुदानों की अनुशंसा की है।

राजस्व घाटा अनुदान

5. आयोग ने वर्ष 2020-21 में चौदह राज्यों के लिए 74,340 करोड़ रु. की धनराशि के 'अंतरण उपरांत राजस्व घाटा अनुदान' की अनुशंसा की है। 74,340 करोड़ रु. के कुल राजस्व घाटा अनुदानों में से 37,917 करोड़ रु. सामान्य (मैदानी) राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल को समनुदिष्ट किए गए हैं, जबकि 36,423 करोड़ रु. उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों नामतः असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड को समनुदिष्ट किए गए हैं। राजस्व घाटा अनुदानों का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट है।

सरकार ने आयोग की उपर्युक्त अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।

विशेष अनुदान

6. आयोग ने वर्ष 2020-21 में कुल मिलाकर 6,764 करोड़ रु. के विशेष अनुदानों की अनुशंसा की है। ये अनुदान यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में, कर-अंतरण और राजस्व घाटा अनुदान के परिप्रेक्ष्य में किसी भी राज्य को प्राप्त राशि, वित्त वर्ष 2019-20 में प्राप्त राशि की तुलना में किसी भी तरह से कम न हो। राजस्व घाटा अनुदानों का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट है।

आयोग से इस अनुशंसा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाए क्योंकि इससे एक नई परंपरा को बल मिलता है।

पोषणाहार-अनुदान

7. आयोग ने वर्ष 2020-21 में पोषणाहार के लिए राज्यों को अतिरिक्त 7,735 करोड़ रु. के अनुदानों की अनुशंसा की है। आयोग ने अनुशंसा की है कि पोषणाहार अनुदान को न तो राज्य के हिस्से से और न ही संघ के हिस्से से प्रतिस्थापित किया जाए बल्कि इसकी व्यवस्था पृथक रूप से की जाए। राजस्व घाटा

अनुदानों का विवरण तथा इन्हें प्रदान करने की रीति इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट है।

आयोग अपनी मुख्य रिपोर्ट के विचारार्थ विषयों के अनुसार राज्यों के लिए मापनीय निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों के अपने समग्र प्रस्ताव के अंग के रूप में इस अनुशंसा की समीक्षा करे

स्थानीय निकाय

8. आयोग ने सभी राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए 90,000 करोड़ रु. की राशि के अनुदान की अनुशंसा की है। वर्ष 2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए अनुशंसित आबंटन क्रमशः 60,750 करोड़ रु. तथा 29,250 करोड़ रु. है।

9. आयोग ने अनुशंसा की है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान, पंचायतों में तीनों स्तरों, अर्थात्, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, पर दिए जाएं। आयोग ने अनुशंसा की है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों के कुल 60,750 करोड़ रु. के दो घटक होंगे- आधारभूत और सशर्त। आधारभूत और सशर्त अनुदानों का अनुपात 50:50 का होगा। आयोग ने अनुशंसा की है कि आधारभूत अनुदान बिना किसी शर्त के हैं तथा स्थानीय निकायों द्वारा उनका उपयोग, वेतन या अन्य अवस्थापना व्यय के सिवाय, स्थानीय (स्थान-विशेष के लिए) जरूरतों के हिसाब से किया जा सकता है।

10. आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्य सरकारों को पांचवीं एवं छठी दोनों अनुसूचियों के तहत अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए अनुदान आबंटित करने चाहिए। पारस्परिक आबंटन का निर्धारण उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर 90:10 के अनुपात में किया जाना चाहिए। आधारभूत और सशर्त अनुदान के अंतर्गत द्विभाजन की व्यवस्था पांचवीं एवं छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होगी।

11. आयोग ने अनुशंसा की है कि शहरी स्थानीय निकायों को कुल 29,250 करोड़ रु. का अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। आयोग ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले (मिलियन प्लस) शहरों के लिए 9,229 करोड़ रु. तथा अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले शहरों/नगरों के लिए 20,021 करोड़ रु. देने की अनुशंसा की है। आयोग ने अनुशंसा की है राज्य द्वारा, उनके राज्यक्षेत्र में आने वाली छावनी परिषदों के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुदानों का आबंटन किया जाना चाहिए। इन अनुदानों के संघटन तथा प्रदान करने की रीति इस रिपोर्ट के अध्याय-5 में अंतर्विष्ट है।

सरकार ने आयोग की इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।

आपदा संबंधी अनुदान

12. आयोग ने अनुशंसा की है कि वर्ष 2020-21 में एसडीआरएमएफ के लिए राज्यों को आबंटित की जाने वाली कुल राशि 28,983 करोड़ रु. होगी, जिसमें से संघ का हिस्सा 22,148 करोड़ रु. का होगा। आयोग ने अनुशंसा की है कि व्यय-आधारित पद्धति के आधार पर वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) के लिए आबंटन 12,390 करोड़ रु. का होगा। एसडीआरएमएफ तथा एनडीआरएमएफ के अंतर्गत आबंटनों के संघटन एवं निर्धारित आबंटन सहित, आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में आयोग की सिफारिशें, इन अनुदानों का विवरण और इन्हें जारी किए जाने संबंधी शर्तों का उल्लेख इस रिपोर्ट के अध्याय-6 में किया गया है।

सरकार ने आयोग की इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।

सेक्टर संबंधी अनुदान

13. इस रिपोर्ट में सेक्टर संबंधी अनुदानों की व्यापक रूपरेखा पर तथा सेक्टर संबंधी अनुदानों के विषय में राज्य सरकारों तथा संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक (तैयारी) कार्यों पर चर्चा की गई है। आयोग ने अनुशंसा की है कि सात (7) विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा तथा केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभागों द्वारा तैयारियों से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इन तैयारी कार्यों के संबंध में आयोग का आशय स्वास्थ्य, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, न्यायपालिका, ग्रामीण कनेक्टिविटी, रेलवे, सांख्यिकी और पुलिस प्रशिक्षण तथा आवासन के लिए सेक्टर-केंद्रित अनुदान उपलब्ध कराने का है। सेक्टर संबंधी अनुदानों पर आयोग की सिफारिशें इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट हैं।

सरकार ने आयोग की इन अनुशंसाओं को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया है।

निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन

14. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों को सलाह दी है कि परवर्ती वर्षों में पात्र राज्यों को अनुदान जारी करने के प्रयोजन के लिए, सुदृढ़ एवं मॉनीटर किए जाने योग्य परिणाम-संकेतकों का विकास करने के बाद, वर्ष 2020-21 में एक विश्वसनीय कार्यान्वयन एवं निगरानी प्रणाली स्थापित करते हुए प्रारंभिक (तैयारी) कार्य शुरु किए जाएं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित है कि वार्षिक वृद्धिमान परिवर्तनों को मॉनीटर करने के लिए संकेत-सूचियों का उपयोग करते हुए राज्यवार आधारभूत संकेत-सूचियों/प्राप्तांकों/आंकड़ों को परिभाषित किया जाए तथा मई/जून, 2020 से पूर्व तत्संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाएं। राज्यों और

मंत्रालय/विभागों द्वारा किए जाने वाले तैयारी कार्य से संबंधित ये सिफारिशें इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट हैं।

सरकार ने आयोग की इन अनुशंसाओं को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया है।

अन्य सिफारिशें

15. उपर्युक्त के अलावा, आयोग ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर राजस्व एवं व्यय सुधारों, लेखाकरण एवं बजट सुधारों, केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के विषय में अन्य सिफारिशें भी की हैं।

सरकार आयोग की इन अनुशंसाओं पर यथासमय विचार करेगी।

कार्यान्वयन

16. संविधान के अनुच्छेद 270 एवं 275(1) के अधीन क्रमशः संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायक-अनुदानों के विषय में आयोग की अनुशंसाओं पर आदेश राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात जारी किए जाएंगे। आयोग की अन्य अनुशंसाओं पर कार्रवाई यथासमय की जाएगी।

ह/-

(निर्मला सीतारमण)

वित्तमंत्री

नई दिल्ली

30 जनवरी, 2020

अनुलग्नक 3.1
(पैरा : 3.108)

राज्यों का राजस्व घाटा

जीएसडीपी का प्रतिशत
राजस्व घाटा [अधिशेष (-)]

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	-0.4	-0.1	0.0	2.3	1.2	2.5	2.0	1.6	2.7	1.8
अरूणाचल प्रदेश	-9.8	-7.8	-0.6	-11.0	-11.8	-12.0	-12.8	-15.3	-12.8	-21.3
असम	-0.6	-1.0	-0.1	0.5	-2.4	0.1	0.5	-2.1	-0.2	-2.2
बिहार	-2.0	-1.8	-2.0	-1.7	-3.4	-2.6	-3.2	-1.3	3.0	-2.8
छत्तीसगढ़	-2.0	-1.5	0.4	0.7	-1.1	-2.2	-1.2	-0.2	2.9	-0.7
गोवा	-0.7	0.6	1.0	-0.6	-0.2	-1.1	-0.7	-0.5	-0.3	-0.4
गुजरात	-0.5	-0.8	-0.6	-0.6	-0.2	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0.0
हरियाणा	0.5	1.3	1.0	1.9	2.4	2.8	1.6	1.5	1.8	1.6
हिमाचल प्रदेश	-0.9	0.7	1.7	1.9	-1.0	-0.7	-0.2	-1.0	2.4	0.4
जम्मू एवं कश्मीर	-2.7	-1.3	-0.1	0.4	0.5	-1.7	-5.5	3.1	--	--
झारखंड	-0.9	-0.8	-1.4	0.1	-2.0	-0.8	-0.7	-1.9	-2.0	-0.5
कर्नाटक	-0.8	-0.3	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0
केरल	2.2	2.3	2.4	2.7	1.7	2.4	2.4	2.2	2.0	1.6
मध्य प्रदेश	-3.1	-2.0	-1.3	-1.3	-1.1	-0.6	-0.6	-1.1	0.3	1.8
महाराष्ट्र	0.2	-0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	-0.1	-0.5	1.1	0.3
मणिपुर	-5.0	-10.9	-9.7	-4.0	-4.6	-4.4	-4.2	-2.9	-0.9	-5.9
मेघालय	0.9	-2.5	-3.1	-0.8	-2.8	-2.2	-2.9	1.6	-2.0	-2.1
मिजोरम	-1.8	-0.3	1.5	1.0	-7.3	-6.8	-9.1	-7.9	2.6	-2.4
नागालैंड	-5.8	-4.3	-4.5	-4.8	-2.4	-3.6	-3.4	-1.9	2.1	-3.3
ओडिशा	-2.4	-2.2	-1.1	-1.9	-3.1	-2.4	-3.0	-2.9	-1.2	-1.5
पंजाब	2.6	2.5	2.0	2.1	2.2	1.7	2.0	2.5	2.2	1.2
राजस्थान	-0.8	-0.7	0.2	0.5	0.9	2.4	2.2	3.1	2.7	1.1
सिक्किम	-4.0	-6.3	-6.3	-4.7	-0.8	-4.0	-4.1	-2.4	-0.2	-1.8
तमिलनाडु	-0.2	-0.2	0.2	0.6	1.0	1.0	1.5	1.4	1.4	1.0
तेलंगाना	--	--	--	--	0.0	-0.2	-0.5	-0.5	0.0	-0.4
त्रिपुरा	-8.7	-8.5	-6.6	-6.1	-4.3	-2.0	0.7	-0.3	3.8	0.4
उत्तर प्रदेश	-1.0	-0.6	-1.1	-2.2	-1.3	-1.6	-0.9	-1.7	-1.5	-1.5
उत्तराखंड	-0.6	-1.4	-0.7	0.6	1.0	0.2	0.9	0.4	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	2.8	2.3	2.8	2.4	1.1	1.8	1.0	1.0	0.5	0.0
सभी राज्य	**-0.3**	**-0.2**	**0.1**	**0.4**	**0.0**	**0.3**	**0.1**	**0.1**	**0.8**	**0.1**

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21
जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)
जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।
नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 3.2
(पैरा : 3.108)

राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

जीएसडीपी का प्रतिशत
राजकोषीय घाटा [अधिशेष (-)]

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	2.1	2.2	2.0	4.0	3.7	4.5	4.1	4.1	4.2	4.8
अरूणाचल प्रदेश	9.0	1.8	11.0	-2.9	-1.0	-4.2	1.4	8.0	3.1	2.4
असम	1.1	1.0	2.1	2.8	-1.3	2.4	3.3	1.5	5.9	2.3
बिहार	2.4	2.3	2.6	3.3	3.2	3.9	3.1	2.6	9.5	3.0
छत्तीसगढ़	0.5	1.5	2.4	3.6	2.4	1.6	2.5	2.7	6.4	3.2
गोवा	2.1	3.0	3.8	2.0	2.7	1.5	2.3	2.5	4.7	5.0
गुजरात	1.8	2.3	2.3	2.0	2.2	1.4	1.6	1.8	1.6	1.8
हरियाणा	2.4	3.0	2.1	2.9	6.4	4.7	2.9	3.0	2.8	2.7
हिमाचल प्रदेश	2.2	3.6	4.2	4.0	1.9	4.6	2.8	2.3	6.4	4.0
जम्मू एवं कश्मीर	4.7	4.8	4.8	5.7	6.9	4.9	2.0	8.6	--	--
झारखंड	1.3	1.9	1.2	3.0	5.6	4.3	4.4	2.2	2.4	2.1
कर्नाटक	2.0	2.1	2.1	2.1	1.8	2.4	2.3	2.5	2.3	2.6
केरल	3.5	3.6	3.6	3.6	3.2	4.2	3.8	3.4	3.0	3.0
मध्य प्रदेश	1.8	2.5	2.2	2.4	2.6	4.3	3.1	2.7	3.6	5.0
महाराष्ट्र	1.6	0.9	1.6	1.8	1.4	1.8	1.0	0.9	2.7	1.7
मणिपुर	8.1	0.0	-1.7	3.3	1.7	2.6	1.3	3.3	8.9	4.1
मेघालय	5.3	1.8	1.7	4.2	2.2	2.5	0.5	6.1	3.6	3.5
मिजोरम	6.6	6.9	7.3	7.7	-2.7	-1.5	1.7	1.8	9.8	1.7
नागालैंड	4.4	4.6	2.8	0.7	3.1	1.3	1.8	4.0	9.0	4.3
ओडिशा	-0.3	0.0	1.6	1.7	2.1	2.4	2.1	2.1	3.4	2.7
पंजाब	3.2	3.1	2.6	3.1	4.5	12.4	2.7	3.1	3.0	2.9
राजस्थान	0.8	1.7	2.8	3.1	9.3	6.1	3.0	3.7	3.2	3.0
सिक्किम	1.6	0.5	0.4	1.8	2.9	-0.4	1.8	2.2	3.7	3.0
तमिलनाडु	2.3	1.9	2.1	2.5	2.8	4.3	2.7	2.9	3.0	2.8
तेलंगाना	--	--	--	--	3.3	5.4	3.5	3.1	2.3	3.0
त्रिपुरा	-1.3	-1.6	-0.2	3.6	4.6	6.4	4.7	2.7	6.5	3.5
उत्तर प्रदेश	2.1	2.3	2.5	3.2	5.1	4.3	1.9	2.1	2.8	3.0
उत्तराखंड	1.5	1.2	1.8	3.6	3.5	2.8	3.6	3.0	2.5	2.6
पश्चिम बंगाल	3.4	3.2	3.7	3.8	2.6	2.9	3.0	3.1	2.7	2.2
सभी राज्य	**1.9**	**2.0**	**2.2**	**2.6**	**3.1**	**3.5**	**2.4**	**2.5**	**3.1**	**2.7**

स्रोतः वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21
जीडीपीः 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)
जीएसडीपीः 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आकंड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।
नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 3.3
(पैरा: 3.108)

राज्यों की बकाया देनदारी एवं देयताएं

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	20.4	20.8	20.7	22.2	28.0	28.5	26.6	29.8	31.1	34.7
अरूणाचल प्रदेश	36.5	35.4	33.8	34.1	31.8	28.3	32.1	34.9	44.0	43.5
असम	22.0	19.5	17.9	18.1	17.1	17.3	17.4	18.8	20.4	22.5
बिहार	27.4	27.1	27.4	28.9	31.4	32.9	33.4	31.9	30.7	30.3
छत्तीसगढ़	10.8	10.9	12.0	14.0	16.8	17.6	19.3	22.0	25.4	26.2
गोवा	22.6	29.5	35.3	29.0	28.3	26.7	26.8	27.9	25.8	25.8
गुजरात	24.5	23.0	22.7	21.9	21.5	20.8	19.3	19.0	18.9	18.1
हरियाणा	18.3	18.7	19.1	20.2	24.4	26.1	25.3	25.1	24.8	24.5
हिमाचल प्रदेश	38.8	36.8	35.8	36.8	36.1	37.6	36.9	35.3	35.8	36.0
जम्मू एवं कश्मीर	46.3	46.2	46.7	49.1	47.2	49.8	49.0	50.7	--	--
झारखंड	20.3	20.0	19.9	19.9	27.4	28.3	28.6	28.2	29.0	27.0
कर्नाटक	17.0	16.8	16.6	17.3	16.8	17.5	17.2	17.5	18.3	19.6
केरल	25.6	26.3	26.7	27.7	28.6	29.9	30.6	30.9	30.8	30.5
मध्य प्रदेश	25.9	23.6	22.0	22.6	23.5	23.7	23.8	23.9	24.9	28.8
महाराष्ट्र	19.2	18.4	17.8	18.0	17.9	18.0	18.1	16.6	17.2	17.1
मणिपुर	49.4	49.5	43.6	40.6	41.6	41.4	37.1	37.5	37.9	36.0
मेघालय	25.6	22.7	27.3	29.1	28.5	32.7	32.1	31.7	30.5	29.1
मिजोरम	62.7	61.2	54.5	48.5	42.3	39.1	39.0	37.5	34.3	28.0
नागालैंड	55.5	52.8	50.3	43.2	45.7	44.0	42.5	42.7	43.9	42.3
ओडिशा	18.4	16.6	15.1	16.1	18.2	18.2	22.1	22.0	23.3	22.0
पंजाब	31.2	31.0	30.8	31.6	33.0	42.7	41.4	40.3	39.8	38.5
राजस्थान	24.5	23.9	23.6	24.0	30.7	33.5	33.7	33.0	33.4	33.1
सिक्किम	22.9	22.4	22.1	22.6	22.0	22.6	21.0	22.1	23.2	24.6
तमिलनाडु	16.9	17.2	17.2	17.9	19.0	21.8	22.3	22.6	22.8	22.9
तेलंगाना	--	--	--	--	17.0	20.5	22.0	22.9	22.7	22.9
त्रिपुरा	35.7	35.4	34.0	31.6	27.5	28.5	29.5	29.7	30.7	30.3
उत्तर प्रदेश	33.6	31.6	30.0	30.4	32.3	32.8	32.0	31.1	30.5	33.5
उत्तराखंड	20.5	19.4	19.3	20.7	22.1	22.8	23.3	23.6	24.1	24.3
पश्चिम बंगाल	39.9	38.8	37.2	38.7	38.4	38.7	37.0	36.1	34.4	32.9
सभी राज्य	**22.6**	**22.0**	**21.6**	**21.9**	**23.0**	**24.3**	**24.4**	**24.5**	**25.5**	**25.4**

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21
जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)
जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आकंड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।
नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 3.4
(पैरा: 3.108)

राज्यों के स्वयं के कर राजस्व

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	7.2	7.4	7.0	7.0	6.6	6.5	6.2	6.7	5.9	7.0
अरूणाचल प्रदेश	2.9	2.5	3.0	2.6	2.9	3.6	3.6	4.3	4.5	4.4
असम	5.3	5.3	5.1	4.8	4.4	4.7	4.7	5.0	5.9	5.7
बिहार	5.1	5.8	6.3	6.1	6.8	5.6	4.9	5.5	5.6	5.1
छत्तीसगढ़	6.8	7.3	6.9	7.1	7.6	7.6	7.3	7.0	7.7	7.2
गोवा	6.0	7.7	10.0	8.1	7.2	6.8	6.8	6.7	6.1	6.3
गुजरात	7.2	7.4	7.0	6.7	6.1	5.5	5.4	5.3	5.5	5.8
हरियाणा	6.9	6.8	6.4	6.3	6.2	6.1	6.3	5.8	5.8	5.5
हिमाचल प्रदेश	5.6	5.6	5.4	5.7	5.9	5.6	5.1	4.9	4.8	6.0
जम्मू एवं कश्मीर	6.1	6.7	6.6	6.4	6.3	6.3	6.8	6.3	--	--
झारखंड	4.6	4.7	5.0	4.7	5.6	5.6	4.6	5.0	6.2	5.7
कर्नाटक	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2	6.9	6.4	6.3	6.0	6.2
केरल	7.1	7.3	6.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.5	6.4	6.9
मध्य प्रदेश	8.5	8.0	7.6	7.6	7.4	6.8	6.2	6.3	6.0	5.1
महाराष्ट्र	6.8	7.1	6.6	6.5	6.4	6.2	7.0	7.1	6.9	7.0
मणिपुर	2.9	2.4	2.9	2.9	2.8	2.8	3.1	3.8	4.1	3.9
मेघालय	3.5	3.9	4.1	4.0	4.2	4.3	4.9	5.4	5.7	5.5
मिजोरम	2.5	2.7	2.2	2.0	2.4	2.6	2.9	3.7	2.5	2.1
नागालैंड	2.5	2.4	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	3.2
ओडिशा	5.8	5.7	5.7	6.3	6.9	5.8	6.3	6.2	6.3	5.9
पंजाब	7.1	7.6	7.2	7.2	6.8	6.5	6.5	6.0	5.9	5.6
राजस्थान	5.8	6.2	6.1	6.3	6.3	5.8	6.1	6.1	6.9	6.8
सिक्किम	2.6	3.5	3.8	3.4	3.1	3.2	2.7	3.1	3.8	3.6
तमिलनाडु	7.9	8.3	7.6	7.3	6.8	6.6	6.4	6.5	6.5	6.4
तेलंगाना	--	--	--	--	6.9	7.4	7.5	7.5	7.4	7.7
त्रिपुरा	4.5	4.6	4.2	4.0	3.7	3.6	3.3	3.5	3.9	3.9
उत्तर प्रदेश	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	6.7	6.7	7.2	7.5	9.3
उत्तराखंड	4.9	4.9	4.9	5.2	5.3	5.6	4.6	5.0	4.6	4.7
पश्चिम बंगाल	4.8	5.5	5.3	5.5	5.3	5.2	5.4	5.6	5.2	4.9
सभी राज्य	**6.4**	**6.6**	**6.3**	**6.2**	**6.2**	**5.9**	**6.0**	**6.1**	**6.3**	**6.4**

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21
जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)
जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।
नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 3.5
(पैरा : 3.108)

राज्यों के स्वयं के गैर-कर राजस्व

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	1.6	2.0	1.7	1.7	0.8	0.8	0.5	0.5	0.3	0.6
अरूणाचल प्रदेश	3.3	2.3	2.8	2.5	2.1	2.7	1.6	2.5	3.1	2.0
असम	2.0	1.6	1.5	1.2	1.2	1.7	1.4	2.6	2.8	1.8
बिहार	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8
छत्तीसगढ़	2.6	2.6	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.8	2.5
गोवा	5.5	4.8	4.6	4.9	4.4	4.3	4.4	3.9	3.8	4.2
गुजरात	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	1.0	0.8
हरियाणा	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.4	1.1	1.2	1.6
हिमाचल प्रदेश	2.6	1.7	1.9	2.0	1.6	1.4	1.7	1.8	1.4	1.3
जम्मू एवं कश्मीर	2.6	2.5	3.0	2.0	3.3	3.3	3.1	2.8	--	--
झारखंड	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.3	2.9	2.8	3.6	3.1
कर्नाटक	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
केरल	0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5
मध्य प्रदेश	2.4	1.8	1.8	2.2	1.6	1.4	1.3	1.6	1.2	0.9
महाराष्ट्र	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
मणिपुर	2.4	1.7	1.6	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.8
मेघालय	1.8	2.2	2.6	1.5	0.9	2.5	1.2	1.3	1.6	1.6
मिजोरम	2.3	2.5	1.9	1.8	2.0	2.1	2.1	2.3	2.0	1.9
नागालैंड	1.9	1.5	1.3	1.5	1.3	1.6	1.6	0.9	1.4	0.9
ओडिशा	2.8	3.1	2.8	2.6	2.7	2.0	1.9	2.9	2.7	2.7
पंजाब	0.5	0.9	1.0	0.8	0.7	1.4	0.9	1.4	1.4	1.2
राजस्थान	2.1	2.5	2.5	2.1	1.6	1.5	1.9	2.0	1.9	1.7
सिक्किम	9.4	6.5	5.7	4.5	2.3	2.2	2.5	2.3	2.3	2.0
तमिलनाडु	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8
तेलंगाना	--	--	--	--	2.5	1.5	1.0	1.2	1.3	2.8
त्रिपुरा	1.1	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	1.1	0.7	0.5	0.5
उत्तर प्रदेश	1.4	1.6	1.7	2.0	2.0	2.2	1.4	1.8	1.7	1.7
उत्तराखंड	1.0	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	1.3	1.8	1.2
पश्चिम बंगाल	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
सभी राज्य	**1.1**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**1.1**	**1.1**	**1.0**	**1.1**	**1.1**	**1.2**

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21
जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)
जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।
नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 3.6
(पैरा : 3.108)

संघ से राज्यों को कुल हस्तांतरण (कर अंतरण एवं अनुदान)

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	3.9	3.4	3.4	5.1	7.3	7.2	6.5	6.1	5.2	8.5
अरूणाचल प्रदेश	43.6	41.1	34.2	45.7	52.0	53.0	56.1	59.0	51.5	62.3
असम	11.8	12.7	11.5	13.4	13.0	12.9	13.0	12.5	16.9	15.0
बिहार	15.3	14.9	15.0	16.4	18.4	18.9	19.4	18.5	18.4	21.0
छत्तीसगढ़	7.0	6.7	6.1	7.8	10.6	11.6	12.2	11.8	12.6	13.4
गोवा	2.2	2.8	3.4	3.1	3.9	4.1	4.7	5.0	6.0	5.9
गुजरात	2.2	2.1	2.1	2.3	2.4	2.7	2.8	2.8	2.5	2.0
हरियाणा	1.8	1.6	1.9	2.0	2.4	2.2	1.9	2.1	2.4	2.4
हिमाचल प्रदेश	11.7	11.6	9.3	9.5	13.0	13.9	12.9	13.4	13.3	14.0
जम्मू एवं कश्मीर	23.0	20.9	18.8	21.0	20.9	24.1	24.9	23.8	--	--
झारखंड	8.2	7.4	6.9	7.7	11.3	12.0	12.1	11.2	12.4	10.9
कर्नाटक	3.2	2.9	2.8	3.2	3.6	3.7	3.9	4.0	4.0	3.3
केरल	2.7	2.4	2.5	3.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.5	3.3
मध्य प्रदेश	8.9	8.6	7.8	8.7	10.5	10.8	11.2	10.6	9.2	8.3
महाराष्ट्र	2.0	2.0	1.8	2.1	2.3	2.5	2.5	2.9	3.2	3.2
मणिपुर	38.5	45.5	40.5	40.3	38.8	39.3	36.4	33.5	41.5	49.2
मेघालय	18.0	19.2	20.6	22.1	22.9	25.8	25.3	22.4	32.1	28.3
मिजोरम	47.9	49.0	42.2	37.0	39.8	38.3	40.8	40.3	38.8	27.3
नागालैंड	41.5	40.1	35.8	38.0	37.7	39.5	40.8	37.9	39.5	42.6
ओडिशा	8.8	8.0	8.0	9.3	11.5	11.1	11.1	11.2	12.0	10.5
पंजाब	2.2	2.3	2.4	3.0	3.1	3.4	3.9	4.4	5.6	6.8
राजस्थान	5.2	4.9	5.0	6.4	6.8	7.0	7.3	6.6	6.5	6.8
सिक्किम	20.9	20.7	21.7	21.0	15.6	16.9	14.9	15.2	15.6	17.3
तमिलनाडु	2.7	2.5	2.6	3.3	3.4	3.4	2.9	3.3	3.1	3.3
तेलंगाना	--	--	--	--	3.8	3.7	3.3	3.1	2.8	2.5
त्रिपुरा	28.1	27.1	24.7	26.6	21.8	20.3	18.6	19.8	20.3	23.0
उत्तर प्रदेश	9.4	9.1	9.1	9.8	10.8	11.0	11.1	10.8	11.4	12.6
उत्तराखंड	6.0	5.9	5.8	6.7	6.0	6.5	6.8	6.4	6.8	8.6
पश्चिम बंगाल	6.2	5.7	5.2	6.3	8.2	8.0	7.7	7.5	7.5	7.2
सभी राज्य	**5.1**	**4.8**	**4.7**	**5.4**	**6.0**	**6.3**	**6.3**	**6.3**	**6.4**	**6.6**

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21
जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)
जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आकंड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।
नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 3.7
(पैरा : 3.108)

राज्यों का राजस्व व्यय

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	12.2	12.6	12.1	16.1	15.9	17.0	15.3	14.9	14.1	17.9
अरूणाचल प्रदेश	39.9	38.1	39.3	39.8	45.2	47.3	48.6	50.5	46.2	47.4
असम	18.5	18.6	18.0	20.0	16.2	19.4	19.6	18.0	25.4	20.3
बिहार	18.8	19.3	19.7	21.2	22.5	22.5	21.9	23.5	27.8	24.0
छत्तीसगढ़	14.3	15.2	15.9	17.9	19.4	19.2	20.5	21.2	25.9	22.5
गोवा	12.9	15.9	18.9	15.5	15.3	14.1	15.2	15.1	15.6	16.0
गुजरात	9.7	9.6	9.3	9.4	9.3	8.9	8.9	8.8	8.9	8.6
हरियाणा	10.8	11.0	10.5	11.2	12.0	12.2	11.3	10.5	11.1	11.2
हिमाचल प्रदेश	19.1	19.5	18.3	19.1	19.5	20.2	19.6	19.1	22.0	21.7
जम्मू एवं कश्मीर	29.0	28.8	28.3	29.8	31.1	31.9	29.4	36.0	--	--
झारखंड	13.9	13.4	12.4	14.5	17.7	19.1	18.9	17.0	20.2	19.1
कर्नाटक	10.7	11.0	10.9	11.3	11.2	10.9	10.5	10.6	10.4	10.0
केरल	12.6	13.0	13.0	14.0	14.0	14.3	14.2	14.1	13.4	13.3
मध्य प्रदेश	16.7	16.5	15.9	17.2	18.4	18.4	18.0	17.5	16.7	16.2
महाराष्ट्र	9.6	9.5	9.4	10.0	9.7	9.7	10.1	10.1	11.9	11.1
मणिपुर	38.8	38.7	35.3	40.1	37.8	38.4	36.0	35.0	45.2	47.9
मेघालय	24.3	22.9	24.2	26.9	25.3	30.4	28.5	30.6	37.5	33.2
मिजोरम	50.9	53.9	47.8	41.8	36.8	36.2	36.7	38.5	46.0	28.9
नागालैंड	40.0	39.7	34.6	36.8	38.8	39.8	41.6	40.0	46.5	43.4
ओडिशा	15.0	14.6	15.4	16.3	17.9	16.6	16.3	17.3	19.9	17.6
पंजाब	12.4	13.3	12.5	13.1	12.8	13.0	13.3	14.3	15.1	14.9
राजस्थान	12.3	12.9	13.7	15.4	15.6	16.7	17.5	17.7	18.1	16.4
सिक्किम	28.9	24.4	24.9	24.2	20.2	18.3	16.0	18.2	21.4	21.1
तमिलनाडु	11.2	11.4	11.3	12.0	12.0	11.8	11.5	12.1	11.8	11.5
तेलंगाना	--	--	--	--	13.1	12.4	11.3	11.3	11.4	12.5
त्रिपुरा	25.0	24.1	23.2	25.2	21.9	22.4	23.7	23.9	28.6	27.8
उत्तर प्रदेश	17.1	17.1	16.8	16.9	18.7	18.3	18.2	18.1	19.2	22.1
उत्तराखंड	11.3	10.6	10.9	13.1	13.0	13.0	13.1	13.1	13.2	14.4
पश्चिम बंगाल	14.1	13.9	13.6	14.4	14.9	15.3	14.5	14.3	13.5	12.4
सभी राज्य	**12.3**	**12.4**	**12.3**	**13.1**	**13.3**	**13.6**	**13.5**	**13.7**	**14.6**	**14.3**

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21
जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)
जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।
नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 3.8
(पैरा : 3.108)

राज्यों का पूंजी व्यय

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	2.5	2.3	2.1	2.2	2.5	2.3	2.1	2.5	1.9	3.0
अरूणाचल प्रदेश	18.8	9.6	11.6	8.3	10.8	7.8	14.2	23.4	15.9	23.8
असम	1.8	2.0	2.3	2.3	1.3	2.4	2.8	3.6	6.4	4.6
बिहार	4.4	4.1	4.7	5.4	6.6	6.5	6.2	4.2	6.6	5.8
छत्तीसगढ़	3.4	3.8	2.8	3.0	3.6	3.9	3.8	3.0	3.6	3.9
गोवा	2.8	2.5	2.8	2.6	3.0	2.6	3.1	3.0	5.1	5.4
गुजरात	2.3	3.1	2.9	2.7	2.4	2.0	2.0	2.0	1.7	1.8
हरियाणा	2.0	1.8	1.2	1.0	4.1	2.0	2.3	2.2	1.9	1.5
हिमाचल प्रदेश	3.2	2.9	2.5	2.8	2.9	5.4	3.1	3.3	4.0	3.7
जम्मू एवं कश्मीर	7.6	6.1	4.8	5.3	6.3	6.7	7.5	5.4	--	--
झारखंड	2.2	2.8	2.6	2.9	7.6	5.2	5.1	4.1	4.4	2.7
कर्नाटक	2.9	2.4	2.2	2.2	2.0	2.5	2.6	2.5	2.3	2.6
केरल	1.3	1.4	1.2	1.0	1.5	1.8	1.5	1.2	1.0	1.5
मध्य प्रदेश	7.9	4.4	3.6	5.1	3.7	5.0	4.5	3.8	3.3	3.1
महाराष्ट्र	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.7	1.5
मणिपुर	13.1	10.9	8.0	7.4	6.3	7.0	5.6	6.2	9.8	10.0
मेघालय	4.6	4.4	4.9	5.1	5.1	4.8	3.4	4.5	5.7	5.7
मिजोरम	8.7	7.6	6.1	6.9	4.7	5.5	10.9	9.8	7.3	4.2
नागालैंड	10.3	8.9	7.3	5.6	5.4	5.0	5.2	5.9	6.9	7.6
ओडिशा	2.2	2.2	2.8	3.6	5.3	4.8	5.2	5.0	4.7	4.2
पंजाब	0.7	0.7	0.7	1.0	2.3	10.7	0.7	0.7	3.6	1.7
राजस्थान	1.9	2.7	2.6	2.7	8.6	3.9	2.6	2.2	2.0	2.0
सिक्किम	6.0	6.9	6.7	6.5	3.7	3.6	5.9	4.7	4.0	4.8
तमिलनाडु	2.9	2.3	2.0	2.1	1.8	3.6	1.8	1.9	1.9	2.1
तेलंगाना	--	--	--	--	3.3	5.6	4.0	3.6	2.3	3.4
त्रिपुरा	7.3	6.9	6.5	9.6	8.9	8.4	4.1	3.0	2.7	3.1
उत्तर प्रदेश	3.1	3.0	3.7	5.5	6.5	5.9	2.8	4.1	4.6	4.6
उत्तराखंड	2.2	2.9	2.7	3.2	2.4	2.6	2.7	2.6	2.5	2.6
पश्चिम बंगाल	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	1.4	2.0	2.3	2.3	2.2
सभी राज्य	**2.4**	**2.2**	**2.2**	**2.4**	**3.1**	**3.3**	**2.5**	**2.5**	**2.7**	**2.7**

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21
जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)
जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।
नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 3.9
(पैरा : 3.108, 3.109)

प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय

रु. में

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	10642	12047	12903	19286	19020	22903	23748	25042
अरूणाचल प्रदेश	31556	33517	39337	48128	55163	60727	69034	77154
असम	8438	9149	9916	11959	11181	14722	16433	16668
बिहार	4426	5104	5763	6590	7475	8339	8772	10515
छत्तीसगढ़	8776	10294	12342	14624	15897	17243	19810	22332
गोवा	37430	41096	45813	49567	55944	58483	69043	72154
गुजरात	9809	11287	12036	13676	14919	15972	17720	19658
हरियाणा	12525	14687	15933	18422	21907	24944	26341	27354
हिमाचल प्रदेश	20139	23232	24708	27932	31206	35151	37402	40442
जम्मू एवं कश्मीर	17926	19554	20748	22153	27096	29175	29534	39882
झारखंड	6303	6913	6823	9093	10286	12483	13904	13618
कर्नाटक	10591	12275	14196	16315	18228	20327	21718	24774
केरल	13744	15888	17886	21112	23041	26542	28976	31823
मध्य प्रदेश	7184	8443	9215	10690	12744	15041	16157	17317
महाराष्ट्र	10923	12129	13393	15185	16107	17859	20042	21945
मणिपुर	17310	17985	18930	23539	23400	25388	28152	28961
मेघालय	16095	16290	17708	19525	19406	24952	24678	29412
मिजोरम	33286	39745	42439	48270	46735	51321	58560	63285
नागालैंड	24488	27840	28271	32907	36504	41656	49068	52025
ओडिशा	8231	9031	10716	11947	13666	15044	16547	19579
पंजाब	11821	13933	14513	16036	17004	18535	20667	24626
राजस्थान	7762	9050	10615	13102	14513	17121	19360	21823
सिक्किम	52608	48508	55151	58941	56947	58548	63484	79191
तमिलनाडु	11574	13309	14956	17426	18944	20469	22325	26103
तेलंगाना	--	--	--	--	20438	21712	22535	25375
त्रिपुरा	13019	13961	15763	19515	20416	22740	26334	29925
उत्तर प्रदेश	6145	6875	7610	8106	9930	10878	12055	13457
उत्तराखंड	12765	13551	15531	20000	21528	23251	26400	28839
पश्चिम बंगाल	7987	8855	9802	10958	12438	13879	14476	15887
सभी राज्य	**8959**	**10143**	**11224**	**13155**	**14589**	**16364**	**17798**	**19842**

स्रोत: वित्तीय लेखा; राज्य-बजट 2020-21 और सीएसओ (जनसंख्या अनुमान)
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आकंड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

अनुलग्नक 3.10
(पैरा : 3.108)

ब्याज भुगतान

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	2.0
अरूणाचल प्रदेश	2.5	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.3	2.4
असम	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4
बिहार	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9
छत्तीसगढ़	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.5	1.6
गोवा	1.7	2.1	2.5	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9
गुजरात	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3
हरियाणा	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9
हिमाचल प्रदेश	2.9	2.9	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7
जम्मू एवं कश्मीर	3.0	3.1	3.1	3.6	3.2	3.7	3.3	3.3	--	--
झारखंड	1.5	1.4	1.4	1.3	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5
कर्नाटक	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2
केरल	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	2.2	2.1	2.1	2.0
मध्य प्रदेश	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.7
महाराष्ट्र	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1
मणिपुर	3.1	3.2	2.7	2.6	2.6	2.6	2.2	2.1	1.8	1.7
मेघालय	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9
मिजोरम	3.8	3.4	2.8	2.3	2.4	2.0	1.8	1.9	1.6	1.2
नागालैंड	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	3.3	3.1
ओडिशा	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1
पंजाब	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.7	3.3	3.1	3.1	3.0
राजस्थान	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2
सिक्किम	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.5	1.7	1.6
तमिलनाडु	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7
तेलंगाना	--	--	--	--	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3
त्रिपुरा	2.6	2.5	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0
उत्तर प्रदेश	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	1.9	2.1
उत्तराखंड	1.5	1.6	1.4	1.5	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0
पश्चिम बंगाल	3.1	3.0	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.7	2.5	2.3
सभी राज्य	**1.6**	**1.5**	**1.5**	**1.5**	**1.6**	**1.6**	**1.7**	**1.7**	**1.7**	**1.7**

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21
जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)
जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आकंड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।
नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 3.11
(पैरा : 3.108)

प्रति व्यक्ति पूंजी व्यय

रु. में

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	2202	2236	2218	2618	2982	3096	3188	4255
अरूणाचल प्रदेश	14826	8475	11656	10007	13234	10047	20223	35677
असम	825	966	1243	1390	892	1790	2354	3328
बिहार	1024	1094	1366	1682	2198	2404	2492	1897
छत्तीसगढ़	2065	2598	2213	2452	2950	3488	3653	3170
गोवा	8145	6415	6818	8274	10797	10832	13936	14082
गुजरात	2367	3583	3723	3868	3870	3510	4044	4411
हरियाणा	2347	2424	1792	1710	7455	4149	5369	5695
हिमाचल प्रदेश	3337	3481	3399	4160	4656	9416	5887	6939
जम्मू एवं कश्मीर	4714	4140	3549	3944	5524	6128	7491	6032
झारखंड	1014	1424	1437	1821	4401	3376	3767	3281
कर्नाटक	2817	2668	2808	3180	3329	4636	5451	5903
केरल	1448	1705	1703	1471	2443	3288	2983	2814
मध्य प्रदेश	3383	2272	2096	3168	2554	4055	4027	3732
महाराष्ट्र	1655	1645	1873	1767	2023	2666	2308	3007
मणिपुर	5862	5091	4276	4317	3929	4634	4346	5142
मेघालय	3021	3113	3566	3668	3880	3953	2946	4321
मिजोरम	5706	5622	5438	7941	6024	7730	17373	16096
नागालैंड	6289	6249	5934	4979	5100	5181	6138	7627
ओडिशा	1215	1379	1931	2671	4050	4331	5294	5655
पंजाब	635	746	825	1166	3066	15322	1030	1232
राजस्थान	1190	1868	2035	2329	8003	4032	2915	2715
सिक्किम	10830	13647	14710	15913	10328	11395	23299	20271
तमिलनाडु	3012	2651	2644	2992	2865	6247	3553	4075
तेलंगाना	--	--	--	--	5166	9818	7998	8194
त्रिपुरा	3820	4023	4389	7467	8329	8528	4536	3730
उत्तर प्रदेश	1119	1213	1652	2615	3433	3519	1838	3067
उत्तराखंड	2522	3703	3821	4810	4010	4710	5439	5704
पश्चिम बंगाल	350	605	810	1098	1390	1299	1984	2497
सभी राज्य	**1753**	**1838**	**1989**	**2422**	**3366**	**3999**	**3294**	**3677**

स्रोत: वित्तीय लेखा; राज्य-बजट 2020-21 और सीएसओ (जनसंख्या अनुमान)
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आकंड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

अनुलग्नक 3.12
(पैरा : 3.108)

प्रति व्यक्ति कुल व्यय

रु. में

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	12844	14284	15121	21904	22002	25998	26936	29297
अरूणाचल प्रदेश	46382	41992	50993	58135	68397	70775	89257	112831
असम	9263	10115	11160	13349	12073	16512	18787	19996
बिहार	5450	6197	7129	8272	9672	10744	11263	12412
छत्तीसगढ़	10841	12893	14555	17076	18847	20731	23464	25503
गोवा	45575	47511	52631	57841	66741	69315	82979	86236
गुजरात	12176	14870	15759	17544	18789	19482	21765	24069
हरियाणा	14873	17111	17724	20132	29362	29093	31711	33049
हिमाचल प्रदेश	23476	26713	28107	32092	35862	44567	43290	47381
जम्मू एवं कश्मीर	22641	23694	24297	26097	32620	35303	37025	45913
झारखंड	7317	8337	8260	10914	14686	15859	17671	16898
कर्नाटक	13408	14943	17004	19495	21557	24962	27168	30677
केरल	15192	17593	19589	22582	25483	29830	31959	34637
मध्य प्रदेश	10567	10715	11311	13858	15297	19097	20184	21049
महाराष्ट्र	12577	13774	15267	16952	18129	20525	22350	24953
मणिपुर	23172	23076	23207	27856	27329	30021	32498	34103
मेघालय	19116	19403	21274	23193	23286	28905	27624	33733
मिजोरम	38991	45367	47877	56212	52760	59051	75932	79381
नागालैंड	30777	34089	34206	37886	41604	46837	55206	59651
ओडिशा	9446	10410	12647	14618	17715	19375	21841	25234
पंजाब	12456	14679	15338	17202	20070	33857	21697	25858
राजस्थान	8952	10918	12650	15430	22516	21153	22274	24539
सिक्किम	63438	62155	69861	74854	67275	69944	86783	99461
तमिलनाडु	14586	15960	17600	20418	21809	26717	25879	30178
तेलंगाना	--	--	--	--	25604	31530	30533	33569
त्रिपुरा	16839	17983	20152	26982	28745	31269	30870	33655
उत्तर प्रदेश	7264	8089	9262	10721	13363	14396	13894	16524
उत्तराखंड	15287	17254	19353	24810	25538	27961	31839	34543
पश्चिम बंगाल	8337	9460	10612	12056	13828	15178	16460	18384
सभी राज्य	**10712**	**11981**	**13213**	**15578**	**17955**	**20363**	**21091**	**23519**

स्रोत: वित्तीय लेखा; राज्य-बजट 2020-21 और सीएसओ (जनसंख्या अनुमान)
नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आकंड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

अनुलग्नक 4.1

(पैरा 4.14, 4.40, 4.51,4.55)

पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के लिए संघ सरकार के वित्तों का आकलन

(करोड़ रु.)

Indicators	2020-21 बीई	2020-21 पुनःआकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
सकल राजस्व प्राप्तियां	**2808037**	**2135156**	**2429405**	**2684206**	**2999062**	**3381073**	**3841641**
सकल कर राजस्व	**2423020**	**1876118**	**2135398**	**2362270**	**2643322**	**2986200**	**3401357**
निगम कर	681000	490050	559515	623300	701836	798338	917690
आयकर	638000	443444	509295	567354	641820	737130	855808
उत्पाद शुल्क	138000	101893	117024	129253	144182	163214	185737
संघ उत्पाद शुल्क	267000	295639	323577	345095	370459	398984	431103
सेवा कर	1020	-	-	-	-	-	-
माल एवं सेवा कर	690500	541310	621694	692567	779831	882768	1004590
अन्य कर	7500	3782	4293	4701	5194	5766	6429
गैर-कर राजस्व	**385017**	**259038**	**294007**	**321936**	**355740**	**394873**	**440284**
ब्याज प्राप्तियां	11042	11042	11042	11042	11042	11042	11042
लाभांश एवं लाभ	65747	33411	37921	41523	45883	50931	56788
आरबीआई से लाभांश/अधिशेष	89649	89649	101751	111417	123116	136659	152375
पेट्रोलियम	14075	11131	12633	13833	15286	16967	18919
दूरसंचार (टेलिकॉम्यूनिकेशन)	133027	69846	70000	70000	65000	60000	60000
अन्य गैर कर राजस्व	71477	43959	60660	74121	95413	119274	141160
विभाज्य पूल	**1913731**	**1399846**	**1606318**	**1786897**	**2010695**	**2284310**	**2616072**
कर में राज्यों की हिस्सेदारी	**784181**	**573937**	**658591**	**732628**	**824385**	**936567**	**1072589**
एनसीसीएफ/एनडीआरएफ को एनसीसीडी हस्तांतरण	**2930**	**2930**	**2930**	**2930**	**2930**	**2930**	**2930**
केंद्र के निवल राजस्व	**2020926**	**1558288**	**1767884**	**1948650**	**2171747**	**2441576**	**2766120**
राजस्व व्यय	**2630145**	**2690145**	**2838995**	**3011135**	**3191617**	**3406586**	**3679145**
सामान्य सेवाएं	**1270606**	**1216748**	**1313527**	**1424012**	**1538544**	**1656171**	**1776717**
ब्याज भुगतान	708203	678635	760156	838425	917018	995750	1074093
रक्षा राजस्व व्यय	209319	209319	220832	235722	252659	271501	292543
पेंशन	210682	186392	189188	199593	210571	222152	234371
पुलिस	93597	93597	94346	99252	105008	111099	117542
वित्तीय सेवाएं	18780	18780	18857	19688	20556	21463	22409
विदेश कार्य (External Affairs)	8876	8876	8912	9411	10104	10848	11647
अन्य सामान्य सेवाएं	21149	21149	21236	21921	22628	23358	24112
सामाजिक सेवाएं	**125274**	**156214**	**165751**	**182608**	**203825**	**227805**	**254941**
स्वास्थ्य	30940	61880	71169	82599	95866	111264	129135
अन्य सामाजिक सेवाएं	94334	94334	94582	100009	107959	116541	125806

संकेतक	2020-21 बीई	2020-21 पुन:आकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आर्थिक सेवाएं (सब्सिडी को छोड़कर)	**228315**	**287075**	**274904**	**282770**	**300749**	**319337**	**338437**
परिवहन एवं संचार	37021	37021	37073	39245	42555	46145	50037
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	30516	30516	30559	32349	35078	38037	41245
निर्यात संवर्धन	2256	2256	2259	2391	2593	2811	3049
विद्युत	13392	13392	13411	14197	15395	16693	18101
अन्य आर्थिक सेवाएं	145130	203890	191602	194588	205128	215651	226005
सब्सिडी	**262109**	**312109**	**314148**	**322093**	**332615**	**343307**	**355340**
खाद्य	115570	165570	187003	194484	202263	210353	218768
अन्य	146539	146539	127145	127609	130352	132954	136572
वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित राज्य सहायता अनुदान	**149925**	**196449**	**233279**	**227846**	**198012**	**190203**	**183722**
राजस्व घाटा अनुदान	30000	74340	118452	86201	51673	24483	13705
राज्यों के लिए आपदा राहत अनुदान	20000	22184	22184	23294	24466	25688	26969
राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	99925	99925	80297	84703	87181	92087	92093
सेक्टर-विशिष्ट अनुदान	0	0	12346	23729	24773	33062	36077
राज्य-विशिष्ट अनुदान	0	0	0	9919	9919	14883	14878
राज्यों के लिए अन्य हस्तांतरणों (प्रत्याशित) हेतु प्रावधान, जिसमें से**	**511500**	**439134**	**444485**	**468941**	**503198**	**541173**	**625050**
राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति	**127440**	**93480**	**90189**	**100474**	**112623**	**127163**	**186199**
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान, जिसमें से	**47258**	**47258**	**54228**	**60324**	**67879**	**77116**	**88316**
जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रावधान	30757	30757	35294	39261	44178	50190	57480
अन्य राजस्व व्यय	35158	35158	38673	42541	46795	51474	56622
पूंजीगत व्यय	**412085**	**352085**	**369269**	**357910**	**401577**	**450192**	**485619**
गैर-देनदारी पूंजीगत प्राप्तियां	224967	68620	138345	113478	108589	103657	98754
राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	**609219**	**1131857**	**1071111**	**1062485**	**1019870**	**965011**	**913022**
राजकोषीय घाटा/अधिशेष (-)	**796337**	**1415322**	**1302035**	**1306918**	**1312858**	**1311545**	**1299887**
समायोजित बकाया देनदारी*	**10676357**	**11423119**	**12710891**	**14048936**	**15434579**	**16854308**	**18128896**
जीडीपी	**22489420**	**19119458**	**21700585**	**23762140**	**26257165**	**29145453**	**32497181**

*नोटः (*) तालिका में प्रस्तुत समायोजित बकाया देयताएं बकाया देयताओं के बराबर हैं, इसमें से एनएसएसएफ से राज्यं द्वारा लिए गए उधार को घटाया गया है, नकद शेष को घटाया गया है, राज्य सरकार को दिए गए केंद्रीय कर्जों को घटाया गया गया है, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जोड़ा गया है, और वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी देनदारी के लिए अंततः समायोजित किया गया है। **: इसमें कार्यात्मक शीर्षों के माध्यम से किए गए हस्तांरतरण भी शामिल हैं। कार्यात्मक शीर्षों को इस स्तिर/सीमा तक समायोजित किया गया है।*

अनुलग्नक 4.2
(पैरा 4.51, 4.55)

पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के लिए संघ सरकार के वित्तों का आकलन

(जीडीपी का %)

	2020-21 बीई	2020-21 पुन:आकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
सकल राजस्व प्राप्तियां	**12.49**	**11.17**	**11.20**	**11.30**	**11.42**	**11.60**	**11.82**
सकल कर राजस्व	**10.77**	**9.81**	**9.84**	**9.94**	**10.07**	**10.25**	**10.47**
निगम कर	3.03	2.56	2.58	2.62	2.67	2.74	2.82
आयकर	2.84	2.32	2.35	2.39	2.44	2.53	2.63
उत्पाद शुल्का	0.61	0.53	0.54	0.54	0.55	0.56	0.57
संघ उत्पाद शुल्क	1.19	1.55	1.49	1.45	1.41	1.37	1.33
सेवा कर	0.00	-	-	-	-	-	-
माल एवं सेवा कर	3.07	2.83	2.86	2.91	2.97	3.03	3.09
अन्य कर	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
गैर-कर राजस्व	**1.71**	**1.35**	**1.35**	**1.35**	**1.35**	**1.35**	**1.35**
ब्याज प्राप्तियां	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03
लाभांश एवं लाभ	0.29	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
आरबीआई से लाभांश/अधिशेष	0.40	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
पेट्रोलियम	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
दूरसंचार	0.59	0.37	0.32	0.29	0.25	0.21	0.18
अन्य गैर कर राजस्व	0.32	0.23	0.28	0.31	0.36	0.41	0.43
विभाज्य पूल	**8.51**	**7.32**	**7.40**	**7.52**	**7.66**	**7.84**	**8.05**
कर में राज्यों की हिस्सेदारी	**3.49**	**3.00**	**3.03**	**3.08**	**3.14**	**3.21**	**3.30**
एनसीसीएफ/एनडीआरएफ को एनसीसीडी हस्तांतरण	**0.01**	**0.02**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
केंद्र के निवल राजस्व	**8.99**	**8.15**	**8.15**	**8.20**	**8.27**	**8.38**	**8.51**
राजस्व व्यय	**11.70**	**14.07**	**13.08**	**12.67**	**12.16**	**11.69**	**11.32**
सामान्य सेवाएं	**5.65**	**6.36**	**6.05**	**5.99**	**5.86**	**5.68**	**5.47**
ब्याज भुगतान	3.15	3.55	3.50	3.53	3.49	3.42	3.31
रक्षा राजस्व व्यय	0.93	1.09	1.02	0.99	0.96	0.93	0.90
पेंशन	0.94	0.97	0.87	0.84	0.80	0.76	0.72
पुलिस	0.42	0.49	0.43	0.42	0.40	0.38	0.36
वित्तीय सेवाएं	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07
विदेश कार्य (External Affairs)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
अन्य सामान्य सेवाएं	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
सामाजिक सेवाएं	**0.56**	**0.82**	**0.76**	**0.77**	**0.78**	**0.78**	**0.78**
स्वास्थ्य	0.14	0.32	0.33	0.35	0.37	0.38	0.40
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.42	0.49	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39

	2020-21 बीई	2020-21 पुन:आकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
कुल आर्थिक सेवाएं (सब्सिडी को छोडकर)	**1.02**	**1.50**	**1.27**	**1.19**	**1.15**	**1.10**	**1.04**
परिवहन एवं संचार	0.16	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.14	0.16	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
निर्यात संवर्धन	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
विद्युत	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
अन्य आर्थिक सेवाएं	0.65	1.07	0.88	0.82	0.78	0.74	0.70
सब्सिडी	**1.17**	**1.63**	**1.45**	**1.36**	**1.27**	**1.18**	**1.09**
खाद्य	0.51	0.87	0.86	0.82	0.77	0.72	0.67
अन्य	0.65	0.77	0.59	0.54	0.50	0.46	0.42
वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित राज्यों के लिए सहायता अनुदान	**0.67**	**1.03**	**1.07**	**0.96**	**0.75**	**0.65**	**0.57**
राजस्व घाटा अनुदान	0.13	0.39	0.55	0.36	0.20	0.08	0.04
राज्यों के लिए आपदा राहत अनुदान	0.09	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08
राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	0.44	0.52	0.37	0.36	0.33	0.32	0.28
सेक्टर-विशिष्ट अनुदान	-	-	0.06	0.10	0.09	0.11	0.11
राज्य-विशिष्ट अनुदान	-	-	-	0.04	0.04	0.05	0.05
राज्यों के लिए अन्य हस्तांतरणों (प्रत्याशित) हेतु प्रावधान, जिसमें से**	**2.27**	**2.30**	**2.05**	**1.97**	**1.92**	**1.86**	**1.92**
राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति	**0.57**	**0.49**	**0.42**	**0.42**	**0.43**	**0.44**	**0.57**
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान, जिसमें से	**0.21**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.26**	**0.26**	**0.27**
जम्मूं एवं कश्मीर के लिए प्रावधान	0.14	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18
अन्य राजस्व व्यय	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17
पूंजीगत व्यय	**1.83**	**1.84**	**1.70**	**1.51**	**1.53**	**1.54**	**1.49**
गैर-देनदारी पूंजीगत प्राप्तियां	1.00	0.36	0.64	0.48	0.41	0.36	0.30
राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	**2.71**	**5.92**	**4.94**	**4.47**	**3.88**	**3.31**	**2.81**
राजकोषीय घाटा/अधिशेष (-)	**3.54**	**7.40**	**6.00**	**5.50**	**5.00**	**4.50**	**4.00**
समायोजित बकाया देनदारी*	**47.47**	**59.63**	**58.40**	**59.03**	**58.68**	**57.56**	**55.72**
जीडीपी	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

*नोटः (*) तालिका में प्रस्तुत समायोजित बकाया देयताएं बकाया देयताओं के बराबर हैं, इसमें से एनएसएसएफ से राज्य द्वारा लिए गए उधार को घटाया गया है, नकद शेष को घटाया गया है, राज्य सरकार को दिए गए केंद्रीय कर्जों को घटाया गया गया है, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जोड़ा गया है, और वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी देनदारी के लिए अंततः समायोजित किया गया है। **: इसमें कार्यात्मक शीर्षों के माध्यबम से किए गए हस्तांतरण भी शामिल हैं। कार्यात्मिहक शीर्षों को इस स्तर/सीमा तक समायोजित किया गया है।*

राउंडिंग ऑफ के कारण योगों का जोड़ न मिल पाए।

अनुलग्नक 4.3
(पैरा 4.51)

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण

(करोड़ रु.)

		2020-21 बीई	2020-21 पुन:आकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total (2021-26)
1	राज्यों को कर अंतरण	784181	573937	658591	732628	824385	936567	1072589	4224760
2	वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए कुल अनुदान (क+ख+ग+घ+ड.)	149925	196449	233279	227846	198012	190203	183722	1033062
	क. राज्यों को पश्च अंतरण राजस्व घाटा अनुदान	30000	74340	118452	86201	51673	24483	13705	294514
	ख. राज्यों को आपदा राहत अनुदान	20000	22184	22184	23294	24466	25688	26969	122601
	ग. राज्यों को स्थानीय शासनों के लिए अनुदान	99925	99925	80297	84703	87181	92087	92093	436361
	घ. राज्य विशिष्ट अनुदान	-	-	-	9919	9919	14883	14878	49599
	घ. सेक्टर विशिष्ट अनुदान	-	-	12346	23729	24773	33062	36077	129987
3	वित्त आयोग से राज्यों को कुल हस्तांतरण (1+2)	934106	770386	891870	960474	1022397	1126770	1256311	5257822
4	विभाज्य पूल	1913731	1399846	1606318	1786897	2010695	2284310	2616072	10304292
5	संघ सरकार के पास उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश /स्पेस (4-3), जिसमें से	979626	629460	714449	826423	988298	1157540	1359760	5046470
6	जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर राज्यों हेतु अन्य हस्तांतरणों (प्रत्याशित) के लिए प्रावधान (7-2)	384060	345654	354296	368467	390575	414010	438851	1966199
7	जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर संघ से राज्यों को कुल अनुदान	533985	542104	587575	596313	588587	604213	622573	2999261
8	जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर राज्यों को समग्र हस्तांतरण (1+7)	1318166	1116040	1246165	1328941	1412972	1540780	1695162	7224021
	विभाज्य पूल के प्रतिशत के रूप में								
1	राज्यों को कर अंतरण	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	राज्यों को वित्त आयोग से अनुदान	7.8	14.0	14.5	12.8	9.8	8.3	7.0	10.0
3	राज्यों को कर अंतरण और वित्त आयोग अनुदान	48.8	55.0	55.5	53.8	50.8	49.3	48.0	51.0
4	संघ के पास राजकोषीय सुलभता, जिसमें से	51.2	45.0	44.5	46.2	49.2	50.7	52.0	49.0
5	जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर राज्यों हेतु अन्य हस्तांतरणों (प्रत्याशित) के लिए प्रावधान	20.1	24.7	22.1	20.6	19.4	18.1	16.8	19.1
6	जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर राज्यों को समग्र हस्तांतरण	68.9	79.7	77.6	74.4	70.3	67.5	64.8	70.1

अनुलग्नक 4.4
(पैरा 4.51)

सकल कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियां और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में समग्र हस्तांतरण

		2020-21 बीई	2020-21 पुन:आकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total (2021-26)
1	संघ के सकल कर राजस्व) (करोड़ रु.)	2423020	1876118	2135398	2362270	2643322	2986200	3401357	13528547
2	संघ की सकल राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रु.)	2808037	2135156	2429405	2684206	2999062	3381073	3841641	15335387
3	जीडीपी (करोड़ रु.)	22489420	19119458	21700585	23762140	26257165	29145453	32497181	133362524
4	सभी राज्यों की जीएसडीपी (करोड़ रु.)		17960017	20385943	22321586	24671305	27391969	30542510	125313313
5	संघ के सकल कर राजस्वों के प्रतिशत के रूप में राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण (प्रत्याशित)	57.4	62.6	60.9	58.8	55.8	53.9	52.7	55.9
6	संघ के सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण (प्रत्याशित)	49.2	54.7	53.3	51.4	49.0	47.4	46.4	49.1
7	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण (प्रत्याशित)	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.4
8	सभी राज्यों के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण (प्रत्याशित)		6.2	6.1	6.0	5.7	5.6	5.6	5.8

टिप्पणी: राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण में जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक: 4.5
(पैरा 4.60)

तुलनीय जीएसडीपी की मानकीय रूप से आकलित वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

श्रेणी	राज्य	समूह औसत में प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय सूचकांक	दूसरे चरण पर समूह	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
सामान्य राज्य	गोवा	387	जीएस समूह (क)	-0.5	15.0	12.0	12.5	13.0	13.0
	केरल	167		-0.5	15.0	12.0	12.5	13.0	13.0
	हरियाणा	147		-0.5	15.0	12.0	12.5	13.0	13.0
	आंध प्रदेश	134	जीएस समूह (ख)	-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	तमिलनाडु	133		-2.0	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	तेलंगाना	131		-2.0	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	कर्नाटक	128	जीएस समूह (ग)	-8.8	15.3	10.8	11.9	12.4	13.0
	पंजाब	124		-2.8	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	छत्तीसगढ़	116		-3.6	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	महाराष्ट्र	115		-10.3	14.2	8.0	9.7	10.3	11.6
	राजस्थान	113		-4.9	12.7	8.8	9.7	10.3	10.6
	गुजरात	103		-11.8	15.3	9.5	11.9	12.4	13.0
	ओडिशा	99	जीएस समूह (घ)	-5.3	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	मध्य प्रदेश	92		-3.6	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	पश्चिम बंगाल	83		-3.6	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	झारखंड	75	जीएस समूह (ड.)	-9.0	12.0	8.0	9.0	9.5	10.0
	उत्तर प्रदेश	70		-9.0	12.0	8.0	9.0	9.5	10.0
	बिहार	53		-9.0	12.0	8.0	9.0	9.5	10.0
एनईएच राज्य	अरूणाचल प्रदेश	280	एनईएच समूह (क)	-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	सिक्किम	273		-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	मिजोरम	233		-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	नागालैंड	193		-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	हिमाचल प्रदेश	149		-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	मणिपुर	109	एनईएच समूह (ग)	-0.5	12.4	8.6	9.4	10.1	10.4
	त्रिपुरा	108		-2.5	15.6	10.4	11.5	12.4	12.9
	उत्तराखंड	106		-9.1	12.4	8.6	9.4	10.1	10.4
	मेघालय	104		-3.6	11.1	8.6	9.4	10.1	10.4
	असम	63	एनईएच समूह (ड.)	-9.0	12.0	8.0	9.0	9.5	10.0
	सभी राज्य			**-5.9**	**13.5**	**9.5**	**10.5**	**11.0**	**11.5**
	सामान्य राज्य			**-5.9**	**13.5**	**9.5**	**10.5**	**11.0**	**11.5**
	एनई एवं एचएस			**-5.8**	**13.0**	**9.4**	**10.2**	**10.8**	**11.1**
	जीडीपी			**-6.0**	**13.5**	**9.5**	**10.5**	**11.0**	**11.5**

अनुलग्नक: 4.6
(पैरा 4.68)

पूर्वानुमानित कर और जीएसडीपी अनुपात

(प्रतिशत)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	6.6	6.7	6.9	7.1	7.3	7.6
अरूणाचल प्रदेश	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.1
असम	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0
बिहार	5.3	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6
छत्तीसगढ़	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.2
गोवा	6.6	6.8	7.0	7.3	7.7	8.0
गुजरात	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1
हरियाणा	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3
हिमाचल प्रदेश	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7
झारखंड	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0
कर्नाटक	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7
केरल	6.4	6.6	6.8	7.1	7.4	7.8
मध्य प्रदेश	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8	7.0
महाराष्ट्र	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3
मणिपुर	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0
मेघालय	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8
मिजोरम	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
नागालैंड	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.5
ओडिशा	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.5
पंजाब	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4
राजस्थान	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7
सिक्किम	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6
तमिलनाडु	6.4	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3
तेलंगाना	7.5	7.6	7.8	8.0	8.1	8.3
त्रिपुरा	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
उत्तर प्रदेश	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
उत्तराखंड	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2
पश्चिम बंगाल	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
सभी राज्य	**6.2**	**6.3**	**6.4**	**6.6**	**6.7**	**6.9**
सामान्य राज्य	**6.3**	**6.4**	**6.5**	**6.7**	**6.8**	**7.0**
एनई एवं एचएस	**4.5**	**4.6**	**4.7**	**4.8**	**4.9**	**5.0**

अनुलग्नकः 4.7
(पैरा 4.73)

पूर्वानुमानित गैर-कर राजस्व और जीएसडीपी अनुपात

(प्रतिशत)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
अरूणाचल प्रदेश	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
असम	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
बिहार	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
छत्तीसगढ़	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5
गोवा	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6
गुजरात	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
हरियाणा	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
हिमाचल प्रदेश	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2
झारखंड	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9
कर्नाटक	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
केरल	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
मध्य प्रदेश	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
महाराष्ट्र	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
मणिपुर	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
मेघालय	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
मिजोरम	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
नागालैंड	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
ओडिशा	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0
पंजाब	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
राजस्थान	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0
सिक्किम	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
तमिलनाडु	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
तेलंगाना	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
त्रिपुरा	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
उत्तर प्रदेश	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
उत्तराखंड	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
पश्चिम बंगाल	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
सभी राज्य	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**
सामान्य राज्य	**1.0**	**1.0**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**
एनई एवं एचएस	**1.4**	**1.5**	**1.5**	**1.5**	**1.5**	**1.6**

अनुलग्नक 4.8
(पैरा 4.71)

जीएसटी क्षतिपूर्ति के निर्देशात्मक अनुमान

(करोड़ रु.)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	1,779	1,623	1,808	1,941	2,136	3,009
अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
असम	974	1,332	1,484	1,693	1,930	2,885
बिहार	3,567	3,570	3,977	4,523	5,149	7,601
छत्तीसगढ़	2,619	2,036	2,268	2,599	2,971	4,377
गोवा	517	513	572	630	705	995
गुजरात	9,015	8,753	9,751	10,819	12,146	17,678
हरियाणा	3,702	3,237	3,606	3,957	4,413	6,214
हिमाचल प्रदेश	1,444	1,168	1,301	1,454	1,639	2,345
झारखंड	1,477	1,693	1,886	2,147	2,445	3,621
कर्नाटक	11,136	10,609	11,819	13,098	14,694	21,353
केरल	4,757	3,408	3,797	4,157	4,631	6,510
मध्य प्रदेश	3,931	3,647	4,063	4,675	5,356	7,901
महाराष्ट्र	12,306	14,993	16,703	18,600	20,923	31,148
मणिपुर	-	-	-	-	-	-
मेघालय	118	146	162	187	214	318
मिजोरम	-	-	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	-	-	-	-
ओडिशा	3,120	3,297	3,673	4,203	4,800	7,050
पंजाब	6,869	4,922	5,483	6,258	7,136	10,430
राजस्थान	3,991	3,607	4,018	4,545	5,158	7,629
सिक्किम	5	13	15	15	15	21
तमिलनाडु	7,600	5,917	6,592	7,264	8,122	11,559
तेलंगाना	1,570	2,136	2,379	2,573	2,846	4,186
त्रिपुरा	222	172	192	209	232	337
उत्तर प्रदेश	6,736	7,655	8,528	9,723	11,083	16,540
उत्तराखंड	2,102	1,783	1,986	2,250	2,555	3,711
पश्चिम बंगाल	3,923	3,959	4,411	5,103	5,864	8,781
सभी राज्य	**93,480**	**90,189**	**1,00,474**	**1,12,623**	**1,27,163**	**1,86,199**

अनुलग्नकः 4.9
(पैरा 4.82)

आकलित स्वयं की राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय

राज्य: आंध प्रदेश

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	जीएसडीपी	1073230	1196651	1340249	1507110	1695499	6812739
ख	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	77945	89201	102645	118697	137340	525828
	1 स्वयं का कर राजस्व	72406	82961	95581	110666	128204	489818
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	5539	6240	7064	8031	9136	36010
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1623	1808	1941	2136	3009	10517
घ	राजस्व व्यय जिसमें से	123478	131207	140640	150278	160389	705992
	1 ब्याज भुगतान	22218	24217	26397	28773	31362	132967
	2 पेंशन	14446	15241	16079	16964	17897	80627
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**43910**	**40198**	**36054**	**29445**	**20040**	

राज्य : अरूणाचल प्रदेश

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	जीएसडीपी	30287	33770	37822	42531	47848	192258
ख	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	1739	2002	2319	2699	3143	11902
	1 स्वयं का कर राजस्व	1344	1548	1794	2089	2434	9209
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	395	454	525	610	709	2693
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-
घ	राजस्व व्यय जिसमें से	10728	11363	12150	13039	14124	61404
	1 ब्याज भुगतान	775	844	920	1000	1089	4628
	2 पेंशन	1210	1277	1347	1421	1499	6754
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**8989**	**9361**	**9831**	**10340**	**10981**	

राज्य : असम

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	जीएसडीपी	344959	372556	406086	444664	489131	2057396
ख	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	22036	24005	26421	29226	32493	134181
	1 स्वयं का कर राजस्व	16440	17917	19730	21836	24290	100213
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	5596	6088	6691	7390	8203	33968
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1332	1484	1693	1930	2885	9324
घ	राजस्व व्यय जिसमें से	50345	53296	56819	60350	64328	285138
	1 ब्याज भुगतान	6324	6893	7514	8190	8927	37848
	2 पेंशन	8786	9270	9780	10317	10885	49038
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**26977**	**27807**	**28705**	**29194**	**28950**	

राज्य : बिहार

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	जीएसडीपी	567085	612452	667572	730992	804091	3382192
ख	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	34748	37980	41957	46596	52020	213301
	1 स्वयं का कर राजस्व	30232	33067	36557	40632	45400	185888
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	4516	4913	5400	5964	6620	27413
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3570	3977	4523	5149	7601	24820
घ	राजस्व व्यय जिसमें से	100641	106668	114211	123189	131605	576314
	1 ब्याज भुगतान	14088	15356	16724	18109	19628	83905
	2 पेंशन	19352	20416	21539	22724	23974	108005
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**62323**	**64711**	**67731**	**71444**	**71984**	

राज्य : छत्तीसगढ़

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	जीएसडीपी	362467	390623	424095	462155	505322	2144662
ख	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	32976	36039	39731	43996	48914	201656
	1 स्वयं का कर राजस्व	24105	26410	29195	32420	36148	148278
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	8871	9629	10536	11576	12766	53378
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	2036	2268	2599	2971	4377	14251
घ	राजस्व व्यय जिसमें से	54218	57560	62051	66912	71618	312359
	1 ब्याज भुगतान	6366	6939	7564	8245	8987	38101
	2 पेंशन	5983	6312	6659	7025	7412	33391
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**19206**	**19253**	**19721**	**19945**	**18327**	

राज्य : गोवा

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	जीएसडीपी	90909	101818	114545	129379	146198	582849
ख	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	7428	8642	10113	11896	14003	52082
	1 स्वयं का कर राजस्व	6156	7171	8403	9899	11668	43297
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	1272	1471	1710	1997	2335	8785
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	513	572	630	705	995	3415
घ	राजस्व व्यय जिसमें से	9962	10567	11325	12211	13007	57072
	1 ब्याज भुगतान	1914	2087	2274	2479	2702	11456
	2 पेंशन	1350	1425	1503	1586	1673	7537
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**2021**	**1353**	**582**	**-390**	**-1991**	

राज्य : गुजरात

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	1451704	1589616	1779070	1999513	2259850	9079753
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	95401	106354	121677	139905	161935	625272
	1 स्वयं का कर राजस्व	80705	90122	103317	119043	138085	531272
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	14696	16232	18360	20862	23850	94000
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	8753	9751	10819	12146	17678	59147
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	118435	126284	135454	145624	155925	681722
	1 ब्याज भुगतान	26020	28361	30914	33696	36729	155720
	2 पेंशन	15236	16074	16958	17891	18874	85033
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	/ **14281**	**10179**	**2958**	**-6427**	**-23688**	

राज्य : हरियाणा

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	868383	972589	1094163	1235857	1396518	5567510
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	61892	72055	84382	99340	117018	434687
	1 स्वयं का कर राजस्व	53965	62892	73730	86894	102469	379950
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	7927	9163	10652	12446	14549	54737
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3237	3606	3957	4413	6214	21427
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	72459	77225	83038	89390	96054	418166
	1 ब्याज भुगतान	19770	21549	23489	25603	27907	118318
	2 पेंशन	8509	8977	9471	9992	10541	47490
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**7330**	**1564**	**-5301**	**-14363**	**-27178**	

राज्य : हिमाचल प्रदेश

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	192362	214484	240222	270130	303896	1221094
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	13249	15261	17679	20586	23985	90760
	1 स्वयं का कर राजस्व	9565	11026	12783	14898	17372	65644
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	3684	4235	4896	5688	6613	25116
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1168	1301	1454	1639	2345	7907
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	30132	32020	34033	36256	38489	170930
	1 ब्याज भुगतान	5376	5846	6331	6837	7405	31795
	2 पेंशन	6870	7248	7646	8067	8510	38341
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**15715**	**15458**	**14900**	**14031**	**12159**	

राज्य : झारखंड

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	319220	344757	375786	411485	452634	1903882
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	23962	26179	28902	32079	35793	146915
	1 स्वयं का कर राजस्व	15041	16472	18235	20297	22715	92760
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	8921	9707	10667	11782	13078	54155
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1693	1886	2147	2445	3621	11792
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	40343	42843	46076	49873	53212	232347
	1 ब्याज भुगतान	6154	6707	7311	7969	8686	36827
	2 पेंशन	6675	7042	7430	7838	8269	37254
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**14688**	**14778**	**15027**	**15349**	**13798**	

राज्य : कर्नाटक

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	1702227	1885750	2110499	2372009	2680845	10751330
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	112573	126891	144740	165919	191441	741564
	1 स्वयं का कर राजस्व	104835	118236	134950	154794	178723	691538
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	7738	8655	9790	11125	12718	50026
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	10609	11819	13098	14694	21353	71573
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	148832	158058	170071	182337	195286	854584
	1 ब्याज भुगतान	24216	26395	28771	31360	34183	144925
	2 पेंशन	21000	22155	23373	24659	26015	117202
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**25650**	**19348**	**12233**	**1724**	**-17508**	

राज्य : केरल

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	978206	1095590	1232539	1392153	1573133	6271621
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	67762	78948	92523	109006	128503	476742
	1 स्वयं का कर राजस्व	64233	74868	87780	103465	122025	452371
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	3529	4080	4743	5541	6478	24371
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3408	3797	4157	4631	6510	22503
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	103739	110022	117298	125281	133475	589815
	1 ब्याज भुगतान	21637	23584	25706	28020	30542	129489
	2 पेंशन	19827	20917	22068	23282	24562	110656
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**32569**	**27277**	**20618**	**11644**	**-1538**	

राज्य : मध्य प्रदेश

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	908401	978966	1062853	1158236	1266420	5374876
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	74147	81246	89829	99771	111267	456260
	1 स्वयं का कर राजस्व	58453	64211	71188	79290	88682	361824
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	15694	17035	18641	20481	22585	94436
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3647	4063	4675	5356	7901	25642
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	110591	117371	125612	133927	143427	630928
	1 ब्याज भुगतान	17942	19556	21316	23235	25326	107375
	2 पेंशन	16066	16950	17882	18866	19903	89667
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**32797**	**32062**	**31108**	**28800**	**24259**	

राज्य : महाराष्ट्र

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	2798375	3022845	3316610	3657775	4083534	16879139
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	208230	227899	253989	284778	323858	1298754
	1 स्वयं का कर राजस्व	191582	209782	233935	262455	298677	1196431
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	16648	18117	20054	22323	25181	102323
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	14993	16703	18600	20923	31148	102367
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	247807	262511	279565	299679	317808	1407370
	1 ब्याज भुगतान	38728	42214	46013	50154	54668	231777
	2 पेंशन	27630	29149	30753	32444	34228	154204
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**24584**	**17909**	**6976**	**-6022**	**-37198**	

राज्य : मणिपुर

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	33370	36229	39651	43673	48204	201127
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	1462	1604	1775	1978	2210	9029
	1 स्वयं का कर राजस्व	1260	1383	1531	1707	1908	7789
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	202	221	244	271	302	1240
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	8702	9160	9782	10385	11047	49076
	1 ब्याज भुगतान	628	685	747	814	887	3761
	2 पेंशन	1790	1888	1992	2102	2217	9989
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**7240**	**7556**	**8007**	**8407**	**8837**	

राज्य : मेघालय

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	35941	39021	42706	47038	51919	216625
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	2471	2708	2995	3336	3724	15234
	1 स्वयं का कर राजस्व	1988	2180	2412	2688	3002	12270
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	483	528	583	648	722	2964
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	146	162	187	214	318	1027
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	8947	9522	10220	10843	11570	51102
	1 ब्याज भुगतान	919	1002	1089	1178	1276	5464
	2 पेंशन	1142	1205	1271	1341	1414	6373
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**6330**	**6652**	**7038**	**7293**	**7528**	

राज्य : मिजोरम

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	28382	31646	35444	39857	44839	180168
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	1139	1312	1519	1768	2059	7797
	1 स्वयं का कर राजस्व	912	1051	1217	1417	1651	6248
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	227	261	302	351	408	1549
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	6222	6590	7115	7530	8008	35465
	1 ब्याज भुगतान	403	439	479	522	569	2412
	2 पेंशन	1083	1142	1205	1272	1341	6043
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**5083**	**5278**	**5596**	**5762**	**5949**	

राज्य : नागालैंड

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	35366	39433	44165	49664	55871	224499
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	1189	1369	1586	1847	2152	8143
	1 स्वयं का कर राजस्व	1065	1227	1422	1656	1930	7300
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	124	142	164	191	222	843
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	9493	10068	10724	11244	11902	53431
	1 ब्याज भुगतान	1057	1144	1233	1326	1430	6190
	2 पेंशन	2069	2182	2303	2429	2563	11546
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**8304**	**8699**	**9138**	**9397**	**9750**	

राज्य : ओडिशा

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	553246	596222	647312	705403	771291	3273474
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	49466	54030	59529	65877	73191	302093
	1 स्वयं का कर राजस्व	33238	36415	40254	44699	49837	204443
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	16228	17615	19275	21178	23354	97650
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3297	3673	4203	4800	7050	23023
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	73377	77630	83066	88351	94132	416556
	1 ब्याज भुगतान	7804	8507	9272	10107	11017	46707
	2 पेंशन	15033	15860	16732	17652	18623	83900
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**20614**	**19927**	**19334**	**17674**	**13891**	

राज्य : पंजाब

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	607594	654792	710901	774699	847059	3595045
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	40923	44781	49438	54824	61040	251006
	1 स्वयं का कर राजस्व	35988	39424	43576	48383	53938	221309
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	4935	5357	5862	6441	7102	29697
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	4922	5483	6258	7136	10430	34229
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	67827	71777	76211	80879	85592	382286
	1 ब्याज भुगतान	20589	22047	23507	24978	26583	117704
	2 पेंशन	11598	12236	12909	13619	14368	64730
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**21982**	**21513**	**20515**	**18919**	**14122**	

राज्य : राजस्थान

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	1050408	1143069	1254154	1383163	1530329	6361123
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	84704	93662	104577	117481	132478	532902
	1 स्वयं का कर राजस्व	64384	71370	79902	90014	101796	407466
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	20320	22292	24675	27467	30682	125436
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3607	4018	4545	5158	7629	24957
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	137876	146690	157594	168876	180671	791707
	1 ब्याज भुगतान	27789	30290	32852	35462	38347	164740
	2 पेंशन	22128	23345	24629	25983	27412	123497
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**49565**	**49010**	**48472**	**46237**	**40564**	

राज्य : सिक्किम

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	36390	40575	45444	51102	57489	231000
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	1645	1895	2195	2556	2978	11269
	1 स्वयं का कर राजस्व	1127	1299	1506	1756	2047	7735
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	518	596	689	800	931	3534
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	13	15	15	15	21	79
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	4891	5193	5558	5941	6334	27917
	1 ब्याज भुगतान	613	668	728	793	865	3667
	2 पेंशन	908	957	1010	1066	1124	5065
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**3233**	**3283**	**3348**	**3370**	**3335**	

राज्य : तमिलनाडु

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	1979856	2207540	2472444	2780264	3127797	12567901
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	145947	166890	191887	221714	256326	982764
	1 स्वयं का कर राजस्व	128351	147068	169449	196203	227307	868378
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	17596	19822	22438	25511	29019	114386
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	5917	6592	7264	8122	11559	39454
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	180932	191773	204758	219524	233698	1030685
	1 ब्याज भुगतान	39580	43142	47024	51257	55870	236873
	2 पेंशन	33242	35070	36999	39034	41181	185526
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**29068**	**18291**	**5607**	**-10312**	**-34187**	

राज्य : तेलंगाना

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	1028726	1147030	1284674	1444615	1625192	6530237
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	91053	103433	118114	135517	155574	603691
	1 स्वयं का कर राजस्व	78653	89464	102301	117538	135123	523079
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	12400	13969	15813	17979	20451	80612
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	2136	2379	2573	2846	4186	14120
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	91034	96661	104078	110987	118959	521719
	1 ब्याज भुगतान	15931	17365	18927	20631	22488	95342
	2 पेंशन	9517	10040	10592	11175	11790	53114
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**-2155**	**-9151**	**-16609**	**-27376**	**-40801**	

राज्य : त्रिपुरा

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	59524	65703	73246	82292	92918	373683
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	2640	2969	3381	3883	4488	17361
	1 स्वयं का कर राजस्व	2169	2445	2790	3212	3722	14338
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	471	524	591	671	766	3023
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	172	192	209	232	337	1142
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	12021	12771	13601	14534	15378	68305
	1 ब्याज भुगतान	1370	1493	1628	1774	1934	8199
	2 पेंशन	2591	2734	2884	3042	3210	14461
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**9209**	**9610**	**10011**	**10419**	**10553**	

राज्य : उत्तर प्रदेश

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	1754477	1894835	2065371	2261581	2487739	10464003
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	156586	171287	189383	210511	235244	963011
	1 स्वयं का कर राजस्व	124116	135959	150558	167629	187644	765906
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	32470	35328	38825	42882	47600	197105
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	7655	8528	9723	11083	16540	53529
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	276981	293324	311702	331538	351822	1565367
	1 ब्याज भुगतान	41519	45256	49329	53613	58315	248032
	2 पेंशन	58678	61905	65310	68902	72692	327487
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**112740**	**113509**	**112596**	**109944**	**100038**	

राज्य : उत्तराखंड

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	**जीएसडीपी**	256652	278645	304961	335895	370750	1546903
ख	**स्वयं की राजस्व प्राप्तियां**	16131	17747	19708	22047	24723	100356
	1 स्वयं का कर राजस्व	12520	13796	15346	17198	19321	78181
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	3611	3951	4362	4849	5402	22175
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1783	1986	2250	2555	3711	12285
घ	**राजस्व व्यय जिसमें से**	33049	35061	37398	39989	42525	188022
	1 ब्याज भुगतान	6423	7001	7624	8259	8958	38265
	2 पेंशन	5961	6289	6635	7000	7385	33270
ड.	**पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**	**15135**	**15328**	**15440**	**15387**	**14091**	

राज्य : पश्चिम बंगाल

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	जीएसडीपी	1238196	1334379	1448721	1578734	1726194	7326224
ख	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	71769	78581	86809	96331	107327	440817
	1 स्वयं का कर राजस्व	68467	74997	82888	92022	102576	420950
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	3302	3584	3921	4309	4751	19867
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	**3959**	**4411**	**5103**	**5864**	**8781**	**28118**
घ	राजस्व व्यय जिसमें से	**142881**	**151694**	**162283**	**173221**	**185000**	**815079**
	1 ब्याज भुगतान	35707	38678	41653	44651	47922	208611
	2 पेंशन	19707	20791	21935	23141	24414	109988
ड.	पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	**67153**	**68702**	**70371**	**71026**	**68892**	

राज्य : सभी राज्य

(करोड़ रु.)

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क	जीएसडीपी	20385943	22321586	24671305	27391969	30542510	125313313
ख	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	1501213	1674970	1889803	2144164	2445227	9655377
	1 स्वयं का कर राजस्व	1283300	1434761	1622330	1844800	2108694	8293885
	2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	217913	240209	267473	299364	336533	1361492
ग	अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	90189	100474	112623	127163	186199	616648
घ	राजस्व व्यय जिसमें से	2275943	2414909	2582433	2762188	2945385	12980858
	1 ब्याज भुगतान	411860	448265	487336	529035	574602	2451098
	2 पेंशन	358387	378097	398894	420834	443976	2000188
ड.	पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा	**686696**	**648616**	**601917**	**555751**	**498048**	**2991028**
	(+) / अधिशेष (-)	**-2155**	**-9151**	**-21910**	**-64890**	**-184089**	**-282195**

टिप्पणी: अंतरण से पूर्व राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – स्वयं की राजस्व प्राप्तियां – अनुमानित जीएटसी क्षतिपूर्ति

अनुलग्नक 5.1

(पैरा 5.8)

डेटाबेसों के मध्य संगतता स्थापित करने की आवश्यकता

यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न मैक्रो डेटाबेस सममित रूप से एक दूसरे से सुपरिचित हों। इस तरह के सामंजस्य की कमी डेटाबेस की संगतता जांच, विश्लेषण और संयोजन को रोकती है।

उदाहरण के लिए, निर्धारण वर्ष 2019-20 में आयकर के प्रयोजनों के लिए कंपनियों द्वारा दाखिल की गयी। आईटीआर 6 से, यह प्रकट हुआ कि सभी कंपनियों का कुल राजस्व 219 लाख करोड़ रुपए के लगभग था, जबकि उनकी बाह्य आपूर्ति पर कुल अप्रत्यक्ष करों का भुगतान केवल लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए था। इससे प्रथमदृष्टया पता चलता है कि औसत आउटपुट कर की दर 0.8 प्रतिशत है (सरल शब्दों में कहा जाए तो चूँकि कुल राजस्व में कुछ ऐसी मदें हो सकती हैं जिन पर अप्रत्यक्ष कर नहीं लगता होगा)। हालांकि, आईटीआर6 के अनुसार कुल जीएसटी का भुगतान केवल 0.28 लाख करोड़ रुपए (केंद्रीय जीएसटी जमा राज्य जीएसटी) था। इसकी तुलना में कुल 1.29 लाख करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स का भुगतान किया गया था, जिसमें से इनपुट पर दिया गया कुल 0.38 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का भुगतान किया गया था। इसकी तुलना में, जीएसटीआर-3 बी के आंकड़ों के अनुसार, एक साथ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट इकाइयों की कर योग्य आपूर्ति पर सकल कर देयता 40 लाख करोड़ रुपए थी और संघ एवं राज्य सरकार की निवल कर प्राप्ति वित्त वर्ष 2018-19 में 12 लाख करोड़ रुपए के करीब थी (निर्धारण वर्ष 2019-20, कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में)। यहां तक कि इस तथ्य को छोड़ते हुए कि गैर-कॉरपोरेट इकाइयां भी जीएसटी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ऊपर की गणना से संकेत मिलता है कि वर्तमान में जीएसटी डेटाबेस और आयकर डेटाबेस पूरी तरह से संगत नहीं हैं।

ज्यादातर मामलों में, यह होता है कि कंपनियों द्वारा चुकाए गए अप्रत्यक्ष करों का हिसाब सीधे उनके तुलन पत्रों में किया जाता है, न कि उनकी लाभ और हानि विवरणी के माध्यम से। अतः कॉर्पोरेट कर विवरणियों में सूचित अप्रत्यक्ष कर भुगतान, संघ एवं राज्य सरकारों के वास्तविक संग्रहण से मेल नहीं खाता है। कर सूचना प्रणाली की ऐसी कमियों को दूर करने की जरूरत है।

अनुलग्नक 5.2

(पैरा 5.17, 5.21)

आईटी रिटर्न डेटा और राष्ट्रीय लेखा- कुछ संकेत

आयकर रिटर्न में दर्ज आय और राष्ट्रीय लेखाओं से अनुमानित आय की तुलना करना उपयोगी होता है। उपयुक्त समायोजन द्वारा दोनों को एक-दूसरे के लगभग बराबर होना चाहिए। चूँकि ये दोनों डेटासेट विभिन्न दृष्टिकोणों से आय ज्ञात करते हैं, अतः पूर्ण मिलान संभव नहीं है। नीचे दी गई तालिका, दोनों डेटासेट के बीच व्यापक सामंजस्य का प्रयास करती है।

क	**आयकर विवरणी (नुकसान की भरपाई से पहले) के तहत सूचित सकल कुल आयः 2017-18**	**(लाख करोड़ रु.)**
1	वेतन	20.0
2	घरेलू क्षेत्र में गैर-वेतन आय (संपत्ति, व्यवसाय, पूंजीगत लाभ)	17.0
3	कॉर्पोरेट्स का व्यापार और अन्य आय	16.4
4	आयकर विवरणी में सूचित समस्त आय का योग (क1 + क2+ क3)	53.4
ख	**राष्ट्रीय लेखाओं में रिपोर्ट की गई आय (कर्मचारियों का पारिश्रमिक + प्रचालन अधिशेष/मिश्रित आय) (लाख करोड़ रुपये): 2017-18**	**(लाख करोड़ रु.)**
1	सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में उत्पन्न कुल आय	76.3
	जिसमे से,	
1.क	निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रचालन अधिशेष	36.7
1.ख	सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में कर्मचारियों का पारिश्रमिक	39.6
2	घरेलू क्षेत्र में स्वरोजगार की प्रचालन अधिशेष / मिश्रित आय (सभी व्यापारिक संस्थाएं जो कॉर्पोरेट क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं और कृषि से उत्पन्न आय को छोड़कर)	26.4
3	ख 1+ ख 2	102.7
ग	**तुलनात्मक चर: (क) क1 और ख.1.ख; (ख) क2 और ख2; (ग) क3 और ख.1.क**	**प्रतिशत में**
	स्पष्टीकरण	
1	(क1/ख1.ख)*100: (आईटी रिटर्न के तहत वेतन, इसे, राष्ट्रीय लेखाओं द्वारा अनुमानित संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का पारिश्रमिक द्वारा विभाजित किया गया): *संकेत और चेतावनी:* राष्ट्रीय लेखाओं में, कर्मचारियों के पारिश्रमिक को रेज़ीडेंट उत्पादकों द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी तथा अपने कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान के लिए भुगतान के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त अनुपात के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि वेतन आय का लगभग 50 प्रतिशत कर अपवंचना कर रहा है, क्योंकि वहाँ कर सीमा और व्यक्तिगत आयकर के तहत छूट का एक जटिल सेट है	50.5

	जो किसी भी निष्कर्ष को मुश्किल बनाता है। हालांकि, यह देखते हुए कि हमने इस अनुपात में केवल संगठित क्षेत्र की आय की ही गणना की है, यह वांछनीय है कि कटौती और छूट के सरलीकरण के माध्यम से आयकर आधार को और विस्तारित तथा गहन किया जाए।	
2	(क2/ख2) * 100: (घरेलू क्षेत्र में गैर-वेतन आय, आईटी रिटर्न के तहत सूचित, इसे घरेलू क्षेत्र में स्वरोजगार की प्रचालन अधिशेष / मिश्रित आय द्वारा विभाजित किया गया) *संकेत और चेतावनीः* स्व-नियोजित (गैर-कृषि) मिश्रित आय को स्वयं खाता श्रमिकों की मजदूरी आय और अनिगमित उद्यमों के मुनाफे और लाभांश के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ध्यान दिया जाए कि गैर-कृषि घरेलू क्षेत्र (9.76 लाख करोड़ रुपये) में काम पर रखे गए कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन इसमें शामिल नहीं है। डेटा सीमाओं के कारण इस खंड में राष्ट्रीय लेखाओं और आईटी रिटर्न के बीच पूर्ण स्थिरता स्थापित नहीं की जा सकती है। हालांकि इस अनुपात में, कर अपवंचना ब्रैकेट में देखे गए आय को आबद्ध करने से सुधार आना चाहिए।	64.4
3	(क3/ख.1.क)*100: (आईटी रिटर्न के तहत सूचित की गई कॉर्पोरेटों की व्यापारिक और अन्य आय, इसे निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालन अधिशेष द्वारा विभाजित किया गया) *संकेत और चेतावनी :* प्रचालन अधिशेष को इस रूप में परिभाषित किया गया हैः उत्पादकों के मूल्यों पर सकल आउटपुट घटा मध्यवर्ती खपत घटा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति घटा नियत पूंजी उपभोग घटा निवल अप्रत्यक्ष कर। किराया और ब्याज का भुगतान प्रचालन अधिशेष का हिस्सा है, जबकि यह कंपनियों द्वारा अपने आईटी रिटर्न में रिपोर्ट की गई सकल कुल आय का हिस्सा नहीं है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार, कंपनियों के किराये और ब्याज भुगतान लगभग 6.1 लाख करोड़ रुपये थे। साथ ही, प्राप्ति बजट 2019-20 के अनुसार, 2017-18 में कॉर्पोरेट करदाताओं को प्रमुख कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव 1.20 लाख करोड़ रुपये था। 2017-18 में 29.49 प्रतिशत की प्रभावी कर	44.7

	दर को देखते हुए, यह कारपोरेट लाभ 4.1 लाख करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय लेखाओं और आईटी रिटर्न डेटा के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रचालन अधिशेष, राष्ट्रीय लेखाओं में 36.7 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से कंपनियों द्वारा किराये और ब्याज भुगतान के रूप में 6.1 लाख करोड़ रुपये कम किया गया है और आईटी रिटर्न में कंपनियों द्वारा रिपोर्ट की गई कुल 16.4 लाख करोड़ रुपये की कुल आय में 4.1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कॉलम 3 में प्रस्तुत 44.7 प्रतिशत के मुकाबले दोनों के बीच पुनर्कलित अनुपात 67.0 प्रतिशत ((16.4+4.1) / (36.7-6.1) है। गणना में मिसिंग लिंक हो सकते हैं, जिनका सामंजस्य केवल कर विशेषज्ञों और राष्ट्रीय आय विशेषज्ञों द्वारा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन पुनर्गणना अनुपात इशारा करती है कि छूट और रियायतों को व्यवस्थित करने की बहुत आवश्यकता है।	

ऊपर दी गई तालिका अध्याय 5 के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक को मजबूत करती है कि कर सूचना प्रणाली, प्रशासन और नीति में सुधार के साथ, प्रत्यक्ष कर से जीडीपी अनुपात में काफी वृद्धि हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपभोग-आधारित करों पर अधिक निर्भरता, जो कर प्रणाली की प्रगतिशीलता को कम करती है, को आय और संपत्ति-आधारित कराधान के आधार को विस्तारित करके कम किया जाना चाहिए। सरकार के विभिन्न स्तरों को आय और संपत्ति-आधारित कराधान के लिए अपनी संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक अप्रयुक्त कर शक्ति की व्यवहार्यता का आकलन करना चाहिए, ताकि कर आधार का क्षरण और कर भुगतान की चोरी को रोका जा सके। जहां भी कराधान शक्तियों का अनुप्रयुक्त विचलन सरकार के तीसरे स्तर पर संसाधन जुटाने में बाधा डालता है, विशेष रूप से परिसंपत्ति-आधारित करों में, ऐसे विचलन करने का अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए और स्थानीय प्रशासनिक क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक 5.3
(पैरा 5.35)

संभावित हाउस टैक्स के निर्देशात्मक अनुमान -2019

(करोड़ रु.)

	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	1368	852
अरुणाचल प्रदेश	52	14
असम	1766	326
बिहार	4256	590
छत्तीसगढ़	1325	350
गोवा	72	87
गुजरात	1793	1560
हरियाणा	1179	683
हिमाचल प्रदेश	582	43
झारखंड	1159	409
कर्नाटक	2232	1885
केरल	2300	2462
मध्य प्रदेश	2322	1159
महाराष्ट्र	3067	2465
मणिपुर	163	71
मेघालय	134	32
मिजोरम	42	50
नागालैंड	87	37
ओडिशा	1146	358
पंजाब	1652	1050
राजस्थान	2784	1055
सिक्किम	35	10
तमिलनाडु	2114	2382
तेलंगाना	950	950
त्रिपुरा	155	50
उत्तराखंड	510	275
उत्तर प्रदेश	6494	2,414
पश्चिम बंगाल	2420	1566
सभी राज्य	**42160**	**23184**

नोट- उपर्युक्त गणनाएं मकानों की गुणवत्ता एवं प्रकार के अनुसार नहीं है; अतः अनुमान सांकेतिक हैं।

अनुलग्नक 6.1
(पैरा 6.44 और 6.54)

आबादी और जनसांख्यिकीय निष्पादन

राज्य	आबादी			जनसांख्यिकीय निष्पादन			
	आबादी (जनगणना 2011) मिलियन में	आबादी का पारस्परिक अंश 2011(%)	आबादी (जनगणना 1971) मिलियन में	टीएफआर (जनगणना -2011)	टीएफआर व्युत्क्रम (रेसिप्रोकल) (f)	f*Pop1971	पारस्परिक अंश (%)
आंध्र प्रदेश	49.577103	4.208	27.685000	1.60	0.63	17.303	6.635
अरूणाचल प्रदेश	1.383727	0.117	0.467511	2.24	0.45	0.209	0.080
असम	31.205576	2.649	14.625152	2.16	0.46	6.771	2.596
बिहार	104.09945	8.836	42.126236	2.93	0.34	14.378	5.513
छत्तीसगढ़	25.545198	2.168	11.637494	2.43	0.41	4.789	1.836
गोवा	1.458545	0.124	0.795120	1.56	0.64	0.510	0.195
गुजरात	60.439692	5.130	26.697475	2.03	0.49	13.151	5.043
हरियाणा	25.351462	2.152	10.036431	2.32	0.43	4.326	1.659
हिमाचल प्रदेश	6.864602	0.583	3.460434	1.74	0.57	1.989	0.763
झारखंड	32.988134	2.800	14.227133	2.61	0.38	5.451	2.090
कर्नाटक	61.095297	5.186	29.299014	1.81	0.55	16.187	6.207
केरल	33.406061	2.835	21.347375	1.79	0.56	11.926	4.573
मध्य प्रदेश	72.626809	6.164	30.016625	2.63	0.38	11.413	4.376
महाराष्ट्र	112.37433	9.538	50.412235	1.91	0.52	26.394	10.120
मणिपुर	2.855794	0.242	1.072753	1.86	0.54	0.577	0.221
मेघालय	2.966889	0.252	1.011699	3.63	0.28	0.279	0.107
मिजोरम	1.097206	0.093	0.332390	2.56	0.39	0.130	0.050
नागालैंड	1.978502	0.168	0.516449	2.08	0.48	0.248	0.095
ओडिशा	41.974218	3.563	21.944615	1.98	0.51	11.083	4.250
पंजाब	27.743338	2.355	13.551060	1.86	0.54	7.286	2.793
राजस्थान	68.548437	5.818	25.765806	2.80	0.36	9.202	3.528
सिक्किम	0.610577	0.052	0.209843	1.44	0.69	0.146	0.056
तमिलनाडु	72.147030	6.124	41.199168	1.58	0.63	26.075	9.998
तेलंगाना	35.003674	2.971	15.818000	1.67	0.60	9.472	3.632
त्रिपुरा	3.673917	0.312	1.556342	1.73	0.58	0.900	0.345
उत्तर प्रदेश	199.81234	16.959	83.848797	2.61	0.38	32.126	12.318
उत्तराखंड	10.086292	0.856	4.492724	2.13	0.47	2.109	0.809
पश्चिम बंगाल	91.276115	7.747	44.312011	1.68	0.60	26.376	10.113
सभी राज्य	**1178.1903**	**100**	**538.464892**	**2.17**		**260.805**	**100**

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक

नोट: पढ़ने की सुविधा के लिए, अनुलग्नक में दर्शाई गई संख्याओं को निश्चित दशमलव अंकों में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, परिकलन के प्रयोजन के लिए संपूर्ण संख्या का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 6.2
(पैरा 6.45)

क्षेत्रफल

राज्य	श्रेणी	क्षेत्रफल ('000 वर्ग कि.मी.)	क्षेत्रफल - पारस्परिक अंश (%)	समायोजित क्षेत्रफल - पारस्परिक अंश (%)
आंध्र प्रदेश		162.923	5.334	4.572
अरूणाचल प्रदेश		83.743	2.742	2.350
असम		78.438	2.568	2.201
बिहार		94.163	3.083	2.643
छत्तीसगढ़		135.192	4.426	3.794
गोवा	लघु	3.702	0.121	2.000
गुजरात		196.244	6.425	5.508
हरियाणा	लघु	44.212	1.448	2.000
हिमाचल प्रदेश	लघु	55.673	1.823	2.000
झारखंड		79.716	2.610	2.237
कर्नाटक		191.791	6.279	5.383
केरल	लघु	38.852	1.272	2.000
मध्य प्रदेश		308.252	10.093	8.651
महाराष्ट्र		307.713	10.075	8.636
मणिपुर	लघु	22.327	0.731	2.000
मेघालय	लघु	22.429	0.734	2.000
मिजोरम	लघु	21.081	0.690	2.000
नागालैंड	लघु	16.579	0.543	2.000
ओडिशा		155.707	5.098	4.370
पंजाब	लघु	50.362	1.649	2.000
राजस्थान		342.239	11.205	9.605
सिक्किम	लघु	7.096	0.232	2.000
तमिलनाडु		130.06	4.258	3.650
तेलंगाना		112.122	3.671	3.147
त्रिपुरा	लघु	10.486	0.343	2.000
उत्तर प्रदेश		240.928	7.888	6.762
उत्तराखंड	लघु	53.483	1.751	2.000
पश्चिम बंगाल		88.752	2.906	2.491
सभी राज्य		**3054.265**	**100**	**100**

स्रोतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग

अनुलग्नक 6.3
(पैरा 6.48)

वन और पारिस्थितिकी

राज्य	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	बहुत सघन वन (वीडी)	मामूली सघन वन (एमडी)	खुला वन (ओएफ)	सघन वन (वीडी + एमडी)	वन एवं पारिस्थितिकीय का पारस्परिक अंश (एफसीआई) (%)
आंध्र प्रदेश	162923	1994	13938	13205	15932	4.103
अरूणाचल प्रदेश	83743	21095	30557	15036	51652	13.302
असम	78438	2795	10279	15253	13074	3.367
बिहार	94163	333	3280	3693	3613	0.930
छत्तीसगढ़	135192	7068	32198	16345	39266	10.112
गोवा	3702	538	576	1123	1114	0.287
गुजरात	196244	378	5092	9387	5470	1.409
हरियाणा	44212	28	451	1123	479	0.123
हिमाचल प्रदेश	55673	3113	7126	5195	10239	2.637
झारखंड	79716	2603	9687	11321	12290	3.165
कर्नाटक	191791	4501	21048	13026	25549	6.580
केरल	38852	1935	9508	9701	11443	2.947
मध्य प्रदेश	308252	6676	34341	36465	41017	10.563
महाराष्ट्र	307713	8721	20572	21485	29293	7.544
मणिपुर	22327	905	6386	9556	7291	1.878
मेघालय	22429	489	9267	7363	9756	2.513
मिजोरम	21081	157	5801	12048	5958	1.534
नागालैंड	16579	1273	4534	6679	5807	1.496
ओडिशा	155707	6970	21552	23097	28522	7.345
पंजाब	50362	8	801	1040	809	0.208
राजस्थान	342239	78	4342	12210	4420	1.138
सिक्किम	7096	1102	1552	688	2654	0.683
तमिलनाडु	130060	3605	11030	11729	14635	3.769
तेलंगाना	112122	1608	8787	10187	10395	2.677
त्रिपुरा	10486	654	5236	1836	5890	1.517
उत्तर प्रदेश	240928	2617	4080	8109	6697	1.725
उत्तराखंड	53483	5047	12805	6451	17852	4.598
पश्चिम बंगाल	88752	3019	4160	9723	7179	1.849
सभी राज्य	**3054265**	**89310**	**298986**	**293074**	**388296**	**100**

स्रोतः स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (2019), भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग

अनुलग्नक 6.4
(पैरा 6.51)

आय में अंतर

राज्य	तुलनात्मक जीएसडीपी (रु. करोड़ में)			आकलित आबादी			प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रु.)					समायोजित अंतर (d)	di* POPi 2011	पारस्परिक अंश (%)
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	औसत	रैंक			
आंध्र प्रदेश	686562	779840	868782	50743000	51041000	51341000	135302	152787	169218	152436	14	73111	3624646	3.069
अरूणाचल प्रदेश	19625	22549	24315	1547000	1579000	1611000	126859	142803	150929	140197	15	85350	118101	0.100
असम	248959	283165	315881	33529000	33762000	34137000	74252	83871	92533	83552	24	141995	4431031	3.752
बिहार	417155	458357	522224	113638000	116996000	118778000	36709	39177	43966	39951	28	185596	19320444	16.361
छत्तीसगढ़	261006	282329	318573	27933000	28384000	28842000	93440	99468	110455	101121	20	124426	3178491	2.692
गोवा	64418	69347	73159	1516000	1527000	1536000	424922	454137	476294	451784	1	20433	29802	0.025
गुजरात	1089874	1216689	1333668	65049000	66624000	67550000	167547	182620	197434	182534	11	43013	2599708	2.201
हरियाणा	553192	631744	698830	27423000	27811000	28206000	201725	227156	247759	225547	3	20433	518000	0.439
हिमाचल प्रदेश	131803	143859	154430	7210000	7233000	7280000	182806	198893	212129	197943	6	27604	189492	0.160
झारखंड	236250	269816	297204	36121000	36646000	37180000	65405	73628	79936	72990	26	152557	5032577	4.262
कर्नाटक	1209146	1326402	1490657	64900000	65606000	66319000	186309	202177	224771	204419	5	21128	1290822	1.093
केरल	634571	701484	787209	34322100	34493200	34665600	184887	203369	227087	205114	4	20433	682578	0.578
मध्य प्रदेश	612729	690973	780099	79472000	80614000	81756000	77100	85714	95418	86077	22	139470	10129238	8.577
महाराष्ट्र	2163633	2319529	2571477	119393000	120535000	121677000	181219	192436	211336	194997	10	30550	3432994	2.907
मणिपुर	22824	25831	27915	3223900	3294300	3366100	70795	78410	82931	77379	25	148168	423138	0.358
मेघालय	26473	28214	32167	3341000	3413000	3487000	79235	82667	92248	84717	23	140830	417827	0.354
मिजोरम	16595	19568	22786	1214000	1175000	1186000	136697	166539	192121	165119	12	60428	66302	0.056
नागालैंड	21708	24331	28392	2077000	2077000	2099000	104518	117145	135265	118976	16	106571	210851	0.179
ओडिशा	389249	440090	491968	43234000	43415000	43596000	90033	101368	112847	101416	19	124131	5210294	4.412
पंजाब	422157	473014	529607	29833500	30224100	30619900	141504	156502	172962	156989	13	68557	1902012	1.611
राजस्थान	751027	822604	916491	74260000	75333000	76420000	101135	109196	119928	110086	17	115461	7914650	6.702
सिक्किम	20840	26256	29214	647000	654000	660000	322100	401468	442641	388736	2	20433	12476	0.011
तमिलनाडु	1308573	1473026	1627230	74841000	75195000	75548000	174847	195894	215390	195377	9	30170	2176662	1.843
तेलंगाना	651651	749191	845503	37505000	37881000	38260000	173751	197775	220989	197505	7	28042	981580	0.831
त्रिपुरा	38754	42911	48023	3894000	3933000	3973000	99524	109105	120874	109834	18	115713	425119	0.360
उत्तर प्रदेश	1290777	1435933	1607328	217505000	220836000	224217000	59345	65023	71686	65351	27	160196	32009082	27.105
उत्तराखंड	194173	219534	236720	10869000	11016000	11164000	178648	199286	212039	196658	8	28889	291385	0.247
पश्चिम बंगाल	869110	968302	1084348	96491000	97456000	98430000	90072	99358	110164	99865	21	125682	11471792	9.714
सभी राज्य	**14352836**	**15944888**	**17764200**	**1261731500**	**1278753600**	**1293904600**	**113755**	**124691**	**137291**	**125246**			**118091093**	**100**

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, से तुलनीय जीएसडीपी और अनुमानित जनसंख्या आंकड़े

अनुलग्नक 6.5
(पैरा 6.56)

कर प्रयास

राज्य	प्रति व्यक्ति स्वयं का कर राजस्व (रु.)				प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रु.)				कर/ जीएसडीपी (t) (%)	t*Pop	पारस्परिक अंश (%)
	2016-17	2017-18	2018-19	औसत	2016-17	2017-18	2018-19	औसत			
आंध्र प्रदेश	8707	9695	11303	9902	135302	152787	169218	152436	6.50	3220388	4.336
अरूणाचल प्रदेश	4581	5165	6630	5459	126859	142803	150929	140197	3.89	53877	0.073
असम	3603	3914	4665	4061	74252	83871	92533	83552	4.86	1516607	2.042
बिहार	2089	1978	2476	2181	36709	39177	43966	39951	5.46	5682760	7.651
छत्तीसगढ़	6782	7009	7429	7074	93440	99468	110455	101121	7.00	1786928	2.406
गोवा	28108	30985	50454	36516	424922	454137	476294	451784	8.08	117887	0.159
गुजरात	9907	10739	11858	10835	167547	182620	197434	182534	5.94	3587565	4.830
हरियाणा	12408	14778	15097	14094	201725	227156	247759	225547	6.25	1584179	2.133
हिमाचल प्रदेश	9763	9827	10402	9997	182806	198893	212129	197943	5.05	346703	0.467
झारखंड	3682	3371	3968	3674	65405	73628	79936	72990	5.03	1660277	2.235
कर्नाटक	12782	13281	14601	13555	186309	202177	224771	204419	6.63	4051084	5.454
केरल	12288	13469	14609	13456	184887	203369	227087	205114	6.56	2191463	2.950
मध्य प्रदेश	5561	5559	6237	5786	77100	85714	95418	86077	6.72	4881533	6.572
महाराष्ट्र	11443	13932	15404	13593	181219	192436	211336	194997	6.97	7833503	10.546
मणिपुर	1820	2401	3108	2443	70795	78410	82931	77379	3.16	90154	0.121
मेघालय	3550	4249	5143	4314	79235	82667	92248	84717	5.09	151073	0.203
मिजोरम	3639	4646	6127	4804	136697	166539	192121	165119	2.91	31924	0.043
नागालैंड	2459	3073	4033	3188	104518	117145	135265	118976	2.68	53019	0.071
ओडिशा	5286	6430	6954	6223	90033	101368	112847	101416	6.14	2575674	3.468
पंजाब	9301	10066	10312	9893	141504	156502	172962	156989	6.30	1748247	2.354
राजस्थान	5975	6718	7509	6734	101135	109196	119928	110086	6.12	4192976	5.645
सिक्किम	10086	10525	13529	11380	322100	401468	442641	388736	2.93	17874	0.024
तमिलनाडु	11483	12466	13969	12639	174847	195894	215390	195377	6.47	4667354	6.284
तेलंगाना	12907	14920	16904	14910	173751	197775	220989	197505	7.55	2642564	3.558
त्रिपुरा	3652	3616	4445	3904	99524	109105	120874	109834	3.55	130589	0.176
उत्तर प्रदेश	3952	4410	5357	4573	59345	65023	71686	65351	7.00	13983008	18.825
उत्तराखंड	10026	9227	10917	10057	178648	199286	212039	196658	5.11	515805	0.694
पश्चिम बंगाल	4712	5410	6170	5431	90072	99358	110164	99865	5.44	4963550	6.682
सभी राज्य										**74278565**	**100**

स्रोतः स्वयं के कर राजस्व के लिए – संबंधित वर्ष के लिए राज्यों का वित्तीय लेखा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, से प्राप्त जनसंख्या के अनुमानित आंकड़े।

अनुलग्नक 7.1
(पैरा 7.51)

राज्य अधिनियमों के आधार पर संपत्ति कर उपबंधों का सारांश

मानदंड	राज्य अधिनियमों के संख्या जिनमें संबद्ध उपबंध हैं	राज्यों का नाम
संपत्तियों की गणना: संपत्ति रजिस्ट्रों का सृजन एवं रखरखाव		
संपत्ति रजिस्ट्रों का अवधिक रूप से संशोधन	19	1. आंध्र प्रदेश (केवल नगर निगम) 2. छत्तीसगढ़ 3. गोवा 4. गुजरात 5. हरियाणा (केवल नगर निगम) 6. हिमाचल प्रदेश 7. जम्मू एवं कश्मीर 8. कर्नाटक (केवल नगर निगम) 9. केरल 10. मध्य प्रदेश 11. ओडिशा 12. तमिलनाडु (केवल नगरपालिकाएं) 13. उत्तर प्रदेश 14. उत्तराखंड 15. पश्चिम बंगाल 16. मेघालय 17. सिक्किम 18. नागालैंड 19. मणिपुर
मूल्य-निर्धारण (Valuation)		
मूल्य-निर्धारण की पूंजी मूल्य विधि का	2	1. कर्नाटक (बैंगलूरु को छोड़कर, सभी शहरी स्थानीय निकाय)

अनुपालन करना		2. नागालैंड
मूल्य-निर्धारण की यूनिट क्षेत्रफल मूल्य विधि का अनुपालन करना	9	1. गुजरात 2. हिमाचल प्रदेश 3. जम्मू एवं कश्मीर 4. केरल 5. दिल्ली 6. ओडिशा 7. मिजोरम 8. त्रिपुरा 9. सिक्किम
मूल्य-निर्धारण की वार्षिक किराया मूल्य विधि का अनुसरण करना	12	1. आंध्र प्रदेश 2. बिहार 3. छत्तीसगढ़ 4. गोवा 5. हरियाणा 6. झारखंड 7. मध्य प्रदेश 8. तमिलनाडु 9. उत्तर प्रदेश 10. उत्तराखंड 11. असम (गुवाहटी नगर निगम अधिनियम) 12. मेघालय
मूल्य-निर्धारण की न्यूनतम दर प्रणाली	1	1. पंजाब
मूल्य-निर्धारण कार्यप्रणाली के लिए	4	1. महाराष्ट्र (पूंजीगत मूल्य या वार्षिक किराया मूल्य)

बहु-विकल्प उपलब्ध कराना		2. राजस्थान (यूनिट एरिया आधारित विधि या कोई अन्य विधि) 3. तेलंगाना (पूंजीगत मूल्य या वार्षिक मूल्य या कोई भी निर्धारित विधि) 4. पश्चिम बंगाल (वार्षिक मूल्य या पूंजीगत मूल्य, जहां वार्षिक किराया मूल्य का अनुमान नहीं किया जा सकता है)
राज्य अधिनियम, जहां मूल्य-निर्धारण कार्यप्रणाली स्पष्ट नहीं है या उसका वर्णन नहीं किया गया है।	2	1. मणिपुर (स्पष्ट नहीं है) 2. अरूणाचल प्रदेश (वर्णन नहीं किया गया है)
अधिनियम में संपत्ति कर के न्यूनतम मूल्य को अधिसूचित करना	13	1. आंध्र प्रदेश (केवल नगर पालिका) 2. बिहार 3. छत्तीसगढ़ 4. गुजरात (केवल नगर निगम) 5. हरियाणा 6. हिमाचल प्रदेश 7. कर्नाटक 8. केरल 9. मध्य प्रदेश 10. ओडिशा 11. तमिलनाडु (केवल चैन्नई) 12. उत्तर प्रदेश (केवल नगर निगम) 13. उत्तराखंड (केवल नगर निगम)

कर दरों का आवधिक संशोधन	3	1. झारखंड 2. कर्नाटक 3. केरल
	संपत्ति कर बोर्ड/नगरपालिका मूल्य-निर्धारण समितियां	
संपत्ति कर बोर्ड की मौजूदगी	17	1. आंध्र प्रदेश (केवल नगरपालिकाएं) 2. बिहार 3. जम्मू एवं कश्मीर 4. उत्तराखंड 5. कर्नाटक (केवल नगर निगम) 6. महाराष्ट्र (केवल नगर निगम) 7. दिल्ली 8. ओडिशा 9. तमिलनाडु 10. तेलंगाना 11. पश्चिम बंगाल 12. मेघालय 13. मिजोरम 14. त्रिपुरा 15. सिक्किम 16. नागालैंड 17. मणिपुर
संपत्ति कर बोर्ड के कार्यों को राज्य अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।	16	तेलंगाना को छोड़कर, उन सभी राज्यों में वर्णित जहां संपत्ति कर बोर्ड मौजूद है।

संपत्ति कर का निर्धारण

स्व-निर्धारण के लिए प्रावधान	16	1.	बिहार
		2.	पंजाब
		3.	छत्तीसगढ़
		4.	हरियाणा
		5.	जम्मू एवं कश्मीर
		6.	उत्तराखंड
		7.	कर्नाटक (केवल नगरपालिकाएं)
		8.	आंध्र प्रदेश
		9.	दिल्ली
		10.	ओडिशा
		11.	तेलंगाना
		12.	उत्तर प्रदेश
		13.	उत्तराखंड
		14.	पश्चिम बंगाल
		15.	मिजोरम
		16.	सिक्किम
निर्धारण की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया (स्व-निर्धारण या नगरपालिका/नगर निगम द्वारा किया गया निर्धारण)	1	1.	गोवा (केवल नगरपालिकाएं)
स्व-निर्धारणों को विलंब से प्रस्तुत करने हेतु शास्ति का प्रावधान	11	1.	बिहार
		2.	पंजाब
		3.	छत्तीसगढ़
		4.	हरियाणा

		5. जम्मू एवं कश्मीर 6. उत्तराखंड 7. मध्य प्रदेश (केवल नगरपालिकाएं) 8. दिल्ली 9. तेलंगाना 10. उत्तर प्रदेश (केवल नगर निगम) 11. उत्तराखंड (केवल नगर निगम)
राजस्व व्यय के आकलन के लिए छूट दी गई संपत्तियों के संपत्ति कर परिकलन करने हेतु प्रावधान की संभाव्यता	0	
	बिलिंग एवं संग्रह	
संपत्ति कर संग्रह डाटा या डिफॉल्टर के डाटा के प्रकटन के लिए प्रावधान	0	
भुगतान नहीं करने या विलंब से करने के लिए शास्ति का प्रावधान	19	1. पंजाब 2. गुजरात (केवल नगर निगम) 3. हरियाणा (केवल नगर निगम) 4. हिमाचल प्रदेश (केवल नगर निगम) 5. कर्नाटक 6. मध्य प्रदेश (केवल नगरपालिकाएं) 7. दिल्ली 8. ओडिशा 9. तमिलनाडु (केवल चैन्नई नगर निगम) 10. तेलंगाना

11. उत्तर प्रदेश (केवल नगर निगम)
12. उत्तराखंड (केवल नगर निगम)
13. पश्चिम बंगाल
14. अरूणाचल प्रदेश
15. गुवाहाटी नगर निगम
16. मेघालय
17. मिजोरम
18. त्रिपुरा
19. नागालैंड

स्रोतः जनाग्रह द्वारा किया गया अध्ययन

अनुलग्नक 7.2
(पैरा 7.62, 7.93)

राज्य-वार अनुदानों को निर्धारित करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली

पंचाट अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति वर्ष अनुदान (करोड़ रुपए)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
स्टेप 1	67015	69421	71240	75453	74731	357860

स्टेप 2 **आरएलबी और यूएलबी की हिस्सेदारी**

2021-22 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)		2022-23 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)		2023-24 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)		2024-25 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)		2025-26 (आरएलबी: यूएलबी 65:35)		कुल अनुदान	
आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी
44901	22114	46513	22908	47018	24222	49800	25653	48573	26158	236805	121055

स्टेप 3 आबादी के लिए 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल के लिए 10 प्रतिशत भारांक के आधार पर सभी राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी

स्टेप 4 आरएलबी एवं यूएलबी हेतु प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदानों को स्टेप 3 में इंगित हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित किया गया है।

स्टेप 5 प्रत्येक राज्य के भीतर यूएलबी अनुदानों को मिलियन-प्लस एवं मिलियन-प्लस शहरों के अलावा अन्य शहरों के बीच उनकी संबंधित आबादी के आधार पर पुनःविभाजित किया गया है।

उदाहरण – उत्तर प्रदेश

पंचाट अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति वर्ष अनुदान करोड़ रु.

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
स्टेप 1	67015	69421	71240	75453	74731	357860

स्टेप 2 **आरएलबी और यूएलबी की हिस्सेदारी**

2021-22 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)		2022-23 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)		2023-24 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)		2024-25 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)		2025-26 (आरएलबी: यूएलबी 65:35)		कुल अनुदान	
आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी
44901	22114	46513	22908	47018	24222	49800	25653	48573	26158	236805	121055

स्टेप 3 आबादी के लिए 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल के लिए 10 प्रतिशत भारांक के आधार पर सभी राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी
उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी - 16.052

स्टेप 4 आरएलबी एवं यूएलबी हेतु प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदानों को स्टेप 3 में इंगित हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित किया गया है।

2021-22 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)		2022-23 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)		2023-24 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)		2024-25 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)		2025-26 (आरएलबी: यूएलबी 65:35)		कुल अनुदान	
आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी
7208	355	7466	3677	7547	3888	7994	4118	7797	4199	38012	19432

स्टेप 5 प्रत्येक राज्य के भीतर यूएलबी अनुदानों को मिलियन-प्लस एवं मिलियन-प्लस शहरों के अलावा अन्य शहरों के बीच उनकी संबंधित आबादी के आधार पर पुनःविभाजित किया गया है।

आबादी मिलियन में		
मिलियन-प्लस शहरों की आबादी	मिलियन-प्लस के अलावा शहर	कुल आबादी
14.03 (क)	32.1(ख)	46.1(ग)

अनुदान (करोड़ रु.)

उत्तर प्रदेश	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
कुल यूएलबी अनुदान (घ)	3550	3677	3888	4118	4199	19432
मिलियन-प्लस #	1080	1119	1183	1253	1278	5913
मिलियन-प्लस के अलावा##	2470	2558	2705	2865	2921	13519

#क/ग*घ
ख/ग*घ

अनुलग्नक 7.3
(पैरा 7.62, 7.93)

आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों की हिस्सेदारी

राज्य	आबादी 2011 (मिलियन में)	क्षेत्रफल ('000 वर्ग कि.मी.)	आबादी अंश	क्षेत्रफल अंश	राज्य-वार अंश (आरएलबी)	राज्य-वार अंश (यूएलबी)
आंध्र प्रदेश	49.58	162.92	4.21	5.33	4.32	4.32
अरूणाचल प्रदेश	1.38	83.74	0.12	2.74	0.38	0.38
असम	31.21	78.44	2.65	2.57	2.64	2.64
बिहार	104.1	94.16	8.84	3.08	8.26	8.26
छत्तीसगढ़	25.55	135.19	2.17	4.43	2.39	2.39
गोवा	1.46	3.70	0.12	0.12	0.12	0.12
गुजरात	60.44	196.24	5.13	6.43	5.26	5.26
हरियाणा	25.35	44.21	2.15	1.45	2.08	2.08
हिमाचल प्रदेश	6.86	55.67	0.58	1.82	0.71	0.71
झारखंड	32.99	79.72	2.80	2.61	2.78	2.78
कर्नाटक	61.1	191.79	5.19	6.28	5.29	5.29
केरल	33.41	38.85	2.84	1.27	2.68	2.68
मध्य प्रदेश	72.63	308.25	6.16	10.09	6.56	6.56
महाराष्ट्र	112.37	307.71	9.54	10.07	9.59	9.59
मणिपुर	2.86	22.33	0.24	0.73	0.29	0.29
मेघालय	2.97	22.43	0.25	0.73	0.30	0.30
मिजोरम	1.1	21.08	0.09	0.69	0.15	0.15
नागालैंड	1.98	16.58	0.17	0.54	0.21	0.21
ओडिशा	41.97	155.71	3.56	5.10	3.72	3.72
पंजाब	27.74	50.36	2.35	1.66	2.29	2.29
राजस्थान	68.55	342.24	5.82	11.21	6.36	6.36
सिक्किम	0.61	7.10	0.05	0.23	0.07	0.07
तमिलनाडु	72.15	130.06	6.12	4.26	5.94	5.94
तेलंगाना	35	112.12	2.97	3.67	3.04	3.04
त्रिपुरा	3.67	10.49	0.31	0.34	0.31	0.31
उत्तर प्रदेश	199.81	240.93	16.96	7.89	16.05	16.05
उत्तराखंड	10.09	53.48	0.86	1.75	0.95	0.95
पश्चिम बंगाल	91.28	88.75	7.75	2.91	7.26	7.26
सभी राज्य	**1178.19**	**3054.27**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

अनुलग्नक 7.4
(पैरा 7.62, 7.93

ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष-वार अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)		2022-23 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)		2023-24 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)		2024-25 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)		2025-26 (आरएलबी:यूएलबी 65:35)		कुल	
	अनुदान आरएलबी	अनुदान यूएलबी	अनुदान आरएलबी	अनुदान यूएलबी	अनुदान आरएलबी	अनुदान यूएलबी	अनुदान आरएलबी	अनुदान यूएलबी	अनुदान आरएलबी	अनुदान यूएलबी	कुल आरएलबी	कुल यूएलबी
आंध्र प्रदेश	1939	956	2010	990	2031	1046	2152	1109	2099	1130	10231	5231
अरूणाचल प्रदेश	170	84	177	87	179	92	189	97	185	99	900	459
असम	1186	584	1228	605	1241	640	1315	677	1283	691	6253	3197
बिहार	3709	1827	3842	1892	3884	2001	4114	2119	4012	2160	19561	9999
छत्तीसगढ़	1075	530	1114	549	1125	580	1192	614	1163	627	5669	2900
गोवा	55	27	57	28	58	30	62	32	61	32	293	149
गुजरात	2362	1163	2446	1205	2473	1274	2619	1349	2555	1376	12455	6367
हरियाणा	935	461	968	477	979	504	1036	534	1011	544	4929	2520
हिमाचल प्रदेश	317	156	329	162	332	171	352	181	343	185	1673	855
झारखंड	1249	615	1293	637	1307	674	1385	713	1351	728	6585	3367
कर्नाटक	2377	1171	2463	1213	2490	1282	2637	1358	2572	1385	12539	6409
केरल	1203	592	1246	613	1260	649	1334	687	1301	701	6344	3242
मध्य प्रदेश	2944	1450	3050	1502	3083	1588	3265	1682	3185	1716	15527	7938
महाराष्ट्र	4307	2121	4461	2197	4510	2323	4776	2461	4659	2509	22713	11611
मणिपुर	131	64	135	67	137	71	145	75	142	76	690	353
मेघालय	135	66	140	69	141	73	149	77	146	78	711	363
मिजोरम	69	34	71	35	72	37	76	39	74	40	362	185
नागालैंड	92	45	96	47	97	50	102	53	99	54	486	249
ओडिशा	1669	822	1728	851	1747	900	1851	953	1805	972	8800	4498
पंजाब	1026	505	1062	523	1074	553	1138	586	1110	597	5410	2764
राजस्थान	2854	1406	2957	1456	2989	1540	3166	1631	3087	1663	15053	7696
सिक्किम	31	15	33	16	33	17	35	18	33	18	165	84
तमिलनाडु	2666	1313	2761	1360	2791	1438	2957	1523	2884	1553	14059	7187
तेलंगाना	1365	672	1415	697	1430	737	1514	780	1477	796	7201	3682
त्रिपुरा	141	70	147	72	148	76	157	81	153	82	746	381
उत्तर प्रदेश	7208	3550	7466	3677	7547	3888	7994	4118	7797	4199	38012	19432
उत्तराखंड	425	209	440	217	445	229	471	243	458	247	2239	1145
पश्चिम बंगाल	3261	1606	3378	1664	3415	1759	3617	1863	3528	1900	17199	8792
सभी राज्य	**44901**	**22114**	**46513**	**22908**	**47018**	**24222**	**49800**	**25653**	**48573**	**26158**	**236805**	**121055**

अनुलग्नक 7.5
(पैरा 7.128)

शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष-वार अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	श्रेणी I						श्रेणी II (मिलियन-प्लस शहरों के अलावा शहर)					
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
आंध्र प्रदेश	204	211	223	237	241	1116	752	779	823	872	889	4115
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	84	87	92	97	99	459
असम	0	0	0	0	0	0	584	605	640	677	691	3197
बिहार	309	320	338	358	365	1690	1518	1572	1663	1761	1795	8309
छत्तीसगढ़	163	169	178	189	193	892	367	380	402	425	434	2008
गोवा	0	0	0	0	0	0	27	28	30	32	32	149
गुजरात	612	634	671	710	724	3351	551	571	603	639	652	3016
हरियाणा	74	76	81	85	87	403	387	401	423	449	457	2117
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	156	162	171	181	185	855
झारखंड	241	249	264	279	285	1318	374	388	410	434	443	2049
कर्नाटक	421	436	461	488	498	2304	750	777	821	870	887	4105
केरल	256	265	281	297	303	1402	336	348	368	390	398	1840
मध्य प्रदेश	452	468	495	524	535	2474	998	1034	1093	1158	1181	5464
महाराष्ट्र	1199	1242	1313	1391	1418	6563	922	955	1010	1070	1091	5048
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	64	67	71	75	76	353
मेघालय	0	0	0	0	0	0	66	69	73	77	78	363
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	34	35	37	39	40	185
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	45	47	50	53	54	249
ओडिशा	0	0	0	0	0	0	822	851	900	953	972	4498
पंजाब	135	140	148	157	160	740	370	383	405	429	437	2024
राजस्थान	425	440	466	493	503	2327	981	1016	1074	1138	1160	5369
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	15	16	17	18	18	84
तमिलनाडु	420	435	460	487	497	2299	893	925	978	1036	1056	4888
तेलंगाना	354	367	388	411	419	1939	318	330	349	369	377	1743
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	70	72	76	81	82	381
उत्तर प्रदेश	1080	1119	1183	1253	1278	5913	2470	2558	2705	2865	2921	13519
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	209	217	229	243	247	1145
पश्चिम बंगाल	633	656	693	734	749	3465	973	1008	1066	1129	1151	5327
कुल	**6978**	**7227**	**7643**	**8093**	**8255**	**38196**	**15136**	**15681**	**16579**	**17560**	**17903**	**82859**

अनुलग्नक 7.6 (जारी)
(पैरा 7.106)

मिलियन प्लस शहरी एग्लोमरेशन के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य/यू.ए.	आबादी (मिलियन में)	कुल अनुदान (रु. करोड़)	एस डब्ल्यू एम एवं स्वच्छता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	वायु गुणवत्ता[1]	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	**3.21**	**1116**	**745**	**136**	**141**	**149**	**158**	**161**	**371**	**68**	**70**	**74**	**79**	**80**
विजयवाड़ा यू. ए.	1.48	514	344	63	65	69	73	74	170	31	32	34	36	37
विशाखापट्नम	1.73	602	401	73	76	80	85	87	201	37	38	40	43	43
बिहार	**2.05**	**1690**	**1126**	**206**	**213**	**225**	**239**	**243**	**564**	**103**	**107**	**113**	**119**	**122**
पटना यू. ए.	2.05	1690	1126	206	213	225	239	243	564	103	107	113	119	122
छत्तीसगढ़	**2.18**	**892**	**595**	**109**	**113**	**118**	**126**	**129**	**297**	**54**	**56**	**60**	**63**	**64**
दुर्ग भिलाई नगर यू. ए.	1.06	433	289	53	55	57	61	63	144	26	27	29	31	31
रायपुर यू. ए.	1.12	459	306	56	58	61	65	66	153	28	29	31	32	33
गुजरात	**14.16**	**3351**	**2235**	**408**	**422**	**448**	**474**	**483**	**1116**	**204**	**212**	**223**	**236**	**241**
अहमदाबाद यू. ए.	6.36	1504	1003	183	189	201	213	217	501	92	95	100	106	108
राजकोट यू. ए.	1.39	329	219	40	42	44	46	47	110	20	21	22	23	24
सूरत यू. ए.	4.59	1087	725	132	137	145	154	157	362	66	69	72	77	78
वड़ोदरा यू. ए.	1.82	431	288	53	54	58	61	62	143	26	27	29	30	31
हरियाणा	**1.41**	**403**	**269**	**49**	**51**	**54**	**57**	**58**	**134**	**25**	**25**	**27**	**28**	**29**
फरीदाबाद	1.41	403	269	49	51	54	57	58	134	25	25	27	28	29
झारखंड	**3.67**	**1318**	**879**	**161**	**166**	**176**	**186**	**190**	**439**	**80**	**83**	**88**	**93**	**95**
धनबाद यू. ए.	1.2	432	289	53	54	58	61	63	143	26	27	29	30	31
जमशेदपुर यू. ए.	1.34	481	321	59	61	64	68	69	160	29	30	32	34	35
रांची यू. ए.	1.13	405	269	49	51	54	57	58	136	25	26	27	29	29
कर्नाटक	**8.52**	**2304**	**1536**	**281**	**291**	**307**	**325**	**332**	**768**	**140**	**145**	**154**	**163**	**166**
वृहत बंगलौर यू. ए.	8.52	2304	1536	281	291	307	325	332	768	140	145	154	163	166
मध्यप्रदेश	**6.43**	**2474**	**1649**	**301**	**311**	**330**	**350**	**357**	**825**	**151**	**157**	**165**	**174**	**178**
भोपाल यू. ए.	1.89	726	485	88	91	97	103	106	241	44	46	48	51	52
ग्वालियर यू. ए.	1.1	425	283	52	53	57	60	61	142	26	27	28	30	31
इंदौर यू. ए.	2.17	835	556	102	105	111	118	120	279	51	53	56	59	60
जबलपुर यू. ए.	1.27	488	325	59	62	65	69	70	163	30	31	33	34	35

राज्य/यू.ए.	आबादी (मिलियन में)	कुल अनुदान (रु. करोड़)	एस डब्ल्यू एम एवं स्वच्छता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	वायु गुणवत्ता[1]	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
महाराष्ट्र	**29.92**	**6563**	**4375**	**799**	**827**	**875**	**928**	**946**	**2188**	**400**	**415**	**438**	**463**	**472**
औरंगाबाद यू. ए.	1.19	262	175	32	33	35	37	38	87	16	17	17	18	19
ग्रेटर मुंबई यू. ए.	18.39	4031	2687	490	508	537	571	581	1344	246	254	269	285	290
नागपुर यू. ए.	2.5	548	365	67	69	73	77	79	183	33	35	37	39	39
नासिक यू. ए.	1.56	343	228	42	43	46	48	49	115	21	22	23	24	25
पुणे यू. ए.	5.06	1110	740	135	140	148	157	160	370	68	70	74	78	80
वसाई-विरार शहर	1.22	269	180	33	34	36	38	39	89	16	17	18	19	19
पंजाब	**2.8**	**740**	**492**	**90**	**93**	**98**	**105**	**106**	**248**	**45**	**47**	**50**	**52**	**54**
अमृतसर यू. ए.	1.18	312	207	38	39	41	44	45	105	19	20	21	22	23
लुधियाना	1.62	428	285	52	54	57	61	61	143	26	27	29	30	31
राजस्थान	**5.19**	**2327**	**1553**	**284**	**294**	**311**	**328**	**336**	**774**	**141**	**146**	**155**	**165**	**167**
जोधपुर यू. ए.	1.14	510	340	62	64	68	72	74	170	31	32	34	36	37
जयपुर	3.05	1368	913	167	173	183	193	197	455	83	86	91	97	98
कोटा	1	449	300	55	57	60	63	65	149	27	28	30	32	32
तमिलनाडु	**13.27**	**2299**	**1655**	**303**	**313**	**331**	**350**	**358**	**644**	**117**	**122**	**129**	**137**	**139**
चैन्नई यू. ए.	8.65	1497	997	183	189	199	211	215	500	91	95	100	106	108
कोयम्बतूर यू. ए.	2.13	369	369	67	70	74	78	80						
मदुरै यू. ए.	1.47	254	170	31	32	34	36	37	84	15	16	17	18	18
तिरुचिरापल्ली यू.ए.	1.02	179	119	22	22	24	25	26	60	11	11	12	13	13
तेलंगाना	**7.68**	**1939**	**1293**	**236**	**245**	**259**	**274**	**279**	**646**	**118**	**122**	**129**	**137**	**140**
हैदराबाद यू. ए.	7.68	1939	1293	236	245	259	274	279	646	118	122	129	137	140
उत्तर प्रदेश	**14.03**	**5913**	**3943**	**720**	**746**	**788**	**836**	**853**	**1970**	**360**	**373**	**395**	**417**	**425**
आगरा यू. ए.	1.76	742	495	90	94	99	105	107	247	45	47	50	52	53
इलाहाबाद यू. ए.	1.21	510	340	62	64	68	72	74	170	31	32	34	36	37
गाजियाबाद यू. ए.	2.38	1002	668	122	126	134	142	144	334	61	63	67	71	72
कानपुर यू. ए.	2.92	1233	822	150	156	164	174	178	411	75	78	82	87	89
लखनऊ यू. ए.	2.9	1223	815	149	154	162	173	177	408	75	77	82	86	88
मेरठ यू. ए.	1.42	599	400	73	76	80	85	86	199	36	38	40	42	43
वाराणसी यू. ए.	1.43	604	403	74	76	81	85	87	201	37	38	40	43	43

राज्य/यू.ए.	आबादी (मिलियन में)	कुल अनुदान (रु. करोड़)	एस डब्ल्यू एम एवं स्वच्छता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	वायु गुणवत्ता[1]	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
पश्चिम बंगाल	**15.3**	**3465**	**2310**	**422**	**437**	**462**	**489**	**500**	**1155**	**211**	**219**	**231**	**245**	**249**
आसनसोल यू. ए.	1.24	283	189	34	36	38	40	41	94	17	18	19	20	20
कोलकाता यू. ए.	14.06	3182	2121	388	401	424	449	459	1061	194	201	212	225	229
केरल	**12.14**	**1402**	**1402**	**256**	**265**	**281**	**297**	**303**						
कन्नूर यू. ए.	1.64	189	189	35	36	38	39	41						
कोच्चि यू. ए.	2.12	245	245	45	46	49	52	53						
कोल्लम यू. ए.	1.11	128	128	23	24	26	27	28						
कोझीकोड यू. ए.	2.03	235	235	43	44	47	50	51						
मल्लाप्पुरम यू. ए.	1.7	196	196	36	37	39	42	42						
तिरुवनंतपुरम यू. ए.	1.68	194	194	35	37	39	41	42						
त्रिशूर यू. ए.	1.86	215	215	39	41	43	46	46						
कुल	**141.9**	**38196**	**26057**	**4761**	**4928**	**5212**	**5522**	**5634**	**12139**	**2217**	**2299**	**2431**	**2571**	**2621**

[1] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, परिवेशी वायु गुणवत्ता मिलियन-प्लस आबादी के साथ आठ एग्लोमरेशन, यानी केरल में कन्नूर, कोच्चि, कोल्लम, कोझीकोड, मलाप्पुरम, तिरुवनंतपुरम एवं त्रिचूर और तमिलनाडु में कोयम्बटूर में कोई समस्या नहीं है। चूंकि ये शहर प्रदूषक प्रदार्थ द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के लिए एनएएमपी थ्रेशहोल्ड से काफी नीचे है, उनके कुल अनुदानों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-स्टार-रेटिंग, पेयजल, जल पुनर्चक्रण वर्षा जल संचयन के संबंध में सेवा-स्तरीय बैंचमार्कों से संबद्ध किया जाएगा।

अनुलग्नक 7.7
(पैरा 7.134)

राज्य-वार छावनी बोर्ड

क्र. सं.	राज्य का नाम	छावनी का नाम	2011 की जनणना के अनुसार आबादी के आंकड़े
1	बिहार	दानापुर	28149
2	गुजरात	अहमदाबाद	14345
3	हरियाणा	अंबाला	55370
4	हिमाचल प्रदेश	बकलोह	1805
		डगशाई	2904
		डलहौजी	3549
		जुतोघ	2062
		कसौली	3885
		खसौल	12028
		सुबाथु	3685
5	झारखंड	रामगढ़	88781
6	कर्नाटक	बेलगाम	19411
7	केरल	कैनानोर	4798
8	मध्य प्रदेश	जबलपुर	72257
		महू	69281
		मोरार	48464
		पचमढ़ी	12062
		सागर	32475
9	महाराष्ट्र	अहमदनगर	28986
		औरंगाबाद	18051
		देहू रोड	48961
		देवलाली	54027
		कामटी	12457
		किरकी	70399
		पुणे	71831
10	मेघालय	शिलांग	11919
11	पंजाब	अमृतसर	10410
		फिरोजपुर	53199
		जालंधर	47845

12	राजस्थान	अजमेर	3530
		नसीराबाद	50804
13	तमिलनाडु	सेंट थॉमस माउंट	43795
		वेलिंगटन	19462
14	तेलंगाना	सिकंदराबाद	217910
15	उत्तर प्रदेश	आगरा	53137
		इलाहाबाद	39684
		बबीना	27852
		बरेली	30005
		फैजाबाद	12391
		फतेहगढ़	14786
		झांसी	28343
		कानपुर	108534
		लखनऊ	63003
		मथुरा	25603
		मेरठ	93684
		शाहजहांपुर	18116
		वाराणसी	14119
16	उत्तराखंड	अल्मोड़ा	2231
		चकराता	5117
		क्लेमेंट टाउन	22577
		देहरादून	52716
		लेन्दोर	3543
		लैंसडाउन	5667
		नैनीताल	1398
		रानीखेत	18886
		रुड़की	14356
17	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर	17322
		जलपहाड़	1711
		लेबोंग	1397
	कुल		**1915075**

अनुलग्नक 7.8
(पैरा 7.114, 7.115, 7.126)

वायु गुणवत्ता पैरामीटर की निगरानी और वित्तपोषण के लिए फ्रेमवर्क

क. प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढ़ीकरण

ख. वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण

ग. कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन

घ. वायु गुणवत्ता में सुधार का मापन

नोटः उपरोक्त पैरामीटरों हेतु कार्यकलापों के लिए संघटक/एलीमेंट्स अनुलग्नक 7.8 क में दिए गए हैं।

तालिकाः 1 शहर के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सापेक्ष भारांक

पैरामीटर	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढ़ीकरण	10	-	-	-	-
वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण	10	-	-	-	-
कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन	10	-	-	-	-
वायु गुणवत्ता में सुधार का मापन	70	100	100	100	100
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

तालिका 2: शहरों के लिए निधि का आबंटन (निष्पादन आधारित)

शहर का स्कोर	उत्तरवर्ती वर्षों में निधि आवंटन (%) 2021-2022 से
80-100	100
60-80	75
50-60	50
40-50	25
40 से कम	शून्य

अनुलग्नक 7.8 क

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के तत्त्व (एलीमेंट्स)

क. प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढ़ीकरण

i. वायु गुणवत्ता निगरानी (एक्यूएम) प्रकोष्ठ को कार्यशील बनाना।

ii. आईटी-समर्थित वायु गणुवत्ता डाटा प्रबंधन प्रणाली।

iii. लोक शिकायत निवारण पोटर्ल, आपातकालीन रिस्पोंस एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा शहर की कार्य योजनाओं की समीक्षा और प्रगति सहित समन्वय समिति द्वारा समीक्षा करना।

ख. वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण

i. संवेदनशील स्थानों सहित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने हेतु वायु गुणवत्ता प्रोफाइलिंग।

ii. सोर्स अपॉर्शन्मेंट स्टडी और एक उत्कृष्ट एमीशन इन्वेंट्री की स्थापना और ट्रेकिंग सिस्टम।

iii. आईटी आधारित एमीशन इनवेट्री सिस्टम का विकास।

ग. कार्ययोजनाओं की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन

i. कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन और अपडेशन।

ii. वाहनों के लिए पीयूसी की निगरानी।

iii. अवसंरचना योजना और उसकी स्थापना (CAAQMS/ मेनुअल AQMs)।

घ. वायु गुणवत्ता सुधारों का मापन और मूल्यांकन

i. वायु प्रदूषण स्तरों में गिरावट (प्रदूषक प्रदार्थ) (ब्यौरा अनुलग्नक 7.8 ख पर है)।

ii. एक्यूआई स्तरों को पार करने की बारंबारता (अनुलग्नक 7.8 ख)।

अनिवार्य कार्यकलाप/शर्तें:

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहचान की गई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन।

ii. यूएलबी वेबसाइट पर डेडिकेटिड लिंक और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, डाटा और सावर्जनिक पटल पर अन्य पहलुओं की रिपोर्टिंग।

iii. जनसाधारण तक डाटा का प्रसार।

अनुलग्नक 7.8 ख

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के तत्त्व

'D' के लिए मिश्रित निष्पादन कारक का निर्धारण करने के लिए पैरामीटर्स

I. प्रदूषक प्रदार्थ

1. अंतर्राष्ट्रीय रीति के आधार पर, किसी शहर की वायु गुणवत्ता की मूल विशेषताओं को परिलक्षित करने हेतु 98 प्रतिशत मान (वैल्यू) पर विचार किया जा सकता है और इस मान में कोई भी गिरावट सुधार का सूचक होगा।

2. वर्ष के सभी सामान्य दिनों में पाई गई अधिकतम PM सघनता (PM 98) के 90 प्रतिशत मान से कम प्रतिशत गिरावट को निम्न प्रकार ग्रेड दिया जाएगाः

तालिका क

क्र. सं.	गिरावट (%) रेंज (PM98)	सुधार
1	15 और इससे अधिक	उच्च
2	<15	न्यून

3. सामान्य दिवसों को प्रत्येक शहर द्वारा प्रत्येक मौसम के लिए महत्वपूर्ण मौसम विज्ञान पैरामीटरों के सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर मौसम विज्ञान विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

II. एक्यूआई स्तर

1. प्रति वर्ष निगरानी किए गए कुल सामान्य दिवसों की कुल संख्या में से एक्यू आई (मध्यम-200) को पार करने वाले दिनों की ग्रेडिंग निम्न प्रकार की जाएगीः

2. अच्छे दिन - AQI< 200;

तालिका ख

क्र. सं.	अच्छे दिनों में बढ़ोत्तरी (%)	सुधार
1	15 और इससे अधिक	उच्च
2	<15	न्यून

एक्यूआई की निगरानी में उन उपयुक्त भारांकों के साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, जिन्हें किसी निश्चित शहरी एग्लोमरेशन में वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया गया हो:

3. खुले में कूड़ा-कचरा जलाने और कचराभराव स्थलों में जलाए गए कूड़े से निकलने वाले रासायनिक प्रदार्थ की निगरानी और एक ऐप का विकास, जिससे नागरिकों को तस्वीरों के साथ रिपोर्टिंग करने की सुविधा मिल सके।

4. प्रत्येक शहर में अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र में रिसाव (प्रोसेस-ट्रेसिंग) का पता लगाना कि अपशिष्ट प्रबंधन में ब्रेकडाउन कहां आया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के तत्त्व

D के लिए मिश्रित निष्पादन कारक

क्र. सं.	गिरावट (%) रेंज (PM 98) (तालिका 'क' से)	अच्छे दिनों में वृद्धि (%) (तालिका 'ख' से)	निष्पादन कारक
1	उच्च	उच्च	100
2	न्यून	उच्च	75
3	उच्च	न्यून	50
4	न्यून	न्यून	25

अनुलग्नक 7.9

(पैरा 7.123, 7.127)

सेवा स्तरीय बैंचमार्क
जलापूर्ति
पाइप लाईन के जरिए जलापूर्ति से कवर किए गए परिवार
प्रति व्यक्ति प्रति दिन आपूर्ति किया गया जल (लीटर में)
गैर-राजस्व जल की आपूर्ति में गिरावट
जल संरक्षण उपाय
वर्षा जल संचयन
जल का पुनःउपयोग/पुनर्चक्रण
जल निकायों का पुनरुद्धार
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन को कायम रखने के परिणाम
कूड़ा-कचरा (गारबेज) मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग
सावर्जनिक / सामुदायिक शौचालयों के लिए जलापूर्ति की कवरेज

शहरों की स्टार रेटिंग[2]

शहरों के लिए गारबेज मुक्त स्टार रेटिंग सत्यापन केवल 1,3,5 और 7 स्टार के लिए की गई है। शहरों को ऑनलाइन एमआईएस और शहर की प्रोफाइल पर समस्त डाटा भरना होगा, जिसका बाद में उपयोग ओडीफ/ओडीफ+/ओडीएफ++ सत्यापनों सहित संपूर्ण प्रमाणन तथा स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। शहरों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे कुछ निर्धारित पैरामीटरों एवं मार्किंग कार्यविधि के आधार पर किसी भी स्टार के सापेक्ष स्वयं को घोषित करें। राज्य मिशन निदेशालय से औपचारिक अनुरोध प्राप्त करने के पश्चात, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुबंधित एजेंसी द्वारा थर्ड पार्टी सत्यापन कराया जाए। औपचारिक अनुरोध की प्राप्ति के बाद प्रथम स्तर के मूल्यांकन में शहरों के दावों तथा उसके समर्थन में दस्तावेजों का डैस्कटॉप मूल्यांकन किया जाता है। किसी शहर के दावों के समर्थन में दिए गए किसी दस्तावेज/डाटा को निरस्त करने से पहले एक टाइम विंडो दी जाती है और शहर के दावे का भौतिक

[2] आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से इनपुट।

प्रमाणन प्रतिदर्श (sample) आधार पर किया जाता है। जियो-टैगिंग के साथ भौतिक प्रमाणन की सभी तस्वीरों/फोटों को पोटर्ल में अपलोड किया जाता है। डैस्कटॉप मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात थर्ड पार्टी एजेंसी शहर में जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्थिति का जायजा लेकर उसका प्रमाणन करती है, और किसी शहर को किसी भी स्टार के रूप में सत्यापित करने से पहले नागरिकों द्वारा दी गई फीडबैक के साथ प्रत्येक पैरामीटर के लिए औचक रूप से लिए गए प्रतिदर्शी (sampled) जांच करती है।

किसी शहर के लिए किसी भी स्टार की घोषणा करने हेतु इस संबंध में कुछ अनिवार्य पूर्व-शर्तें हैंः

- 1-स्टारः वैध ओडीएफ प्रमाणित
- 3-स्टारः वैध ओडीएफ + प्रमाणित (अर्थात, सामुदायिक एवं सावर्जनिक शौचालयों की साफ-सफाई तथा उसे कायम रखने की सुनिश्चिता)
- 5-स्टारः वैध ओडीएफ ++ प्रमाणित (अर्थात सामुदायिक एवं सावर्जनिक शौचालयों की साफ-सफाई और उसे कायम रखे जाने और मलीय गाद एवं कीचड़ को सुरक्षित रूप के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान को सुनिश्चित करना।)
- 7-स्टारः वैध ओडीएफ-एसएस प्रमाणित।

स्वच्छता संबंधी सभी पहलुओं को संपूर्णतावादी प्रक्रिया में कवर करने हेतु उपरोक्त सभी ओडीएफ प्रमाणन पुनः आवासान और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित गहन प्रोटोकोल पर आधारित, और स्वतंत्र थर्ड पार्टी के माध्यम से प्रमाणित किए जाने के बाद सत्यापित किया जाना है।

विभिन्न घटकों/संकेतकों से संबद्ध विस्तृत स्कोरिंग मैट्रिक्स को नीचे तालिका में दिया गया है। प्रत्येक घटक के अंतर्गत, मार्किंग विभिन्न पैरामीटरों के अनुपालन स्तर के आधार पर लेवल 1, 2, 3 एवं 4 के लिए की गई है, और किसी शहर की समग्र मार्किंग प्राप्त करने हेतु एक उपयुक्त भारांक निर्धारित किया गया है। अनिवार्य, आवश्यक और वांछनीय के लिए कुल अंक/मार्क्स क्रमशः 1000, 1000 एवं 500 हैं। प्रत्येक घटक/संकेतक के लिए एक उपयुक्त भारांक दिया गया है। अनुपालन स्तर के तहत किसी खास घटक हेतु प्राप्त अंक के लिए उपयुक्त भारांक दिया जाएगा। अनिवार्य, आवश्यक और वांछनीय के तहत सही पाए गए शहर को तालिका में दिए गए वर्णन के आधार पर परखा जाएगा। उपरोक्त प्रत्येक संकेतक को नीचे दर्शाया गया है।

घटक/शर्त

अनिवार्य		
वार्ड स्तर पर	M1	घर-घर से कूड़ा एकत्र करना
	M2	वार्ड स्तर पर पृथककरण
	M3	झाड़ू लगाना
	M4	कचरा धानी (litter bins)
	M5	स्टोरेज बिन्स
शहर स्तर पर	M6	अपशिष्ट प्रसंस्करण – गीला अपशिष्ट
	M7	अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता - गीला अपशिष्ट
	M8	अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता - गीला अपशिष्ट
	M9	अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता - सूखा अपशिष्ट
	M10	शिकायत निवारण
आवश्यक		
वार्ड स्तर पर	E1	भारी मात्रा में अपशिष्ट सृजक/जनरेटर
	E2	शास्ति / स्पॉट शास्ति
शहर स्तर पर	E3	शहर स्तर पर पृथककरण
	E4	प्रयोक्ता शुल्क
	E5	प्लास्टिक पर प्रतिबंध
	E6	नवनिर्माण एवं पुराने निर्माण को गिराना (सी एवं डी)अपशिष्ट-संग्रह
	E7	साइंटिफिक लैंडफिल - उपलब्धता एवं उपयोग
	E8	साइंटिफिक लैंडफिल - निपटाया गया अपशिष्ट
	E9 (A)	जल निकायों और आंधी तूफान के साथ आई बरसात वाले नालों में कोई ठोस अपशिष्ट नहीं देखा जाना
	E9(B)	नालों की जांच
वांछनीय		
वार्ड स्तर पर	D1	संधारणीयता/कायम रखना
शहर स्तर पर	D2	ऑन-साइट गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण
	D3	सी एवं डी अपशिष्ट - स्टोरेज, पृथकरण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण
	D4	सी एवं डी अपशिष्ट - सामग्रियों का उपायेग
	D5	कूड़ा फैंके जाने वाले स्थल/डम्पसाइट का शोधन

गारबेज मुक्त शहरों के लिए मैट्रिस्क – स्टार रेटिंग प्रोटोकोल				
संकेतक	1 स्टार (***)	3 स्टार (***)	5 स्टार (***)	7 स्टार (***)
अनिवार्य	कम से कम 40% स्कोर	कम से कम 60% स्कोर	कम से कम 85% स्कोर	कम से कम 95% स्कोर
आवश्यक	कम से कम 30% स्कोर	कम से कम 50% स्कोर	कम से कम 80% स्कोर	कम से कम 90% स्कोर
वांछनीय -	लागू नहीं	कम से कम 30% स्कोर	कम से कम 60% स्कोर	कम से कम 80% स्कोर

अनुलग्नक 7.10
(पैरा 7.140 से 7.147)

कुल स्वास्थ्य अनुदान[3]

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	490	490	514	540	567	2601
अरूणाचल प्रदेश	49	49	51	54	56	259
असम	280	280	293	308	323	1484
बिहार	1133	1133	1190	1249	1312	6017
छत्तीसगढ़	339	339	356	373	392	1799
गोवा	31	31	33	35	37	167
गुजरात	629	629	661	694	728	3341
हरियाणा	305	305	320	335	352	1617
हिमाचल प्रदेश	98	98	103	108	114	521
झारखंड	446	446	469	492	517	2370
कर्नाटक	552	552	579	608	638	2929
केरल	559	559	587	616	647	2968
मध्य प्रदेश	923	923	969	1018	1069	4902
महाराष्ट्र	1331	1331	1397	1467	1541	7067
मणिपुर	44	44	46	49	51	234
मेघालय	59	59	61	64	68	311
मिजोरम	31	31	33	35	36	166
नागालैंड	57	57	60	63	66	303
ओडिशा	462	462	485	510	535	2454
पंजाब	401	401	421	443	465	2131
राजस्थान	833	833	875	918	964	4423
सिक्किम	21	21	22	23	24	111
तमिलनाडु	806	806	846	889	933	4280
तेलंगाना	419	419	441	463	486	2228
त्रिपुरा	85	85	90	94	99	453
उत्तर प्रदेश	1830	1830	1921	2017	2118	9716
उत्तराखंड	150	150	158	165	174	797
पश्चिम बंगाल	829	829	870	914	960	4402
सभी राज्य	**13192**	**13192**	**13851**	**14544**	**15272**	**70051**

[3] योग राउंडिंग ऑफ के कारण मिलान न हो पाया।

अनुलग्नक 7.10 क-I
(पैरा 7.140)

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता-उप केंद्र

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	54.76	54.76	57.5	60.37	63.39	290.78
अरूणाचल प्रदेश	2.84	2.84	2.98	3.13	3.28	15.07
असम	46.93	46.93	49.28	51.74	54.33	249.21
बिहार	157.11	157.11	164.96	173.21	182.02	834.41
छत्तीसगढ़	39.19	39.19	41.15	43.21	45.37	208.11
गोवा	1.61	1.61	1.69	1.78	1.92	8.61
गुजरात	67.49	67.49	70.87	74.41	78.13	358.39
हरियाणा	25.48	25.48	26.75	28.09	29.49	135.29
हिमाचल प्रदेश	15.38	15.38	16.15	16.8	17.81	81.52
झारखंड	49.83	49.83	52.33	54.94	57.69	264.62
कर्नाटक	71.85	71.85	75.44	79.22	83.18	381.54
केरल	39.61	39.61	41.6	43.68	45.86	210.36
मध्य प्रदेश	102.61	102.61	107.74	113.13	118.78	544.87
महाराष्ट्र	103.91	103.91	109.11	114.56	120.29	551.78
मणिपुर	3.95	3.95	4.15	4.36	4.58	20.99
मेघालय	6.05	6.05	6.23	6.68	7.01	32.02
मिजोरम	2.72	2.72	2.86	3.08	3.15	14.53
नागालैंड	3.19	3.19	3.35	3.52	3.69	16.94
ओडिशा	61.72	61.72	64.81	68.05	71.45	327.75
पंजाब	26.23	26.23	27.54	29.11	30.36	139.47
राजस्थान	100.45	100.45	105.47	110.75	116.28	533.4
सिक्किम	1.3	1.3	1.36	1.43	1.5	6.89
तमिलनाडु	64.16	64.16	67.36	70.73	74.27	340.68
तेलंगाना	34.93	34.93	36.68	38.51	40.44	185.49
त्रिपुरा	7.16	7.16	7.61	7.89	8.28	38.1
उत्तर प्रदेश	255.7	255.7	268.48	281.91	296	1357.79
उत्तराखंड	13.6	13.6	14.28	14.99	15.74	72.21
पश्चिम बंगाल	97.39	97.39	102.26	107.37	112.74	517.15
सभी राज्य	**1457.15**	**1457.15**	**1529.99**	**1606.65**	**1687.03**	**7737.97**

अनुलग्नक 7.10 क-II
(पैरा 7.140)

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता - पीएचसी

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	57.61	57.61	60.49	63.55	66.92	306.18
अरूणाचल प्रदेश	6.96	6.96	7.31	7.68	8.06	36.97
असम	50.65	50.65	53.18	55.84	58.56	268.88
बिहार	172.79	172.79	181.42	190.5	200.22	917.72
छत्तीसगढ़	41.06	41.06	43.11	45.22	47.53	217.98
गोवा	1.17	1.17	1.23	1.29	1.39	6.25
गुजरात	71.88	71.88	75.48	79.25	83.21	381.7
हरियाणा	28.05	28.05	29.45	30.64	32.4	148.59
हिमाचल प्रदेश	28.54	28.54	29.96	31.46	33.04	151.54
झारखंड	52.55	52.55	55.17	57.93	60.83	279.03
कर्नाटक	103.58	103.58	108.76	114.2	119.91	550.03
केरल	49.58	49.58	52.06	54.66	57.39	263.27
मध्य प्रदेश	108.75	108.75	114.18	119.89	125.89	577.46
महाराष्ट्र	111.96	111.96	117.56	123.44	129.61	594.53
मणिपुर	4.38	4.38	4.6	4.83	5.08	23.27
मेघालय	6.04	6.04	6.34	6.46	6.99	31.87
मिजोरम	2.87	2.87	3.02	3.22	3.22	15.2
नागालैंड	6.14	6.14	6.44	6.76	7.1	32.58
ओडिशा	65.5	65.5	68.78	72.41	75.83	348.02
पंजाब	28.88	28.88	30.32	31.84	33.51	153.43
राजस्थान	116.25	116.25	122.06	128.16	134.57	617.29
सिक्किम	1.41	1.41	1.48	1.56	1.64	7.5
तमिलनाडु	69.25	69.25	72.71	76.35	80.17	367.73
तेलंगाना	35.6	35.6	37.49	39.48	41.21	189.38
त्रिपुरा	5.26	5.26	5.63	5.8	6.09	28.04
उत्तर प्रदेश	281.53	281.53	295.61	310.39	325.91	1,494.97
उत्तराखंड	12.52	12.52	13.14	13.8	14.49	66.47
पश्चिम बंगाल	106.02	106.02	111.32	116.88	122.73	562.97
सभी राज्य	**1626.78**	**1626.78**	**1708.30**	**1793.49**	**1883.50**	**8638.85**

अनुलग्नक 7.10 क-III
(पैरा 7.140)

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता - यूपीएचसी

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	14.29	14.29	15.21	15.84	16.63	76.26
अरूणाचल प्रदेश	3.07	3.07	3.3	3.38	3.55	16.37
असम	12.66	12.66	13.3	13.96	14.66	67.24
बिहार	43.2	43.2	45.36	47.63	50.01	229.4
छत्तीसगढ़	10.23	10.23	10.74	11.27	11.84	54.31
गोवा	0.24	0.24	0.26	0.27	0.28	1.29
गुजरात	17.63	17.63	18.51	19.44	20.41	93.62
हरियाणा	7.01	7.01	7.36	7.73	8.12	37.23
हिमाचल प्रदेश	4.24	4.24	4.45	4.67	4.91	22.51
झारखंड	13.1	13.1	13.75	14.44	15.16	69.55
कर्नाटक	16.02	16.02	16.82	17.66	18.55	85.07
केरल	11.05	11.05	11.61	12.19	12.8	58.7
मध्य प्रदेश	27.17	27.17	28.53	29.96	31.46	144.29
महाराष्ट्र	27.96	27.96	29.35	30.82	32.36	148.45
मणिपुर	1.12	1.12	1.17	1.23	1.29	5.93
मेघालय	1.51	1.51	1.59	1.67	1.75	8.03
मिजोरम	0.44	0.44	0.46	0.48	0.51	2.33
नागालैंड	1.02	1.02	1.08	1.13	1.19	5.44
ओडिशा	18.36	18.36	19.28	20.24	21.26	97.5
पंजाब	7.21	7.21	7.57	7.95	8.35	38.29
राजस्थान	27.81	27.81	29.2	30.66	32.19	147.67
सिक्किम	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.78
तमिलनाडु	18.75	18.75	19.69	20.67	21.7	99.56
तेलंगाना	8.86	8.86	9.31	9.77	10.26	47.06
त्रिपुरा	1.27	1.27	1.33	1.4	1.47	6.74
उत्तर प्रदेश	70.37	70.37	73.89	77.58	81.46	373.67
उत्तराखंड	3.26	3.26	3.42	3.6	3.78	17.32
पश्चिम बंगाल	26.49	26.49	27.82	29.21	30.67	140.68
सभी राज्य	**394.49**	**394.49**	**414.51**	**435.01**	**456.79**	**2095.29**

अनुलग्नक 7.10 ख
(पैरा 7.141 एवं 7.142)

ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय अपेक्षाएं

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	134.42	134.42	141.14	148.2	155.61	713.79
अरूणाचल प्रदेश	22.94	22.94	24.09	25.29	26.56	121.82
असम	5.31	5.31	5.58	5.86	6.15	28.21
बिहार	49.47	49.47	51.94	54.54	57.27	262.69
छत्तीसगढ़	13.56	13.56	14.24	14.95	15.7	72.01
गोवा	2.41	2.41	2.53	2.66	2.79	12.8
गुजरात	50.31	50.31	52.82	55.46	58.24	267.14
हरियाणा	28.58	28.58	30	31.5	33.08	151.74
हिमाचल प्रदेश	1.85	1.85	1.95	2.05	2.15	9.85
झारखंड	24.44	24.44	25.66	26.95	28.29	129.78
कर्नाटक	38.23	38.23	40.15	42.15	44.26	203.02
केरल	30.59	30.59	32.12	33.72	35.41	162.43
मध्य प्रदेश	28.99	28.99	30.44	31.96	33.56	153.94
महाराष्ट्र	70.83	70.83	74.37	78.09	82	376.12
मणिपुर	14.09	14.09	14.79	15.53	16.31	74.81
मेघालय	9.25	9.25	9.72	10.2	10.71	49.13
मिजोरम	5.23	5.23	5.49	5.77	6.06	27.78
नागालैंड	14.89	14.89	15.63	16.42	17.24	79.07
ओडिशा	29.08	29.08	30.53	32.06	33.66	154.41
पंजाब	30.18	30.18	31.69	33.28	34.94	160.27
राजस्थान	27.4	27.4	28.77	30.21	31.72	145.5
सिक्किम	6.44	6.44	6.76	7.1	7.45	34.19
तमिलनाडु	77.47	77.47	81.35	85.42	89.69	411.4
तेलंगाना	118.52	118.52	124.45	130.67	137.21	629.37
त्रिपुरा	11.67	11.67	12.26	12.87	13.51	61.98
उत्तर प्रदेश	76.53	76.53	80.36	84.37	88.59	406.38
उत्तराखंड	2.22	2.22	2.33	2.44	2.57	11.78
पश्चिम बंगाल	69.22	69.22	72.69	76.32	80.14	367.59
सभी राज्य	**994.12**	**994.12**	**1043.85**	**1096.04**	**1150.87**	**5279.00**

अनुलग्नक 7.10 ग
(पैरा 7.143 एवं 7.144)

शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (यूएचडब्ल्यूसी) के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	102.88	102.88	108.02	113.48	119.17	546.43
अरूणाचल प्रदेश	5.24	5.24	5.5	5.78	6.07	27.83
असम	69.93	69.93	73.43	77.1	80.95	371.34
बिहार	185.43	185.43	194.71	204.44	214.66	984.67
छत्तीसगढ़	133.88	133.88	140.58	147.6	154.99	710.93
गोवा	20.48	20.48	21.5	22.58	23.71	108.75
गुजरात	260.73	260.73	273.76	287.45	301.83	1384.5
हरियाणा	139.33	139.33	146.3	153.62	161.3	739.88
हिमाचल प्रदेश	1.41	1.41	1.48	1.56	1.64	7.5
झारखंड	119.21	119.21	125.17	131.42	138	633.01
कर्नाटक	122.93	122.93	129.08	135.54	142.31	652.79
केरल	322.22	322.22	338.34	355.25	373.01	1711.04
मध्य प्रदेश	427.83	427.83	449.22	471.68	495.27	2271.83
महाराष्ट्र	774.13	774.13	812.84	853.48	896.16	4110.74
मणिपुर	9.83	9.83	10.32	10.84	11.38	52.2
मेघालय	23.3	23.3	24.47	25.69	26.98	123.74
मिजोरम	12.01	12.01	12.61	13.24	13.9	63.77
नागालैंड	22.61	22.61	23.74	24.93	26.18	120.07
ओडिशा	89.19	89.19	93.65	98.34	103.25	473.62
पंजाब	241.75	241.75	253.83	266.52	279.85	1283.7
राजस्थान	106.49	106.49	111.82	117.41	123.28	565.49
सिक्किम	8.19	8.19	8.6	9.03	9.48	43.49
तमिलनाडु	356.48	356.48	374.3	393.01	412.67	1892.94
तेलंगाना	133.6	133.6	140.28	147.29	154.66	709.43
त्रिपुरा	41.68	41.68	43.76	45.95	48.25	221.32
उत्तर प्रदेश	424.55	424.55	445.83	468.07	491.47	2254.47
उत्तराखंड	81.57	81.57	85.65	89.93	94.42	433.14
पश्चिम बंगाल	287.92	287.92	302.31	317.43	333.3	1528.88
सभी राज्य	**4524.80**	**4524.80**	**4751.10**	**4988.66**	**5238.14**	**24027.50**

अनुलग्नक 7.10 घ
(पैरा 7.145)

भवन रहित उपकेन्द्रों, एसएचसी, पीएचसी, सीएचसी के लिए अनुदान

(रु. करोड़ में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	1.17	1.17	1.23	1.29	1.36	6.22
अरूणाचल प्रदेश	1.06	1.06	1.1	1.16	1.22	5.6
असम	13.32	13.32	13.98	14.69	15.41	70.72
बिहार	329.29	329.29	345.6	363	381.1	1748.27
छत्तीसगढ़	10.75	10.75	11.28	11.85	12.45	57.08
गोवा	1.54	1.54	1.61	1.7	1.78	8.18
गुजरात	1.17	1.17	1.24	1.29	1.36	6.23
हरियाणा	29.51	29.51	30.97	32.53	34.15	156.67
हिमाचल प्रदेश	2.68	2.68	2.81	2.96	3.11	14.24
झारखंड	118.54	118.54	124.41	130.67	137.19	629.35
कर्नाटक	10.06	10.06	10.56	11.09	11.64	53.41
केरल	0.5	0.5	0.52	0.55	0.58	2.64
मध्य प्रदेश	30.03	30.03	31.52	33.1	34.75	159.44
महाराष्ट्र	50.07	50.07	52.55	55.21	57.96	265.87
मणिपुर	2.03	2.03	2.12	2.24	2.35	10.78
मेघालय	3.21	3.21	3.37	3.54	3.72	17.06
मिजोरम	0.56	0.56	0.58	0.61	0.64	2.95
नागालैंड	1.03	1.03	1.08	1.13	1.19	5.46
ओडिशा	72.83	72.83	76.43	80.28	84.29	386.66
पंजाब	20.26	20.26	21.26	22.33	23.45	107.57
राजस्थान	191.39	191.39	200.87	210.98	221.51	1016.14
सिक्किम	0.53	0.53	0.55	0.58	0.6	2.79
तमिलनाडु	71.21	71.21	74.73	78.5	82.41	378.05
तेलंगाना	2.81	2.81	2.96	3.11	3.26	14.95
त्रिपुरा	0.25	0.25	0.26	0.27	0.29	1.32
उत्तर प्रदेश	333.68	333.68	350.22	367.84	386.18	1771.59
उत्तराखंड	1.43	1.43	1.49	1.57	1.65	7.57
पश्चिम बंगाल	49.04	49.04	51.46	54.05	56.75	260.33
सभी राज्य	**1349.95**	**1349.95**	**1416.76**	**1488.12**	**1562.35**	**7167.14**

अनुलग्नक 7.10 ङ
(पैरा 7.146)

ग्रामीण पीएचसी एवं उप-केंद्र (एससी) को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र में परिवर्तित करना
ग्रामीण पीएचसी एवं एससी को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने के लिए राज्य-वार आकलित कमियां[4]

राज्य	उप-केंद्र	पीएचसी	लगभग लागत (एचसी से एचडब्ल्यूसी)- 9.7 लाख रु.	लगभग लागत (पीएचसी से एचडब्ल्यूसी)- 5.6 लाख रु.	कुल लागत
	संख्या में			(करोड़ रु.)	
आंध्र प्रदेश	6825	0	661.66	0	661.66
अरूणाचल प्रदेश	307	101	29.78	5.65	35.43
असम	4015	698	389.46	39.08	428.54
बिहार	9865	1480	956.91	82.87	1039.78
छत्तीसगढ़	4555	657	441.855	36.755	478.61
गोवा	219	0	21.24	0	21.24
गुजरात	8353	704	810.24	39.43	849.67
हरियाणा	2440	193	236.68	10.81	247.49
हिमाचल प्रदेश	2089	566	202.63	31.7	234.33
झारखंड	3644	203	353.47	11.38	364.85
कर्नाटक	9187	1995	891.14	111.73	1002.87
केरल	5380	678	521.86	37.97	559.83
मध्य प्रदेश	10226	1039	991.93	58.19	1050.12
महाराष्ट्र	9729	1349	943.72	75.54	1019.26
मणिपुर	429	85	41.61	4.76	46.37
मेघालय	445	110	43.17	6.15	49.32
मिजोरम	370	57	35.89	3.19	39.08
नागालैंड	377	124	36.57	6.93	43.5
ओडिशा	6595	461	639.72	25.81	665.53
पंजाब	2511	79	243.57	4.42	247.99
राजस्थान	13382	1777	1298.05	99.52	1397.57
सिक्किम	148	24	14.36	1.34	15.7
तमिलनाडु	7728	706	749.62	39.53	789.15
तेलंगाना	4658	0	451.83	0	451.83
त्रिपुरा	932	82	90.4	4.59	94.99
उत्तर प्रदेश	20056	1990	1945.43	111.44	2056.87
उत्तराखंड	1804	243	174.99	13.61	188.6
पश्चिम बंगाल	10195	640	988.92	35.83	1024.75
सभी राज्य	**146464**	**16041**	**14206.7**	**898.225**	**15104.93**

4 ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018-19

नोट : एससी एवं पीएचसी को एचडब्लयूसी में परिवर्तित करने के लिए अनुमानित लागत को आयुष्मान भारतः स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के माध्यम से समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से लिया गया है।

अनुलग्नक 7.10 ङ. (जारी...)
(पैरा 7.146)

ग्रामीण पीएचसी एवं एससी को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय अपेक्षाएं

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	124.67	124.67	130.55	137.45	144.32	661.66
अरूणाचल प्रदेश	6.67	6.67	7.01	7.36	7.72	35.43
असम	80.7	80.7	84.74	88.98	93.42	428.54
बिहार	195.81	195.81	205.6	215.88	226.68	1039.78
छत्तीसगढ़	90.13	90.13	94.64	99.37	104.34	478.61
गोवा	4	4	4.2	4.41	4.63	21.24
गुजरात	160.01	160.01	168.01	176.41	185.23	849.67
हरियाणा	46.61	46.61	48.94	51.38	53.95	247.49
हिमाचल प्रदेश	44.13	44.13	46.34	48.65	51.08	234.33
झारखंड	68.71	68.71	72.14	75.75	79.54	364.85
कर्नाटक	188.86	188.86	198.3	208.22	218.63	1002.87
केरल	105.43	105.43	110.7	116.23	122.04	559.83
मध्य प्रदेश	197.76	197.76	207.64	218.03	228.93	1050.12
महाराष्ट्र	191.95	191.95	201.54	211.62	222.2	1019.26
मणिपुर	8.73	8.73	9.17	9.63	10.11	46.37
मेघालय	9.29	9.29	9.75	10.24	10.75	49.32
मिजोरम	7.36	7.36	7.73	8.11	8.52	39.08
नागालैंड	8.19	8.19	8.6	9.03	9.49	43.5
ओडिशा	125.33	125.33	131.6	138.18	145.09	665.53
पंजाब	46.7	46.7	49.04	51.49	54.06	247.99
राजस्थान	263.19	263.19	276.35	290.17	304.67	1397.57
सिक्किम	2.96	2.96	3.1	3.26	3.42	15.7
तमिलनाडु	148.61	148.61	156.04	163.85	172.04	789.15
तेलंगाना	85.09	85.09	89.34	93.81	98.5	451.83
त्रिपुरा	17.89	17.89	18.78	19.72	20.71	94.99
उत्तर प्रदेश	387.35	387.35	406.72	427.05	448.4	2056.87
उत्तराखंड	35.52	35.52	37.29	39.16	41.11	188.6
पश्चिम बंगाल	192.98	192.98	202.63	212.76	223.4	1024.75
सभी राज्य	**2844.63**	**2844.63**	**2986.49**	**3136.20**	**3292.98**	**15104.93**

अनुलग्नक 8.1
(पैरा 8.21)

द्वितीय वित्त आयोग एवं उसके बाद से आपदा प्रबंधन पर विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसाओं का सार

1. आपदा-व्यय के लिए वित्तीय प्रावधान की शुरुआत सीमांत धनराशि (मार्जिन मनी) स्कीम से हुई, जिसे पहली बार द्वितीय वित्त आयोग (1957-62) द्वारा अनुशंसित किया गया था। मोटे तौर पर इसका परिकलन पिछले दशक के दौरान राहत पर किए गए औसत वार्षिक व्यय के आधार पर किया गया। द्वितीय वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए राशि भी विनिर्दिष्ट की तथा इसके कुल आबंटन में द्वितीय वित्त आयोग के दौरान 6.15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से धीरे-धीरे वृद्धि के साथ यह 8वें वित्त आयोग (1984-89) तक 240.75 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गया। किसी राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन पर अपने सीमांत धनराशि आबंटन से अधिक व्यय किए जाने की स्थिति में 75 प्रतिशत की सीमा तक (50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में) केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

2. 9वें वित्त आयोग (1989-95) ने प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत कोष (सीआरएफ) की स्थापना की अनुशंसा की, जिसके आकार का निर्णय वर्ष 1988-89 को समाप्त दस वर्ष की अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए अनुमोदित व्यय की वास्तविक उच्चतम सीमा के औसत के आधार पर किया गया। संघ सीआरएफ के 75 प्रतिशत का अंशदान करेंगे, जबकि राज्य 25 प्रतिशत का अंशदान करेंगे।

3. 10वें वित्त आयोग (1995-2000) ने प्रचालनीय व्यवस्थाओं में कतिपय आशोधनों के साथ सीआरएफ को जारी रखने की सिफारिश की। इसने असाधारण गंभीरता वाली किसी आपदा से प्रभावित किसी राज्य को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनएफसीआर) की स्थापना की अनुशंसा भी की। इसने सुझाव दिया कि ऐसी आपदाओं पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार करना होगा। 10वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा भी की कि पांच वर्षों में इस कोष का आकार 700 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें संघ और राज्यों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में अंशदान के साथ 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कॉपर्स की व्यवस्था होगी। पांच वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिए संघ का अंशदान 75 करोड़ रुपए का तथा राज्यों का 25 करोड़ रुपए का होगा।

4. 11वें वित्त आयोग (2000-05) ने एनएफसीआर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की तथा पाया कि इस कोष का संपूर्ण कॉपर्स न केवल तीन वर्ष में समाप्त कर दिया बल्कि यह असाधारण गंभीरता वाली आपदाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने में भी विफल

रहा। 11वें वित्त आयोग ने एनएफसीआर को विघटित कर दिया और 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कॉपर्स वाले एक एनसीसीएफ की स्थापना की अनुशंसा की जिसकी पुनः प्राप्ति केंद्रीय करों पर लगाए जाने वाले एक विशेष अधिभार को लेवी के माध्यम से की जानी थी। इस प्रकार से व्यापक तौर पर एनसीसीएफ का वित्तपोषण लेवी के माध्यम से किया जाना था।

5. 12वें वित्त आयोग (2005-10) ने सीआरएफ और एनसीसीएफ को इनके मौजूदा स्वरूपों में जारी रखने की अनुशंसा की। तथापि, इसने पाया कि आपदाओं की सूची का विस्तार किए जाने का पर्याप्त औचित्य है और इसमें कुछ घटनाओं को स्कीम में शामिल घटनाओं के साथ परिवर्धित किया जाना चाहिए। इसने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अविभाजित बिहार राज्य, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सीआरएफ के कुल आकार के 25 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त आबंटन की व्यवस्था की।

6. जब 13वें वित्त आयोग (2010-15) द्वारा आपदा राहत और प्रबंधन के मुद्दे पर विचार किया गया तब आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आ चुका था, जिसमें रिस्पोंस और प्रशमन कोषों के संबंध में उपबंध किए गए थे। 13वें वित्त आयोग ने इन सांविधिक उपबंधों के आलोक में आपदा जोखिम वित्त पोषण व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अनुशंसा की कि सीआरएफ का अलग-अलग राज्यों के एसडीआरएफ में विलय कर दिया जाए तथा एनसीसीएफ का विलय एनडीआरएफ में कर दिया जाए। इसने यह सुझाव भी दिया कि एसडीआरएफ में किए जाने वाले अंशदान में संघ और राज्यों का हिस्सा सामान्य श्रेणी के राज्यों के संदर्भ में 75:25 के अनुपात में तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के संदर्भ में 90:10 के अनुपात में होना चाहिए। 13वें वित्त आयोग ने उक्त अनुपात में विभाजित किए जाने के लिए एसडीआरएफ का कुल आकार 33,581 करोड़ रुपए निर्धारित किया। इसने एसडीआरएफ के कुल आबंटन आकार के अलावा, राज्यों के क्षमता-निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान की भी अनुशंसा की।

7. 14वें वित्त आयोग (2015-20) ने पंचाट अवधि के संदर्भ में सभी राज्यों के लिए 61,219 करोड़ रुपए के कुल कॉपर्स के लिए विगत वित्त आयोगों के वित्त-आधारित उपागम का अनुसरण किया। साथ ही, इसने लागत-हिस्सेदारी (कॉस्ट-शेयरिंग) व्यवस्था में भी परिवर्तन की अनुशंसा की जिसके द्वारा संघ और राज्यों के बीच अंशदान की 90:10 की हिस्सेदारी व्यवस्था का विस्तार सामान्य श्रेणी वाले राज्यों तक किया गया। इसने यह सिफारिश भी की कि एसडीआरएफ के अधीन उपलब्ध कोषों में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए किया जा सकता है जो गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आपदाओं की सूची में तो सम्मिलित नहीं हैं किंतु इन्हें स्थानीय संदर्भों में 'आपदाओं' के रूप में माना जाता है। 13वें वित्त आयोग की तरह इसने राज्यों के लिए क्षमता-निर्माण अनुदान को अलग से निर्धारित नहीं किया और इस विषय को संघ और राज्यों पर छोड़ दिया।

अनुलग्नक 8.2
(पैरा 8.46 और 8.106)

एनडीएमएफ/एसडीएमएफ के अंतर्गत प्रशमन कार्यकलापों की निर्देशात्मक सूची

खतरे	क्रम सं.	प्रशमन उपाय	नोडल अभिकरण
बाढ़	1.	बाढ़-चेतावनी प्रणाली में सुधार करना	राज्य/संघ
	2.	बाढ़-प्रभावित क्षेत्र प्रबंधन योजना तैयार करना	राज्य/संघ
	3.	बस्तियों के आस-पास प्राकृतिक बाढ़ हेतु रक्षा में सुधार लाना	राज्य/संघ
	4.	भवनों की प्लिन्थ को ऊंचा करना	राज्य/संघ
	5.	प्राकृतिक जल निकासी में सुधार लाना	राज्य/संघ
	6.	स्थानीय एवं झंझा (storm) जल निकासी में सुधार लाना	राज्य/संघ
	7.	पुलिया और क्रॉस-ड्रेनेज का निर्माण	राज्य/संघ
	8.	जल-टंकियों, तालाबों और अन्य संचयनों को गहरा करना	पंचायती राज संस्था
	9.	वृक्षारोपण एवं वनीकरण	पंचायती राज संस्था
	10.	मौसम एवं जल विज्ञान संबंधी स्टेशनों का संस्थापन	राज्य/संघ
	11.	लोगों के लिए बाढ़ आश्रयों स्थलों का निर्माण	पंचायती राज संस्था
	12.	मवेशियों के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण	पंचायती राज संस्था
	13.	बाढ़ संबंधी बीमा का संवर्धन और प्रोत्साहन	पंचायती राज संस्था

भूकंप	14.	भारत में भूकंपीय क्षेत्रों की समीक्षा	राज्य/संघ
	15.	राज्य, जिला एवं शहरी स्तरों पर भूमि-उपयोग योजनाओं की तैयारी	राज्य/संघ
	16.	भवन निर्माण संहिताओं, दिशानिर्देशों, मैनुअलों और उपविधियों की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण तथा शहरों, नगरों एवं गांवों में इनका कार्यान्वयन	राज्य/संघ
	17.	भूकंपीय संरक्षा के समावेश के लिए भवन निर्माण अनुमति प्रणाली में सुधार लाना	राज्य/संघ
	18.	भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भवनों की रेट्रोफिटिंग	राज्य/संघ
	19.	उच्च भूकंप के क्षेत्रों में कमजोर संरचनाओं की रेट्रोफिटिंग	राज्य/संघ
	20.	भूकंप इंजीनियरी में इंजीनियरों और राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन	राज्य/संघ
	21.	वास्तुकला एवं इंजीनियरी संस्थाओं में शैक्षिक पाठ्यक्रम को विकसित करना तथा पॉलीटेक्निक्स में तकनीकी प्रशिक्षण देना	राज्य/संघ
	22.	भूकंप-सुरक्षा के बारे में प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना करना	राज्य/संघ
	23.	भूकंप-सुरक्षा के बारे में शिक्षा की व्यवस्था और जनता को जागरूक करना	राज्य/संघ
	24.	भूकंप संबंधी बीमा का संवर्धन और प्रोत्साहन	पंचायती राज संस्था
चक्रवात और स्थानीय वायु से जुड़े अन्य खतरे	25.	भवन-निर्माण नियमावली की समीक्षा करना और इन्हें इस तरह से लागू करना जिसके अंतर्गत तटीय शहरों, नगरों और गांवों में चक्रवात-अनुकूलन विशेषताओं को भी शामिल किया जाए	राज्य/संघ

	26.	समुद्री संसाधनों और आरक्षित वनों के प्रबंधन हेतु तटरेखा को शामिल करते हुए राज्य स्तर पर तटीय क्षेत्र (जोन) विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना	राज्य/संघ
	27.	तटीय क्षेत्र विनियमन मानकों का विकास एवं इसे लागू करना	राज्य/संघ
	28.	वातरोधी वृक्षारोपण, तटीय वनस्पति और हरित आच्छादन के लिए सहायता प्रदान करना	राज्य/संघ
	29.	घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर भूमिगत पावर केबल और यूटिलिटी लाइनों के लिए सहायता प्रदान करना	राज्य/संघ
	30.	चक्रवात के दौरान संचार कार्यों के लिए, बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी/ अति उच्च फ्रीक्वेंसी (वीएचएफ/यूएचएफ) सेटों, सेटेलाइट फोनों, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, इंटरनेट और लाउड स्पीकरों सहित संचार के वैकल्पिक माध्यमों के लिए सहायता प्रदान करना	राज्य/संघ
	31.	ऐसी मजबूत टेलीकॉम प्रणालियों की व्यवस्था जिनमें तटीय मोबाइल टॉवर 250 किमी /घंटा की गति से चलने वाली हवाओं को झेलने में समर्थ हों	राज्य/संघ
	32.	गांवों के साथ अंतिम छोर तक संपर्क (केनेक्टिविटी) स्थापित करना	राज्य/संघ
	33.	चक्रवाती सीजन के प्रारंभ होने से पूर्व ही निकास मार्गों का निरूपण करना	राज्य/संघ
	34.	होर्डिंग्स और इस प्रकार के उपकरणों के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करना	राज्य/संघ
सूखा	35.	व्यक्तियों, उनकी संपत्ति और मवेशियों के लिए व्यापक राज्य बीमा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है	राज्य/संघ
	36.	सूखे के संबंध में पूर्व-चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना	राज्य/संघ

	37.	सूखे की निगरानी (मॉनीटरिंग) एवं प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली	राज्य/संघ
	38.	सूखे के प्रशमन के लिए सामुदायिक स्तर की योजनाएं	पंचायती राज संस्था
	39.	सामुदायिक स्तर पर भूमिगत जल कृत्रिम पुनर्भरण एवं पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से जल संचयन एवं संरक्षण में सुधार लाना	पंचायती राज संस्था
	40.	वैकल्पिक फसल आयोजना	पंचायती राज संस्था
	41.	अंतःस्रवण पोखरों में सुधार करना	पंचायती राज संस्था
	42.	ग्रामीण तालाबों/पोखरों में सुधार करना	पंचायती राज संस्था
	43.	रेनवाटर एवं रूफवाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियां	पंचायती राज संस्था
	44.	ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली	पंचायती राज संस्था
	45.	वनीकरण एवं वृक्षारोपण	पंचायती राज संस्था
	46.	जलाशयों की निगरानी करना और जलाशय प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना	पंचायती राज संस्था
	47.	जल प्रयोक्ता संघ की स्थापना	पंचायती राज संस्था
	48.	सतही और भूमिजल का संयोजक उपयोग	राज्य/संघ
भूस्खलन	49.	भूस्खलन-संवेदनशील क्षेत्रों का भूविज्ञानी पूर्व-परीक्षा एवं मानचित्रण	राज्य/संघ
	50.	भूस्खलनों के बारे में राज्य स्तरीय निगरानी प्रणाली	राज्य/संघ
	51.	बोरिंग और टेस्ट-पिटों के माध्यम से स्थल अन्वेषण और ढाल स्थायित्व विश्लेषण करना	राज्य/संघ
	52.	वनीकरण, स्टोन पिचिंग के माध्यम से ढाल स्थायित्वकण संबंधी उपाय करना	राज्य/संघ
	53.	ढालों पर प्राकृतिक जलनिकासी में सुधार करना	राज्य/संघ
	54.	भूमि कटाव रोधी उपाय करना	राज्य/संघ

	55.	भूस्खलन की संवेदनशीलता के आधार पर पुर्नवास की योजना	राज्य/संघ
	56.	भूस्खलन के प्रायिक्तामूलक अनुमानों के आधार पर अवसंरचना की आयोजना	राज्य/संघ
	57.	भूस्खलनों के बारे में चेतावनी संकेतकों की स्थापना करना	राज्य/संघ
आकाशीय बिजली गिरना	58.	आकाशीय बिजली गिरने के खतरे के भौगोलिक विस्तार की पहचान करना	राज्य/संघ
	59.	तड़ित चालकों के नेटवर्क की स्थापना करना	पंचायती राज संस्था
	60.	आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं के बारे में आम जनता को चेतावनी जारी करना	पंचायती राज संस्था
	61.	आकाशीय बिजली गिरने के खतरे के विषय में जनजागरूक	पंचायती राज संस्था
हिमनदी झील आवेग बाढ़ (जीएलओएफ), हिमस्खलन और अन्य पर्वतीय खतरे	62.	निगरानी एवं चेतावनी प्रणालियों की स्थापना करना	राज्य/संघ
	63.	वृक्षारोपण एवं वनीकरण	पंचायती राज संस्था
	64.	खतरे की संवेदनशीलता के आधार पर पुनर्वास योजना	राज्य/संघ

अनुलग्नक 8.3
(पैरा 8.51)

आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय आबंटनों के निर्धारण की पद्धति

1. आपदा प्रबंधन हेतु राज्यों को संसाधनों के आबंटन के लिए हमने एक प्रक्रिया अंगीकृत की है, जिसे पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा अंगीकृत प्रक्रिया के संदर्भ में निरंतरता की दृष्टि से एक परिवर्तन माना जा सकता है। संशोधित प्रक्रिया में राज्यों द्वारा आपदा प्रबंधन पर खर्च किए गए व्ययों को दी गई महत्ता को रखा गया है। इसके अलावा, यह प्रक्रिया प्रत्येक राज्य के लिए अंतिम आबंटन का निर्धारण करने हेतु वैयक्तिक राज्यों के क्षेत्रफल, आबादी और जोखिम प्रोफाइल के लिए भारांकों को इंट्रोड्यूस करती है।

2. आपदा राहत पर व्यय से संबंधित आंकड़ों का परिकलन करने के लिए, पिछले सात वर्षों (2011-12 से 2017-18) के संबंध में मुख्य शीर्ष (एमएच) 2245 के तहत अभिलेखित व्यय पर विचार किया गया है। कुछ राज्य आपदाओं पर व्यय के एक भाग को लोक लेखा में अनुरक्षित एसडीआरएफ से सीधे डेबिट कर देते हैं। हमने इस व्यय को एमएच-2245 में जोड़ा है। तत्पश्चात, प्रत्येक वर्ष के लिए एनडीआरएफ द्वारा जारी की गई निधियों को इन मानों (वैल्यू) में से घटाया गया। उसके उपरांत परिणामी व्यय को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया और प्रत्येक राज्य के लिए एक औसत व्यय निर्धारित किया गया है। हमने व्यय को 70 प्रतिशत का भारांक दिया है, यानी प्रत्येक राज्य के लिए 70 प्रतिशत का औसत व्यय $(AE70)$ आगामी परिकलन के लिए किया गया है।

3. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पुनर्गठित राज्यों के बीच वर्ष 2011-12 से 2014-15 (01 जून तक) व्यय के विभाजन के लिए, हमने उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई है जैसा कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था। पूर्ववर्ती अविभाजित आंध प्रदेश के व्यय के साथ-साथ जिला-वार व्यय को आंध्र प्रदेश के महा लेखाकार से वर्ष 2011-12 से 2014-15 (01 जून तक) की अवधि के लिए प्राप्त किया गया है। जिला-वार व्यय से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पुनर्गठित राज्यों के लिए व्यय के अंश को इन प्रत्येक वर्षों के लिए परिकलित किया गया है, जिसका उपयोग तत्पश्चात अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से तथा वेतन और लेखा अधिकारी, हैदराबाद के तहत अभिलेखित कॉमन व्यय के विभाजन के लिए इन दो राज्यों के परस्पर समान अनुपात में किया गया। पूर्ववर्ती एकीकृत आंध प्रदेश के लिए समान अवधि के दौरान एनडीआरएफ निधियों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के परस्पर समान अनुपात में विभाजित किया गया।

4. राज्यों की आबादी और क्षेत्रफल को विभिन्न दृष्टिकोंणों के सापेक्ष महत्व के आधार पर दिए गए भारांक से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र को एक संदर्भ राज्य के रूप में लिया गया है। पहला, महाराष्ट्र का एसडीआरएफ आबंटन वर्ष 2019-20 के लिए (चौदहवें वित्त आयोग आबंटनों का अंतिम वर्ष) सर्वाधिक था। दूसरा, चूंकि महाराष्ट्र न तो भारत को सबसे बड़ा राज्य है और न हीं सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए यूनिट वैल्यू प्राप्त करने के लिए राज्य एक अच्छा सांख्यिकीय विकल्प उपलब्ध करता है। तीसरा, महाराष्ट्र विभिन्न भौगोलिक विन्यास के कारण अनेक खतरों से एक्सपोज है। राज्य में देश की सबसे अधिक शहरी आबादी बसी हुई है, जो विभिन्न खतरों से एक्सपोज है। राज्य के कई जिलों में वर्षा कम होती है जिसके कारण वे अत्यंत सूखा संवेदनशील हैं। बाढ़, भूस्खलन और भूकंप राज्य को नियमित आधार पर प्रभावित करते हैं। महाराष्ट्र राज्य, जिसे बेहतर शासन के लिए जाना जाता है, ने इन जोखिम घटनाओं का समाधान बहुत ही बेहतरीन दक्षता और संसाधानों के साथ किया है। राज्य के एसडीआरएफ आबंटन, उसके क्षेत्रफल, आबादी और क्षमता तथा दक्षता को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य सबसे बेहतर संदर्भ प्रस्तुत करता है।

5. क्षेत्र और आबादी प्रत्येक को 15 प्रतिशत का भारांक दिया गया है। वर्ष 2019-20 में महाराष्ट्र के एसडीआरएफ आबंटन का प्रयोग कर, हमने (i) संदर्भ राज्य के कुल आबंटन के आधार पर, प्रति व्यक्ति आबंटन और (ii) संदर्भ राज्य के कुल आबंटन के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर आबंटन का परिकलन किया है। तत्पश्चात यूनिट वैल्यू को प्रत्येक राज्य की संबंधित आबादी एवं क्षेत्रफल पर लागू किया गया है, और क्षेत्र एवं आबादी को 30 प्रतिशत का कुल भारांक देने के लिए दोनों मानों के 15 प्रतिशत का पुनः परिकलित $(A15 + P15)$ किया गया है।

6. चरण-2 एवं चरण-5 में परिणामी मानों व वैल्यू को प्रत्येक राज्य $(W = AE70 + A15 + P15)$ के लिए जोड़ा गया है। तत्पश्चात, इस मान (W) को प्रत्येक समनुरूप राज्य $(Y = W * DRI)$ के लिए आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) स्कोरों (जिन्हें अनुलग्नक 8.3क में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है) से गुणा किया गया है। अंततः, इन दो मानों (Y) के गुणनफल को प्रत्येक राज्यों के लिए आधार मान प्राप्त करने हेतु स्टेप-2 और स्टेप-5 $(Z = Y + W = W * DRI + W)$ में प्राप्त मानों के कुल योग में जोड़ा गया है। आधार मान से, वर्ष 2020-21 के लिए आबंटन का परिकलन मानक 5 प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर किया गया है।

7. दस उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए 11 प्रतिशत के अतिरिक्त आबंटन का प्रावधान किया गया है ताकि अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन और अन्य पर्वतीय खतरों से उनके परिवहन नेटवर्क के लगातार बाधित होने की स्थिति में इन राज्यों द्वारा बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके।

अनुलग्नक 8.3 क

राज्यों के लिए आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई)

1. डीआरआई को एक मात्रात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है और *खतरे की संभाव्यता* वाले राज्यों तथा *भेद्यनीयता की सीमा* के लिए स्कोर निर्धारित किया गया है। दो मानकों के आधार पर, प्रत्येक राज्य के लिए एक मिश्रित स्कोर विकसित किया गया है जिसके फलस्वरूप एक सूचकांक प्राप्त किया गया, जो राज्यों के जोखिम स्कोरों के आधार पर उनकी रैकिंग करता है।

2. *खतरों* से तात्पर्य भौतिक घटनाओं- भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा और अन्य जोखिम एवं घटनाओं से है। खतरे अपने आप में आपदाओं को उत्पन्न नहीं करते हैं। जब खतरे लोगों, उनके समुदायों को प्रभावित कर आर्थिक नुकसान करते हैं, तब उसे एक आपदा घटना कहा जाता है। खतरे एवं समाज की परस्पर प्रभाव लोगों की सामाजिक अर्थिक भेदनीयता द्वारा प्रभावित होती है। *भेद्यनीयता* से तात्पर्य किसी व्यक्ति-विशेष या समूह की प्राकृतिक या मानव-निर्मित खतरे के प्रभाव का अनुमान लगाने, उसे झेलने, उससे बचने तथा रिकवर होने की अदृश्य क्षमता से है। *भेद्यनीयता* में आय एवं गैर-आय दोनों आयाम शामिल हैं, और उसमें खराब आवासन, औपचारिक नौकरियां, सामाजिक अलगाव तथा दूर-दराज के क्षेत्र (जहाँ लोग रहते हैं) जैसी स्थितियां भी सम्मिलित हैं। अतः भेद्यनीयता आपदा के प्रभाव व गंभीरता के वर्णन करने के लिए एक प्रमुख कारक है।

3. डीआरआई को आपदाओं की वास्तविक घटनाएं और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के आधार पर भी विकसित किया जा सकता है। तथापि, *राष्ट्रीय स्तर पर आपदा डाटाबेस के अभाव के कारण,* उच्च जटिलता एवं यथार्थता का जोखिम सूचकांक विकसित करना कठिन रहा है। राष्ट्रीय खतरा क्षेत्र और जोखिम एक्सपोजर मानचित्रों का उपयोग राज्य स्तर पर खतरों की संभाव्यता के लिए स्कोर निर्धारित करने के लिए किया गया। इस प्रकार का वर्गीकरण एक राज्य स्तरीय खतरा स्कोर उपलब्ध कराता है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है।

4. चूंकि किसी आपदा के घटित होने में खतरा और भेद्यनीयता दोनों की संयुक्त भूमिका होती है तथा खतरा और भेद्यनीयता आपदाओं को उत्पन्न करने का मुख्य कारक है इसलिए खतरों को कुल 100 में से 70 का स्कोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आबादी घनत्व, बुनियादी ढांचा और भारत में आर्थिक कार्यकलापों के स्तर के आधार पर, किसी भी खतरे के गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद होती है। क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर मापी जा सकने वाली भेद्यनीयता के लिए 30 का न्यून स्कोर निर्धारित किया गया है।

5. देश में चार प्रकार के मुख्य खतरे हैं - बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप, जो देश के विभिन्न भागों को प्रभावित करते हैं। डीआरआई के आधार पर, इन खतरों के संबंध में प्रत्येक राज्य के लिए 15 का अधिकतम स्कोर निर्धारित किया गया है। चारों खतरों के लिए कुल स्कोर 60 है। किसी खतरे की संभाव्यता के स्तर के आधार पर, राज्यों के लिए बढ़ते क्रम में 0, 5, 10 और 15 का स्कोर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सभी राज्यों में अधिकतर छोटे खतरे घटित होते हैं जो स्थानीय आधार पर समुदायों को प्रभावित करते हैं। खतरों के निरंतर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों में छोटे खतरों के लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अधिकतम स्कोर 70 बन जाता है।

6. विभिन्न खतरों के लिए स्कोरों को निम्नलिखित विश्लेषणों के आधार पर निर्धारित किया गया है :

बाढ़ के लिए स्कोर

i) बाढ़ों पर डाटा को राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) द्वारा आकलित बाढ़-संवेदनशील क्षेत्रों तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल की रिपोर्ट में दिए गए बाढ़-संवेदनशील क्षेत्रों की सीमा के आधार पर संकलित किया गया है। बाढ़-संवेदनशील क्षेत्रों के डाटा को स्पष्ट रूप से लाख हेक्टेयर आंकड़ों में प्रस्तुत करने के पश्चात, इस क्षेत्र को भी राज्य के कुल क्षेत्र के संबंध में आकलित किया गया है। जिन राज्यों में बाढ़ कुल क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, उनके लिए 15 का स्कोर निर्धारित किया गया है, जबकि जिन राज्यों में कुल क्षेत्रफल के 10 से 20 प्रतिशत के बीच क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, उनके लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। शेष राज्यों, अर्थात जहाँ कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, उनके लिए 5[1] का स्कोर निर्धारित किया गया है।

ii) अरूणाचल प्रदेश राज्य को उच्च बाढ़ संवेदनशील स्कोर के साथ शामिल किया गया है, हालाकि राज्य में बाढ़-प्रभावित क्षेत्र कुल भूमि का 10 प्रतिशत से कम है। इस अपवाद का कारण ब्रहमपुत्र नदी है (जिसे अरूणाचल प्रदेश में सियेंग नदी के नाम से जाना जाता है), क्योंकि यह नदी भारत में प्रवेश करने के बाद इस राज्य से होकर निकलती है। जब ब्रहमपुत्र नदी में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ असम पहुंचने से पहले अरूणाचल प्रदेश को जलमग्न कर देती है। दूसरा अपवाद तमिलनाडु है, जहाँ हाल ही में भारी बाढ़ आई थी, और इसलिए उसके लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है।

iii) विभाजित राज्यों के संबंध में, हम उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों का डाटा प्राप्त नहीं कर पाए। तथापि, हिमालयी क्षेत्रों में नदियों के बड़े तंत्र के कारण उत्तराखंड में

[1] https://ndma.gov.in/images/guidelines/flood.pdf

काफी बाढ़ आती है। राज्य में वर्ष 2014 में भारी बाढ़ आई थी। इसके अतिरिक्त, जब पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ आती है, तब नेपाल में आई बाढ़ उत्तराखंड में प्रवेश करती हैं और राज्य को जलमग्न कर देती हैं। अतः, उत्तराखंड एक बाढ़-संवेदनशील राज्य होने के कारण राज्य के लिए 15 का उच्चतम स्कोर निर्धारित किया गया है। दूसरी ओर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बाढ़ें नहीं आती हैं। इन दो राज्यों के लिए 5 का न्यूनतम स्कोर निर्धारित किया गया है।

iv) सभी पर्वतीय राज्यों में अचानक बाढ़ आती है, लेकिन इसमें अधिकतर बाढ़ बरसात के समय पर आती है, जो इन राज्यों को एक छोटी अवधि तक प्रभावित करती है। पर्वतीय राज्यों में ढलान होने के कारण, बरसात का पानी तेजी से बह जाता है, और ये राज्य उस तरह नदी बाढ़ के जोखिम से एक्सपोज नहीं हैं, जैसे कि प्रमुख नदी तटों के आस-पास स्थित राज्य एक्सपोज होते हैं। तथापि, बरसाती बाढ़ बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाती है।

सूखे के लिए स्कोर

v) कृषि तथा किसान कल्या ण मंत्रालय द्वारा सूखा प्रबंधन, 2016 के लिए प्रस्तुंत मैनुअल के अनुसार, (http://agricoop.nic.in/sites/default/files/Manual%20 Drought%202016.pdf) लगभग 68 प्रतिशत फसल-बुवाई क्षेत्रफल सूखे की चपेट में है, जिसमें से 33 प्रतिशत क्षेत्र में 750 मि. मी. की औसत वार्षिक वर्षा से कम वर्षा होती है और उसे ''कालानुक्रमिक (chronically) सूखा संवेदनशील'' क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 35 प्रतिशत फसल-बुवाई क्षेत्रफल; जहाँ 750-1125 मि.मी. की औसत वार्षिक वर्षा होती है, को ''सूखा-संवेदनशील'' क्षेत्र के रूप में वगीकृत किया गया है। देश के प्रायद्वीपीय एवं पश्चिमी भारत के शुष्क, अर्द्ध-शुष्क, और उपोष्ण क्षेत्रों को प्राथमिक तौर पर सूखा संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता हैं।

vi) जिन राज्यों में ''क्रॉनिकली सूखा-संवेदनशील'' क्षेत्र का अंश बड़ा है, उनके लिए 15 का उच्च स्कोर निर्धारित किया गया है, जबकि उन राज्यों के लिए 10 का मध्यम स्कोर निर्धारित किया गया है जिनके ''सूखा-संवेनदशील क्षेत्र'' का काफी अंश है। शेष राज्यों, उत्तर-पूर्व, उत्तराखंड और गोवा को छोड़कर, के लिए 5 का स्कोर निर्धारित किया गया है। सूखे पर डाटा को कृषि एवं किसान मंत्रालय[2] से लिया गया है।

vii) कुछ राज्य, जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश बाढ़ और सूखे के दृष्टिकोण से उच्च जोखिम वाली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जोखिम आकलन को

[2] http://agricoop.nic.in/sites/default/files/Manual%20Drought%202016.pdf

अंतर-विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। दोनों जोखिमों की मौजूदगी को आसानी से वर्णित किया जा सकता है। ये राज्य भौगोलिक दृष्टि से बड़े हैं। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अच्छी वर्षा होती है और वहां सघन नदी तंत्र भी हैं। अन्य क्षेत्र शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत हैं।

viii) जलवायु परिवर्तन और उसके कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण कारक पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों, जो शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत हैं, में बहुत ही कम समयावधि के भीतर भारी बरसात होती है जिसके कारण उन्हें अचानक आने वाली बाढ़ का सामना करना पड़ता है। राजस्थान को भी हाल ही के समय में कुछ क्षेत्रों में भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर, उत्तरी बिहार भी हाल ही के वर्षों से सूखे का सामना कर रहा है। वर्षा में अंतरा-मौसम विचलन के कारण बड़ा बदलाव आया है। बिहार में पिछले दस वर्षों में से आठ वर्षों के दौरान कम वर्षा हुई जिसके कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र कई वर्षा से सूखे की चपेट में रहा है।

ix) बाढ़ और सूखे के समकालिक प्रकोप से एक कठिन परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसे देश के भीतर वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन आया है। अतः जलवायु खतरा जोखिमों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण निरंतर आधार पर आकलित किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

चक्रवात के लिए स्कोर

x) एक खतरे के रूप में चक्रवात तटवर्ती राज्यों तक सीमित है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल (जिनके अंतर्गत काफी उच्च चक्रवात-संवेदनशील जिले हैं) के लिए 15 का उच्चतम स्कोर निर्धारित किया गया है तमिलनाडु, केरल और गुजरात जिनके अंतर्गत उच्च चक्रवात-संवेदनशील जिले हैं के लिए 10 का स्कोर निर्धारित कया गया है। हालाकि केरल के अंतर्गत कोई उच्च चक्रवात संवेदनशील जिला नहीं हैं, परंतु उसके सभी चौदह जिले चक्रवात स्कोर से एक्सपोज हैं। अतः, केरल के लिए भी 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। शेष राज्य, यानी कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के लिए 5 का न्यूनतम स्कोर निर्धारित किया गया है। डाटा एनडीएमए द्वारा उपयोग किए गए चक्रवात जोखिम मानचित्र [3,4] से लिया गया है।

xi) जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्वी और पश्चिमी तटों में चक्रवात बार-बार आता है, जो इन राज्यों की जोखिम प्रोफाइल को परिवर्तित करता है। अतः, इन स्कोरों की आवधिक आधार पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

[3] http://www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in/images/pdf/climatalogy/frequency-cyclone/hazard.pdf
[4] https://ncrmp.gov.in/cyclones-their-impact-in-india/

भूकंप के लिए स्कोर

xii) भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत के लिए एक भूकंप मानचित्र बनाया है। इस मानचित्र के अनुसार, भूकंप क्षेत्र V और IV उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जबकि क्षेत्र III और II कम भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र हैं। भूकंप मानचित्र को प्लेट विवर्तनिकी एवं भारत में आए भुकंपों के आधार पर तैयार किया गया है। इस मानचित्र के अनुसार, सभी उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्य तथा कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र भूकंप जोखिमों के लिए अति संवेदनशील हैं। इन राज्यों के लिए 15 का उच्चतम स्कोर निर्धारित किया गया है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश मध्यम भूकंप जोखिमों से एक्सपोज हैं, इसलिए उनके लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। शेष राज्यों के लिए 5[5] का न्यून जोखिम स्कोर निर्धारित किया गया है।

xiii) इन चार खतरों के अलावा, अन्य खतरों की एक अलग श्रेणी है जिसके राज्य-विशिष्ट खतरे हैं, जैसे कि भूस्खलन, आंधी, ओलावृष्टि, बादल फटना, बिजली गिरना आदि को शामिल किया जा सकता है। सभी राज्यों में छोटे खतरे घटित होते रहते हैं जिनका स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी राज्यों के लिए 10 का एक समान स्कोर निर्धारित किया गया है।

7. भेद्यनीयता स्कोर को वर्ष 2011-12 में प्रत्येक राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के आधार पर निर्धारित किया गया है (तेंदुलकर पद्धति)। जिन राज्यों की गरीबी दर 26 प्रतिशत और उससे अधिक है, उनके लिए 30 का उच्चतम स्कोर निर्धारित किया गया है, जबकि जिन राज्यों की गरीबी दर 13 प्रतिशत से कम है, उनके लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। शेष राज्यों, जिनकी गरीबी दरें 13 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच हैं, उनके लिए 20 का मध्यम स्कोर निर्धारित किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पुनर्गठित राज्यों के लिए वर्ष 2011-12 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की गरीबी दर को प्रयुक्त कर स्कोर निर्धारित किया गया है।

8. खतरों और भेद्यनीयता के लिए स्कोरों को जोड़ा गया है ताकि प्रत्येक राज्य के लिए जोखिम स्कोर निर्धारित किया जा सके। सभी राज्यों के लिए अंतिम जोखिम स्कोर को नीचे दर्शाया गया है। संसाधन आबंटन में राज्य-स्तरीय आपदा जोखिम स्कोरों को शामिल कर आपदा प्रबंधन के लिए पूर्ववर्ती राज्य-स्तरीय आबंटनों में गंभीर कमियों का समाधान करने का यह पहला प्रयास है। जैसे-जैसे ज्यादा अनुभव हासिल किया जाएगा, आपदा जोखिम सूचकांक को आगे संशोधित किया जा सकेगा।

[5] http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=168661

आपदा जोखिम सूचकांक स्कोर

राज्य	बाढ़	सूखा	चक्रवात	भूकंप	अन्य	कुल स्कोर (70 में से)	गरीबी के लिए अंक (30 में से)	कुल स्कोर (100 में) (छ+ज)	अंक
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज		(छ+ज)/100
आंध्र प्रदेश	10.00	15.00	15.00	5.00	10.00	55.00	10	65.00	0.650
अरूणाचल प्रदेश	15.00			15.00	10.00	40.00	30	70.00	0.700
असम	15.00			15.00	10.00	40.00	30	70.00	0.700
बिहार	15.00	10.00		15.00	10.00	50.00	30	80.00	0.800
छत्तीसगढ़	5.00	5.00		5.00	10.00	25.00	30	55.00	0.550
गोवा	5.00		5.00	5.00	10.00	25.00	10	35.00	0.350
गुजरात	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	60.00	20	80.00	0.800
हरियाणा	15.00	5.00		5.00	10.00	35.00	10	45.00	0.450
हिमाचल प्रदेश	5.00	5.00		15.00	10.00	35.00	10	45.00	0.450
झारखंड	5.00	10.00		5.00	10.00	30.00	30	60.00	0.600
कर्नाटक	5.00	15.00	5.00	5.00	10.00	40.00	20	60.00	0.600
केरल	15.00	5.00	10.00	5.00	10.00	45.00	10	55.00	0.550
मध्य प्रदेश	5.00	10.00		5.00	10.00	30.00	30	60.00	0.600
महाराष्ट्र	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	50.00	20	70.00	0.700
मणिपुर	5.00			15.00	10.00	30.00	30	60.00	0.600
मेघालय	5.00			15.00	10.00	30.00	10	40.00	0.400
मिजोरम	5.00			15.00	10.00	30.00	20	50.00	0.500
नागालैंड	5.00			15.00	10.00	30.00	20	50.00	0.500
ओडिशा	15.00	15.00	15.00	5.00	10.00	60.00	30	90.00	0.900
पंजाब	15.00	5.00		5.00	10.00	35.00	10	45.00	0.450
राजस्थान	5.00	15.00		5.00	10.00	35.00	20	55.00	0.550
सिक्किम	5.00			15.00	10.00	30.00	10	40.00	0.400
तमिलनाडु	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	45.00	10	55.00	0.550
तेलंगाना	5.00	15.00		5.00	10.00	35.00	10	45.00	0.450
त्रिपुरा	15.00			15.00	10.00	40.00	20	60.00	0.600
उत्तर प्रदेश	15.00	10.00		10.00	10.00	45.00	30	75.00	0.750
उत्तराखंड	15.00			15.00	10.00	40.00	10	50.00	0.500
पश्चिम बंगाल	15.00	5.00	15.00	10.00	10.00	55.00	20	75.00	0.750

स्कोरिंग स्कीम (आपदाएं)			
आपदाएं	उच्चतम	मध्यम	न्यूनतम
बाढ़	15.00	10.00	5.00
सूखा	15.00	10.00	5.00
चक्रवात	15.00	10.00	5.00
भूकंप	15.00	10.00	5.00
अन्य	10.00		

स्कोरिंग सिस्टम	गरीबी
न्यून - 10.00	13% से कम
मध्यम - 20.00	13% और 26% के बीच
उच्च - 30.00	26% और 40% के बीच

अनुलग्नक 8.3ख

आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तरीय आबंटनों के निर्धारण के लिए पद्धति

i) चूंकि एनडीआरएफ के लिए प्रावधान सीधे व्यय से जुड़ा हुआ है, हम आपदा प्रबंधन अर्थात एनडीआरएमएफ के लिए कुल राष्ट्रीय आबंटन की व्यय-आधारित पद्धति का प्रयोग कर अवधारित करते है।

ii) हमने आपदा प्रबंधन के लिए कुल राष्ट्रीय आबंटन को वास्तविक व्यय (वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक) और बजटीय व्यय (वर्ष 2018-19 और 2019-20) के व्ययय को परिकलित करने के उपरांत उसे पांच वर्षों (वर्ष 2015-16 से 2019-20) की मुद्रास्फीति से समायोजित किया है।

iii) पांच वर्षों के मुद्रास्फीति-समायोजित व्यय की औसत को तत्पश्चात 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है ताकि आधार आंकड़ा प्राप्त किया जा सके।

iv) इस आधार राशि को ध्यान में रखकर, वर्ष 2020-21 के लिए आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आबंटन का आकलन 5 प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति के साथ किया गया है।

v) इस प्रक्रिया ने एनडीआरएमएफ के लिए निधियों के आकार को वर्ष 2020-21 के लिए 12,390 करोड़ रुपए निर्धारित किया है।

अनुलग्नक 8.4
(पैरा 8.55)

क्षेत्रफल (15 प्रतिशत), जनसंख्या (15 प्रतिशत), औसत व्यय (70 प्रतिशत) और आपदा जोखिम सूचकांक विधि के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए वार्षिक राज्य-वार आबंटन

(करोड़ रु.)

राज्य/वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	(2021-26)
आंध्र प्रदेश	1491	1491	1566	1644	1726	1812	8239
अरूणाचल प्रदेश	278	278	292	307	321	338	1536
असम	858	858	901	946	994	1043	4742
बिहार	1888	1888	1983	2081	2185	2295	10432
छत्तीसगढ़	576	576	605	635	667	700	3183
गोवा	15	15	16	16	17	19	83
गुजरात	1765	1765	1853	1946	2044	2145	9753
हरियाणा	655	655	688	722	758	796	3619
हिमाचल प्रदेश	454	454	476	501	525	552	2508
झारखंड	757	757	794	834	877	920	4182
कर्नाटक	1054	1054	1107	1162	1220	1281	5824
केरल	419	419	440	462	485	510	2316
मध्य प्रदेश	2427	2427	2548	2676	2810	2950	13411
महाराष्ट्र	4296	4296	4511	4736	4973	5221	23737
मणिपुर	47	47	49	52	55	57	260
मेघालय	73	73	76	81	84	89	403
मिजोरम	52	52	54	58	60	63	287
नागालैंड	46	46	48	51	53	56	254
ओडिशा	2139	2139	2246	2358	2476	2600	11819
पंजाब	660	660	693	728	764	803	3648
राजस्थान	1975	1975	2074	2178	2286	2400	10913
सिक्किम	56	56	59	62	65	68	310
तमिलनाडु	1360	1360	1428	1500	1575	1653	7516
तेलंगाना	599	599	629	660	694	728	3310
त्रिपुरा	76	76	79	84	88	93	420
उत्तर प्रदेश	2578	2578	2707	2842	2985	3134	14246
उत्तराखंड	1041	1041	1093	1148	1205	1265	5752
पश्चिम बंगाल	1348	1348	1416	1487	1560	1639	7450
सभी राज्य	**28983**	**28983**	**30431**	**31957**	**33552**	**35230**	**160153**

अनुलग्नक 8.5
(पैरा 8.53 एवं 8.55)

एसडीआरएमएफ में संघ और राज्यों की हिस्सेदारी (2021-26)

(करोड़ रु.)

राज्य/वर्ष	संघ की हिस्सेदारी						राज्य की हिस्सेदारी					
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total (2021-26)	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल (2021-26)
आंध्र प्रदेश	1119	1175	1234	1295	1360	**6183**	372	391	410	431	452	**2056**
अरूणाचल प्रदेश	250	263	276	289	304	**1382**	28	29	31	32	34	**154**
असम	772	811	851	895	939	**4268**	86	90	95	99	104	**474**
बिहार	1416	1487	1561	1639	1721	**7824**	472	496	520	546	574	**2608**
छत्तीसगढ़	432	454	476	500	525	**2387**	144	151	159	167	175	**796**
गोवा	12	12	12	13	14	**63**	3	4	4	4	5	**20**
गुजरात	1324	1390	1460	1533	1609	**7316**	441	463	486	511	536	**2437**
हरियाणा	491	516	542	569	597	**2715**	164	172	180	189	199	**904**
हिमाचल प्रदेश	409	428	451	473	497	**2258**	45	48	50	52	55	**250**
झारखंड	568	596	626	658	690	**3138**	189	198	208	219	230	**1044**
कर्नाटक	791	830	872	915	961	**4369**	263	277	290	305	320	**1455**
केरल	314	330	347	364	383	**1738**	105	110	115	121	127	**578**
मध्य प्रदेश	1820	1911	2007	2108	2213	**10059**	607	637	669	702	737	**3352**
महाराष्ट्र	3222	3383	3552	3730	3916	**17803**	1074	1128	1184	1243	1305	**5934**
मणिपुर	42	44	47	50	51	**234**	5	5	5	5	6	**26**
मेघालय	66	68	73	76	80	**363**	7	8	8	8	9	**40**
मिजोरम	47	49	52	54	57	**259**	5	5	6	6	6	**28**
नागालैंड	41	43	46	48	50	**228**	5	5	5	5	6	**26**
ओडिशा	1604	1685	1769	1857	1950	**8865**	535	561	589	619	650	**2954**
पंजाब	495	520	546	573	602	**2736**	165	173	182	191	201	**912**
राजस्थान	1481	1556	1634	1715	1800	**8186**	494	518	544	571	600	**2727**
सिक्किम	50	53	56	59	61	**279**	6	6	6	6	7	**31**
तमिलनाडु	1020	1071	1125	1181	1240	**5637**	340	357	375	394	413	**1879**
तेलंगाना	449	472	495	521	546	**2483**	150	157	165	173	182	**827**
त्रिपुरा	68	71	76	79	84	**378**	8	8	8	9	9	**42**
उत्तर प्रदेश	1933	2030	2132	2239	2351	**10685**	645	677	710	746	783	**3561**
उत्तराखंड	937	984	1033	1085	1139	**5178**	104	109	115	120	126	**574**
पश्चिम बंगाल	1011	1062	1115	1170	1229	**5587**	337	354	372	390	410	**1863**
सभी राज्य	**22184**	**23294**	**24466**	**25688**	**26969**	**122601**	**6799**	**7137**	**7491**	**7864**	**8261**	**37552**

अनुलग्नक 9.1
(पैरा 9.7)

स्वास्थ्य और पोषण संकेतक

राज्य	अल्प वजन के बच्चे (%)	बच्चों में वृद्धिरोध (%)	बच्चों में अरक्तता (%)	अल्प वजन की महिलाएं (%)	महिलाओं में अरक्तता (%)	संस्थानिक प्रसव: कुल प्रसवों का (%)	आईएमआर (प्रति 1000 जीवित जन्म)
आंध्र प्रदेश	31.9	31.4	58.6	17.6	60.0	91.5	29
अरुणाचल प्रदेश	19.4	29.4	54.2	8.5	43.2	52.2	37
असम	29.8	36.4	35.7	25.7	46.0	70.6	41
बिहार	43.9	48.3	63.5	30.4	60.3	63.8	32
छत्तीसगढ़	37.7	37.6	41.6	26.7	47.0	70.2	41
गोवा	23.8	20.1	48.3	14.7	31.3	96.9	7
गुजरात	39.3	38.5	62.6	27.2	54.9	88.5	28
हरियाणा	29.4	34.0	71.7	15.8	62.7	80.4	30
हिमाचल प्रदेश	21.2	26.3	53.7	16.2	53.5	76.4	19
जम्मू और कश्मीर	16.6	27.4	54.5	12.1	49.4	85.6	22
झारखंड	47.8	45.3	69.9	31.5	65.2	61.9	30
कर्नाटक	35.2	36.2	60.9	20.7	44.8	94.0	23
केरल	16.1	19.7	35.7	9.7	34.3	99.8	7
मध्य प्रदेश	42.8	42	68.9	28.4	52.5	80.8	48
महाराष्ट्र	36.0	34.4	53.8	23.5	48.0	90.3	19
मणिपुर	13.8	28.9	23.9	8.8	26.4	69.1	11
मेघालय	28.9	43.8	48.0	12.1	56.2	51.4	33
मिजोरम	12	28.1	19.3	8.4	24.8	79.7	5
नागालैंड	16.7	28.6	26.4	12.3	27.9	32.8	4
ओडिशा	34.4	34.1	44.6	26.5	51.0	85.3	40
पंजाब	21.6	25.7	56.6	11.7	53.5	90.5	20
राजस्थान	36.7	39.1	60.3	27.0	46.8	84.0	37
सिक्किम	14.2	29.6	55.1	6.4	34.9	94.7	7
तमिलनाडु	23.8	27.1	50.7	14.6	55.0	98.9	15
तेलंगाना	28.4	28.0	60.7	22.9	56.6	91.5	27
त्रिपुरा	24.1	24.3	48.3	18.9	54.5	79.9	27
उत्तर प्रदेश	39.5	46.3	63.2	25.3	52.4	67.8	43
उत्तराखंड	26.6	33.5	59.8	18.4	45.2	68.6	31
पश्चिम बंगाल	31.6	32.5	54.2	21.3	62.5	75.2	22
भारत	**35.8**	**38.4**	**58.6**	**22.9**	**53.1**	**78.9**	**32**

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16; प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली-, 2018

टिप्पणी: अलग-अलग रंग से रंगी हुई योजनाएं अलग-अलग रेंज को दर्शाती है, जिसमें से गहरा लाल रंग प्रत्येक कॉलम में सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांक और और गहरा हरा रंग सर्वोत्तम स्वास्थ्य सूचकांक को दर्शाता है।

अनुलग्नक: 9.2
(पैरा 9.8)

प्रमुख राज्यों में जीवन प्रत्याशा*

(वर्ष)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2012-16			2013-17		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्र प्रदेश	68.0	71.4	69.6	68.3	71.2	69.7
असम	64.4	66.8	65.5	65.4	67.3	66.2
बिहार	68.9	68.5	68.7	69.2	68.6	68.9
छत्तीसगढ़	63.6	66.8	65.2	63.8	66.6	65.2
दिल्ली	72.7	75.9	74.2	73.3	76.3	74.7
गुजरात	67.4	71.8	69.5	67.6	72.0	69.7
हरियाणा	67.2	72.0	69.4	67.6	72.3	69.7
हिमाचल प्रदेश	69.4	75.5	72.3	69.8	75.6	72.6
जम्मू और कश्मीर	71.6	76.2	73.5	72.1	76.7	74.1
झारखंड	67.8	68.0	67.9	68.8	68.4	68.6
कर्नाटक	67.6	70.7	69.1	67.7	70.8	69.2
केरल	72.2	77.9	75.1	72.5	77.8	75.2
मध्य प्रदेश	63.7	67.2	65.4	64.2	67.9	66.0
महाराष्ट्र	70.8	73.7	72.2	71.2	73.9	72.5
ओडिशा	66.2	69.1	67.6	67.1	69.9	68.4
पंजाब	71.0	74.2	72.5	71.0	74.0	72.4
राजस्थान	66.1	70.7	68.3	66.3	70.9	68.5
तमिलनाडु	69.5	73.4	71.4	69.9	73.7	71.7
उत्तर प्रदेश	63.9	65.6	64.8	64.3	65.6	65.0
उत्तराखंड	68.5	74.8	71.5	68.8	74.2	71.0
पश्चिम बंगाल	69.8	71.9	70.8	70.4	72.2	71.2
समस्त भारत	**67.4**	**70.9**	**68.7**	**67.8**	**70.4**	**69.0**

**पंचवार्षिक सर्वेक्षण*
स्रोत : प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, बुलेटिन, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

अनुलग्नक 9.3
(पैरा 9.13)

ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यावधि की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी (1 जुलाई 2019 तक)

राज्य	उप केंद्र और एचडबल्यूसी-एससी				पीएचसी और एचडबल्यूसी-पीएचसी				सीएचसी			
	अपेक्षित	वर्तमान स्थिति	कमी	%	अपेक्षित	वर्तमान स्थिति	कमी	%	अपेक्षित	वर्तमान स्थिति	कमी	%
	R	P	S	कमी	R	P	S	कमी	R	P	S	कमी
आंध्र प्रदेश	7178	7437	*	*	1183	1145	38	3	295	140	155	53
अरुणाचल प्रदेश	338	385	*	*	51	143	*	*	12	63	*	*
असम	6374	4643	1731	27	1040	946	94	9	260	177	83	32
बिहार	21337	9949	11388	53	3548	1899	1649	46	887	150	737	83
छत्तीसगढ़	5323	5205	118	2	843	792	51	6	210	170	40	19
गोवा	96	219	*	*	15	24	*	*	3	5	*	*
गुजरात	8055	9166	*	*	1308	1476	*	*	327	362	*	*
हरियाणा	3460	2604	856	25	576	379	197	34	144	115	29	20
हिमाचल प्रदेश	1366	2089	*	*	225	586	*	*	56	87	*	*
जम्मू और कश्मीर	2102	3025	*	*	342	622	*	*	85	84	1	1
झारखंड	6768	3848	2920	43	1079	298	781	72	269	171	98	36
कर्नाटक	8028	9758	*	*	1318	2127	*	*	329	198	131	40
केरल	2340	5380	*	*	388	848	*	*	97	227	*	*
मध्य प्रदेश	13935	10226	3709	27	2233	1199	1034	46	558	309	249	45
महाराष्ट्र	14112	10668	3444	24	2299	1828	471	20	574	364	210	37
मणिपुर	537	490	47	9	84	90	*	*	21	23	*	*
मेघालय	822	477	345	42	124	118	6	5	31	28	3	10
मिजोरम	179	370	*	*	27	59	*	*	6	9	*	*
नागालैंड	414	433	*	*	62	126	*	*	15	21	*	*
ओडिशा	8382	6688	1694	20	1345	1288	57	4	336	377	*	*
पंजाब	3562	2950	612	17	593	416	177	30	148	89	59	40
राजस्थान	12761	13512	*	*	2073	2082	*	*	518	571	*	*
सिक्किम	96	176	*	*	15	29	*	*	3	2	1	33
तमिलनाडु	7355	8713	*	*	1222	1422	*	*	305	385	*	*
तेलंगाना	4479	4744	*	*	731	636	95	13	182	85	97	53
त्रिपुरा	661	972	*	*	104	108	*	*	26	18	8	31
उत्तराखंड	1509	1847	*	*	250	257	*	*	62	67	*	*
उत्तर प्रदेश	34726	20782	13944	40	5781	2936	2845	49	1445	679	766	53
पश्चिम बंगाल	13226	10357	2869	22	2177	908	1269	58	544	348	196	36
संघ राज्य क्षेत्र	244	298	59^		38	68	*	*	8	11	2^	
कुल	**189765**	**157411**	**43736**	**23**	**31074**	**24855**	**8764**	**28**	**7756**	**5335**	**2865**	**37**

स्त्रोत : ग्रामिण स्वास्थ्य सांख्यिकी,2018-19

टिप्पणी: अलग-अलग रंग से रंगी हुई योजनाएं अलग-अलग रेंज को दर्शाती है, जिसमें से गहरा लाल रंग प्रत्येक कॉलम में सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांक और गहरा हरा रंग सर्वोत्तम स्वास्थ्य सूचकांक को दर्शाता है। ^संघ राज्य क्षेत्र का 'अपेक्षित' एवं 'विद्यमान' अंतर अधिशेष को इंगित करता है। तथापि दिल्ली में 22 उपकेंद्रों तथा पुदुचेरी में 37 उपकेंद्रों की कमी है। उसी प्रकार दिल्ली में 1 सीएचसी तथा पुदुचेरी में 1 सीएचसी की कमी है।

अनुलग्नक 9.4
(पैरा 9.15)

भारत में चिकित्सकों की संख्या

राज्य	कुल एलोपैथिक चिकित्सक	सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक	आयुष पंजीकृत प्रैक्टिशनर #	पीएचसी में चिकित्सकों की संख्या^	जनसंख्या / एलोपैथिक चिकित्सक	जनसंख्या / आयुष पंजीकृत प्रैक्टिशनर	जनसंख्या / सरकारी चिकित्सक	जनसंख्या / पीएचसी चिकित्सक
आंध्र प्रदेश	100587	5114	21993	2045	491	2246	9657	24150
अरुणाचल प्रदेश	973	549	393	125	1422	3522	2521	11072
असम	23804	6082	2178	1376	1311	14328	5131	22679
बिहार	40649	2792	136470	1786	2561	763	37285	58286
छत्तीसगढ़	8771	1626	5607	359	2912	4556	15710	71156
गोवा	3840	644	1382	56	380	1056	2266	26054
गुजरात	66944	5475	49973	1321	903	1209	11039	45753
हरियाणा	5717	2618	14121	491	4434	1795	9683	51631
हिमाचल प्रदेश	3054	1517	11620	622	2248	591	4525	11037
जम्मू और कश्मीर	15038	4058	6129	694	834	2046	3090	18071
झारखंड	5764	1793	811	340	5723	40676	18398	97024
कर्नाटक	120261	5046	48326	2136	508	1264	12108	28603
केरल	59353	5239	41606	1169	563	803	6376	28577
मध्य प्रदेश	38180	4588	67063	1112	1902	1083	15830	65312
महाराष्ट्र	173384	6981	153147	2929	648	734	16097	38366
मणिपुर	NA	1099	NA	194	NA	NA	2338	13247
मेघालय	NA	585	368	130	NA	8063	5072	22823
मिजोरम	74	437	NA	59	14824	NA	2510	18593
नागालैंड	116	332	143	118	17060	13839	5961	16771
ओडिशा	22521	4300	14725	917	1864	2851	9761	45773
पंजाब	48351	3331	15996	480	574	1734	8329	57798
राजस्थान	43388	7227	18816	2396	1580	3643	9485	28609
सिक्किम	1405	268	NA	24	435	NA	2280	25458
तमिलनाडु	133918	7233	18767	2780	539	3844	9975	25952
तेलंगाना	4942	4123	20926	1066	7121	1682	8536	33015
त्रिपुरा	1718	1256	447	119	2139	8219	2925	30874
उत्तर प्रदेश	77549	10754	85489	1344	2577	2337	18580	148670
उत्तराखंड	8309	1344	4073	241	1214	2476	7504	41851
पश्चिम बंगाल	72016	8829	46949	1016	1267	1944	10338	89839
संघ राज्य क्षेत्र	21394	11517	12361	122				
एमसीआई	52666							
कुल	**1154686**	**116757**	**799879**	**27567**				

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़ें, 2019 और जनगणना, 2011

** मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता (भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के तहत) वर्ष 2010 से 2018 तक राज्य आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से (संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक); # भारत में (यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सक); 1 जनवरी 2018; ^ 31 मार्च 2018 तक पंजीकृत।*

टिप्पणी 1: अलग-अलग रंग से रंगी हुई योजनाएं अलग-अलग रेंज को दर्शाती है, जिसमें से गहरा लाल रंग प्रत्येक कॉलम में सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांक और गहरा हरा रंग सर्वोत्तम स्वास्थ्य सूचकांक को दर्शाता है।

टिप्पणी 2: एलोपैथिक चिकित्सक 2010 से 2018 तक (संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक) राज्य आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत हैं। नागालैंड में, 2015 से, मिजोरम में 2014 से, त्रिपुरा में 2013 से, तेलंगाना में 2015 से, हरियाणा में 2011 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या को दर्शाया गया है, अन्य सभी राज्यों में 2018 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या को दर्शाया गया है।

अनुलग्नक 9.5
(पैरा 9.15)

भारत में नर्सों और भेषजज्ञों की कुल संख्या

राज्य	31-12-2017 तक भारत में कुल पंजीकृत नर्सों की संख्या			कुल नर्स	27-03-2019 तक भेषजज्ञ	प्रति नर्स जनसंख्या	प्रति भेषजज्ञ जनसंख्या
	एएनएम	आरएन व आरएम	एलएचवी				
आंध्र प्रदेश	138435	232621	2480	373536	50247	132	983
अरुणाचल प्रदेश	971	938	15	1924	279	719	4961
असम	27925	22388	353	50666	15462	616	2018
बिहार	8624	9413	511	18548	24341	5612	4277
छत्तीसगढ़	13329	13048	1352	27729	9716	921	2629
गोवा	एनए	एनए	एनए	एनए	3539	एनए	412
गुजरात	45908	114284	एनए	160192	66237	377	912
हरियाणा	24675	28356	694	53725	32744	472	774
हिमाचल प्रदेश	11673	20934	500	33107	9369	207	733
झारखंड	4755	3310	142	8207	2337	4019	14116
कर्नाटक	54039	231643	6840	292522	57648	209	1060
केरल	30530	261951	8507	300988	64223	111	520
मध्य प्रदेश	39563	118793	1731	160087	54181	454	1340
महाराष्ट्र	65544	128776	594	194914	233322	577	482
मणिपुर	3621	7835	एनए	11456	1273	224	2019
मेघालय	1715	5540	198	7453	899	398	3300
मिजोरम	2157	3634	एनए	5791	1313	189	835
नागालैंड		एनए	एनए	एनए	1553	एनए	1274
ओडिशा	62159	75575	238	137972	32386	304	1296
पंजाब	23029	76680	2584	102293	47570	271	583
राजस्थान	108688	200171	2732	311591	51054	220	1343
सिक्किम	39	283	N/A	322	281	1898	2174
तमिलनाडु	57839	277107	11219	346165	72241	208	999
तेलंगाना	2762	9397		12159	64881	2894	542
त्रिपुरा	2232	4140	148	6520	4747	563	774
उत्तर प्रदेश	60258	74777	2763	137798	84300	1450	2370
उत्तराखंड	2401	2613	14	5028	16148	2006	625
पश्चिम बंगाल	63731	63197	12854	139782	89630	653	1018
संघ राज्य क्षेत्र	4325	61575		65900	33301		
कुल	**860927**	**2048979**	**56469**	**2966375**	**1125222**		

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़ें, 2019 और जनगणना, 2011

टिप्पणी: एएनएम – सहायक परिचर्या धात्री; आरएन/आरएम – पंजीकृत नर्स/ पंजीकृत धात्री ; एलएचवी – महिला स्वास्थ्य आगंतुक; एनए : उपलब्ध नहीं

अलग-अलग रंग से रंगी हुई योजनाएं अलग-अलग रेंज को दर्शाती है, जिसमें से गहरा लाल रंग प्रत्येक कॉलम में सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांक और और और गहरा हरा रंग सर्वोत्तम स्वास्थ्य सूचकांक को दर्शाता है।

अनुलग्नक 9.6
(पैरा 9.15)

सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की कमी
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार)

राज्य	मौजूदा सुविधाओं में मानव संसाधनों की कमी	नवीन सुविधाओं में मानव संसाधनों की कमी (यदि जनसंख्या मानकों द्वारा निर्मित हों)	मानव संसाधनों में कुल कमी
आंध्र प्रदेश	7596	145 43	22139
अरुणाचल प्रदेश	7866	1204	9070
असम	12513	11054	23567
बिहार	24078	91688	115766
छत्तीसगढ़	9356	7329	16685
गोवा	93	172	265
गुजरात	15913	9144	25057
हरियाणा	5214	8066	13280
हिमाचल प्रदेश	4794	1341	6135
झारखंड	7185	26701	33886
कर्नाटक	13845	148 33	28678
केरल	12489	4298	16787
मध्य प्रदेश	29745	53536	83281
महाराष्ट्र	20728	41169	61897
मणिपुर	2272	1659	3931
मेघालय	1726	1913	3639
मिजोरम	1306	283	1589
नागालैंड	3600	238	3838
ओडिशा	17410	10660	28070
पंजाब	3842	9104	12946
राजस्थान	11784	12492	24276
सिक्किम	97	160	257
तमिलनाडु	11954	7256	19210
तेलंगाना	49	14863	19818
त्रिपुरा	723	1129	1852
उत्तर प्रदेश	67821	159286	227107
उत्तराखंड	5357	1591	6948
पश्चिम बंगाल	2435	48509	50944
संघ राज्य क्षेत्र	16718	2509	19227
कुल	**323415**	**556728**	**880143**

अनुलग्नक 9.7
(पैरा 9.33)

विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुशंसाएं

पंद्रहवीं वित्त आयोग की अवधि के दौरान सभी हितधारकों से प्राप्त अनुशंसाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः सामान्य, स्वास्थ्य अवसंरचना एवं सेवा प्रदान करने और स्वास्थ्य कर्मचारी / आयुर्विज्ञान शिक्षा। इनका सारांश नीचे दिया गया है।

I. सामान्य

i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किया गया संयुक्त व्यय 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.96 प्रतिशत रहा है। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को प्रगतिशील तरीके से जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 2017 द्वारा भी अनुशंसित)

ii. वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य पर अपने कुल व्यय का औसतन 5.18 प्रतिशत खर्च करते हैं राज्यों को अपने स्वास्थ्य व्यय को अपने बजट के 8 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाना चाहिए। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 2017 द्वारा भी अनुशंसित)

iii. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रत्येक राज्य की सर्वोच्च मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य पर व्यय, स्वास्थ्य पर कुल व्यय का 53 प्रतिशत है। इसे कुल स्वास्थ्य व्यय के दो-तिहाई तक बढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक देखभाल स्तर स्वास्थ्य सेवाओं की 90 प्रतिशत मांगों को पूरा कर सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन शामिल है, में निवेश करने पर बहुत कम लागत में बेहतर स्वास्थ्य और विकासात्मक परिणाम प्राप्त होगा – जो बीमारी की रोकथाम और सामान्य स्वास्थ्य संवर्धन कर महंगी, क्रिटिकल केयर की आवश्यकता को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति -2017 द्वारा भी अनुशंसित)

iv. चिकित्सकों की उपलब्धता में अंतर-राज्य की असमानता को देखते हुए, अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का निर्माण करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, यूपीएससी को राज्य सरकार से राज्यवार अधियाचनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक भर्तियां करनी होंगी।

v. सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों को राज्य सूची के मौजूदा समनुदेशन से संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में लाया जा सकता है।

vi. स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए।

vii. खर्च की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, (क) बजट निष्पादन में सुधार के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों की आवश्यकता है; (ख) राज्यों से जिलों को संसाधन आबंटन सूत्र में ऐतिहासिक मानदंडों के बजाय जनसंख्या की जरूरतें (मृत्यु दर / रुग्णता / समानता) प्रतिबिंबित होने चाहिए; (ग) स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का विखंडन कम किया जाना चाहिए; और (घ) मांग-पक्ष वित्तपोषण के कार्य-प्रणालियों में क्रमिक बदलाव किए जाने चाहिए।

viii. स्वास्थ्य के क्षेत्र में इक्विटी और आवश्यकता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च से संबंधित होना चाहिए। इसी प्रकार, गरीब राज्यों में प्रति लाभार्थी खर्च बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता आधारित स्थानांतरण सूत्र सावधानी से डिज़ाइन किए जाने चाहिए। साथ ही, एक अलग स्वास्थ्य समकरण पूल की जरूरत है। स्पष्ट जवाबदेही रूपरेखा, जिसमें लक्षित परिणाम शामिल हो, को विकसित किया जाना चाहिए।

ix. राज्यों के भीतर संसाधन आबंटन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में, प्रमुख शहरी क्षेत्र, शहरी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए कम तैयार है। इसके अलावा, राज्यों के भीतर, जिलों (मृत्यु दर, गरीबी) की जरूरतों और संसाधनों के आबंटन के बीच एक कमजोर लिंक हैं।

x. रोग संबंधी तैयारी, निदान, जांच, रेस्पोंस और जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए। टीबी, एचआईवी, वेक्टर-जनित रोग जैसे ऊर्ध्वाधर रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में संस्थागत सुधार और नवप्रवर्तन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संसाधनों और क्षमता निर्माण के संबंध में स्थानीय शासनों को भी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में एक वृद्धिशील भूमिका निभा सकें।

xi. स्वास्थ्य अनुसंधान में अधिक निवेश की आवश्यकता है।

II. स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवा प्रदान करना

i. आने वाले पांच वर्षों में, समुदाय के निकट 3,000 से 5,000 शय्या वाले छोटे अस्पताल बनाए जा सकते हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। सरकार निजी क्षेत्र के निवेश

को प्रोत्साहित करने की कार्य-नीति पर काम कर सकती है, ताकि अस्पतालों में स्तर II और स्तर III शहरों में इस अवसंरचना का विकास किया जा सके।

ii. संपूर्ण सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में नियमित चिकित्सा कार्यकलापों जैसे, दैनिक आधार पर किए गए रक्त संग्रह, रक्ताधान, शल्यचिकित्सा, अपोहन (डायलिसिस) आदि के डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

iii. सेवा प्रदान करने के संबंध में नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार के नवप्रवर्तन किए जा सकते हैं: (क) प्रौद्योगिकी सोल्यूशन की शुरूआत; (ख) निजी प्रदाताओं को संविदा पर शहरी क्षेत्रों में पीएचसी चलाने की अनुमति देना; (ग) डिजिटल प्रौद्योगिकी, डेटा विज्ञान, पिरामिड मॉडल के नींव के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना; और (घ) सामुदायिक लामबंदी करना।

iv. मुख्य लोक स्वास्थ्य कार्यों को मजबूत करने की आवश्यकता है। नए टीके, दवाओं और निदान जैसे वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। टीबी निदान सूचकांक के माध्यम से राज्यों और जिलों को टीबी निदान और उपचार और निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन के लिए निजी क्षेत्र को लगाया जा सकता है।

v. एक आकार जो सभी फॉर्मूले में फिट होता है, वह सेवा प्रदान करने के लिए व्यवहारिक नहीं है। सेवा प्रदान करना, एक मजबूत सरकारी / निजी मिश्रित प्रणाली पर निर्भर करती है।

vi. भारत सरकार को सेवा प्रदान करने संबंधी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए 'मुक्त स्रोत' दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषण, जिससे कार्यान्वयन और पाठ्यक्रम-सुधार में नम्यता प्राप्त होती है, के दृष्टिकोण को केंद्रीय योजनाओं से जुड़े राज्यों के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित करने और ज्ञान हस्तांतरण प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए अपनाया जा सकता है।

vii. भविष्य की महामारियों की पहचान करने और उनका जवाब देने के लिए निगरानी और जिला स्तर की क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

क. उन राज्यों में जहां क्षमता कमजोर है, एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अवसंरचना और कार्यों को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन लक्षित निवेश किया जाना चाहिए।

ख. विभिन्न राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर एकीकृत रोग निगरानी में महत्वपूर्ण दक्षता रखने वाली जिला निगरानी टीमों को विकसित और तैनात किया जाना चाहिए, ताकि

प्रारंभिक और उचित रेस्पोंस (महामारी आसूचना सेवा) के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाया जा सके।

ग. मानव और पशु स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक वास्तविक समय निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित और कार्यान्वित किए जाने चाहिए, क्योंकि भविष्य के अधिकांश रोग पशुजन्य होंगें।

घ. रोग की तैयारी और रेस्पोंस के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए।

III. स्वास्थ्य कार्मिक / आयुर्विज्ञान शिक्षा

क. चिकित्सक

i. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए, जैसे - (क) एमबीबीएस पाठ्यक्रम को क्षमता आधारित बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया जा सकता है; (ख) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता की एक निश्चित डिग्री को शामिल किया जा सकता है और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) को आयुर्विज्ञान तथा शल्य-चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) चिकित्सकों के लिए आरोग्य निदानशालाओं में, बुनियादी शल्य-चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाओं, संवेदनाहरण, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान, आंख, कर्ण नासा कंठ (ईएनटी) आदि पर लघु पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए कहा जा सकता है और कायचिकित्सा में अवर स्नातक करने वाले छात्रों को आयुष को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

ii. छात्र विकास की सुविधाओं के साथ आवासीय परिसरों वाले आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में ही अवर स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए यह अपेक्षित नहीं है। स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा ऐसे किसी भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों, जिनके पास संबंद्ध आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और आवासीय परिसर नहीं है, में भी प्रदान किया जा सकता है।

iii. डीएनबी कार्यक्रम चलाने वाले निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों और अस्पतालों को आयकर अधिनियम की धारा 80जजक या किसी अन्य कर प्रोत्साहन, जिसे उचित समझा जाए, के अंतर्गत कर प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जिसे परिणाम से जोड़ा जाना चाहिए।

iv. स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने वाले एवं आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाले लोगों को अलग-अलग आयुर्विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। सेवा प्रदाता भी आयुर्विज्ञान शिक्षकों की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षकों से अलग एक पृथक संवर्ग में वे ऐसा कर सकते हैं। जो लोग अकादमिक पदनाम प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा यथा-अधिदेशित अपेक्षित अनुसंधान अनुभव और प्रकाशन को प्रदर्शित करना होगा। यह व्यवस्था संबंधी उपबंधों का समन्वेषण एमसीआई / एनएमसी द्वारा किया सकता है। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सेवारत संकाय को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षा और अनुसंधान से समझौता करना पड़ेगा। उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। इष्टतम क्षतिपूर्ति, कार्य की शर्तें, पोदन्नति के अवसर, स्थानांतरण नीति आदि जैसे मुद्दों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है।

v. सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों से अवर स्नातक करने वाले आयुर्विज्ञान छात्रों के लिए एक सामान्य बहिर्गमन परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा में इन छात्रों का प्रदर्शन के आधार पर आने वाले वर्षों में संबंधित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में अवर स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षण के लिए संबद्धता और सीटों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी, जिससे आयुर्विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। एमसीआई / एनएमसी के अंतर्गत विशेषज्ञता बोर्ड का गठन किया जा सकता है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यवसायिक और सुप्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक सोसाइटियों के विभिन्न सदस्य, बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे।

vi. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन की कमी को संबद्ध स्वास्थ्य सेवा श्रमशक्ति में बहु-स्तरीय और बहु-कुशल मानव संसाधन, नर्सिंग और नियोजित सामुदायिक कार्यकर्ताओं से पूरा किया जा सकता है। एमबीबीएस चिकित्सकों और विशेषज्ञों की कमी को दूर किया जाना चाहिए। सरकार को, 2025 तक, आयुर्विज्ञान अवसंरचना को मजबूत करने में सक्षम हो जाना चाहिए ताकि प्रत्येक आयुर्विज्ञान अवर स्नातक के पास स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मौजूद हो सके। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि नियामक निकायों जैसे एमसीआई / एनएमसी / डीएनबी को विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि बालरोग विज्ञान (पीडियाट्रिक्स), प्रसूतिविज्ञान और स्त्रीरोगविज्ञान, संवेदनाहरण विज्ञान, अस्थिरोगविज्ञान (आर्थोपेडिक्स), पारिवारिक कायचिकित्सा, नेत्रविज्ञान आदि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा को बहाल करना चाहिए और इसकी अधिकांश सीटें सेवाकालीन उम्मीदवारों को दी जानी चाहिए। साथ ही, भारत में पारिवारिक कायचिकित्सकों की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, सरकार को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में निजी चिकित्सकों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए।

vii. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के असम्मित वितरण को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में स्थित हैं। जिला अस्पताल, निजी क्षेत्र की सुविधाओं और कॉर्पोरेट अस्पतालो सहित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग विशेषज्ञ डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे न केवल सेवा के प्रावधानों में संवर्धन होगा, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

III. ख. संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिक

i. संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिक कौशल भारत (स्किल इंडिया) से प्रत्यायित होने चाहिए।

ii. भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 के माध्यम से परिचर्या परिषद (नर्सिंग काउंसिल) के कामकाज को सुधारने और उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि परिचर्या महाविद्यालयों के शिक्षकों को परिचर्या महाविद्यालय तक सीमित रखने के बजाय अस्पताल सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए। परिचर्या व्यावसायिकों को एक बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता है और नर्स प्रैक्टिसनर, कायचिकित्सक सहायक, संवेदनाहरण विज्ञानी नर्स आदि की अवधारणा को परिचर्या व्यावसायिकों के बेहतर उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

iii. **एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल, 2018** को राज्यसभा में पेश किया गया था और 2019 में स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य संबद्ध और स्वास्थ्य व्यावसायिकों की शिक्षा और व्यवहार को विनियमित करने और मानकीकृत करने के लिए एक व्यापक नियामक प्रणाली स्थापित करना है। इसके माध्यम से संबद्ध और स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिकों की कुछ मान्यता प्राप्त श्रेणियों, जैसे कि जीव विज्ञान व्यवसायिक, शल्य-चिकित्सा और संवेदनाहरण से संबंधित प्रौद्योगिकी व्यवसायिक, अभिघात और बर्न केयर प्रोफेशनल, भैतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) और पोषण विज्ञान व्यवसायिक को निर्दिष्ट किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कमी को दूर करने और चिकित्सीय पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में गति प्रदान करने के लिए भारत को संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों के लिए विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए। इस विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में बढोत्तरी की जा सके।

अनुलग्नक 9.8
(पैरा 9.55)

क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए अनुदान

राज्य	100 शय्या वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल (संख्या)	50 शय्या वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल (संख्या)	अनुदान(करोड़ रुपए)					
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	8	0	42	85	85	85	127	424
अरुणाचल प्रदेश	1	0	5	11	11	11	16	54
असम	3	29	97	194	194	194	291	970
बिहार	24	12	161	322	322	322	482	1609
छत्तीसगढ़	2	4	22	44	44	44	65	219
गोवा	0	1	3	6	6	6	8	29
गुजरात	10	0	53	106	106	106	159	530
हरियाणा	0	9	25	50	50	50	76	251
हिमाचल प्रदेश	1	3	14	27	27	27	41	136
झारखंड	6	7	51	103	103	103	154	514
कर्नाटक	10	2	59	117	117	117	176	586
केरल	5	0	27	53	53	53	80	266
मध्य प्रदेश	10	19	106	212	212	212	319	1061
महाराष्ट्र	21	12	145	290	290	290	435	1450
मणिपुर	1	1	8	16	16	16	24	80
मेघालय	1	1	8	16	16	16	24	80
मिजोरम	1	0	5	11	11	11	16	54
नागालैंड	1	0	5	11	11	11	16	54
ओडिशा	5	6	43	87	87	87	130	434
पंजाब	5	4	38	75	75	75	113	376
राजस्थान	11	0	58	117	117	117	175	584
सिक्किम	1	0	5	11	11	11	16	54
तमिलनाडु	10	0	53	106	106	106	159	530
तेलंगाना	3	4	27	54	54	54	81	270
त्रिपुरा	1	2	11	22	22	22	33	110
उत्तर प्रदेश	46	27	319	639	639	639	958	3194
उत्तराखंड	1	9	31	61	61	61	92	306
पश्चिम बंगाल	17	5	104	208	208	208	312	1040
सभी राज्य	**205**	**157**	**1525**	**3054**	**3054**	**3054**	**4578**	**15265**

अनुलग्नक 9.9
(पैरा 9.57)

जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए भौतिक लक्ष्य और अनुदान

राज्य	स्थापित किएजाने वाले कुल प्रयोग शालाएं	भौतिक लक्ष्य				अनुदान(करोड़ रुपए)					
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	13	1	4	6	2	1	2	4	3	0	10
अरुणाचल प्रदेश	22	2	6	9	5	0	1	2	2	0	5
असम	33	4	10	13	6	1	2	2	2	0	7
बिहार	38	4	12	15	7	2	7	11	10	0	30
छत्तीसगढ़	28	4	9	11	4	2	6	9	7	0	24
गोवा	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1
गुजरात	33	4	10	13	6	2	6	10	9	0	27
हरियाणा	22	2	6	9	5	1	4	6	6	0	17
हिमाचल प्रदेश	12	1	4	5	2	0	1	1	1	0	3
झारखंड	24	2	7	10	5	1	3	6	5	0	15
कर्नाटक	30	4	10	12	4	2	6	9	8	0	25
केरल	14	2	5	6	1	1	3	5	3	0	12
मध्य प्रदेश	55	6	17	23	9	3	10	17	14	0	44
महाराष्ट्र	36	4	11	14	7	2	7	11	10	0	30
मणिपुर	15	2	5	6	2	0	1	1	1	0	3
मेघालय	10	1	4	4	1	0	1	1	1	0	3
मिजोरम	10	1	4	4	1	0	1	1	1	0	3
नागालैंड	11	1	4	4	2	0	1	1	1	0	3
ओडिशा	30	4	10	12	4	2	6	9	8	0	25
पंजाब	22	2	6	9	5	1	4	6	6	0	17
राजस्थान	33	4	10	13	6	2	6	10	9	0	27
सिक्किम	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	38	4	12	15	7	2	7	11	10	0	30
तेलंगाना	33	4	10	13	6	2	6	10	9	0	27
त्रिपुरा	7	0	2	3	2	0	0	1	1	0	2
उत्तर प्रदेश	75	7	22	31	15	4	13	22	20	0	59
उत्तराखंड	13	1	4	6	2	0	1	1	1	0	3
पश्चिम बंगाल	23	2	7	10	4	1	4	7	5	0	17
कुल	**685**	**73**	**212**	**277**	**123**	**32**	**109**	**174**	**154**	**0**	**469**

पूर्व धारणा

- कुल जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लगभग 10 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत प्रयोगशालाओं को क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष कार्यात्मक कर दिया जाएगा।
- 380 प्रयोगशालाओं के लिए प्रति जिला प्रयोगशाला 1.55 करोड़ रुपए; 120 प्रयोगशालाओं के लिए प्रति प्रयोगशाला 1.25 करोड़ रुपए और 230 प्रयोगशालाओं के लिए प्रति प्रयोगशाला 1 करोड़ रुपए पूंजीगत लागत है।
- मानव संसाधन और अन्य प्रचालनात्मक लागतों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु 730 प्रयोगशालाओं का दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के लिए रखरखाव आवर्ती लागत क्रमशः 0 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 80 प्रतिशत होने का अनुमान है। 730 प्रयोगशालाएँ राज्य और केंद्र संघ राज्य क्षेत्र दोनों में हैं। हालांकि, आयोग ने राज्यों में केवल 685 प्रयोगशालाओं के लिए अनुदान प्रदान किया है।

अनुलग्नक 9.10
(पैरा 9.60)

संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	सुविधाओं की संख्या	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	26	78	65	65	65	65	338
अरुणाचल प्रदेश	15	45	5	5	5	5	65
असम	33	99	232	232	232	232	1027
बिहार	43	129	326	326	326	326	1433
छत्तीसगढ़	33	99	35	35	35	35	239
गोवा	3	9	2	2	2	2	17
गुजरात	37	111	81	81	81	81	435
हरियाणा	28	84	38	38	38	38	236
हिमाचल प्रदेश	15	45	25	25	25	25	145
झारखंड	23	69	84	84	84	84	405
कर्नाटक	42	126	92	92	92	92	494
केरल	54	162	38	38	38	38	314
मध्य प्रदेश	51	153	172	172	172	172	841
महाराष्ट्र	72	216	234	234	234	234	1152
मणिपुर	9	27	18	18	18	18	99
मेघालय	13	39	14	14	14	14	95
मिजोरम	9	27	4	4	4	4	43
नागालैंड	11	33	7	7	7	7	61
ओडिशा	37	111	69	69	69	69	387
पंजाब	29	87	59	59	59	59	323
राजस्थान	32	96	89	89	89	89	452
सिक्किम	4	12	2	2	2	2	20
तमिलनाडु	32	96	82	82	82	82	424
तेलंगाना	15	45	44	44	44	44	221
त्रिपुरा	9	27	20	20	20	20	107
उत्तर प्रदेश	174	522	521	521	521	521	2606
उत्तराखंड	20	60	66	66	66	66	324
पश्चिम बंगाल	55	165	207	207	207	207	993
सभी राज्य	**924**	**2772**	**2631**	**2631**	**2631**	**2631**	**13296**

अनुलग्नक 9.11
(पैरा 9.64)

डीएनबी पाठ्यक्रम के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	18	16	19	26	26	105
अरुणाचल प्रदेश	2	1	2	2	2	9
असम	23	25	30	40	39	157
बिहार	25	23	28	38	37	151
छत्तीसगढ़	16	16	20	27	27	106
गोवा	2	1	2	2	2	9
गुजरात	12	12	15	20	19	78
हरियाणा	32	29	35	48	47	191
हिमाचल प्रदेश	12	15	18	24	24	93
झारखंड	16	12	14	19	19	80
कर्नाटक	19	20	24	33	32	128
केरल	2	2	3	4	4	15
मध्य प्रदेश	54	62	76	102	100	394
महाराष्ट्र	12	12	15	20	19	78
मणिपुर	2	1	2	2	2	9
मेघालय	2	1	2	2	2	9
मिजोरम	2	2	3	4	4	15
नागालैंड	7	5	6	9	8	35
ओडिशा	18	18	22	29	29	116
पंजाब	34	28	33	46	45	186
राजस्थान	19	19	23	31	31	123
सिक्किम	5	4	5	6	6	26
तमिलनाडु	4	3	3	4	4	18
तेलंगाना	16	16	20	27	27	106
त्रिपुरा	9	7	8	11	11	46
उत्तर प्रदेश	50	44	53	73	71	291
उत्तराखंड	18	14	17	23	23	95
पश्चिम बंगाल	7	9	11	15	14	56
सभी राज्य	**438**	**417**	**509**	**687**	**674**	**2725**

अनुलग्नक 10.1
(पैरा 10.36)

निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) का एक उप-समुच्चय (सब-सेट): शिक्षा के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए संकेतक

संकेतक सं.	प्रश्न विवरण	भारांक
1	कक्षा 3 में औसत भाषा स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
2	कक्षा 3 में औसत गणित स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
3	कक्षा 5 में औसत भाषा स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
4	कक्षा 5 में औसत गणित स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
5	कक्षा 8 में औसत भाषा स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
6	कक्षा 8 में औसत गणित स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
	उप-योग : शिक्षण परिणाम	**60**
7	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अनु.जाति एवं सामान्य श्रेणी के बीच संक्रमण दर का अंतर	10
8	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अनु.ज.जाति एवं सामान्य श्रेणी के बीच संक्रमण दर का अंतर	10
9	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं एवं बालकों के बीच संक्रमण दर का अंतर	10
10	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अल्प संख्यकों एवं सामान्य श्रेणी के बीच संक्रमण दर का अंतर	10
	उप-योग : समानता परिणाम	**40**
	कुल	**100**

नोटः हमारे द्वारा सुझाया गया सूचकांक निदेशात्मक है और उसे हमारे द्वारा वर्णित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा संशोधित कर अंतिम रूप दिया जा सकता है।

अनुलग्नक 10.2
(पैरा 10.43)

उच्चतर शिक्षा के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	46	48	51	53	52	250
अरूणाचल प्रदेश	9	9	10	10	10	48
असम	32	33	35	36	35	171
बिहार	88	92	99	103	101	483
छत्तीसगढ़	27	28	30	31	30	146
गोवा	10	10	10	10	10	50
गुजरात	55	57	61	63	62	298
हरियाणा	27	28	30	31	30	146
हिमाचल प्रदेश	13	14	14	15	14	70
झारखंड	33	34	37	38	37	179
कर्नाटक	55	57	61	64	62	299
केरल	34	35	37	38	37	181
मध्य प्रदेश	64	67	72	74	72	349
महाराष्ट्र	95	99	107	111	108	520
मणिपुर	10	11	11	11	11	54
मेघालय	10	11	11	11	11	54
मिजोरम	9	9	10	10	10	48
नागालैंड	10	10	10	11	10	51
ओडिशा	40	42	45	46	45	218
पंजाब	29	30	32	33	32	156
राजस्थान	61	63	68	71	69	332
सिक्किम	9	9	9	9	9	45
तमिलनाडु	64	66	71	74	72	347
तेलंगाना	35	36	39	40	39	189
त्रिपुरा	11	11	11	11	11	55
उत्तर प्रदेश	163	170	183	191	186	893
उत्तराखंड	16	16	17	17	17	83
पश्चिम बंगाल	78	82	88	91	89	428
सभी राज्य	**1133**	**1177**	**1259**	**1303**	**1271**	**6143**

अनुलग्नक 10.3
(पैरा 10.63)

निष्पादन-आधारित पुरस्कार के आकलन की पद्धति

प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित निष्पादन-आधारित अनुदान की कुल राशि अनुलग्नक 10.4 में दर्शाई गई है। चार निष्पादन संकेतकों के प्रत्येक संकेतक के लिए कुल निष्पादन अनुदान में बराबर की हिस्सेदारी (25 प्रतिशत) आबंटित की जाएगी। वास्तविक अनुदान नीचे प्रस्तुत किए गए चार पैरामीटरों (मानदंडों) के संबंध में अनुपालन एवं उपलब्धियों पर आधारित होंगे।

1. कृषि भूमि पट्टाकरण संबंधित आदर्श कानून

यदि कोई राज्य कृषि भूमि पट्टाकरण संबंधी आदर्श कानून को लागू एवं अधिसूचित कर भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करता है, तब वह कृषि के लिए हमारी पंचाट अवधि के पांच वर्षों में एक बार कुल निष्पादन आधारित अनुदान का 25 प्रतिशत प्राप्त करेगा, क्योंकि प्रत्येक चार मानदंडों को बराबर का स्कोर दिया गया है।

2. जल का सतत एवं समुचित उपयोग

इस मानदंड के अनुसार, पिछले दशक की औसत की तुलना में लक्ष्य वर्ष T में भूमि जल स्रोत में परिवर्तन पर आधारित होगा। इस मानदंड संबंधी डाटा में बिजली प्रशुल्क, फसल पैटर्न, सिंचाई प्रौद्योगिकी और जल संरक्षण उपायों का प्रभाव ज्ञात होगा। सभी राज्यों में मॉनसून से पहले और मॉनसून के उपरांत भूजल स्तर पर डाटा को केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अपने तथा राज्य सरकारों के ऑब्जरवेशन वेल्स (प्रेक्षणात्मक जलाशय) में जल स्तर के आधार पर संकलित किया जाएगा। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जल स्रोत में परिवर्तन के अनुसार, प्रत्येक राज्य में ऑब्जरवेशन वेल्स के वितरण पर डाटा संकलित कर रिपोर्टें तैयार की जाएंगी। निष्पादन प्रोत्साहन अर्जित करने हेतु अपेक्षित कदम उठाने के लिए राज्यों को एक वर्ष का अग्रिम समय दिया जाना चाहिए। अतः, जल के सतत उपयोग हेतु किसी राज्य के लिए अलग से निर्धारित की गई अनुदान की कुल राशि को हमारी 2022-23 से 2025-26 की चार वर्षों की पंचाट अवधि के दौरान बराबर राशियों में वितरित किया जाना चाहिए। इसके आधार पर, राज्यों को प्रोत्साहन के वितरण के लिए निम्नलिखित मानदंड का प्रयोग किया जाना हैः

PISWUt = (1/4th of TPISWU) *(1– उन वेल्स का अंश, जिनमें पिछले दशक के औसत स्तर की तुलना में वर्ष t में मॉनसून से पहले जल स्रोत में गिरावट आई थी)।

जहां: PISWUt वर्ष t= 2022-23 से 2025-26 में जल के उचित उपयोग के लिए निष्पादन प्रोत्साहन है)।

TPISWU, राज्य के लिए जल के उचित उपयोग हेतु कुल निष्पादन प्रोत्साहन है।

3. कृषि निर्यातों का संवर्धन

कृषि जिंसों (कमोडिटियों) के निर्यात के लिए कुल 25 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है। इसे पांच-वर्ष की पंचाट अवधि के दौरान, 2019-20 को आधार वर्ष मानते हुए, कृषि निर्यातों को दोगुना करने से संबद्ध किया जाएगा।

हमारी पंचाट अवधि में निर्यातों के लिए प्रोत्साहन 2019-20 के आधार वर्ष के दौरान US$ में मापित निर्यात में वृद्धि पर आधारित होंगे। निर्यातों में 1 प्रतिशत की वृद्धि होने पर, 1 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन अनुदान का भुगतान किया जाएगा और 100 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि पर निर्यात प्रोत्साहन अनुदान का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। अनुदान को आधार वर्ष की तुलना में वर्ष t में निवल वृद्धि से संबद्ध किया जाएगा। यदि कोई राज्य आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 1 में 5 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 2 में 8 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 3 में 20 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 4 में 50 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 5 में 90 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करता है, तो राज्य पहले वर्ष में प्रोत्साहन अनुदान के 5 प्रतिशत के लिए, दूसरे वर्ष में 3 प्रतिशत के लिए, तीसरे वर्ष में 12 प्रतिशत के लिए, चौथे वर्ष में 30 प्रतिशत के लिए तथा पांचवे वर्ष में 40 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। पांच वर्षों में अधिकतम वृद्धि 100 प्रतिशत है।

4. आत्मनिर्भर भारत

आयात प्रतिस्थापन्न हेतु दलहनों, तिलहनों और वानिकी/कृषि वानिकी के उत्पादन में वृद्धि लाने का लक्ष्य इन मदों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इन्हें संकेतकों के रूप में चयनित किया गया है। इसके लिए 25 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है। इस पुरस्कार को 2019-20 में आधाररेखा उत्पादन की तुलना में, हमारी पंचाट अवधि के दौरान, स्थिर मूल्यों के आधार पर तीन कमोडिटियों के उत्पादन के योग में वृद्धि को ध्यान में रखकर वार्षिक आधार पर दिया जा सकता है।

आधार अवधि के दौरान उत्पादन में 1 प्रतिशत की वृद्धि पर प्रोत्साहन अनुदान का 1 प्रतिशत प्राप्त किया जाएगा और 100 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि पर प्रोत्साहन की पूरी राशि प्राप्त की जा सकेगी। वार्षिक प्रोत्साहन का परिकलन उपयुक्त निर्यातों के लिए यथा निर्दिष्ट परिकलन की तरह किया जाएगा।

अनुलग्नक 10.4
(पैरा 10.64)

राज्यों के लिए कृषि निष्पादन प्रोत्साहन अनुदानों का वितरण

राज्य	राज्यों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	प्रोत्साहन आधारित अनुदान (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	9.35	4209
अरूणाचल प्रदेश	0.24	107
असम	1.66	748
बिहार	3.82	1720
छत्तीसगढ़	2.04	917
गोवा	0.14	63
गुजरात	6.26	2818
हरियाणा	3.77	1696
हिमाचल प्रदेश	0.55	247
झारखंड	1.50	677
कर्नाटक	5.09	2290
केरल	2.41	1086
मध्य प्रदेश	10.19	4587
महाराष्ट्र	7.30	3285
मणिपुर	0.22	101
मेघालय	0.19	86
मिजोरम	0.19	86
नागालैंड	0.28	124
ओडिशा	2.82	1271
पंजाब	4.37	1966
राजस्थान	7.34	3301
सिक्किम	0.09	41
तमिलनाडु	5.85	2632
तेलंगाना	3.70	1665
त्रिपुरा	0.51	228
उत्तर प्रदेश	11.85	5334
उत्तराखंड	0.62	277
पश्चिम बंगाल	7.64	3438
सभी राज्य	**100***	**45000**

नोटः 1. राज्यों का अंश सभी राज्यों के कृषि जीएसवीए में अपने अंश से प्राप्त होता है और 2018-19 के लिए वास्तविक का औसत आंकड़े हैं और 2019-20 के लिए पूर्वानुमान हैं।

2. * पूर्णांकित किए जाने के कारण, हो सकता है कि सभी राज्यों का जोड़ 100 न बने

अनुलग्नक 10.5
(पैरा 10.72)

पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	58	77	75	60	74	344
अरूणाचल प्रदेश	95	161	322	336	594	1508
असम	372	406	473	638	1214	3103
बिहार	267	279	413	397	338	1694
छत्तीसगढ़	174	166	150	197	224	911
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	120	62	50	48	50	330
हरियाणा	28	35	21	22	22	128
हिमाचल प्रदेश	246	284	426	523	743	2222
झारखंड	118	120	201	272	255	966
कर्नाटक	69	91	94	70	74	398
केरल	18	24	23	27	21	113
मध्य प्रदेश	359	398	440	481	431	2109
महाराष्ट्र	93	114	160	121	125	613
मणिपुर	113	146	303	239	392	1193
मेघालय	34	60	101	90	259	544
मिजोरम	44	65	100	107	230	546
नागालैंड	60	56	97	66	93	372
ओडिशा	275	302	404	492	476	1949
पंजाब	40	49	48	61	32	230
राजस्थान	293	282	339	372	332	1618
सिक्किम	60	93	86	118	127	484
तमिलनाडु	95	73	92	127	119	506
तेलंगाना	37	47	52	53	66	255
त्रिपुरा	73	95	110	108	116	502
उत्तर प्रदेश	250	285	301	361	268	1465
उत्तराखंड	187	297	467	510	861	2322
पश्चिम बंगाल	153	182	217	255	307	1114
सभी राज्य	**3731**	**4249**	**5565**	**6151**	**7843**	**27539**

अनुलग्नक 10.6
(पैरा 10.76)

न्यायपालिका के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	59	59	59	59	59	295
अरूणाचल प्रदेश	4	4	4	4	4	20
असम	122	122	122	122	122	610
बिहार	192	192	192	192	192	960
छत्तीसगढ़	40	40	40	40	40	200
गोवा	3	3	3	3	3	15
गुजरात	62	62	62	62	62	310
हरियाणा	60	60	60	60	60	300
हिमाचल प्रदेश	10	10	10	10	10	50
झारखंड	55	55	55	55	55	275
कर्नाटक	59	59	59	59	59	295
केरल	81	81	81	81	81	405
मध्य प्रदेश	138	138	138	138	138	690
महाराष्ट्र	248	248	248	248	248	1240
मणिपुर	6	6	6	6	6	30
मेघालय	6	6	6	6	6	30
मिजोरम	3	3	3	3	3	15
नागालैंड	2	2	2	2	2	10
ओडिशा	85	85	85	85	85	425
पंजाब	29	29	29	29	29	145
राजस्थान	92	92	92	92	92	460
सिक्किम	1	1	1	1	1	5
तमिलनाडु	50	50	50	50	50	250
तेलंगाना	49	49	49	49	49	245
त्रिपुरा	17	17	17	17	17	85
उत्तर प्रदेश	365	365	365	365	365	1825
उत्तराखंड	14	14	14	14	14	70
पश्चिम बंगाल	233	233	233	233	233	1165
सभी राज्य	**2085**	**2085**	**2085**	**2085**	**2085**	**10425**

अनुलग्नक10.7
(पैरा 10.79)

सांख्यिकी के लिए प्रस्तावित अनुदान-परिवर्तनशील एवं स्थायी घटकों का विवरण

समूह	क्र.सं.	राज्य	जिलों की सं.	औसत स्कोर	सांख्यिकीय क्षमता के स्तर के आधार पर प्रति जिला परिवर्तनशील आबंटन (करोड़ रु.)	मूलभूत सांख्यिकीय कार्यों के लिए प्रति जिला नियत किया गया आबंटन (करोड़ रु.)	कुल आबंटन (करोड़ रु.)
I	1	छत्तीसगढ़	27	0.28	1	1	54
	2	त्रिपुरा	8	0.31	1	1	17
	3	आंध्र प्रदेश	25	0.32	1	1	49
	4	गोवा	2	0.33	1	1	5
	5	पंजाब	22	0.33	1	1	43
	6	नागालैंड	11	0.33	1	1	23
	7	मध्य प्रदेश	51	0.38	1	1	102
	8	उत्तराखंड	13	0.38	1	1	25
	9	झारखंड	24	0.42	1	1	48
	10	मेघालय	11	0.42	1	1	23
	11	बिहार	38	0.47	1	1	77
II	12	असम	33	0.53	0.75	1	57
	13	हरियाणा	22	0.58	0.75	1	40
	14	हिमाचल प्रदेश	12	0.58	0.75	1	21
	15	मिजोरम	8	0.58	0.75	1	14
	16	सिक्किम	4	0.58	0.75	1	7
	17	मणिपुर	16	0.64	0.75	1	28
	18	महाराष्ट्र	36	0.68	0.75	1	63
	19	राजस्थान	33	0.68	0.75	1	57
III	20	उत्तर प्रदेश	75	0.73	0.5	1	114
	21	कर्नाटक	30	0.78	0.5	1	45
	22	पश्चिम बंगाल	23	0.79	0.5	1	35
	23	ओडिशा	30	0.8	0.5	1	45
	24	आंध्र प्रदेश	13	0.83	0.5	1	19
	25	गुजरात	33	0.83	0.5	1	51
	26	तमिलनाडु	32	0.85	0.5	1	47
	27	केरल	14	0.88	0.5	1	20
	28	तेलंगाना	31	0.88	0.5	1	46
		सभी राज्य	**677**		**21.5**	**28**	**1175**

नोटः प्रति राज्य कुल आबंटनों को निकटतम दशमलव में परिवर्तित किया गया है।

अनुलग्नक 10.8
(पैरा 10.82)

सांख्यिकी के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	0	13	2	2	2	19
अरूणाचल प्रदेश	0	25	8	8	8	49
असम	0	33	8	8	8	57
बिहार	0	38	13	13	13	77
छत्तीसगढ़	0	27	9	9	9	54
गोवा	0	2	1	1	1	5
गुजरात	0	33	6	6	6	51
हरियाणा	0	22	6	6	6	40
हिमाचल प्रदेश	0	12	3	3	3	21
झारखंड	0	24	8	8	8	48
कर्नाटक	0	30	5	5	5	45
केरल	0	14	2	2	2	20
मध्य प्रदेश	0	51	17	17	17	102
महाराष्ट्र	0	36	9	9	9	63
मणिपुर	0	16	4	4	4	28
मेघालय	0	11	4	4	4	23
मिजोरम	0	8	2	2	2	14
नागालैंड	0	11	4	4	4	23
ओडिशा	0	30	5	5	5	45
पंजाब	0	22	7	7	7	43
राजस्थान	0	33	8	8	8	57
सिक्किम	0	4	1	1	1	7
तमिलनाडु	0	32	5	5	5	47
तेलंगाना	0	31	5	5	5	46
त्रिपुरा	0	8	3	3	3	17
उत्तर प्रदेश	0	75	13	13	13	114
उत्तराखंड	0	13	4	4	4	25
पश्चिम बंगाल	0	23	4	4	4	35
सभी राज्य	**0**	**677**	**166**	**166**	**166**	**1175**

अनुलग्नक 10.9
(पैरा 10.118)

राज्य-विशिष्ट अनुदानों का सारांश

(करोड़ रु.)

क्र. सं.		प्रयोजन	अनुशंसित राशि
1)	आंध्र प्रदेश		
	1	हैदराबाद शहर की हानि की भरपाई हेतु विशाखापत्तनम को एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु विशाखापत्तनम में मूलभूत अवसंरचना का विकास (सड़कें, जलापूर्ति, बिजली वितरण, भूमिगत जल निकासी एवं आवश्यक भवनों का निर्माण)	1400
	2	सिलिकॉन, फ्लोरोसिस एवं यूरेनियम प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर-ग्रिड परियोजनाएं	900
		उप-योग	2300
2)	अरूणाचल प्रदेश		
	1	हाइड्रो पावर	355
	2	तवांग मठ (मोनास्ट्री) का परिरक्षण	45
		उप-योग	400
3)	असम		
	1	माजुलीः द्वीप के आस-पास नए तटबंध एवं सड़क का निर्माण	1075
	2	कामाख्या मंदिर परिसर का संपूर्ण विकास	300
		उप-योग	1375
4)	बिहार		
	1	पुरातात्विक स्थलों का परिरक्षण	200
	2	मधुबनी में कला विश्वविद्यालय	300
	3	बिहटा (पटना) में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना	175
	4	स्वास्थ्य अवसंरचना का पुनर्निर्माण– पटना चिकित्सा महाविद्यालय का स्तरोन्नयन	1500
	5	बांका में जिला विकास केंद्र	22

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
6	भागलपुर में रेशम कारीगरों के लिए संग्रहालय	10
7	कारीगरों के कौशलों का स्तरोन्नयन कर भागलपुर रेशम उद्योग का पुनरुत्थान करना	50
8	एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना के अंतर्गत आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र को सहायता प्रदान करना	10
	उप-योग	**2267**
5)	**छत्तीसगढ़**	
1	पारंपरिक शिल्पों का परिरक्षण एवं संवर्धन – माटी कला बोर्ड	50
2	विमाननः स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर का विस्तार	250
3	दंडकारण्य परिपथ (राम वन गमन पथ)	60
4	नई पूंजीगत विकास परियोजनाएं – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकायों का संरक्षण, ई-बस का प्रापण, चार्जिंग पोस्ट, आश्रालय, सड़कें एवं पुल, पर्यटन, जलापूर्ति, जैविक-शौचालय	1300
	उप-योग	**1660**
6)	**गोवा**	
1	पर्यटन (संचार सेवाओं में सुधार; पर्यटन अवसंरचना का सुधार; समुद्र तट की सफाई के प्रयोजन हेतु अति-आधुनिक अपशिष्ट शोधन संयंत्र की स्थापना; पर्यटकों की सुरक्षा)	200
2	जलवायु परिवर्तन (बिजली उत्पादन के वैकल्पिक साधन; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन)	500
	उप-योग	**700**
7)	**गुजरात**	
1	सीमावर्ती गांवों में विकास हेतु प्रयास	200
2	सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्र में लवणता प्रवेश रोकथाम योजनाएं	310
3	कच्छ एवं सौराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में विलवणीकरण संयंत्र का विकास	2000
4	कला, संस्कृति, जनजातीय एवं तटवर्ती क्षेत्रों का विकास एवं संरक्षण	100

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
5	एशियाई शेर भूदृश्य का संरक्षण	100
6	बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना	150
	उप-योग	2860
8) हरियाणा		
1	स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं स्तरोन्नयन	400
2	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	300
3	पुलिस बल के लिए बेहतर अवसंरचना एवं उपकरण	100
4	पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य कर्मियों के लिए आवासन परिसर	100
5	डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षा	70
6	सिंचाई एवं जल संसाधन	350
7	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	200
8	लोक निर्माण कार्य	250
9	पर्यटन	
	i विभिन्न किलों के जीर्णोद्धार सहित राज्य में ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन अवसंरचना का विकास	200
	ii ऐतिहासिक संग्रहालयों का संरक्षण एवं परिरक्षणः (क) श्यामेश्वर तालाब – चरखी दादरी, (ख) भाई की बावड़ी, कैथल, (ग) मुकंदपुर बावड़ी, महेन्द्रगढ़, और (घ) तख्त बावड़ी /मिर्जा अली जान का तख्त	30
	iii चुई मल तालाब का संरक्षण	3
	उप-योग	2003
9) हिमाचल प्रदेश		
1	कांगड़ा विमानपत्तन (गगल, धर्मशाला) का विस्तार एवं स्तरोन्नयन	400
2	मंडी विमानपत्तन (नागचला) का निर्माण	1000
3	ज्वालामुखी मंदार का स्तरोन्नयन एवं विकास	20
	उप-योग	1420

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
10) झारखंड		
1	पर्यटन, खेल, कला एवं संस्कृति संबंधी अवसंरचना (रांची एवं दुमका में कला एवं सांस्कृतिक भवन; जनजातीय संग्रहालय; मंडार में आउटडोर स्टेडियम; कांके में बड़ा स्टेडियम; खेल विश्वविद्यालय; आदि)	400
2	उर्जा (रूफटॉप प्रोग्राम; सौर पंप; छोटी जलीय परियोजनाएं; शहरी एवं ग्रामीण बिजली वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण; आदि)	700
3	देवघर बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग और उसके आस-पास के पर्यटन सर्किट के लिए पर्यटन सुविधाओं का विकास	200
	उप-योग	**1300**
11) कर्नाटक		
1	जल निकायों का समग्र रूप से सुधार	3000
2	बेंगलुरु से भीड़-भाड़ को कम करने हेतु परिधीय रिंग रोड	3000
	उप-योग	**6000**
12) केरल		
1	अपशिष्ट निपटान, जल निकायों की सफाई	450
2	नारियल के वृक्षों का पुनःरोपण	150
3	वन संरक्षण	500
	उप-योग	**1100**
13) मध्य प्रदेश		
1	पर्यटन, आतिथ्य एवं कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना	55
2	प्राचीन विरासत (ancient heritage) वाले उद्यानों का जीर्णोद्धार	40
3	विरासत वाले भवनों, लैंड बैंकों और जल क्रीड़ा स्थलों में मूलभूत सुविधाएं	140
4	वर्तमान/नए स्थानों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास एवं स्तरोन्नयन	150
5	संग्रहालय (निर्माण एवं रखरखाव)	70
6	स्मारकों का संरक्षण एवं विकास	110

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
7	अभिलेखागार भवन का निर्माण एवं प्रलेखीय विरासत (डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज) का संरक्षण	50
8	बालिकाओं के लिए 33 नए शिक्षा परिसरों का निर्माण	250
9	सौर पंप परियोजना	500
10	चम्बल नदी से ग्वालियर शहर और मुरैना शहर में जलापूर्ति	250
11	ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी पर्यटन और चन्देरी के पारंपरिक कपड़ा बुनकरों का क्षमता निर्माण	75
12	उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की मरम्मत, रखरखाव एवं विकास	75
	उप-योग	1765
14) महाराष्ट्र		
1	सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण	500
2	वन एवं वन्यजीव प्रबंधन का संरक्षण	500
3	रेवास रेड्डी तटवर्ती राजमार्ग का विकास	1250
4	पुलिस के लिए नए आवासन का निर्माण	500
	उप-योग	2750
15) मणिपुर		
1	मंत्रियों/विधायकों के लिए आवासन परिसर	75
2	अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इम्फाल में आवासन परिसर	210
3	पर्वतीय जिलों में जिला एवं उप-मंडलीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासन परिसर	130
4	मणिपुर सचिवालय परिसर को पूरा करना	75
5	परिचर्या संस्थान (नर्सिंग इंस्टिट्यूट) की स्थापना	15
6	छः पर्वतीय जिला मुख्यालयों– चुड़ाचांदपुर, उखरूल, सेनापति, कंगपोकपी, चंदेल एवं तमेंगलॉन्ग में सीवर, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आंतरिक सड़कों के सुधार के लिए प्रावधान @ 50 करोड़ रु. प्रत्येक के लिए।	300
7	राज भवन में विशेष सुधार कार्य	15
8	राज्य अतिथि गृह का निर्माण	80

क्र. सं.	प्रयोजन		अनुशंसित राशि
		उप-योग	900
16) मेघालय			
1	पूर्वी खासी हिल्स जिला में शिलांग शहर को एक विश्व-स्तरीय शहर में परिवर्तित करना		
	क नए शिलांग टाउनशिप में प्रशासनिक शहर		250
	ख नए शिलांग टाउनशिप में नई विधानसभा (new assembly) भवन का निर्माण		100
	ग नए शिलांग टाउनशिप के लिए जलापूर्ति योजना		100
	घ शिलांग टाउनशिप में पैदलपथ एवं घिरी हुई पगदंडी		50
2	राष्ट्रीय खेलों के लिए अवसंरचना, 2022		
	क शिलांग एकीकृत खेल परिसर		100
	ख शिलांग गोल्फ क्लब		50
	ग पी. ए. संगमा स्टेडियम		50
	घ तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स में शहरी अवसंरचना का विकास		50
	ड. जोवाई, पश्चिमी जैंतिया हिल्स में शहरी अवसंरचना का विकास		50
		उप-योग	800
17) मिजोरम			
1	बागवानी		330
2	पर्यटन		200
3	विद्युत एवं बिजली		170
		उप-योग	700
18) नागालैंड			
1	नागर विमानन (छोटी लैंडिंग पट्टियां, प्रत्येक जिले में एक)		90
2	भारत-म्यांमार सीमा पर प्रवेश/निकास के लिए जांच चौकियों का निर्माण		25
3	नागालैंड में कॉफी की खेती का विकास		150
4	नवीन राज भवन, कोहिमा		100
5	नवीन उच्च न्यायालय परिसर, कोहिमा		100

क्र. सं.		प्रयोजन	अनुशंसित राशि
6		अग्निशमन केंद्र (प्रत्येक जिले में एक)	60
		उप-योग	**525**
19)	**ओडिशा**		
	1	श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी में और उसके आस-पास श्रद्धालुओं के लिए सुविधा	175
	2	चक्रवात-संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली	800
	3	कोणार्क में सूर्य मंदिर का परिरक्षण एवं विकास	150
	4	बाराबती किले का परिरक्षण और कटक के आस-पास के ऐतिहासिक स्थलों का विकास	150
	5	सम्बलपुर नगरपालिका क्षेत्र में बरसाती पानी की जल निकासी प्रणाली	150
	6	नबरंगपुर जिले में केनडुगुडा (Kenduguda) के निकट इंद्रावती नदी के ऊपर ऊंचे पुल का निर्माण	150
	7	हीराकुंड जलाशय, संबलपुर में गंतव्य विकास के लिए प्रस्ताव	200
		उप-योग	**1775**
20)	**पंजाब**		
	1	बुधा नाला के माध्यम से सतलुज नदी में प्रदूषण का समाधान	400
	2	मोहाली, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर एवं फाजिल्का में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए चार नए संस्थान	700
	3	बठिंडा में 15000 किलो वाट के रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की संस्थापना के लिए प्रायोगिक परियोजना	40
	4	बठिंडा किले का विकास	10
	5	धान तथा अन्य फसलों में विविधीकरण द्वारा पराली जलाए जाने के कारण उत्पन्न प्रदूषण में कमी लाना	350
	6	पार्टिशन म्यूजियम, अमृतसर का विकास	10
	7	पटियाला किले का विकास	13
	8	जंग-ए-आजादी स्मारक, करतारपुर, जिला जालंधर	12
	9	पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर, जिला कपूरथला	10
		उप-योग	**1545**

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
21) राजस्थान		
1	जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन	400
2	जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट	550
3	राजस्थान में लोक स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण– चिकित्सा महाविद्यालय में संगरोध केंद्रों के साथ उष्णकटिबंधीय एवं विषाणु विज्ञान अवसंरचना का विकास	270
4	राजस्थान में डिजिटल विश्वविद्यालय	400
5	राजस्थान लोक कला प्रशिक्षण संस्थान (जैसलमेर) की स्थापना	150
6	कयासा, अलवर में औद्योगिक उपनगर	320
7	"प्रोजेक्ट जोधपुर इनिशिएटिव" (आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर बी. एस. मूर्ति द्वारा की गई पहल)	10
8	नीमराना औद्योगिक केंद्र परियोजना	200
9	पारंपरिक लोक कलाकारों और गायकों जैसे कि मंगानिया या कुलबुलस (Manganiyas or Kulbulas) को सहायता	15
10	समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिक की विधवाओं का पुनर्वास	7
	उप-योग	**2322**
22) सिक्किम		
1	दक्षिण सिक्किम में नंदु गांव में हर्बल चिकित्सा/योग एवं अध्यात्म उपचार पर्यटन परिसर (Herbal medical/yoga and spiritual healing tourism complex)	50
2	एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी स्थल) गंतव्य के रूप में गंगटोक का संवर्धन करने के लिए सम्मेलन केंद्र के साथ गंगटोक में ज्ञान मंदिर पुस्तकालय का निर्माण	200
3	पश्चिमी सिक्किम में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक सिंगशोर पुल का ग्लास स्काइवॉक ब्रिज के रूप में परिवर्तन	52
4	पश्चिमी सिक्किम में पेलिंग से संगा-चोईलिंग मोनास्ट्री तक यात्री (रोप-वे)	110
5	पश्चिमी सिक्किम में डोडक में इको-टूरिज्म परिसर का विकास	78

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
6	बागवानी (रूमटेक में सिमबिडियम विकास केंद्र)	10
	उप-योग	**500**
23)	**तमिलनाडु**	
1	चेन्नई जल निकायों का पुनर्निर्माण	200
2	ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार	300
3	विरासत भवनों (फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास उच्चतम न्यायालय, सरकारी संग्रहालय, पीडब्ल्यूडी परिसर)	150
4	पारंपरिक जलाशयों का जीर्णोद्धार	900
5	पर्यटन की महत्ता वाले प्रमुख नगरों (रामेश्वरम, मदुरै, पलानी, तिरुचेन्दुर, श्रीरंगम) का विकास	650
	उप-योग	**2200**
24)	**तेलंगाना**	
1	मिशन भागीरथ का प्रचालन एवं रखरखाव	2350
2	एएससीआई के अवसंरचना का पुनर्निर्माण	12
	उप-योग	**2362**
25)	**त्रिपुरा**	
1	अगरतला नगर निगम के 15 मौजूदा/चालू जल शोधन संयंत्रों के लिए अगरतला शहर में उपयुक्त स्थान पर चंपकनगर एवं चंपाईचेरा बांधों से भू-जलाशयों में सतही जल का पारेषण।	400
2	त्रिपुर सुन्दरी मंदिर के निकट, 51 शक्ति पीठों का विकास, रोप-वे का निर्माण, नीरमहल में साउंड एण्ड लाइट शो।	175
3	राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों को एक एकल परिसर में स्थापित करने के लिए एक कार्यालय भवन का निर्माण।	100
4	सीवर प्रबंधन, जल निकासी, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कों पर लाइटें, और आंतरिक सड़कें: खोवाई, विश्रामगंज, अम्बासा, बेलोनिया, कैलाशहर के लिए पांच जिला मुख्यालय नगरों में प्रत्येक के लिए 25 करोड़ रुपए।	125

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
5	सीवर प्रबंधन, जल निकासी, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कों पर लाइटें, और आंतरिक सड़कों के लिए धामेनगर और उदयपुर के जिला मुख्यालय नगरों में प्रत्येक के लिए 37.5 करोड़ रुपए।	75
	उप-योग	**875**
26) उत्तर प्रदेश		
1	जल निकासी, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर)	950
2	सेवापुरी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक में परिवर्तित करना।	180
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2365
क	*27 स्वीकृत नए चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के लिए लागत प्रत्येक के लिए 68.5 करोड़ रुपए।*	*1850*
ख	*आगरा, गोरखपुर और कन्नौज में स्थापित तीन नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए परिचालन लागत (प्रचालन एवं रखरखाव)।*	*150*
ग	*प्रयागराज, सहारनपुर, बदायूं, जालौन, बांदा, अंबेडकर नगर एवं आजमगढ़ में सात नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना एवं परिचालन लागत*	*300*
घ	*पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोगों की जांच एवं निदान के लिए अनुषंगी केंद्रों (satellite) की स्थापना*	*50*
ङ.	*राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में राज्य लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना*	*15*
	उप-योग	**3495**
27) उत्तराखंड		
1	पेयजल एवं स्वच्छता के लिए जमरानी डैम बहु-उद्देशीय परियोजना	950
2	देहरादून के लिए सोंग डैम पेयजल परियोजना	500
3	पौड़ी गढ़वाल में स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान और जल निकासी	100
4	नैनीताल में स्वच्छता और जल निकासी	50
	उप-योग	**1600**

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
28) पश्चिम बंगाल		
1	पिछड़े जिलों में अवसंरचना का विकास	1000
2	गंगा नदी में कटाव को रोकने के लिए निर्माण कार्य	550
3	भूमिगत जल में आर्सेनिक समस्या समाधान करने के लिए सतही जल से पेयजल शोधन परियोजनाएं	550
	उप-योग	**2100**
	सभी राज्य	**49599**

अनुलग्नक 10.10

(पैरा 10.118)

राज्य-विशिष्ट अनुदानों का विवरण

आंध्र प्रदेश

विभाजन के कारण हैदराबाद शहर की हानि की भरपाई हेतु विशाखापत्तनम को एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु विशाखापत्तनम में मूलभूत अवसंरचना का विकास

1. आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम को एक मुख्य आर्थिक केंद्र (हब) और विकास स्तंभ, जो राजस्व अर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा, के रूप में निर्मित करने हेतु राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए आयोग से अनुदानों का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम में सड़कों, जलापूर्ति, बिजली वितरण, भूमिगत जल निकासी एवं आवश्यक भवनों के निर्माण के लिए अनुदानों का प्रावधान करने का अनुरोध किया है। इस योजना के लिए हम 1,400 करोड़ रुपए की राशि की मूलभूत अवसंरचना के लिए अनुशंसा करते हैं।

वाटर ग्रिड परियोजनाएं

2. आंध्र प्रदेश ने चिरकालिक गुर्दा रोग, फ्लोरोसिस एवं कम वर्षा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए अनुदानों की अनुशंसा करने का अनुरोध किया है। राज्य ने तटवर्ती क्षेत्र में लवणता के प्रवेश एवं सिलिका तत्व के कारण, राज्य के मध्य भागों में जलकृषि एवं उसके अति दोहन के फलस्वरूप जल प्रदूषण के कारण, और रायलसीमा क्षेत्र में गंभीर सूखा एवं फ्लोराइड प्रभावित रिहायशी क्षेत्रों को भूमिजल-आधारित योजनाओं से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में महसूस की गई समस्याओं को उजागर किया है।

3. क्षेत्र में सभी परिवारों के लिए पर्याप्त शुद्ध पेयजल हेतु प्रावधान की सुनिश्चितता तथा स्वास्थ्य परिचर्या पर परिवार-आधारित व्यय को कम करने, और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु हम इस परंतुक के साथ 900 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा करते हैं कि इस अनुदान का उपयोग केवल निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ही किया जाएगा :

	करोड़ रु.
चिरकालिक गुर्दा रोग से ग्रस्त श्रीकाकुलम जिले में उद्दनम (Uddanam) क्षेत्र	300
फ्लोरोसिस से प्रभावित गुंटूर जिले में पलानाडु (Palanadu) क्षेत्र और कम बरसात के कारण प्रभावित प्रकाशम जिले में कानिगिरी क्षेत्र	400
यूरेनियम फिल्टरिंग से प्रभावित वाईएसआर कडप्पा जिले में पुलिवेन्दुला (Pulivendula) क्षेत्र	200

अरूणाचल प्रदेश

छोटी/ लघु/ सूक्ष्म हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

4. राज्य ने छोटी/लघु/सूक्ष्म हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजना के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है ताकि डीज़ल द्वारा विद्युत उत्पादन को कम किया जा सके तथा राज्य के बाहर से विद्युत का आयात कर सके। राज्य ने वर्तमान हाइडल केंद्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए भी निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन के लिए हम 355 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

तवांग मठ (मोनास्ट्री) का परिरक्षण

5. अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य ने भूस्खलन से सुरक्षा सहित पहले से किए जा रहे कार्यों को पूरा करने के लिए तवांग मठ के परिरक्षण हेतु 45 करोड़ रुपए की मांग की है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए, हम राज्य सरकार के प्रस्ताव की अनुशंसा करते हैं।

असम

माजूली द्वीप के आस-पास नई सर्कुलर सड़क एवं तटबंध का निर्माण

6. राज्य सरकार ने वर्तमान तटबंध तंत्र को एक सड़क-सह-बांध में परिवर्तित/जोड़कर माजूली द्वीप के लिए एक परिधीय सड़क एवं तटबंध उपलब्ध कराने हेतु निधियों का मांग की है। हम इस प्रयोजन हेतु 1,075 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

विरासत परिसरों का संरक्षण-कामाख्या मंदिर परिसर

7. राज्य सरकार ने कामाख्या मंदिर परिसर, जो राज्य की विरासत का परिचायक है, के संपूर्ण विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

बिहार

पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण

8. राज्य सरकार ने पुरातात्विक स्थलों एवं ऐतिहासिक संग्रहालयों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए सहायता की मांग की है। राज्य ने बताया कि वह वर्तमान में तैंतालीस पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं सुरक्षा कर रहा है, लेकिन राज्य में कई और ऐसे स्थल हैं जिन्हें संरक्षित एवं सुरक्षित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करते हैं।

मधुबनी में कला विश्वविद्यालय

9. आयोग को दिए गए अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि बिहार ऐतिहासिक रूप से कला एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति यहीं हुई थी और राज्य सिख धर्म एवं सूफ़ीवाद का भी एक सक्रिय केंद्र है। राज्य सरकार ने कला एवं संस्कृति के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने हेतु एक कला विश्वविद्यालय (दृश्य एवं मंच कला) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

बिहटा, पटना में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना

10. राज्य सरकार ने हमें बताया है कि राज्य में ऐसे युवाओं, जो इस विषय-क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, की अपार संभावना का लाभ उठाने के लिए बिहार को एक डिजिटल विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। बिहटा में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हम 175 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

स्वास्थ्य अवसंरचना का पुनर्निर्माण– पटना चिकित्सा महाविद्यालय का स्तरोन्नयन

11. राज्य सरकार ने अपने अनुपूरक ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि वह बिहार की चिकित्सीय अवसंरचना के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। इस योजना के भाग के रूप में, राज्य की योजना है कि वह पटना चिकित्सा महाविद्यालय में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 5,462 कर उसे पुनः विकसित करना चाहता है। राज्य की यह भी योजना है कि वह 12,667 स्वास्थ्य उप-केंद्रों को स्थापित कर, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार करेगा। इस प्रयोजन हेतु, हम 1,500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

बांका में जिला विकास केंद्र

12. राज्य ने बांका, जो सुदूर स्थित जिला है, में एक जिला विकास केंद्र की स्थापना के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। यह केंद्र प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का केंद्र बनकर विकास संबंधी अंतर को कम करेगा। हम इस अनुरोध का समर्थन करते हैं और इस प्रयोजनार्थ 22 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

भागलपुर में रेशम कारीगरों के लिए संग्रहालय तथा कारीगरों के कौशल उन्नयन द्वारा भागलपुर रेशम उद्योग का पुनरुद्धार

13. (क) राज्य सरकार ने यह कहा है कि भागलपुर रेशम उद्योग, जो तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है, से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना है। राज्य सरकार ने जिले के गौरवमयी अतीत को संग्रहालय में प्रदर्शित करने हेतु भागलपुर में रेशम कारीगरों के एक संग्रहालय हेतु अनुदान की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

13. (ख) राज्य सरकार ने निर्यात के लिए संपूर्ण उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती प्रदान कर भागलपुर रेशम उद्योग के पुरुत्थान के लिए की गई पहलों के बारे में बताया और भागलपुर में कारीगरों के कौशलों के वर्धन हेतु निधियों का मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 50 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना के तहत आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र के लिए सहायता

14. राज्य सरकार ने आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र (सीईपीपीएफ), पटना के लिए अनुदान की भी मांग की है। इस केंद्र की स्थापना एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान के तहत 2008 में की गई थी जिसका

उद्देश्य राज्य सरकार को अनुसंधान और व्यावसायिक सहायता, जैसे कि वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने में, शोध अध्ययन करने में तथा बिहार की अर्थव्यवस्था का एक डाटा बैंक सृजित करने में सहायता प्रदान करना था। हम सीईपीपीएफ, पटना के लिए 10 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

छत्तीसगढ़

पारंपरिक शिल्प का परिरक्षण एवं संवर्धन– माटी कला बोर्ड

15. राज्य सरकार ने टेराकोटा और मिट्टी के पारंपरिक शिल्पों के परिरक्षण और संवर्धन के लिए अनुदान का अनुरोध किया है ताकि राज्य के लगभग 14,000 कुंभकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराकर टेराकोटा शिल्प के क्षेत्र में समग्र रूप से विकास करने में शिल्पकारों को सहायता प्रदान की जा सके। ग्लेजिंग यूनिटें स्थापित किए जाने से नव विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में तथा पारंपरिक माटी शिल्पों को डिज़ाइन करने में तथा उसके बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने में सहायता मिलेगी। शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिए जाने से राज्य के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे शिल्पकारों की आय एवं वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। इस प्रयोजन हेतु हम 50 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

दंडकारण्य परिपथ- राम वन गमन पथ परियोजना

16. राज्य सरकार की योजना भगवान श्रीराम द्वारा अपने वनवास के दौरान प्रयोग किए गए मार्ग में आने वाले ऐतिहासिक महत्ता के स्थलों का स्तरोन्नयन एवं सुधार कर इस मार्ग को जोड़ना और विकसित करना है। सार्वजनिक वाई-फाई के साथ घाटों पर सुविधाएं, वर्तमान परिक्रमा मार्गों का स्तरोन्नयन और अंतिम पड़ाव (last mile) तक संपर्कता हेतु सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राज्य सरकार ने एक पर्यटन स्थल के रूप में राम वन गमन पथ के विकास के लिए तथा इस मार्ग में पर्यटन अवसंरचना में सुधार लाने लिए सहायता का अनुरोध किया है। हम राज्य के इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं और इस प्रयोजन हेतु 60 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

विकास परियोजना

17. (क) वर्ष-दर-वर्ष बढ़ते यात्री यातायात और विमान सेवाओं के कारण, रायपुर एवं नया रायपुर का विकास तेजी से हो रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन माना, रायपुर का विस्तार करना तथा राजधानी एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करना उसके लिए बहुत ही

आवश्यक है। राज्य ने इस प्रयोजन हेतु लगभग 250 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की है। हम इस अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

17. (ख) सरकार ने नई पूंजीगत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण का अनुरोध किया है। बारहवें वित्त आयोग और तेरहवें वित्त आयोग ने इस प्रयोजन हेतु क्रमशः 200 करोड़ रुपए और 550 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया था। राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकायों के संरक्षण, ई-बस के प्रापण, चार्जिंग पोस्ट, आश्रयालयों, सड़कों और पुलों, पर्यटन, जलापूर्ति तथा आदर्श जैविक-शौचालय के लिए आयोग से 1,812 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। इसके लिए हम 1,300 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

गोवा

पर्यटन का विकास

18. राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, गोवा सरकार ने निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अनुदानों की मांग की है :

i. संचार एवं संपर्कता, जैसे कि नेटवर्क सॉल्यूशन्स, अंतिम प्रयोक्ता की आवश्यकताओं, आवाजाही एवं ट्रेकिंग, एकीकृत संचार और सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने में सुधार लाना।

ii. पर्यटक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, जनोपयोगी सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित पर्यटन अवसंरचना का विस्तार करना और सांस्कृतिक एवं मनोरंजन संबंधी अवसंरचना का स्तरोन्नयन करना।

iii. समुद्र तट पर साफ-सफाई करना और तट की साफ-सफाई के लिए अत्याधुनिक अपशिष्ट शोधन यंत्र की स्थापना करना।

iv. तटों और अन्य पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था करना।

इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

जलवायु परिवर्तन-अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करना और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत

19. राज्य ने ठोस अपशिष्ट, सौर ऊर्जा, टाइडल पावर (ज्वारीय विद्युत) एवं पवन ऊर्जा से जैविक-मिथेनीकरण का परिवर्तन कर बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता की मांग की है। राज्य ने हमें

बताया है कि उसने इसके लिए चार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की पहचान की है। इस प्रयोजन हेतु हम 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

गुजरात

सीमावर्ती गांवों में विकास हेतु प्रयास

20. गुजरात सरकार ने सीमा के आस-पास के सुदूर क्षेत्रों के विकास के लिए, इन क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रशासन सुनिश्चित करने, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

तटवर्ती क्षेत्र में लवणता प्रवेश निवारण योजनाएं

21. अपने ज्ञापन में, राज्य सरकार ने यह कहा है कि लवणता के प्रवेश के कारण 534 तटवर्ती गांवों में लगभग सात लाख हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। बारहवें वित्त आयोग और तेरहवें वित्त आयोग ने इस प्रयोजन हेतु क्रमशः 200 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया था। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम 310 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

विलवणीकरण संयंत्रों का विकास

22. राज्य सरकार ने कच्छ और सौराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में विलवणीकरण (desalination) संयंत्रों के विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 2000 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

कला, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, जनजातीय एवं तटवर्ती क्षेत्रों का विकास

23. राज्य सरकार ने कला और संस्कृति के संरक्षण एवं विकास तथा जनजातीय एवं तटवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

एशियाई शेर भूदृश्य का संरक्षण

24. राज्य सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण, पर्यावास (हैबीटैट) के सुदृढ़ीकरण, जन जागरूकता कार्यक्रमों, मानव-पशु संघर्ष को कम करने तथा उनके संरक्षण से जुड़े अग्रपंक्ति कर्मचारियों के कौशल एवं क्षमता निर्माण के लिए सहायता की मांग की है। हम राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हैं और इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना

25. राज्य सरकार ने नर्मदा जिले के राजपीपला में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना स्थल के आस-पास जनजातीय समुदाय के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना एवं अधिष्ठापन के लिए 341.10 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। यह विश्वविद्यालय गुणवत्तायुक्त खान-पान एवं आवास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय के आस-पास जनताजीय छात्रों को उच्चत्तर शिक्षा प्रदान करेगा। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

हरियाणा

स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन

26. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, राज्य में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन करना बहुत आवश्यक है। राज्य सरकार ने क्षेत्र के निकट विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु कुरुक्षेत्र (अतिरिक्त 100 बिस्तर), सिरसा (200 बिस्तर), नूँह (अतिरिक्त 100 बिस्तर), गुरुग्राम (अतिरिक्त 500 बिस्तर), करनाल (अतिरिक्त 200 बिस्तर) और हिसार (अतिरिक्त 200 बिस्तर) में जिला सिविल अस्पतालों के स्तरोन्नयन के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

27. जिला स्तर पर चिकित्सीय सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने तथा स्वास्थ्य कार्मिकों की संख्या को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना की है। प्रस्तावित परियोजनाओं में भिवानी, कोरियावास, नारनौल एवं जींद में नए चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण शामिल है।

पुलिस बल के लिए बेहतर अवसंरचना और उपकरण

28. राज्य ने बेहतर पुलिस के लिए अवसंरचना की सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों तथा उनके प्रशिक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में पुलिस बल के प्रशिक्षण के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। राज्य "Dial 112" फ्लैगशिप कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे राज्य में 24x7 आधार पर पुलिस एवं अन्य आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पंचकुला में पूरे राज्य के लिए एक केंद्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

पुलिस और न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य सरकार के कर्मियों के लिए आवासन परिसर

29. राज्य सरकार ने क्षेत्र/फील्ड में कार्यरत कर्मियों की तैनाती को सुसाध्य के लिए, पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों सहित उसके कर्मियों हेतु आवासन परिसरों के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है ताकि नागरिकों को शासन से बेहतर पहुंच प्राप्त हो सके। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा

30. ऑनलाइन शिक्षा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने 1,487 उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों, जहां विज्ञान विषय उपलब्ध हैं, को 2021 तक स्मार्ट स्कूलों (जहां यह प्रस्ताव किया है कि शैक्षिक अनुदेश (medium) के डिजिटल रूप को मुख्य धारा में लाना है) में परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 70 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

सिंचाई और जल संसाधन

31. राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि गांव के तालाब सिकुड़ रहे हैं और उनका उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण स्थानीय सिंचाई और पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में भारी अंतर आ गया है। इस स्थिति का समाधान करने तथा जल संरक्षण प्रयासों को गति प्रदान करने, और गांवों में सृजित अपशिष्ट जल का उचित रूप से प्रयोग करने के तरीकों की खोज करने के लिए, राज्य सरकार ने तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया है। हम राज्य में तालाबों और इस प्रकार के जल निकाय के पुनःस्थापन एवं पुनर्जीवन के लिए 350 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

32. राज्य सरकार ने ग्रामों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार के लिए अतिरिक्त नलकूपों (tubewells) की खुदाई कर, वर्तमान नहर-आधारित योजनाओं का विस्तार, नए नहर-आधारित जल कार्यों को सृजित कर, बूस्टिंग केंद्रों का निर्माण कर, वर्तमान वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, वर्तमान पेयजल आपूर्ति सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा अन्य संबद्ध कार्यों के लिए निधियों का अनुरोध किया है। इन अतिरिक्त निधियों का उपयोग गुरुग्राम, मेवात और शिवालिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति का विस्तार करने तथा सीवेज शोधन संयंत्रों और सीवर नेटवर्क बिछाने से संबंधित निर्माण एवं विस्तार कार्य करने के लिए किया जाना है। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

लोक निर्माण कार्य

33. राज्य सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं और नई रेल लाइनों के लिए विशेष निधियों का अनुरोध किया है। इन परियोजनाओं में दिल्ली करनाल हाई स्पीड रेल, दिल्ली-रेवाड़ी क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली सिस्टम, कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे के समानांतर पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल कोरिडोर शामिल है। ये लाइनें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वस्तुओं, विशेष रूप से बागवानी उत्पादों की त्वरित आवाजाही में तथा उत्तरी एवं पश्चिमी औद्योगिक कोरिडोरों के बीच आवाजाही में सुविधा प्रदान करेंगी। राज्य ने सूचित है कि इन परियोजनाओं से दिल्ली में आवाजाही को कम करने में भी सुविधा मिलेगी। इस प्रयोजन हेतु हम 250 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास और ऐतिहासिक स्थानों का जीर्णोद्धार

34. हरियाणा में समृद्ध पारंपरिक विरासत और कुरुक्षेत्र जैसे अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनकी पौराणिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्ता है। राखीगढ़ी एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पा-मोहनजोदड़ो की विशिष्टताओं को प्रदर्शित करता है, और पानीपत भारत के इतिहास में युद्धों व संग्रामों का केंद्र रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, इन स्थानों के पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास और जीर्णोद्धार के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हम राज्य सरकार की इन पहलों के लिए सहायता देने हेतु 200 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

35. हमें बताया गया कि बीते कई वर्षों में देखभाल नहीं करने के कारण राज्य में कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण बनी हुई है। इन स्थानों में (क) श्यामेश्वर तालाब– चरखी दादरी, (ख) भाई की बावड़ी, कैथल, (ग) मुकुंदपुरा बावड़ी, महेन्द्रगढ़ और (घ) तख्त बावड़ी /मिर्जा अली जान का तख्त शामिल है। इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। संरक्षण और परिरक्षण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरीटेज (INTACH) द्वारा या अन्य विषयक विशेषज्ञों द्वारा कराया जा सकता है।

चुई मल तालाब

36. राज्य से अनुरोध प्राप्त करने के आधार पर, चुई मल तालाब के लिए 3 करोड़ रुपए राशि की अनुशंसा की जाती है। इस परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय ग्रामीण विरासत और विकास न्यास (Indian Trust for Rural Heritage and Development (ITRHD) द्वारा कराया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा विमानपत्तन, गगल, धर्मशाला का विस्तार/स्तरोन्नयन

37. राज्य ने वर्तमान एवं नए विमानपत्तनों और हेलिपैड्स के स्तरोन्नयन के लिए निधियों का अनुरोध किया है, जिससे हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शुमार हो जाएगा और राज्य के लोगों की समृद्धता तथा राजस्वों में वृद्धि होगी। राज्य ने कांगड़ा विमानपत्तन के विस्तार/स्तरोन्नयन के लिए निधियों का अनुरोध किया है।इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

मंडी विमानपत्तन (नागचला) का निर्माण

38. राज्य ने मंडी जिले में चौड़े आकार के विमानपत्तनों के अवतरण (लैंडिंग) के लिए उपयुक्त नए ग्रीन फील्ड विमानपत्तन के निर्माण का प्रस्ताव किया है।इस प्रयोजन हेतु हम 1,000 करोड़ रुपए के आबंटन की अनुशंसा करते हैं।

ज्वालामुखी मंदिर नगर में जलापूर्ति और सीवर सुविधाओं में सुधार

39. राज्य सरकार ने बताया है कि ज्वालामुखी मंदिर, जो कि एक शक्ति पीठ है, में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे नगर की नागरिक व मूलभूत सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है। राज्य ने ज्वालामुखी मंदिर नगर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति में सुधार लाने, सीवर और बांधों के चैनलाइजेशन के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 20 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

झारखंड

पर्यटन, खेल, कला और सांस्कृतिक अवसंरचना

40. झारखंड सरकार ने पर्यटन, खेल, कला और सांस्कृतिक अवसंरचना के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इससे उसे राज्य में पर्यटन, खेलों को बढ़ावा देने में तथा संस्कृति को परिरक्षित करने में और युवाओं से संबंधित कार्यकलापों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी, जिससे युवा शक्ति और उसकी ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकेगा और उसे दिशा प्रदान की जा सकेगी। इससे राज्य में सांस्कृतिक विविधता और विरासत को बढ़ावा देने और उन्हें परिरक्षित करने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

41. राज्य सरकार ने चार प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों– सरकारी भवनों और आवासीय उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप कार्यक्रम, सोलर पंप, सोलर स्ट्रीट लाइटें और छोटी हाइड्रो परियोजनाओं के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 700 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

देवघर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए पर्यटन सुविधाओं और उसके आस-पास पर्यटन सर्किट का विकास

42. राज्य सरकार ने देवघर वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के लिए पर्यटन सुविधाओं और उसके आस-पास पर्यटन परिपथ के विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम इस परन्तुक के साथ 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं। इस अनुदान का उपयोग केवल संबंधित योजनाओं के लिए ही किया जाएगा।

कर्नाटक

जल निकायों का समग्र सुधार

43. राज्य सरकार ने बेंगलुरु और उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित टैंकों के समग्र सुधार के लिए सहायता की मांग की है। 2000 हेक्टेयर के कमांड एरिया के साथ सिंचाई कार्यों को लघु सिंचाई कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन लघु सिंचाई कार्यों में टैंक, पिकअप्स, बनधारा/बांध(बराज), छिद्रिल/वायुमार्गीय बांध (वेंटेड डैम) और उत्थित सिंचाई (lift irrigation) योजनाएं हैं। राज्य में आठ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्रफल के साथ लगभग 8,400 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। इस प्रयोजन हेतु हम 3,000 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

बैंगलुरु में भीड़-भाड़ कम करने हेतु परिधीय रिंग रोड

44. बैंगलूरु को भारत की सिलिकॉन घाटी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिक एवं विज्ञान तथा भारत की प्रौद्योगिकीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। शहर ने सफलता प्राप्त की है, मगर शहर में यातायात में भारी बढ़ोतरी भी हो गई है। अतः राज्य सरकार ने भारी वाहनों को शहर से बाइपास की ओर परिवर्तित करने हेतु एक परिधीय रिंग रोड का निर्माण करने हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 3,000 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

केरल

अपशिष्ट का निपटान, जल निकायों की साफ-सफाई

45. अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने यह उल्लेख किया है कि स्थानीय शासन ठोस अपशिष्ट निपटान में बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्थानीय शासनों ने अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादित करने हेतु विकेंद्रीकृत अपशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित किए हैं जिनमें विकेंद्रीकृत परिवारों से अपशिष्ट को एकत्र एवं पृथक कर शोधित किया जाता है। राज्य में एक मिशन मोड कार्यक्रम, हरित केरल मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल निकायों की साफ-सफाई, पेयजल गुणवत्ता की जांच, वर्षा जल संचयन करना है। राज्य सरकार ने इन कार्यों के लिए निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 450 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

नारियल का पुनः वृक्षारोपण

46. अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने नारियल उद्योगों द्वारा महसूस किए जा रहे मुद्दों को उठाया है। राज्य में नारियल उद्योग के पुनः सक्रिय करके और नारियल ताड़ों के आनुवंशिक आधार में सुधार लाने हेतु, एक व्यापक स्तर पर पुनर्जीवित कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने नारियल परिषद की योजना, केरा केरलम समृद्ध केरलम के तहत नारियल के पौधों को वितरित एवं रोपित करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने नारियल के वृक्षारोपण की इस योजना के लिए निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

वन संरक्षण

47. अपने ज्ञापन में, राज्य सरकार ने कहा है कि उसने वनों के आर्थिक दोहन के बजाय, उनके संरक्षण एवं सुरक्षा को महत्ता दी है। वनों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने, वनों में अतिक्रमणों को रोकने, इष्टतम वन उत्पाद प्राप्त करने हेतु वनों का विनियमित रूप से उपयोग करने तथा पर्यावरण की दृष्टि से पर्यटन (ईको-टूरिज़्म) के लिए वन का उपयोग करने में व्यय की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए सहायता का अनुरोध किया है, और हम 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

मध्य प्रदेश

पर्यटन, आतिथ्य और कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना

48. मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन, आतिथ्य और कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है, ताकि युवाओं को औपचारिक विषयों के भीतर इन क्षेत्रों में अध्ययन करने में सहायता प्रदान की जा सके। इससे पर्यटन क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस प्रयोजन हेतु हम 55 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

विरासत उद्यानों का जीर्णोद्धार

49. राज्य सरकार ने बुंदेलखंड, मालवा, भोपाल क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में चालीस असंरक्षित शाही (रॉयल) उद्यानों के पुनरुत्थान कर इस ऐतिहासिक उद्यान को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 40 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

विरासत भवनों, जलाशयों और भूमि बैंकों में मूलभूत सेवाओं का उन्नयन एवं विकास

50. मध्य प्रदेश में अनेक विरासत स्थल हैं। विरासत स्थलों को पर्यटन होटलों में परिवर्तित करने सहित, जल आधारित खेलों और साहसिक (एडवेंचर) खेलों को विकसित करने हेतु उचित संपर्क-सड़कों, जल और बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु हम 140 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

पर्यटन संबंधी अवसंरचना का स्तरोन्नयन एवं विकास

51. राज्य सरकार ने वर्तमान एवं नए गंतव्यों (destinations) में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के स्तरोन्नयन और विकास के लिए तथा कम प्रसिद्धि वाले पर्यटन स्थलों के संवर्धन के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

संग्रहालयों का निर्माण और रखरखाव

52. राज्य ने छिंदवाड़ा, नीमच, नरसिंहपुर, हरदा, गुना, ओमकारेश्वर और देवास में सात नए संग्रहालयों के निर्माण तथा पुरा वस्तुओं को संग्रहित, वर्गीकृत और अनुरक्षित करने तथा वर्तमान चौंतीस संग्रहालयों का रखरखाव करने हेतु 82 करोड़ रु. की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 70 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

संग्रहालयों का संरक्षण और विकास

53. राज्य ने ओरछा-ग्वालियर सर्किट, बुरहानपुर-इंदौर सर्किट, भोपाल सर्किट, और विंध्य-जबलपुर सर्किट में महत्वपूर्ण स्मारकों के संरक्षण कार्य के लिए तथा वर्तमान स्मारकों के मार्गों के विकास, विद्युतीकरण और जन सुविधाओं के लिए 110 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस परन्तुक के साथ कि अनुदान का उपयोग केवल इन योजनाओं के लिए ही किया जाएगा, इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं।

अभिलेखागार भवन का निर्माण और प्रलेखनीय विरासत का संरक्षण

54. राज्य ने अभिलेखागार सुविधाओं के निर्माण एवं विस्तार, अभिलेखों का उचित प्रबंधन और सुरक्षा, प्रकाशन, संदर्भ मीडिया को तैयार करना और अभिलेखों के लेमिनेशन के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान

का अनुरोध किया है। हम इस परन्तुक के साथ इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं कि इस अनुदान का उपयोग केवल इन योजनाओं के लिए ही किया जाएगा।

बालिकाओं के लिए 33 नए शिक्षा परिसरों का निर्माण

55. जनजातीय समुदाय के हित में, राज्य ने बालिकाओं के लिए तैंतीस नए शिक्षा परिसरों के निर्माण के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 250 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

सौर पंप परियोजना

56. राज्य सरकार ने ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

ग्वालियर शहर और मुरैना शहर में चंबल नदी से जलापूर्ति

57. राज्य सरकार ने ग्वालियर और मुरैना शहरों में चंबल नदी से जलापूर्ति के लिए सहायता की मांग की है। इसके अंतर्गत जलसंचन कुंआ (इनटेक वेल), जल शोधन संयंत्र, एलीवेडिट सर्विस जलाशयों के निर्माण तथा वितरण प्रणाली आदि शामिल हैं। इस प्रयोजन हेतु हम 250 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी पर्यटन तथा चंदेरी के पारंपरिक कपड़ा बुनकरों का क्षमता निर्माण

58. राज्य सरकार ने ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी सर्किट में पर्यटन के लिए और चंदेरी के पारंपरिक कपड़ा बुनकरों का क्षमता निर्माण करने के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 75 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

महाकालेश्वर मंदिर का विकास एवं रखरखाव

59. राज्य सरकार ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की मरम्मत और रखरखाव एवं विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 75 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

महाराष्ट्र

सांस्कृतिक विरासतों का परिरक्षण

60. राज्य ने चवालीस स्थानों में राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों के संरक्षण, मरम्मत और विकास के लिए तथा दस स्थानों पर भारत सरकार के संरक्षण के तहत किलों (forts) के संरक्षण एवं मरम्मत के लिए अनुदान की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 500 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

वन और वन्यजीव का संरक्षण और प्रबंधन

61. महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन में उसने राज्य में वनों एवं वन्यजीव के संरक्षण तथा हरित आवरण को बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है। राज्य जैव विविधता से समृद्ध है और राज्य में छः राष्ट्रीय पार्क, उनचास अभ्यारण्य (sanctuaries) तथा छः संरक्षण रिजर्व्स और छः टाइगर रिजर्व्स है। इस प्रयोजन हेतु हम 500 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

रेवास रेड्डी तटवर्ती राजमार्ग का विकास

62. महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण तट के समानांतर सड़कों के निर्माण के लिए सहायता की मांग की है। यह 540 कि.मी. लम्बा मनोरम मुंबई-गोवा तटवर्ती समुद्री राजमार्ग है, जिसे कोंकण प्रवेश-द्वार के रूप में जाना जाता है। इससे कोंकण की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से पर्यावरण और मात्स्यिकी को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस प्रयोजन हेतु हम 1,250 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

पुलिस के लिए नए आवासन का निर्माण

63. राज्य सरकार ने यह तथ्य उजागर किया है कि महाराष्ट्र पुलिस देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। कोविड-19 महामारी में पुलिस बल ने कानून और व्यवस्था तथा कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों का प्रभावकारी एवं दक्षता के साथ निर्वहन करने के लिए यह जरूरी है कि पुलिस स्टेशन के आस-पास ही उनके लिए आवासीय मकान/क्वार्टर निर्मित किए जाएं। महाराष्ट्र में, विशेष रूप से मुंबई एवं पुणे के महानगरीय क्षेत्र में पुलिस कार्मिकों के लिए आवासन के

अभाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल के लिए आवासीय सुविधाओं का विस्तार करने के लिए हम 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

मणिपुर

आवासन अवसंरचना

64. अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने इंफाल में विधानसभा के मंत्रियों/ सदस्यों/ सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक अलग आवासीय परिसर तथा पर्वतीय जिलों एवं उप-मंडलीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मियों के लिए एक आवासीय परिसर विकसित करने का प्रस्ताव किया है, क्योंकि वर्तमान आवासन परिसर न केवल अपर्याप्त हैं, बल्कि बहुत पुराने भी हो चुके हैं। हम राज्य सरकार की इन पहलों का समर्थन करते हैं और अनुदानों की अनुशंसा निम्नानुसार करते हैं:

परियोजना	करोड़ रु.
इम्फाल में मंत्रियों/विधायकों के लिए आवासन परिसर	75
अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इम्फाल में आवासन परिसर	210
पर्वतीय क्षेत्रों में जिला एवं उप-मंडलीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासन परिसर	130

मणिपुर सचिवालय परिसर

65. राज्य ने मंत्रीपुखरी में मणिपुर सचिवालय परिसर को पूरा करने के लिए निधियों के आबंटन की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 75 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

नर्सिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना

66. राज्य सरकार ने इम्फाल (पश्चिम) जिले में जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान से संबद्ध तीस सीटों के साथ एक नर्सिंग इंस्टिटयूट की स्थापना करने के लिए निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 15 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

पर्वतीय जिलों में अवसंरचना का विकास

67. छः पर्वतीय जिला मुख्यालयों, यानी चुड़ाचांदपुर, उखरूल, सेनापति, कंगपोकपी, चांडेल, तामेंगलोंग में सीवर, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं और आंतरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए (प्रत्येक जिला मुख्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए) के कुल अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

राजभवन के भीतर भवनों और संरचनाओं का पुनरुद्धार

68. इम्फाल में राजभवन एक विरासत भवन है। राज्य ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि राजभवन परिसर के भीतर दरबार हॉल, भोज सभामंडप (बैंक्वट हॉल), वीआईपी अतिथि गृह एवं दीर्घा और चारदीवारी का पुनरुद्धार काफी समय से नहीं किया गया है और उन्हें उनके अनुरूप अनुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए राज्य ने 15 करोड़ रुपए के अनुदान की सहायता की मांग की है। हम इस अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

राज्य अतिथि गृह का निर्माण

69. राज्य सरकार ने आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नए राज्य अतिथि गृह के निर्माण हेतु 80 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया हैं, क्योंकि वर्तमान में राज्य का दौरा करने वाले सम्माननीय अतिथियों की आवास व्यवस्था के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम इस अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

मेघालय

नए शिलांग टाउनशिप में प्रशासनिक शहर

70. राज्य ने शहर में भीड़-भाड़ कम करने हेतु सरकारी कार्यालयों और आवासन के साथ नए शिलांग क्षेत्र में एक प्रशासनिक शहर निर्मित कराने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित टाउनशिप के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। इस प्रयोजन हेतु हम 250 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

नए विधान सभा भवन का स्तरोन्नयन एवं निर्माण

71. राज्य ने एक नए विधान सभा भवन के निर्माण का प्रस्ताव किया है, क्योंकि पुराना भवन 2001 में आग में जल कर ध्वस्त हो गया था। इसके लिए पहले से शुरु किए गए कार्यों को पूरा करने हेतु राज्य ने निधियों के आबंटन की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

नए शिलांग टाउनशिप के लिए जलापूर्ति योजना

72. राज्य सरकार ने नई शिलांग टाउनशिप में प्रस्तावित प्रशासनिक शहर में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

शिलांग शहर में वाकवे एवं कवर्ड पाथवे का निर्माण

73. शहर की सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित करने और सार्वजनिक स्थलों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि पूरे शहर में वाकवे, कवर्ड पाथवे तथा स्काइवॉक का निर्माण कराया जाना है। इस प्रयोजन हेतु हम 50 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

खेल अवसंरचना का विकास

74. राज्य सरकार ने मेघालय में उनतालीसवें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी एवं खेल के आयोजन हेतु खेल अवसंरचना के स्तरोन्नयन एवं विकास के लिए सहायता की मांग की है। शिलांग एकीकृत खेल परिसर के लिए हम 100 करोड़ रुपए और शिलांग गोल्फ क्लब तथा पी.ए. संगमा स्टेडियम, प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

शहरी अवसंरचना का विकास

75. तुरा (पश्चिमी गारो हिल्स जिले का जिला केंद्र) और जोवाई (जैंतिया पर्वतीय क्षेत्र का प्रशासनिक केंद्र) में सार्वजनिक स्थलों, यातायात, अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग जैसे अवरसंरचना के प्रबंधन/विकास के प्रयोजनार्थ, हम राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार 100 करोड़ रुपए (तुरा एवं जोवाई प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपए) के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

मिजोरम

बागवानी

76. राज्य सरकार के अनुरोध पर, हम (क) संधारणीय बागवानी फसलों की खेती, (ख) स्थानांतरण खेती से, स्थायी भूमि के उपयोग में संक्रमण, (ग) उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन, (घ) बड़े पैमाने पर खेती के लिए वृक्षों के कटाव को रोकना, (ड.) बांस प्रसंस्करण में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 330 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

पर्यटन

77. पूरे राज्य में पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए अनुदान हेतु हम राज्य सरकार के अनुरोध पर 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

विद्युत

78. राज्य ने बिना बाधा के बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत और बिजली विभाग के तहत महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 170 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

नागालैंड

नागर विमाननः छोटी लैंडिंग पट्टियां

79. राज्य ने अंदरुनी क्षेत्रों में दो-इंजन वाले छोटे विमानों से हवाई यात्रा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिले में छोटी लैंडिंग पट्टियों की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस प्रयोजन हेतु हम 90 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

भारत-म्यांमार सीमा पर प्रवेश/निकास के लिए जांच चौकियों का निर्माण

80. राज्य ने निर्बाध आवागमन व्यवस्था के तहत भारत-म्यांमार सीमा पर प्रवेश/निकास के लिए जांच चौंकियों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस अनुरोध को स्वीकर करते हैं और उक्त राशि की अनुशंसा करते हैं।

राज्य में कॉफी का विकास

81. राज्य सरकार ने आगामी तीस वर्षों के लिए नागालैंड कॉफी के क्रय हेतु एक दक्षिण अफ्रीकी फर्म/कंपनी के साथ एक करार ज्ञापन (एमओए) किया है। राज्य सरकार ने कॉफी विकास के लिए सहायता की मांग की है।इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

नए राज भवन का निर्माण

82. वर्तमान राज भवन, जो केवल 5.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कदाचित देश में सबसे छोटा राजभवन है। इस भवन में मात्र तीन अतिथि कक्ष हैं, जिसे उच्च गणमान्य व्यक्तियों के दौरों के दौरान समस्या का सामना करना पड़ता है। नागालैंड सरकार ने नए राजभवन के लिए एक स्थल की पहचान की है, जो कोहिमा में प्रस्तावित विमानपत्तन से 15 कि. मी. दूरी पर है और मुख्यमंत्रियों एवं कैबिनेट मंत्रियों के बंगलों के आस-पास भी है।इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

नए उच्च न्यायालय परिसर का निर्माण

83. राज्य सरकार ने कोहिमा में नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण को पूरा करने के लिए सहायता की मांग की है, जिसे पूर्व में एक विशेष योजना सहायता (एसपीए) के तहत 2008-09 में शुरू किया गया था और एसपीए करार/अनुबंध को समाप्त किए जाने के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। इस परियोजना को पूरा करने के हम 100 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

अग्निशमन केंद्रों का निर्माण

84. राज्य सरकार के ज्ञापन के प्रत्युत्तर में, हमने पांच नए जिलों में अग्निशमन केंद्रों और अन्य सात जिलों में अतिरिक्त सात नए केंद्रों के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा की है।

ओडिशा

श्री जगन्नाथ मंदिर में और उसके आस-पास श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं

85. राज्य सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर में और उसके आस-पास के क्षेत्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 175 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

चक्रवात की सूचना देने के लिए चेतावनी प्रणाली

86. राज्य सरकार ने चक्रवात से संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रसारण प्रणाली को स्थापित करने के लिए अनुदानों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 800 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

कोणार्क सूर्य मंदिर का परिरक्षण एवं विकास

87. राज्य सरकार ने कोणार्क में सूर्य मंदिर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में चंद्रभागा से कटकपुर जंक्शन तक सड़क सहित कोणार्क रिंग रोड और चंद्रभागा तट (beach) के परिरक्षण और विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

बाराबती मोआत (Barabati Moat) और उसके आस-पास ऐतिहासिक स्थानों का परिरक्षण एवं विकास

88. राज्य सरकार ने बाराबती मोआत के परिरक्षण और विकास के लिए अनुदानों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

संबलपुर नगरपालिका क्षेत्र में झंझा बरसाती पानी के लिए ड्रेनेज प्रणाली

89. राज्य ने मौजूदा ड्रेनेज प्रणाली के पुनरुद्धार और नए ढके हुए नालों के निर्माण सहित संबलपुर नगरपालिका क्षेत्र में झंझा जल के लिए ड्रेनेज प्रणाली निर्मित करने हेतु 150 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं और तदनुसार अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

नबरंगपुर जिले में केंडुगुडा के समीप इंद्रावती नंदी के उपर ऊंचे पुल का निर्माण

90. राज्य ने नबरंगपुर जिले में केंडुगुडा के समीप इंद्रावती नंदी के उपर ऊंचे पुल के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस अनुरोध को स्वीकार करते है और तदनुसार अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

हीराकुंड जलाशय, संबलपुर में डेस्टिनेशन डिवलेपमेंट

91. राज्य ने महानदी के उपर एक ऊंचे पुल के निर्माण सहित संबलपुर में हीराकुंड जलाशय में डेस्टिनेशन डिवलेपमेंट के लिए, जलाशय के समीप मौजूदा हवाई पट्टियों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है।

पंजाब

बुधा नाला के माध्यम से सतलुज नदी के प्रदूषण का समाधान

92. राज्य सरकार ने बुधा नाला की साफ-सफाई कर सतलुज नदी के प्रदूषण के समाधान के लिए एक परियोजना हेतु सहायता की मांग की है। यह परियोजना पेयजल एवं सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

मोहाली, होशियारपुर, शहीद भगतसिंह नगर और फाजिल्का में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के चार नए संस्थान

93. राज्य सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य परिचर्या और शिक्षा को बढ़ाने एवं उसका विस्तार करने के लिए मोहाली, होशियारपुर, शहीद भगतसिंह नगर और फाजिल्का में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के चार नए

संस्थानों के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 700 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

बठिंडा में रूफ टॉप सौर संयंत्रों की संस्थापन के लिए प्रायोगिक परियोजना

94. राज्य में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति, झोपड़ियों में रहने वाले लोग, आदि) की बड़ी आबादी है, जो बिजली के बिल का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं। राज्य सरकार ने बठिंडा में 15,000 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में 1 kwp एवं 2 kwp के 15,000 कि.वाट के रूफ टॉप सौर संयंत्र संस्थापित करने के लिए एक परियोजना हेतु सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 40 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

बठिंडा किला और पटियाला किले का विकास

95. राज्य सरकार ने बठिंडा किला, जो कि एक ऐतिहासिक एवं संरक्षित स्मारक है और जिसके कुछ भाग बहुत ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं, के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

96. राज्य सरकार ने हमें बताया कि पटियाला किला, जो ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, में भी संरक्षण/पुनरुद्धार कार्य बड़े पैमाने पर कराए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु हम 13 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं। इन परियोजनाओं को आईटीआरएचडी द्वारा कार्यान्वित कराया जा सकता है।

धान तथा अन्य फसलों के विविधिकरण द्वारा धान भूसी जलाए जाने से उत्पन्न प्रदूषण को कम करना

97. राज्य सरकार ने धान फसल तथा अन्य फसलों, विशेष रूप से मक्का में, विविधिकरण कर धान भूसी जलाए जाने से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए सहायता की मांग की है। इससे उत्तर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी। इस प्रयोजन हेतु हम 350 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

भारत के विभाजन पर पार्टिशन म्यूजियम, अमृतसर का विकास

98. राज्य सरकार ने अमृतसर में भारत के विभाजन पर एक संग्रहालय के लिए सहायता की मांग की है। उसने यह उल्लेख किया है कि विभाजन पर यह विश्व का पहला संग्रहालय है। यह स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब की भूमिका को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

जंग-ए-आजादी स्मारक, करतारपुर, जालंधर

99. राज्य सरकार ने एक पुस्तकालय सहित, जालंधर जिले के करतारपुर में जंग-ए-आजादी स्मारक के स्तरोन्नयन के लिए सहायता की मांग की है। राज्य सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि संग्रहालय को सौर ऊर्जा से चालित किया जाए। हम इसे स्वीकार करते हैं और इस प्रयोजन हेतु 12 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं। इस परियोजना को आईटीआरएचडी द्वारा कार्यान्वित कराया जा सकता है।

पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर, कपूरथला

100. कपूरथला में स्थित पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर (पीजीएससी) एक अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा केंद्र है, जो स्थायी विकास को बढ़ावा देने हेतु विज्ञान-आधारित निर्णयन के माध्यम से समाज की क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार ने पारितंत्र (वैश्विक पारितंत्र में वर्चुअल वॉकथ्रू सहित), पर्यावरण एवं स्थायी विकास लक्ष्य पर दीर्घा तथा कोविड-19 पर एक दीर्घा विकसित करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार ने इन दीर्घाओं के लिए नए भवन के निर्माण और स्थान/गुंबद थियेटर स्क्रीन के स्तरोन्नयन के लिए निधियों की आवश्यकता का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

राजस्थान

जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन

101. राज्य सरकार ने बताया है कि सीमित वर्षा के कारण जोधपुर क्षेत्र को जल के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने जोजारी नदी को एक बारहमासी बड़ी नदी के रूप में बहाल करने का प्रस्ताव किया है, जिसके पूरे बहाव मार्ग को मूल रूप में बहाल कर या किसी नए मार्ग को विकसित कर किया जाना है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक बहिःस्राव (effluent) और घरों से बहने वाले गंदे पानी से मृदा

एवं भूमि जल काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वर्तमान बहिःस्राव शोधन संयंत्र बहिस्रावों को शोधित करने में अपर्याप्त हैं। इसलिए बहिःस्राव के संग्रहण और परिवहन प्रणाली का स्तरोन्नयन करने की आवश्यकता है। जोजारी नदी अपने पुनरुद्धार के पश्चात सामुदायिक ग्राम तालाबों, सूक्ष्म सिंचाई, विविधीकृत खेती और बागवानी के लिए जल का स्रोत बन जाएगी, जिसके फलस्वरूप हजारों किसानों की छिन गई आजीविका बहाल हो सकेगी। राज्य सरकार ने जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन को मजबूती को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

जोधपुर शहर एलिवेटेड सड़क परियोजना

102. राज्य सरकार ने जोधपुर में कृषि मंडी सर्किल (मंडोर सड़क पर स्थित) से लेकर सोजाटी गेट सर्किल तथा अखिल्या सर्किल (चौपासनी सड़क पर स्थित) तक जोधपुर शहर के मुख्य केंद्र में भारी यातायात की आवाजाही का मुद्दा उठाया है। राज्य सरकार ने एक एलिवेटेड सड़क परियोजना के निर्माण के लिए निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 550 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

चिकित्सा महाविद्यालयों में संगरोध केंद्रों के साथ उष्णकटिबंधीय एवं विषाणु विज्ञान अवसंरचना का विकास

103. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियों का अनुरोध किया है। राज्य के छह चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान स्वास्थ्य अवसंरचना को गंभीर परिचर्या सेटअप (उष्णकटिबंधीय एवं विषाणु विज्ञान अवसंरचना पर केंद्रित रहते हुए) के साथ स्तरोन्नयन किया जाना आवश्यक है। इस प्रयोजन हेतु हम 270 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

डिजिटल विश्वविद्यालय

104. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने प्रमुख प्रौद्योगिकीय आभासी कक्षाओं, डिजिटल प्रयोगशालाओं आदि के साथ एक डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए निधियों की मांग की है। हम इसका समर्थन करते हैं और 400 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

जैसलमेर में राजस्थान लोक कला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

105. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने एक लोक कला प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सभी प्रकार की मंच कलाओं (performing arts) और अभिनायकों/कलाकारों को एक छत के नीचे लाने का प्रस्ताव किया है। सांस्कृतिक केंद्र में (क) एक बड़ा एवं दो छोटे थियेटर और एक खुली वायु वाला थियेटर; (ख) भिन्न क्षमताओं की आठ दीर्घाएं (गैलरी); (ग) रिहर्सल हॉल और शोध पुस्तकालय; (घ) रिकॉर्डिंग थियेटर एवं कला स्टुडियो; (ड.) विभिन्न संग्रहालयों और दृश्य-श्रव्य पुस्तकालय; (च) कलाकारों के लिए आवासीय एवं अतिथि गृह और अन्य संबद्ध सुविधाएं शामिल हैं। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

कयासा, अलवर में औद्योगिक टाउनशिप

106. राज्य सरकार ने अलवर जिले के कयासा में एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। रणनीतिक स्थल के लाभ के कारण, इस परियोजना से राज्य के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी आएगी। इस प्रयोजन हेतु हम 320 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

परियोजना जोधपुर पहल

107. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने हमारा ध्यान जोधपुर पहल परियोजना (जो कि आईआईटी चैन्नई के प्रोफेसर बी.एस. मूर्ति की पहल है) के प्रति आकृष्ट कराया है, जो जोधपुर शहर के लिए एक संपूर्ण विकास योजना है। राज्य सरकार ने इस व्यापक विजन एवं विकास योजना के लिए, शहर में गतिशीलता एवं परिवहन योजना के लिए, संरचनात्मक सुरक्षा मुद्दों के लिए, स्थायी शहरी जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए तथा इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

नीमराना औद्योगिक केंद्र परियोजना

108. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने नीमराना औद्योगिक केंद्र परियोजना का उल्लेख किया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में कार्यरत 448 इकाइयां 38,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। इस औद्योगिक केंद्र में भारत के प्रथम अनन्य जापानी जोन की स्थापना की गई थी जिसके तहत पैंतालीस

जापानी इकाइयां कार्य कर रही हैं। नीमराना के वर्तमान अवसंरचना के उन्नयन के लिए निधियों की मांग की गई है। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

मंगानिया या कुलबुलास जैसे पारंपरिक लोक कलाकारों और गायकों के लिए सहायता

109. राजस्थान की पारंपरिक लोक कला, जैसे कि मंगानिया या कुलबुलास को बढ़ावा और सहायता देने के लिए हम राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, 15 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिक विधवाओं का पुनर्वास

110. राज्य सरकार ने समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 7 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

सिक्किम

हर्बल चिकित्सा/योग और आध्यात्मिक चिकित्सा पर्यटन परिसर (Herbal Medical/Yoga and Spiritual Healing Tourism Complex)

111. राज्य सरकार के अनुरोध पर, हम दक्षिण सिक्किम में नंदु गांव में एक हर्बल चिकित्सा/योग और आध्यात्मिक चिकित्सा परिसर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। इस परिसर के अंतर्गत प्रमुख परियोजना घटक में आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए एक बहु उद्देशीय हॉल, ध्यान, योग और आध्यात्मिक शिक्षा, हर्बल चिकित्सा परिसर, संपर्क सड़क, स्वागत कक्ष, बाड़ लगाना आदि शामिल है। हम तदनुसार अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

पुस्तकालय की स्थापना

112. राज्य सरकार ने सिक्किम में एक विश्व स्तरीय पुस्तकालय, नामतः 'ज्ञान मंदिर' की स्थापना के लिए सहायता की मांग की है, जो एक ज्ञान और शिक्षण के केंद्र के रूप में कार्य करेगा और राज्य के लोकाचार एवं आदर्शों को संवर्धित करेगा। इस पुस्तकालय में मुद्रित एवं डिजिटल फॉर्मेट में सिक्किम के बारे में सभी प्रलेख उपलब्ध होंगे। गंगटोक में ज्ञान मंदिर पुस्तकालय के लिए निर्माण तथा एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन,

सम्मेलन और प्रदर्शनी) स्थल के रूप में गंगटोक के संवर्धन हेतु सम्मेलन केंद्र के निर्माण के लिए हम 200 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

सिंहशोर पुल का ग्लास स्काइवॉक पुल के रूप में परिवर्तन

113. सिंहशोर पुल को देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस पुल को एक ग्लास स्काइवॉक पुल के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है और 52 करोड़ रुपए राशि की मांग की है। हम इन अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

यात्री रज्जू मार्ग

114. पश्चिमी सिक्किम में पेलिंग से संगाचोइलिंग मठ को जोड़ने के लिए यात्रियों हेतु हम एक रज्जू मार्ग के लिए 110 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

पश्चिम सिक्किम के डोडक में पर्यावरणीय पर्यटन परिसर का विकास

115. राज्य सरकार ने पश्चिमी सिक्किम के डोडक में श्रद्धालुओं के लिए एक इको-टूरिज्म परिसर के विकास के लिए अनुदानों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 78 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

बागवानी

116. राज्य सरकार ने बागवानी एवं पुष्प कृषि के विस्तार को बढ़ावा देने हेतु रुमटेक में अपने सिम्बिडियम विकास केंद्र के अवसंरचना के उन्नयन के लिए निधियों की मांग की है। इस संबंध में हम 10 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

तमिलनाडु

चेन्नई जलाशयों का पुनर्निर्माण

117. राज्य सरकार ने हमें बताया कि शहरीकरण के परिणामस्वरूप, चेन्नई में जलाशय सिकुड़ रहे हैं। राज्य सरकार भूमि जल संरक्षण क्षेत्रों के सीमांकन, सभी जलाशयों में बांध निर्मित करने और अतिरिक्त उप-सतही भंडारण टैंकों का निर्माण कराना चाहती है ताकि प्राकृतिक जल की हानि को रोका जा सके और जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन स्थापित किया जा सके। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन मंदिरों का नवीनीकरण

118. तमिलनाडु सरकार ने हमें बताया कि राज्य में सबसे अधिक प्राचीन मंदिर हैं, जो अपनी ऐतिहासिक, वास्तुकला और मूर्तिकला के महत्व के लिए जाने जाते हैं। राज्य ने 500 प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

विरासत भवन (सेंट जॉर्ज किला, मद्रास उच्च न्यायालय, सरकारी संग्रहालय, पीडब्ल्यूडी परिसर)

119. राज्य सरकार ने चेन्नई में विरासत भवनों- सेंट जॉर्ज किला, मद्रास उच्च न्यायालय, सरकारी संग्रहालय, पीडब्ल्यूडी परिसर, जो लगभग एक शताब्दी पुराने हैं, के परिरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार

120. राज्य सरकार ने जलाशयों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु सहायता की मांग की है। राज्य ने बांधों के निर्माण, एनीकट (anicuts) के पुनःनिर्माण, कृत्रिम रिजार्च ढांचों की स्थापना और टैंकों के जीर्णोद्धार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य-घटकों के साथ भूमि जल रिचार्ज संरचनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इन जल निकायों से संबंधित कार्यों के लिए हम 900 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

पर्यटन की महत्ता वाले प्रमुख नगरों का विकास (रामेश्वरम, मदुरै, पलानी, तिरुचेंदुर, श्रीरंगम)

121. अपने ज्ञापन में, राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में प्रमुख नगरों (रामेश्वरम, मदुरै, पलानी, तिरुचेंदुर, श्रीरंगम) की महत्ता को उजागर किया है। प्राचीन मंदिरों और विरासतीय स्थलों के आधार पर इन नगरों की ऐतिहासिक महत्ता है। राज्य ने बताया है कि इन प्रमुख नगरों का विकास किए जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हम इस प्रयोजन हेतु 650 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

तेलंगाना

मिशन भागीरथ का प्रचालन और रखरखाव

122. राज्य सरकार ने अपनी आबादी के लिए शुद्ध, पर्याप्त एवं शोधित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिशन भागीरथ के प्रचालन और रखरखाव के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है। इस मिशन के तहत एक लाख वर्ग कि.मी. से अधिक का भौगोलिक क्षेत्रफल कवर होगा। दस प्रतिशत जलापूर्ति को औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा।

123. राज्य सरकार ने हमें बताया है कि इस मिशन के अंतर्गत राज्य के भीतर प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। जलापूर्ति के लिए बिछाए गए पाइपों के साथ डिजिटल तेलंगाना कार्यक्रम के अंतर्गत, ऑप्टिकल फाइबर केबल डक्ट भी बिछाया गया है ताकि प्रत्येक परिवार को ब्रॉड बैंड सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकें। हम इस प्रयोजन हेतु 2,350 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज के अवसंरचना का पुनर्निर्माण

124. राज्य के लोगों के अनुभवों के आदान-प्रदान के आधार पर सावर्जनिक प्रणालियों में नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने हेतु तथा राज्यों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और व्यावहारिक सहायता सुविधा के माध्यम से नवप्रवर्तन के लिए संस्थागत एवं मानव क्षमताओं की स्थापना के लिए, हम भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज के अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

त्रिपुरा

सतही जल का पारेषण (ट्रांसमिशन)

125. राज्य सरकार ने अगरतला नगर निगम के 15 मौजूदा/चालू जल शोधन संयंत्रों के लिए चम्पक नगर एवं चम्पाइचेरा बांधों से अगरतला शहर के भूमि जल जलाशयों में सतही जल के पारेषण के लिए निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

पर्यटन

126. राज्य सरकार द्वारा एक रज्जू मार्ग, त्रिपुरसुंदरी मंदिर के पास इक्यावन शक्ति पीठों के विकास और नीरमहल में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम (साउंड एवं लाइट शो) के लिए अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है। इस प्रयोजन हेतु हम 175 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

कार्यालय भवन का निर्माण

127. राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों को एक ही स्थान पर स्थापित करने के लिए अगरतला में एक कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु सहायता की मांग की है। इस संबंध में हम 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

जिला मुख्यालयों में अवसंरचना का विकास

128. घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटें और आंतरिक सड़कों सहित सीवर, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने हेतु पांच जिला मुख्यालयों के विभिन्न नगरों खोवाई, बिसरामगंज (सेपाहीजला मुख्यालय), अम्बासा (धलाई मुख्यालय), बेलोनिया (दक्षिण त्रिपुरा मुख्यालय) और केला शहर (उनाकोटी मुख्यालय) प्रत्येक के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। हम इसकी अनुशंसा करते हैं।

129. घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटें और आंतरिक सड़कों सहित सीवर, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, धर्मानगर (उत्तरी त्रिपुरा मुख्यालय) और उदयपुर, (गोमती मुख्यालय) के दो जिला मुख्यालय नगरों हेतु प्रत्येक के लिए 37.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। हम इसकी अनुशंसा करते हैं।

उत्तर प्रदेश

ड्रेनेज, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर)

130. राज्य सरकार ने लखनऊ में ड्रेनेज, स्वच्छता और अपशिष्ट से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। राज्य सरकार ने आयोग को बताया कि स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस एवं तरल दोनों) के लिए इन शहरों को आदर्श शहरों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। लखनऊ के लिए अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, सैनेट्री लैंडफिल, लिगेसी वेस्ट रेमीडिएशन, बायोरेमीडिएशन/नालों के शोधन, गोमती नदी के तटों पर प्रदूषण रोकथाम के लिए तथा गोरखपुर में सीवर लाइन बिछाने और राप्ती नदी के तटों पर प्रदूषण को रोकने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 950 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है।

सेवापुरी ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाना

131. राज्य सरकार ने वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक को एक आदर्श विकास ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लिए आयोग को अपनी परियोजना से अवगत कराया है और उसके लिए सहायता की मांग की है। परियोजना के अंतर्गत सीमेंट-कंक्रीट सड़क मार्गों को आपस में जोड़ना और भूमिगत ड्रेनेज विकास कार्य शामिल हैं। इस प्रयोजन हेतु हम 180 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए अनुदान

132. राज्य ने विभिन्न प्रयोजन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु अनुदानों की मांग की है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस संबंध में हमारी अनुशंसाएं निम्नवत हैं:

i. स्वीकृत किए गए सताईस नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक महाविद्यालय के प्रचालन की लागत के लिए सहायता की आवश्यकता है। हम इस प्रयोजनार्थ 1,850 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

ii. आगरा, गोरखपुर, कन्नौज में स्थापित तीन नए नर्सिंग कॉलेजों की प्रचालन लागत (प्रचालन एवं रखरखाव) के लिए सहायता की मांग की है। हम 150 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

iii. प्रयागराज, सहारनपुर, बदायूं, जालौन, बांदा, अम्बेडकर नगर, और आजमगढ़ में सात नर्सिंग कॉलेजों के प्रचालन एवं स्थापना लागत के लिए निधियों की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

iv. पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोगों की जांच और निदान के लिए अनुषंगी केंद्रों की स्थापना हेतु अनुदानों की मांग की गई हे। इस प्रयोजन हेतु हम 50 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

v. राज्य लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में एक राज्य लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र (एसपीएचटीआरआई) की स्थापना हेतु हम 15 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

उत्तराखंड

सिंचाई और पेयजल अवसंरचना का विकास

133. राज्य सरकार ने जमरानी नदी बहु-प्रयोजनीय बांध परियोजना और सोंग नदी पेयजल परियोजना के लिए राज्य सरकार ने अनुदानों का अनुरोध किया है, जिससे राज्य को जलापूर्ति सुविधाओं में सुधार लाने, देहरादून तलहटी क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ को नियंत्रित करने और कुमाऊँ क्षेत्र में पर्यटन और अन्य आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हम जमरानी नदी बहु-प्रयोजनीय बांध परियोजना के लिए 950 करोड़ रुपए और सोंग नदी पेयजल परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है।

ठोस अपशिष्ट निपटान और स्वच्छता

134. राज्य सरकार ने हमें बताया कि पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल में अपशिष्ट निपटान एवं स्वच्छता सुविधाएं अपर्याप्त हैं और आयोग से सहायता की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ पौड़ी गढ़वाल के लिए 100 करोड़ रुपए और नैनीताल के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते है।

पश्चिम बंगाल

पिछड़े जिलों में अवसंरचना का विकास

135. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) (विशेष) की महत्ता को उजागर किया है, जिसका उपयोग पश्चिम बंगाल में पिछड़े जिलों में निरंतर क्षेत्रीय असंतुलनों के समाधान के लिए किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर आठ क्षेत्रों का चयन किया गया है– आवासन सड़कें एवं पुल, शिक्षा, जलापूर्ति, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम और कपड़ा, विद्युत, स्वास्थ्य एवं सिंचाई और जलमार्ग। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरा करने में कमी की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता की मांग की गई है। इस प्रयोजन हेतु हम 1,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते है।

गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए सिविल निर्माण कार्य

136. राज्य सरकार ने गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए सिविल निर्माण कार्य हेतु निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 550 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते है।

पेयजल शोधन परियोजनाएं

137. अपने ज्ञापन में, राज्य सरकार ने हमें अधोभूमि जल में आर्सेनिक मुद्दे का समाधान करने हेतु पेयजल परियोजनाओं की आवश्यकताओं से अवगत कराया है। इस प्रयोजन हेतु हम 550 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते है।

अनुलग्नक 12.1
(पैरा 12.65)

राज्य सरकारों के निर्देशात्मक ऋण पथ

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	35.0	34.1	34.0	33.4	32.7	32.1
अरुणाचल प्रदेश	40.0	38.4	38.0	36.9	35.8	34.8
असम	27.1	27.7	29.1	29.7	30.2	30.4
बिहार	41.2	40.2	40.8	40.4	39.9	39.3
छत्तीसगढ़	28.1	28.8	30.2	30.8	31.3	31.6
गोवा	33.3	32.5	32.5	31.9	31.2	30.6
गुजरात	30.6	30.0	30.9	30.6	30.3	29.8
हरियाणा	31.9	31.2	31.4	30.9	30.4	29.9
हिमाचल प्रदेश	39.8	38.3	37.8	36.8	35.7	34.7
झारखंड	37.2	36.7	37.5	37.4	37.1	36.8
कर्नाटक	26.1	26.1	27.1	27.2	27.2	27.1
केरल	35.9	34.7	34.5	33.7	32.8	32.0
मध्य प्रदेश	31.3	31.7	32.9	33.3	33.6	33.7
महाराष्ट्र	25.7	26.0	27.5	28.1	28.5	28.5
मणिपुर	42.8	41.5	41.8	41.2	40.4	39.6
मेघालय	40.5	39.9	40.3	39.8	39.1	38.4
मिजोरम	37.0	35.8	35.6	34.8	34.0	33.2
नागालैंड	45.2	43.0	42.1	40.6	39.1	37.7
ओडिशा	29.4	30.0	31.3	31.8	32.2	32.5
पंजाब	46.3	45.2	45.4	44.9	44.2	43.4
राजस्थान	41.1	39.9	40.2	39.6	38.9	38.2
सिक्किम	27.4	27.5	28.1	28.1	28.0	27.9
तमिलनाडु	28.9	28.7	29.3	29.1	28.9	28.7
तेलंगाना	29.5	29.3	29.7	29.5	29.3	29.0
त्रिपुरा	36.3	34.9	35.1	34.5	33.7	32.8
उत्तर प्रदेश	40.9	40.0	40.5	40.2	39.7	39.1
उत्तराखंड	33.2	33.1	33.9	34.0	33.9	33.7
पश्चिम बंगाल	42.9	42.1	42.6	42.2	41.7	41.2
सभी राज्य	**33.1**	**32.6**	**33.3**	**33.1**	**32.8**	**32.5**

अनुग्नक 13.1
(पैरा 13.12)

भारत में लोक वित्त प्रबंधन व्यवहारों का शासन[10]

लोक वित्त प्रबंधन आयाम	संघ सरकार	राज्य सरकार
राजकोषीय अनुशासन और जोखिमों का प्रबंधन	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 (यथासंशोधित)	राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व नियम
बजट निर्माण	बजट नियमपुस्तक (आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय 2010)	राज्य बजट नियमपुस्तक (यदि उपलब्ध हो) - अधिकतर संघ के बजट मैनुअल पर आधारित है
आंतरिक नियंत्रण/ लेखापरीक्षा	आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल (सीजीए, एमओएफ 2014)	राज्य राजकोषीय कोड, लोक निर्माण विभाग कोड, वित्त नियम
लोक प्रापण	सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 और डीओई, एमओएफ द्वारा जारी विविध आदेश	जीएफआर, आदेश, राज्य वित्त विभागों के जीएफआर, आदेश और निर्देश
निगरानी और रिपोर्टिंग	राजकोषीय नियम एफआरबीएम अधिनियम, जीएफआर 2017, प्राप्ति और भुगतान नियम, लेखा वर्गीकरण और नियमों के अनुसार विभागों / एजेंसियों द्वारा निगरानी एफआरबीएम अधिनियम, लेखा नियमावली, प्रारूप और सीएजी / सीजीए द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रिपोर्टिंग	महालेखाकार, सीएजी के क्षेत्र अधिकारी के रूप में, राज्य के वित्तीय विवरणों को संकलित करता है और राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करता है। एजी (लेखापरीक्षा) विविध लेखापरीक्षा करता है और विधायिका को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लेखांकन प्रारूप सीएजी द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
बाह्य लेखापरीक्षा	सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम सीएजी द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानक, नियम और दिशानिर्देश। संसद में केंद्रीय लोक लेखा समिति, सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच करती है।	सीएजी अधिनियम सीएजी द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानक, नियम और दिशानिर्देश। राज्य विधानसभा की पीएसी, राज्य पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है।

[10] संविधान के अनुच्छेद 112-117, 148-151, 202-207, 264-291 (भाग- XII का अध्याय I और II) भारत में लोक वित्त के प्रबंधन के लिए व्यापक ढांचे को परिभाषित करता है।

अनुलग्नक 13.2
(पैरा 13.13)

वर्तमान लोक वित्त प्रबंधन संरचना में चयनित महत्वपूर्ण कमियां

लोक वित्त प्रबंधन आयाम	वर्तमान व्यापन	मौजूदा अंतराल/ विधान में विसंगतियां	कार्यान्वयन में मौजूदा कमियां
राजकोषीय अनुशासन और जोखिमों का प्रबंधन	वर्तमान राजकोषीय जिम्मेदारी विधान संख्यात्मक वित्तीय लक्ष्यों, अनिवार्य प्रकटन, पलायन खंड आदि के लिए बहुत सारे आधार को कवर करते हैं।	**संघीय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान:** घाटे और ऋण की परिभाषाएं एक दूसरे के साथ असंगत हैं। सामान्य सरकारी ऋण लक्ष्य 'केंद्र सरकार ऋण' की व्यापक परिभाषा के अनुरूप नहीं है। **राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान:** कई राज्यों के पास अतिरिक्त बजटीय प्रचालन को कवर करने के लिए ऋण और घाटे की व्यापक परिभाषा नहीं है। अनेक राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में एक लंगर के रूप में ऋण नहीं है। यहां तक कि जहां ऋण एक लक्षित सहारा है, यह संघ द्वारा अपनाए गए सामान्य सरकारी ऋण लक्ष्य के साथ संरेखण में परिभाषित नहीं है।	केंद्र सरकार के कर्ज की गणना संघीय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में ऋण की संशोधित परिभाषा का पूरा संज्ञान लेने से नहीं की जाती है। मध्यावधि व्यय फ्रेमवर्क विवरण, संघ द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता है और अधिकांश राज्यों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। राजकोषीय जोखिम विवरण, संघ या राज्यों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है।
बजट निर्माण	अनुच्छेद 112-117 के तहत संवैधानिक प्रावधान संसद में बजटीय प्रक्रिया को कवर करते हैं। जीएफआर, वित्तीय शक्तियों	संविधान में केवल व्यापक अधिदेश और बुनियादी ढाँचा शामिल है। हालांकि, डाउनस्ट्रीम प्रचालनीय बजटीय प्रक्रियाओं का कोई	बजटीय प्रक्रियायें निष्पादन बजट या परिणाम बजट के प्रति उन्मुख नहीं हैं। आउटकम बजट दस्तावेज़,

	के नियमों के प्रत्यायोजन और बजट नियमावली; विनियोजन के नियम, संस्वीकृतियों और आवंटन को कवर करता है।	विशिष्ट कानूनी ढांचा नहीं है, जो उन्हें नियंत्रित करे। बजट बनाने के लिए दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताओं और समयसीमा को कानूनी रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।	मुख्य बजट परिव्यय और निष्पादन के संपर्क के बिना तैयार किया जाता है।
लोक प्रापण	जी एफ आर, 2017, प्राप्ति और भुगतान नियम और डी ओ ई, एम ओ एफ द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश	सार्वजनिक प्रापण के लिए कोई व्यापक कानूनी ढांचा नहीं। खंडित नियम, दिशानिर्देश और नियमपुस्तकें, सार्वजनिक एजेंसियों के लिए उन्हें व्यापक रूप से पालन करना मुश्किल बनाते हैं।	नियमों की बहुलता प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और कुशल सार्वजनिक प्रापण में सहायता के बजाय सक्षम प्रापण में बाधा डालती है।
निगरानी और रिपोर्टिंग	अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी द्वारा पूर्व-समीक्षा और लेखापरीक्षा तथा सीएजी अधिनियम।	**संघ और राज्य दोनों में:** राजकोषीय योजनाओं, निष्पादन और सरकार के वृहद-आर्थिक और राजकोषीय पूर्वानुमानों के लिए बाहरी आकलन और मूल्यांकन तंत्र नहीं है। मध्यावधि समीक्षा या व्यय योजना में सुधार के लिए कोई प्रावधान या व्यवस्था नहीं है।	लगभग वर्ष-अंत व्यय समीक्षा (संशोधित अनुमान चरण में) के लिए तदर्थ तंत्र, और केवल जब एक दबाव की आवश्यकता के द्वारा संचालित होता है। साल के अंत में खर्च में कटौती प्रभावी नहीं है, क्योंकि भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित हो जाते हैं।

अनुग्नक 13.3
(पैरा 13.17)

राजकोषीय व्यवस्था पर पिछले वित्त आयोगों की अनुशंसाएं

वित्त आयोग	अनुशंसाएं
11वां वित्त आयोग 2000 से 2005	सरकार (i) बहु-वर्षीय बजट प्रक्रिया शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच कर सकती है; (ii) बजट अनुमान तैयार करने के वस्तुपरक तरीके प्रस्तुत करना ताकि बजट अनुमान की गुणवत्ता में सुधार हो सके; (iii) अधिकतम समय निर्धारित करना जिसमें कैग की रिपोर्टों को लोक लेखा समिति द्वारा जांचना और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जांच की जाती है, जैसा भी मामला हो; (iv) राजस्व और पूंजी के अलावा सभी व्यय वर्गीकरणों की समीक्षा करें; तथा (v) सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार करने, बेहतर लक्षित, लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम और एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर नकदी प्रवाह प्रबंधन को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करना।
12वां वित्त आयोग 2005 से 2010	लेखांकन प्रक्रिया के संबंध में सिफारिशें, विशेष रूप से, अनुवर्ती-आधारित लेखाकरण को अपनाना। हालांकि इसने मध्यावधि में एक क्रमिक संक्रमण की सिफारिश की, इसने अंतरिम में वक्तव्यों के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की सिफारिश की: (क) दी गई सब्सिडी का विवरण, स्पष्ट और निहित दोनों; (ख) विभिन्न विभागों / इकाइयों द्वारा वेतन पर व्यय का विवरण; (ग) पेंशनरों पर विस्तृत जानकारी और सरकारी पेंशन पर व्यय; (घ) भविष्य में प्रतिबद्ध देनदारियों पर डेटा; (ड) ऋण और अन्य देनदारियों के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची के बारे में जानकारी सहित विवरण; (च) सरकार द्वारा धारित वित्तीय परिसंपत्तियों में अभिवृद्धि या क्षरण, सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन से उत्पन्न होने वालों सहित; (छ) भविष्य के नकदी प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित वर्ष या नई योजनाओं के दौरान सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णयों के निहितार्थ; तथा (ज) वेतन और गैर-वेतन अंश के अलगाव के साथ रखरखाव व्यय का विवरण।
13वां वित्त आयोग 2010 से 2015	एक समान बजटीय वर्गीकरण, विशेष रूप से वस्तु शीर्ष कोड को अपनाना और वित्त लेखाओं के परिशिष्ट की एक मानकीकृत सूची। इसने राज्यों के समेकित निधियों के बाहर धन का सृजन करके सार्वजनिक व्यय को कम करने को भी हतोत्साहित किया और रिपोर्टिंग प्रणालियों में सुधार को प्रोत्साहित किया।

14वां वित्त आयोग 2015 से 2020	(I) आयोग ने इस विचार का समर्थन किया कि संघ और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रोद्भवन-आधारित लेखाकरण के लिए परिवर्तन वांछनीय है। हालांकि, यह मानते हुए कि यह परिवर्तन केवल चरणों में ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए काफी प्रारंभिक कार्य और लेखा कर्मियों के क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है, आयोग ने एफ सी-XII की अनुशंसायों को दोहराया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त लेखाओं में समाहित किए गए विविध विवरणों के संदर्भ में प्रोद्भवन-आधारित लेखाकरण के लिए परिवर्तन करने के लिए आधार समाहित करने चाहिए। इसने यह अनुशंसा भी दोहराई कि प्रोद्भवन -आधारित लेखा प्रणालियों में लेखांकन पेशेवरों के बीच क्षमता निर्माण के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। (ii) वस्तु शीर्ष स्तर के रूप में, आयोग ने महसूस किया कि संघ और राज्यों दोनों में कुछ समान वस्तु शीर्ष जैसे वेतन, रखरखाव, सब्सिडी और अनुदान सहायता के लिए पर्याप्त है और राज्यों को अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार नए वस्तु शीर्ष खोलते हुए अपने मौजूदा लचीलेपन को बनाए रखना चाहिए। (iii) आयोग ने परिणाम के साथ परिव्यय को जोड़ने के महत्व को रेखांकित किया। हालांकि, इसने जोर दिया कि आउटपुट के लिए प्रमुख संकेतकों को प्रस्तुत करना और पहले से परिभाषित जवाबदेही ढांचे के भीतर इनकी निगरानी करना आवश्यक है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट